रजिस्ट्री सं० डी-(डी)— 73

REGISTERED NO. D-(D)--73

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 16, 1977 (चैत्र 26, 1899)

No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 16, 1977 (CHAITRA 26, 1899)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## विषय-सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . | 309 |
| भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . | 489 |
| भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . | 21 |
| भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . | 429 |
| भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम | --- |
| भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट | — |
| भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . | 1359 |
| भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . . | 1371 |
| भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश | 187 |
| भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं | 1717 |
| भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस | 359 |
| भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं | 25 |
| भाग III—खंड 4—विविध निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . | 1061 |
| भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस | 71 |

# CONTENTS


| | PAGE |
|---|---|
| PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. .. .. .. | 309 |
| PART I—SECTION 2.—Notification regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. . .. | 489 |
| PART I—SECTION 3.- Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence .. .. .. | 21 |
| PART I.—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence | 42 |
| PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations | — |
| PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills .. . | — |
| PART II—SECTION 3.—SUB SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) . | 1359 |
| PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. | 1371 |
| PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence .. | 189 |
| PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India .. | 1717 |
| PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta .. | 359 |
| PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .. .. .. .. | 25 |
| PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. .. | 1061 |
| PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies .. .. | 71 |

# भाग I—खण्ड 1
# PART I—SECTION 1

**(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं**

**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 1977

सं० 34-प्रेज/77—राष्ट्रपति पश्चिम बगाल पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं —

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री अरविन्द चटर्जी,
कार्य प्रभारी निरीक्षक,
थाना जादवपुर,
जिला 24-परगना,
पश्चिम बगाल ।

श्री जगदीश चन्द्र बिश्वास,
पुलिस उप-निरीक्षक,
डी० आई० बी०, 24-परगना,
पश्चिम बंगाल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया ।

31 जुलाई, 1974 को श्री अरविन्द चटर्जी, कार्य प्रभारी निरीक्षक, थाना जादवपुर को सूचना मिली कि कुछ प्रमुख उग्रवादी शस्त्र और गोलाबारूद सहित गाव थडरपाग (सन्तोषपुर) में एकत्र हैं तथा हिंसक कार्यवाहियों की योजना बना रहे हैं। निरीक्षक ने तुरन्त एक पुलिस दल एकत्र किया जिसमें वे स्वयं, उप-निरीक्षक जगदीश चन्द्र बिश्वास, उनके कुछ विश्वासनीय व्यक्ति तथा केन्द्रीय आरक्षित पुलिस की एक टुकड़ी थी। दल 1 अगस्त, 1974 का दिन शुरू होते ही गाव में पहुचा। उन्होंने झोंपड़ी का पता लगाया जोकि बांसों की बनी थी। निरीक्षक ने झोपड़ी के भीतर एक सुराख से झाका तथा कुछ युवकों को मिट्टी के तेल के लैम्प की धुधली रोशनी में बातचीत करते हुए देखा। निरीक्षक ने दल को झोपड़ी घेरने का आदेश दिया। वे तब स्वयं श्री बिश्वास के साथ कमरे में घुसे तथा उग्रवादियों को आत्म-समर्पण करने को कहा। उग्रवादियों ने अन्दर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और अधिकारियों पर लोहे की छड़ों से आक्रमण कर दिया। निरीक्षक तथा उप-निरीक्षक दोनों के माथे तथा हाथों पर चोटें आई फिर भी उन्होंने अपनी रिवाल्वरों से उग्रवादियों पर गोलियां चलाई और एक उग्रवादी घटनास्थल पर मौत के घाट उतार दिया तथा अन्य दो को घायल कर दिया। घायलों में से एक की बाद में मृत्यु हो गई। अन्य तीन उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। दो राइफलें, कुछ कागजात और गोलाबारूद झोपड़ी से प्राप्त किया।

इस मुठभेड़ में श्री अरविन्द चटर्जी तथा श्री जगदीश चन्द्र बिश्वास ने वीरता, साहस, पहलशक्ति तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2 ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 31 जुलाई, 1974 से दिया जायेगा।

सं० 35 प्रेज/77—राष्ट्रपति पश्चिम बगाल पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री रघुबन प्रसाद सिंह, (स्वर्गीय)
कांस्टेबल स० 2932,
जिला सशस्त्र पुलिस, 24-परगना,
पश्चिम बगाल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

15 सितम्बर, 1974 को लगभग साढ़े नौ बजे प्रात एक पुलिस दल जिला 24-परगना में बेंगो खाल नदी पर गश्ती ड्यूटी पर था। उनके साथ सुन्दरबन इस्टोरिन फिशरमैन को-आपरेटिव सोसाइटी के मछियारे थे। नायक ज्योति प्रकाश उकील तथा श्री रघुबन प्रसाद सिंह अग्रिम गश्ती नाव में थे तथा शेष दल पीछे दूसरी नाव में था। अग्रिम गश्ती दल ने लगभग 25-30 व्यक्तियों के साथ एक देशी नाव को मछियारों की नाव की ओर आते देखा। मछियारों ने तुरन्त शोर मचाना आरम्भ किया क्योंकि अज्ञात नाव के व्यक्ति उन्हें लूटने का प्रयास कर रहे थे। नायक ज्योति प्रकाश उकील तथा कांस्टेबल रघुबन प्रसाद सिंह ने नाव के व्यक्तियों को चुनौती दी जिन्होंने पुलिस दल पर गोली चलानी शुरू कर दी। एक गोली कांस्टेबल रघुबन प्रसाद सिंह के बायें बाजू में लगी। घाव की परवाह न करते हुए श्री सिंह तथा नायक ज्योति प्रकाश उकील के साथ शेष सुरक्षा दल के आने तक डाकुओं पर गोली चलाते रहे। इस गोलीबारी में कांस्टेबल रघुबन प्रसाद सिंह की सीने में एक और गोली लगी जिसके परिणामस्वरूप उनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। इस मुठभेड़ में दो डाकू मारे गये तथा घटनास्थल से चार बन्दूकें और गोलियां बरामद की गईं।

इस प्रकार श्री रघुबन प्रसाद सिंह ने उत्कृष्ठ वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 सितम्बर, 1974 से दिया जायेगा।

सं० 36 प्रेज/77—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं —

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री हरपाल सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
मध्य प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

4 फरवरी, 1976 को श्री हरपालसिंह को गाव सिहरोली के बीहड़ में दो कुख्यात डाकुओं के छिपने के बारे में सूचना मिली। उन्होंने उपलब्ध दल को एकत्रित किया तथा छिपने के स्थान की ओर तुरन्त चल पड़े। उन्होंने अपने दल को तीन टुकड़ियों में बांट कर उस क्षेत्र का घेरा डाल दिया। डाकुओं को देखते ही उप-निरीक्षक हरपाल सिंह ने उनको आत्म-समर्पण करने के लिये चुनौती

दी। डाकुओं ने जवाब में पुलिस दल पर गोली चलाई। गोलियों की परवाह न करते हुए उप-निरीक्षक ने भी मोर्चा सम्भाला तथा डाकुओं पर गोली चलाई थे एक को मार डालने में सफल हो गये किन्तु दूसरा पुलिस पर गोली चलाता रहा। अपने जीवन के खतरे की परवाह न किये बिना उप-निरीक्षक हरपाल सिंह ने आक्रमण जारी रखा तथा डाकू के समीप जाने का प्रयत्न किया। इस पर एक डाकू उप-निरीक्षक की ओर तेजी से दौड़ा किन्तु श्री हरपाल सिंह सतर्क थे तथा अचूक निशाने से उन्होंने डाकू को मार गिराया। डाकुओं के पास से कुछ शस्त्र तथा गोलाबारूद बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में श्री हरपाल सिंह ने अनुकरणीय साहस, दृढ़-संकल्प, पहल-शक्ति तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 4 फरवरी, 1976 से दिया जायेगा।

सं० 37 प्रेज/77—राष्ट्रपति मिजोरम सशस्त्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं —

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री लुआ ईआ,
पुलिस उप-निरीक्षक,
पहली बटालियन,
मिजोरम सशस्त्र पुलिस।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

26 अगस्त, 1975 को श्री लुआईआ के नेतृत्व में मिजोरम सशस्त्र पुलिस के तीन चुनिंदा जवानों का एक दल विरोधियों के एक गिरोह को पकड़ने के लिये तैनात किया गया। पुलिस दल ने उस मकान को घेर लिया जिसमें विरोधी छिपे हुए थे तथा उन्हें आत्म-समर्पण करने के लिये ललकारा। एक विरोधी ने खिड़की में से अपनी रिवाल्वर बाहर निकाली और गोली चलाने का प्रयास किया। परन्तु निशाना चूक गया। इस पर वह खिड़की से कूद गया और उसने छिपने के लिये जंगल की ओर भागने का प्रयास किया। उप-निरीक्षक लुआ ईआ ने भागते हुए विरोधी का पीछा किया और एक कास्टेबल की सहायता से उसे पकड़ने की कोशिश की। हाथापाई के दौरान उप-निरीक्षक लुआ ईआ तथा विरोधी एक ढलान में लगभग 10-15 गज लुढ़क गये, विरोधी ने अपनी रिवाल्वर से गोली चलाने का भरसक प्रयास किया परन्तु उसका रिवाल्वर हाथ से गिर गया। इसके बाद पुलिस दल ने विरोधी पर काबू कर लिया। अन्य विरोधी मौके का फायदा उठाते हुए जंगल में भाग निकले।

इस मुठभेड़ में लुआ ईआ ने उत्कृष्ट वीरता, पहल-शक्ति तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 अगस्त, 1975 से दिया जायेगा।

दिनांक 26 जनवरी 1977

सं० 38 प्रेज/77—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनकी वीरता के लिये "शौर्य चक्र" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं —

1 कर्नल सुदर्शन सिंह (आई० सी० 04092 पी०) (राजपूत रेजिमेंट)
मुख्य सुरक्षा अधिकारी, रक्षा मंत्रालय।

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 26 जुलाई, 1975)

रक्षा मंत्रालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी, कर्नल सुदर्शन सिंह 26 जुलाई, 1975 को लगभग 0250 बजे जब धौला कुआं, नई दिल्ली स्थित अपने निवास स्थान से अपनी कार में केन्द्रीय सचिवालय स्थित अपने गार्डों की अचानक जांच करने के लिए जा रहे थे तो इन्होंने सड़क के पश्चिम की ओर एक व्यक्ति को संदेहजनक स्थिति में हाथों में एक पैकेट लिए हुए देखा। कर्नल सुदर्शन सिंह ने अपनी कार की रोशनी उस व्यक्ति की ओर फेंकी। वह व्यक्ति कार की रोशनी से बचने के लिए नीचे की ओर झुक गया। कर्नल सुदर्शन सिंह को उस व्यक्ति पर और अधिक संदेह हुआ। इन्होंने कार को रोक दिया और उस व्यक्ति को ललकारा। आवाज सुनते ही वह व्यक्ति पास के उस नाले की ओर भागा जो कि रिज के जंगल की ओर जाता है। कर्नल सुदर्शन सिंह अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना, उस व्यक्ति के पीछे दौड़ पड़े। जैसे ही वे उसे पकड़ने वाले थे। वह नाले में फिसल गए जो कि पिछले दिनों में भारी वर्षा के कारण पानी व कीचड़ से भरा पड़ा था। वे तत्काल उठ खड़े हुए और फिर उस व्यक्ति के पीछे दौड़ पड़े। वह व्यक्ति अंधेरा होने के कारण घने जंगल में जा कर लापता हो गया किन्तु चूंकि लगातार उसका पीछा किया जा रहा था इसलिए उसने पैकेट को फेंक दिया क्योंकि इससे उसके भाग कर बच निकलने में रुकावट हो रही थी। कर्नल सुदर्शन सिंह ने उस पैकेट को उठा लिया और यह समझ कर कि उस व्यक्ति का और पीछा करना व्यर्थ है, कार में वापस आ गए। पैकेट को खोलने पर उन्हें उसमें मैगजीन के साथ एक मैन्फ लोडिंग 7 62 एम० एम० राइफल, और दो मैगजीनों के साथ एक 9 एम० एम० मशीन कार्बाइन मिले। बाद में इन हथियारों और मैगजीनों को चाणक्यपुरी के पुलिस स्टेशन में जमा करा दिया गया।

इस कार्रवाई में कर्नल सुदर्शन सिंह ने अनुकरणीय साहस, पहलशक्ति, दृढ़-निश्चय तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2 267944 कार्पोरल फानी राजू काला वेंकटा
ए० एफ० एम० आ० - 11

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 25 सितम्बर, 1975)

कार्पोरल फानी राजू काला वेंकटा, मार्च 1973 से सक्रिया विंग में काम कर रहे हैं। 25 सितम्बर 1975 को, जब वे हवाई दुर्घटना में बचाव करने वाले दल में ड्यूटी पर थे, तो ए० एन०-12 वायुयान जमीन पर उतरने लगा जिसके केबिन में बिजली की तार जल जाने के कारण वहां से आग और धुआं निकल रहा था। कार्पोरल फानी राजू काला वेंकटा तत्काल बचाव गाड़ी को लेकर वायुयान के पीछे दौड़ पड़े। ज्यों ही वायुयान रुका ये अपनी जान की बाजी लगाकर एकदम वायुयान में घुस पड़े और आग बुझाने लगे। बहुत ज्यादा धुएं के कारण ये घुटन महसूस कर रहे थे फिर भी बिना घबराये लगातार आग बुझाने का प्रयत्न करते रहे और अन्त में आग पर काबू पाने में सफल हो गये और इस प्रकार एक ऐसे वायुयान को जिसकी क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती थी, बचाया।

इस कार्रवाई में, कार्पोरल फानी राजू काला वेंकटा ने अनुकरणीय साहस, पहलशक्ति, दृढ़ संकल्प और उच्चकोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

3 225696 सार्जेन्ट शंकरन कुट्टी नायर, ए० सी० एच० / जी० डी०।
(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 29 अक्तूबर, 1975)

बिजली बन्द होने का कारण जानने के लिए 29 अक्तूबर, 1975 की रात के 8 बजे सार्जेन्ट शंकरन कुट्टी नायर अपने बेस के आवास कैंप के एम० ई० एम० इलैक्ट्रीसिटी सब-स्टेशन की ओर जा रहे थे। जब वे सब स्टेशन के पास पहुंचे तो इन्होंने एक धमाका सुना और इमारत से आग की लपटें आती हुई देखीं और साथ ही सहायता के लिए एक चीख भी सुनी। ये उस इमारत की ओर दौड़े और देखा कि गेट के पास एक व्यक्ति फर्श पर आग की लपटों में पड़ा हुआ है और इमारत में धुआं आ रहा है। अपनी जान की परवाह न करते हुए ये इमारत के अन्दर घुस गए और मैन स्विच को बन्द कर दिया। तब इन्होंने देखा कि कपड़ों पर आग की लपटों के साथ अचेत अवस्था में पड़ा व्यक्ति एम० ई० एस० कर्मचारी है। सार्जेन्ट नायर ने उन्हें जमीन पर लिटा कर और उनके कपड़ों को फाड़कर आग की लपटें बुझाईं। ये सब उसको अपने कन्धों पर सैनिक अस्पताल के डाक्टरी जांच कक्ष में ले गए जहां उन्हें तुरन्त प्रथमोपचार दिया गया और बाद में इलाज से उनकी जीवन रक्षा की गई। इस प्रकार इन्होंने सूझ-बूझ और तुरन्त कार्रवाई से एक अमूल्य जीवन तथा बहुमूल्य मशीन की रक्षा की।

इस कार्रवाई में सार्जेन्ट शंकरन कुट्टी नायर ने अदम्य साहस, असाधारण नेतृत्व और उच्चकोटि की जन सेवा का परिचय दिया।

4. 7235583 लांस दफादार गुरबचन सिंह, आर्० वी० सी०

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 19 नवम्बर, 1975)

लांस दफादार गुरबचन सिंह उस गश्ती-दल के सदस्य थे जिसे नई दिल्ली, के रिज रोड पर स्थित, आर्मी हैडक्वार्टर रिसीवर स्टेशन के भूमि गत कैबिल काटने वाले गिरोह को पकड़ने का काम सौंपा गया था। अंधेरे में गश्ती-दल से बिछड़ जाने पर भी ये खोजी कुत्ते के पीछे चलते रहे और बाद में जंगल में उस स्थान पर जा पहुंचे जहां दो चोर कैबिल से धातु निकालने के लिए उसे गला रहे थे। अपने साथियों का इन्तजार किए बिना, अपनी जान पर खेल कर इन्होंने इन चोरों को ललकारा, इस पर चोर ने इन पर कुल्हाड़ी से हमला किया जिससे इनके सिर पर चोट आई। चोट लगने के बावजूद भी ये उससे भिड़े रहे और उसे भागने नहीं दिया। इसी दौरान गश्ती-दल भी घटना स्थल पर पहुंच गया। इनकी इस कार्यवाही से चुराया गया केबिल मिल गया और इस प्रकार का अपराध करने वाला गिरोह भी पकड़ लिया गया।

इस कार्रवाई में लांस दफादार गुरबचन सिंह ने अनुकरणीय साहस, दृढ़ता और उच्चकोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

5. कमांडर नारायण राधाकृष्णन (सेवा निवृत्त) भारतीय नौसेना।

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 4 जनवरी, 1976)

हाल ही में कमांडर नारायण राधाकृष्णन एक ऐसी खतरनाक सक्रिया में सम्मिलित हुए जिस को बड़े साहस और चतुराई और सामर्थ्य से पूरा किया जाना था। उनके आत्मविश्वास स्फूर्ति और नियन्त्रण के व्यक्तिगत उदाहरण के फलस्वरूप उक्त विशेष कार्य को अपेक्षित समय के अन्दर पूरा कर लिया गया।

इस प्रकार कमांडर नारायण राधाकृष्णन ने अनुकरणीय साहस, दृढ़ संकल्प और उच्चकोटि की कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

6. श्री सी० पी० रविकुमार, अटेण्डर, बैंक आफ इण्डिया, के० आर० सर्किल, मैसूर।

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 19 जनवरी, 1976)

19 जनवरी, 1976 को एक अपराधी अपने आप को किसी व्यापारी फर्म का एजेंट बता कर मैसूर में बैंक आफ इण्डिया की के० आर० सर्किल शाखा में गया। वह कुछ समय तक बैंक की कार्य प्रणाली को देखता रहा और अचानक कोषागार की ओर लपका और बैंक के कर्मचारियों का रिवाल्वर दिखाकर उन्हें हाथ उठाने को कहा ताकि वह रुपये लेकर भाग सके। उसी समय बैंक के सिपाही श्री सी० पी० रविकुमार ने लकड़ी का एक पार्सल बक्सा उठाकर अपराधी के हाथ पर दे मारा जिससे उसके हाथ से रिवाल्वर नीचे गिर गया फिर भी किसी तरह से उसने रिवाल्वर उठा लिया और फायर किया जिससे एक व्यक्ति के दाहिने घुटने पर चोट आई। इस दौरान श्री रविकुमार ने बैंक के अन्य कर्मचारियों की सहायता से अभियुक्त को पकड़ लिया और उससे रिवाल्वर छीन कर उसे बैंक में बन्द कर दिया और फिर पुलिस को सौंप दिया।

इस कार्रवाई में श्री सी० पी० रविकुमार ने पहल-शक्ति, अनुकरणीय साहस, बड़ी सूझ-बूझ और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

7. जी०/100066 ओ० ई० एम० गोपाल सिंह (मरणोपरांत) जी० आर० ई० एफ०

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 19 फरवरी, 1976)

पुरबदपुर-तिपालमुख सड़क चौड़ी करने के लिए बुलडोजर लगाया गया था जिसके आपरेटर इंचार्ज ओ० ई० एम० गोपाल सिंह थे। दिनांक 19 फरवरी, 1976 को जब इस सड़क को चौड़ा करने का काम चल रहा था तो बारूद से चट्टान उड़ाने के कारण सड़क पर पत्थरों और मलबे का ढेर हो गया और सड़क बिल्कुल बन्द हो गई। ओ० ई० एम० गोपाल सिंह ने बुलडोजर से सड़क साफ करने का काम शुरू किया। जब वे सड़क साफ करने में लगे हुए थे तो उन्होंने देखा कि ऊपर से उनके बुलडोजर पर चट्टान का एक बहुत बड़ा हिस्सा आ पड़ने वाला है, उस समय ओ० ई० एम० गोपाल सिंह बुलडोजर से बाहर कूद कर बड़ी आसानी से अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने जान की बाजी लगाकर बुलडोजर को वहां से बचाने की भरपूर कोशिश की। अगर वे ऐसा न करते तो बुलडोजर बहाव के साथ ही नीचे खड्ड में जा गिरता, उन्होंने तत्काल बुलडोजर को पीछे की ओर मोड़ा और उसे ऊपर से गिरती हुई चट्टान से बचा लिया। परन्तु इसी दौरान लगभग 40 फुट की ऊंचाई से एक और चट्टान सीधे उनकी सीट पर आ गिरी जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई।

इस कार्य में ओ० ई० एम० गोपाल सिंह ने असाधारण साहस, दृढ़ता और उच्चकोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

8. ब्रिगेडियर राजिन्दर सिंह (आई० सी०-5302) विशिष्ट सेवा मेडल आर्टिलरी।

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 9 अप्रैल, 1976)

9 अप्रैल, 1976 को 20.15 बजे मुरादाबाद और रामपुर के बीच ग्राम मुंधा पांडे के समीप सशस्त्र डाकुओं के एक गिरोह ने उत्तर प्रदेश रोडवेज की दो बसों को रोका और उनमें सवार लगभग पचास यात्रियों की नकदी और अन्य कीमती सामान लूटा।

ब्रिगेडियर राजिन्दर सिंह, जो दिल्ली से अपनी कार में वापस आ रहे थे, इस समय घटनास्थल पर पहुंच गए। घटना से अनभिज्ञ और आगे मार्ग को अवरुद्ध पाकर ब्रिगेडियर राजिन्दर सिंह ने अपनी कार घटनास्थल से थोड़ी दूर रोक ली। इतने में एक डाकू जल्दी से अपनी पिस्तौल लेकर कार की ओर दौड़ा और उसने कार में बैठे लोगों को बाहर निकलने और अपना माल उसके हवाले करने को कहा। बहुत से डाकुओं से पूरी तरह घिरे होने के बावजूद ब्रिगेडियर राजिन्दर सिंह ने अपने निकटतम डाकू को अपनी पिस्तौल से गोली मार दी। वह डाकू राजमार्ग पर लुटेरों के एक सुसंगठित गिरोह का नेता था। इस बीच रोडवेज की बसें वहां से भाग निकलीं। बसों के चलने से इन डाकुओं को भी अपने घायल साथी को लेकर भागने का मौका मिल गया उस घायल साथी को बाद में उन्होंने एक खेत में छोड़ दिया। उस घायल डाकू को गिरफ्तार करने के बाद डाकुओं का गिरोह छिन्न-भिन्न हो गया।

इस कार्रवाई में ब्रिगेडियर राजिन्दर सिंह ने अनुकरणीय साहस, सूझ-बूझ, दृढ़-संकल्प और उच्च कोटि की जन सेवा का परिचय दिया।

9. स्क्वाड्रन लीडर देवेन्द्र सिंह सत (8157) फ्लाइंग (पायलट)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 17 जून, 1976)

स्क्वाड्रन लीडर देवेन्द्र सिंह सत को दिसम्बर, 1963 में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच (पायलट) में कमीशन दिया गया था। लगभग 13 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न संक्रिया-स्क्वाड्रनों में काम करते हुए इन्होंने लगभग 2000 घंटों की उड़ान की और पराध्वनिक विमान के उड़ान योग्यता-क्रम में उच्चतम स्थान प्राप्त किया। 17 जून, 1976 को जब ये एक पराध्वनिक सक्रिया प्रशिक्षक विमान की पिछली सीट से द्वन्द्व-युद्ध का प्रशिक्षण दे रहे थे तो इनका विमान दुर्घटना ग्रस्त हो गया जिससे इनके विमान का भारी नुकसान हुआ और उस पर काबू करना कठिन हो गया। अगली तथा पिछली दोनों छतरियां के टूटने से स्थिति और भी खराब हो गई और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पायलट के अगले काकपिट में फंस जाने तथा रेडियो संचार-व्यवस्था पूरी तरह भंग हो जाने के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई थी। अगली सीट से ड्रोग पेराशूट को हटा कर पिछली सीट पर लाने, फ्लेप्स पर आंशिक नियन्त्रण, मुख्य ब्रेकों के पूर्णरूप से काम न करने और परिवीक्षण-यंत्र के न होने से विमान को सुरक्षित उतार पाना अति असम्भव लगने लगा। इस सबके बावजूद ये घबराए नहीं और अपनी व्यावसायिक कुशलता का परिचय देते हुए बुरी तरह क्षति ग्रस्त विमान को उसके पायलट सहित सुरक्षित नीचे उतार लाए और इस प्रकार एक अमूल्य जान बचाई।

इस कार्रवाई में स्क्वाड्रन लीडर देवेन्द्र सिंह सत ने अनुकरणीय साहस, व्यावसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

10 6306198 लांस नायक जगबीर सिंह, सिगनल्स,

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 31 अगस्त, 1976)।

31 अगस्त, 1976 को लगभग 13 30 बजे लांस नायक जगबीर सिंह ने जयपुर स्थित सिगनल्स रेजिमेंट के यूनिट सूचना कक्ष के निकट एक आदमी को सदेह-जनक स्थिति में घूमते हुए देखा। जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने इन्हें बताया कि वह राजपूताना राइफल्स की किसी विशेष बटालियन में काम कर रहे व्यक्ति का भाई है। लांस नायक जगबीर सिंह को मालूम था कि राजपूताना राइफल्स की बटालियन उस स्टेशन से कुछ समय पहले ही जा चुकी थी अत इन्हें उस व्यक्ति पर सन्देह हुआ। ये उसे रेजिमेंट के मुख्यालय में ले गए। वहां उसके अनुरोध पर शौचालय जाने दिया गया। लांस नायक जगबीर सिंह ने जो पहले से ही सचेत थे, शौचालय के अन्दर धातु की किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी, जब वह व्यक्ति बाहर आया तो लांस नायकर जगबीर सिंह ने सफाई कर्मचारी को बुलाया, जिसने शौचालय से 9 एम० एम० की नौ ऐसी गोलियां निकाली जिन्हें इस्तेमाल नहीं किया गया था। जब उस व्यक्ति ने जान लिया कि उसके बारे में मालूम हो गया है तो वह अपनी कमर बन्द से 9 एम० एम० पिस्तौल निकालने लगा। लांस नायक जगबीर सिंह शीघ्र ही उससे भिड़ गये और साथ ही मदद के लिए आवाज लगाई। कुछ अन्य व्यक्तियों की सहायता से उस व्यक्ति से हथियार छीनने पर मालूम हुआ कि उसकी पिस्तौल भरी हुई थी और सात गोलियां मैगजीन में थीं। बाद में अभियुक्त की पड़ताल से मालूम हुआ कि वह एक कुख्यात डाकू था जिसे कई हत्याएं करने और डाके डालने के आरोप में तलाश किया जा रहा था।

इस कार्रवाई में लांस नायक जगबीर सिंह ने अदम्य साहस, सूझ-बूझ पहल-शक्ति तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

कृ० बालचन्द्रन्, राष्ट्रपति के सचिव

---

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 16 अप्रैल, 1977

स० 13018/1/77-अ० भा० से० (1)—निम्नलिखित सेवाओं/पदों में रिक्तियों को भरने के लिये 1977 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सम्मिलित प्रतियोगिता-परीक्षा के नियम, सबंधित मंत्रालयों और भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा के सबंध में भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की सहमति से, आम जानकारी के लिये प्रकाशित किए जाते हैं —

वर्ग-I

(i) भारतीय प्रशासन सेवा, और

(ii) भारतीय विदेश सेवा

वर्ग-II

(i) भारतीय पुलिस सेवा

(ii) दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा ग्रुप 'ख' तथा

(iii) रेल सेवा सुरक्षा बल में ग्रुप 'ख' के सहायक सुरक्षा अधिकारी/सहायक कमांडेंट/एडजुटेंट के पद।

वर्ग-III

(क) ग्रुप 'क' की सेवाएं —

(i) भारतीय डाक-तार लेखा तथा वित्त सेवा,

(ii) भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा,

(iii) भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा,

(iv) भारतीय रक्षा लेखा सेवा,

(v) भारतीय आय कर सेवा (ग्रुप 'क')

(vi) भारतीय आयुक्त कारखाना सेवा, (ग्रुप 'क') (सहायक प्रबंधक गैर-तकनीकी)

(vii) भारतीय डाक सेवा,

(viii) भारतीय नागर लेखा सेवा,

(ix) भारतीय रेलवे लेखा सेवा,

(x) भारतीय रेलवे यातायात सेवा, तथा

(xi) सैन्य भूमि तथा छावनी सेवा (ग्रुप 'क')

(ख) ग्रुप 'ख' की सेवाएं —

(i) केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड, ग्रुप 'ख'

(ii) भारतीय विदेश सेवा, ब्राञ्च 'ख' सामान्य सवर्ग के समेकित ग्रेड-II तथा III (अनुभाग अधिकारी ग्रेड),

(iii) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड ग्रुप 'ख'

(iv) सीमा शुल्क मूल्य निरूपक (एप्रेजर) सेवा ग्रुप 'ख' तथा

(v) दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिविल सेवा ग्रुप 'ख'।

1 उम्मीदवार, उपयुक्त वर्गों की किसी एक अथवा एक से अधिक सेवाओं/पदों के लिये प्रतियोगिता में बैठ सकता है (कृपया देखें नियम 4)। उसे अपने आवेदन पत्र में सबंधित वर्ग/वर्गों के अन्तर्गत आने वाली उन सेवाओं का स्पष्ट उल्लेख कर देना चाहिए जिन के लिए वह वरीयता के क्रम में विचार किए जाने का इच्छुक है।

भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के लिए प्रतियोगिता कर रहे अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार अथवा महिला उम्मीदवार को भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय पुलिस सेवा में चुन लिए जाने की स्थिति में आवेदन पत्र में राज्य सवर्ग के लिये अपने वरीयता क्रम को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट कर देना चाहिए।

भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के लिये प्रतियोगिता में भाग ले रहे अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति से इतर जाति के पुरुष उम्मीदवार को अपने आवेदन-पत्र में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख कर देना चाहिए कि क्या वह भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के लिये चयन किए जाने की स्थिति में उस राज्य में आवंटन के लिए विचार कराया जाना पसन्द करेगा जिस राज्य का वह है।

सेवाओं के जिन वर्ग/वर्गों के लिए उम्मीदवार प्रतियोगिता कर रहा है, उनके संबंध में उसके द्वारा दी गई वरीयताओं में, अथवा जिन राज्य सवर्गों के लिए वह आवंटन कराया जाना पसंद करेगा उनके संबंध में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर, जब तक कि ऐसा अनुरोध लिखित परीक्षा के परिणामों की घोषणा की तारीख के 15 दिनों के भीतर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्राप्त नहीं हो जाता, विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा अपने आवेदन-पत्र भेजने के पश्चात् उनको कोई भी ऐसा पत्र आयोग या भारत सरकार की ओर से नहीं भेजा जाएगा जिसमें कि उनसे विभिन्न सवर्गों/सेवाओं के लिए अपनी संशोधित वरीयताओं, यदि कोई हो, बताने के लिए कहा जाए। संशोधित वरीयताएं, यदि कोई हों, भेजने के लिये, उम्मीदवारों को आवेदन-पत्र के कालम 21 तथा 22 में जो फार्म दिया गया है वही प्रयोग में लाना होगा।

किन्तु शर्त यह है कि जब कोई अनुरोध पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने के बाद प्राप्त हो, तो मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक और प्रशासनिक

सुधार विभाग) यदि इस बात से सन्तुष्ट हो कि उम्मीदवार को उस सेवा में रहने से अनुचित कठिनाई होगी जिसके लिये उसने अपनी वरीयता निर्दिष्ट की है तो वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से ऐसे अनुरोध पर विचार कर सकता है।

2 परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताई जाएगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए पद सरकार द्वारा निश्चित रिक्तियों को देखते हुए आरक्षित रखे जाएंगे।

अनुसूचित जातियों/जन जातियों के अभिप्राय निम्नलिखित आदेशों में उल्लिखित जातियों/जन जातियों में से किसी एक से है —

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति), (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जन जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951, [अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति सूचियां (संशोधन), आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा यथा संशोधित] संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1959, संविधान (दादर और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 संविधान (दादर और नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964 संविधान (अनुसूचित जन जाति), (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोआ, दमन और दियू) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1968 तथा संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1970।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट II में निर्धारित ढंग से ली जाएगी।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4 भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि में भर्ती के लिये ली जाने वाली सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा की इन तीन वर्गों की सेवाओं/पदों को, यानी, (1) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा, (2) भारतीय पुलिस सेवा, दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा और रेलवे सुरक्षा दल में ग्रुप 'ख' के सहायक सुरक्षा अधिकारी सहायक कमांडेण्ट/ऐडजूटेंट के पद, (3) केन्द्रीय सेवाएं, दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा, गोआ, दमन तथा दियु सिविल सेवा तथा पांडिचेरी सिविल सेवा के लिए अलग-अलग तीन परीक्षाएं समझा जाएगा।

5 जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का न हो या कीनिया, उगान्डा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया या जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथोपिया से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति न हो तो उसे ऊपर नियम 4 में उल्लिखित तीन वर्गों में से प्रत्येक की सेवाओं/पदों के लिये प्रतियोगिता परीक्षा में अधिक से अधिक तीन बार सम्मिलित होने दिया जाएगा, परन्तु यह प्रतिबन्ध 1961 की परीक्षा से लागू है।

नोट 1—यदि कोई उम्मीदवार किसी एक अथवा अधिक विषयों में वस्तुतः परीक्षा देता है तो उसे सेवा/पदों की प्रत्येक श्रेणी की परीक्षा में बैठा समझा जाएगा जिसमें आयोग द्वारा उसे प्रविष्ट किया जाता है।

नोट 2—उक्त परीक्षा की वर्तमान योजना विभिन्न विषयों की पाठ्यचर्या तथा उक्त परीक्षा में कोई उम्मीदवार कितनी बार प्रतियोगिता में बैठ सकता है, इन्हें वर्ष 1977 के बाद ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए संशोधित किया जा सकता है।

6 (1) भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का उम्मीदवार भारत का नागरिक अवश्य हो।

(2) अन्य सेवा के उम्मीदवार हो या तो—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारत मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, और कीनिया उगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य पूर्वी अफ्रीका के देशों से या जांबिया, मलावी, जेरे और इथोपिया से आया हो।

परन्तु (ख), (ग), (घ), और (ङ) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

एक और शर्त यह भी है कि उपर्युक्त (ख), (ग) और (घ) वर्गों के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जाएंगे।

ऐसे उम्मीदवार को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है जिसके बारे में पात्रता-प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो किन्तु उसकी नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में पात्रता-प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाने के बाद ही भेजा जा सकता है।

7 (1) (क) भारतीय प्रशासन सेवा, भारत विदेश सेवा और सिवाय ऊपर के पैरा (1) में उल्लिखित भारतीय पुलिस सेवा, दिल्ली और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा तथा रेलवे सुरक्षा दल में ग्रुप 'ख' के सहायक सुरक्षा अधिकारी/सहायक कमांडेंट/एडजूटेंट के पदों को छोड़कर बाकी सभी सेवाओं में उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि उसकी आयु 1 अगस्त, 1977 को 21 वर्ष पूरी हो गई हो, किन्तु 26 वर्ष की न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1951 से पहले और 1 अगस्त, 1956 के बाद नहीं हुआ हो।

(ii) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा तथा रेलवे सुरक्षा दल में ग्रुप 'ख' के सहायक सुरक्षा अधिकारी/सहायक कमांडेन्ट/एडजूटेंट के पदों के उम्मीदवार के लिये यह आवश्यक है कि उसकी आयु 1 अगस्त, 1977 को पूरे 20 साल की हो गई हो, किन्तु 26 साल की न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1951 से पहले और 1 अगस्त, 1957 के बाद न हुआ हो।

(ख) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में और ढील दी जा सकेगी —

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जन जाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का सद्भाविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष ।

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का हो और श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष ।

(vi) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा या तंजानिया, संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो या जाम्बिया, मलावी जैरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष ।

(vii) यदि उम्मीदवार बर्मा से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष ।

(viii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और बर्मा से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ।

(ix) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांति ग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक तीन वर्ष ।

(x) किसी दूसरे देश के साथ संघ में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों को, के लिये , जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ।

(xi) 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान कार्यवाही में विकलांग होने के परिणामस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए सीमा-सुरक्षा बल के रक्षा कार्मिकों के लिये अधिक से अधिक तीन वर्ष ।

(xii) वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणामस्वरूप सेवा से निर्मुक्त सीमा सुरक्षा बल के उन रक्षा कार्मिकों के लिये, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के हो, अधिक से अधिक आठ वर्ष ।

ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयुसीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती ।

8. उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद् के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के खण्ड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा-संस्था की डिग्री होनी चाहिए ।

टिप्पणी I :—कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दे दी है जिसके पास करने पर वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षा फल की सूचना नहीं मिली है तथा ऐसा उम्मीदवार जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इच्छुक है, आयोग की परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा ।

टिप्पणी II :—विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता हो, बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है ।

9 यदि किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी उम्मीदवार की नियुक्ति वर्ग I (भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा) की किसी सेवा में हो जाती है तो वह इस परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा ।

यदि किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी उम्मीदवार की नियुक्ति नीचे कालम (ii) में उल्लिखित किसी सेवा में हो जाती है तो वह केवल उन्हीं सेवाओं के लिये इस परीक्षा में बैठने का पात्र होगा जो उक्त सेवा के सामने नीचे कालम (iii) में उल्लिखित है —

| क्रम सं० | जिस सेवा में नियुक्ति हुई | जिन सेवाओं के लिये परीक्षा में बैठने का पात्र है |
|---|---|---|
| i | ii | iii |
| 1 | भारतीय पुलिस सेवा | (i) वर्ग I (भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय विदेश सेवा)<br>(ii) वर्ग III में केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप 'क' |
| 2 | केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप—'क' | (i) वर्ग I (भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा)<br>(ii) वर्ग II में भारतीय पुलिस सेवा |
| 3. | केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप – 'ख' (जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों की सिविल तथा पुलिस सेवाएं शामिल हैं) | (i) वर्ग I (भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा)<br>(ii) वर्ग II में भारतीय पुलिस सेवा<br>(iii) वर्ग III में केन्द्रीय सेवाएं, ग्रुप—'क' |

10. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस के पैरा 6 में निर्धारित फीस अवश्य देनी होगी ।

11 जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप से काम कर रहे हों, चाहें, वे किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त भी क्यों न हों, पर आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त न हुए हों, उन सबको अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष की ओर से आयोग के नोटिस के उपाबंध के पैरा-2 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करना होगा ।

12 परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

13 किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो ।

14 जिस उम्मीदवार ने

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराया है अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे व्यक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है अथवा

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों या अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, या

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो या

(x) परीक्षा चलाने के लिये आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो।

(xi) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को प्रभावित करने का प्रयत्न किया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा में जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधीन किसी भी नौकरी में वारित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

15 जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उतने न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेगा जितने आयोग अपने निर्णय में निश्चित करे तो उसे आयोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिये बुलाएगा।

किन्तु शर्त यह है कि यदि आयोग के मतानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार इन जातियों के लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये सामान्य स्तर के आधार पर पर्याप्त संख्या में व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिये नहीं बुलाए जा सकेंगे तो आयोग द्वारा स्तर में ढील देकर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिये बुलाया जा सकता है।

16. परीक्षा के बाद, आयोग उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम में उनकी सूची बनायेगा और उसी क्रम में उन उम्मीदवारों में से जिसने लोगों को आयोग परीक्षा के आधार पर योग्य समझेगा उनको इन रिक्तियों पर नियुक्त करने के लिए अनुशंसा की जायेगी। ये नियुक्तियां जितनी अनारक्षित रिक्तियों को भरने का निर्णय किया जाता है उसको देखकर होंगी।

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान क्यों न हो, नियुक्ति के लिये उनकी अनुशंसा की जा सकेगी। बशर्ते कि उम्मीदवार इस सेवा पर नियुक्ति के उपयुक्त हों।

17 प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा, आयोग परीक्षा-फल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

18 उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन-पत्र के समय, विभिन्न सेवाओं के लिये दी गई वरीयताओं पर परीक्षाफल के आधार पर नियुक्तियां करते समय उचित ध्यान दिया जाएगा।

लेकिन शर्त यह है कि यदि किसी उम्मीदवार को किसी पिछली परीक्षा के आधार पर वर्ग I (भा० प्र० से० अथवा भा० वि० से०) के अन्तर्गत आने वाली किसी सेवा में नियुक्त किया गया है, इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी अन्य सेवा में उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

एक अन्य शर्त यह है कि यदि किसी उम्मीदवार को किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर नीचे के कालम (ii) में उल्लिखित किसी एक सेवा में नियुक्त किया गया है तो इस परीक्षा परिणाम के आधार पर उसकी नियुक्ति केवल उन्हीं सेवाओं में की जा सकेगी, जो उस सेवा के सामने कालम (iii) में दी गई है —

| क्रम सं० (i) | सेवा जिसमें नियुक्ति की गई (ii) | सेवाएं जिनमें नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा (iii) |
|---|---|---|
| 1 | भारतीय पुलिस सेवा | (i) वर्ग I (भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा)।<br>(ii) वर्ग III में दी गई ग्रुप 'क' केन्द्रीय सेवाएं। |
| 2 | केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप—'क' | (i) वर्ग I (भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा)।<br>(ii) वर्ग II में दी गई भारतीय पुलिस सेवा। |
| 3 | केन्द्रीय सेवाएं—ग्रुप 'ख' (जिसमें संघ राज्य क्षेत्र की सिविल तथा पुलिस सेवाएं शामिल हैं) | (i) वर्ग I (भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा)।<br>(ii) वर्ग II में दी गई भारतीय पुलिस सेवा<br>(iii) वर्ग III में दी गई ग्रुप 'क' केन्द्रीय सेवाएं। |

19 परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है।

20. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिये और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिसमें वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक न निभा सके। यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निर्धारित डाक्टरी परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया जाए कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। व्यक्तित्व परीक्षण के लिये आयोग द्वारा बुलाए गए उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा करायी जाती है। उम्मीदवार द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा के लिये चिकित्सा बोर्ड को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

नोट I.—कहीं निराश न होना पड़े इसलिये उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन-पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवा लें। नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की किस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उसके स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, इसके ब्यौरे इन नियमों के परिशिष्ट III में दिये गये हैं। रक्षा सेनाओं के भूतपूर्व विकलांग सैनिकों को और 1971 के भारत पाक-संघर्ष के दौरान लड़ाई में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा दल के कार्मिकों की सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर में छूट दी जाएगी।

नोट II—भारतीय डाक सेवा में प्रवेश हेतु निर्धारित चिकित्सा स्तरों में परिशोधन हो सकता है।

21 ऐसा कोई पुरुष/स्त्री

(क) जिसने किसी ऐसी स्त्री/पुरुष से विवाह किया हो, जिसका पहले से जीवित पति/पत्नी हो, या

(ख) जिसकी पत्नी/पति जीवित होते हुए उसने किसी स्त्री/पुरुष से विवाह किया हो,

उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे पुरुष/स्त्री तथा जिस स्त्री/पुरुष से उसने विवाह किया हो, उन पर लागू वैयक्तिक कानून के अधीन ऐसा किया जा सकता हो और ऐसा करने के अन्य आधार हो तो उस उम्मीदवार को इस नियम से छूट दे सकती है।

22. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में भर्ती से पहले ही हिन्दी का कुछ ज्ञान होना उन विभागीय परीक्षाओं को पास करने की दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने के बाद देनी पड़ती है।

23. इस परीक्षा के द्वारा जिस सेवा के लिये भर्ती की जा रही है उसका संक्षिप्त ब्यौरा परिशिष्ट II में दिया गया है।

आर० सी० मामन, अवर सचिव

परिशिष्ट I

खण्ड I

लिखित परीक्षा की रूपरेखा

प्रतियोगिता परीक्षा में निम्न विषय होंगे :—

(क) लिखित परीक्षा

(i) तीन अनिवार्य विषय (सभी सेवाओं/पदों के लिए)—निबन्ध, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान। प्रत्येक विषय के पूर्णांक 150 होंगे। नीचे खंड-II का उपखंड (क) देखें।

(ii) निम्नलिखित खण्ड II के उपखण्ड (ख) में दिए गए वैकल्पिक विषयों में से चुने गए विषय उस उप खण्ड के उपबन्धों के अन्तर्गत उम्मीदवार वर्ग II (देखिए नियम 1 और 4) के अन्तर्गत सेवाओं/पदों के सिवाय, जिनके लिए 400 अंक तक के वैकल्पिक विषय लिए जा सकते हैं, सभी सेवाओं के लिए कुल 600 अंकों तक के वैकल्पिक विषय ले सकते हैं। इन प्रश्न-पत्रों का स्तर किसी भारतीय विश्वविद्यालय की "आनर्स" डिग्री की स्तर के लगभग होगा, और

(iii) निम्नलिखित खण्ड-II के उप-खण्ड (ग) में दिए गए अतिरिक्त विषयों में से चुने गए विषय। उस उप-खण्ड के उपबन्ध के अधीन उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा (वर्ग-I) के लिए कुल 400 अंकों तक के अतिरिक्त विषय ले सकते हैं। इन प्रश्न-पत्रों का स्तर वैकल्पिक विषय के लिए उप-खण्ड (क-II) में विहित स्तर से ऊंचा होगा।

(ख) व्यक्तित्व परीक्षण के लिए साक्षात्कार (इस परिशिष्ट की सूची का भाग ख)—उन उम्मीदवारों के लिए जो आयोग द्वारा बुलाए जाएं।

इसके लिए नीचे लिखे नम्बर होंगे —

वर्ग-I

| | पूर्णांक |
|---|---|
| भारतीय विदेश सेवा | 400 |
| भारतीय प्रशासनिक सेवा | 300 |
| वर्ग-II तथा III सभी सेवायें/पद | 200 |

खण्ड- II

परीक्षा के विषय

(क) अनिवार्य विषय

देखिए ऊपर खण्ड (1) का उपखण्ड (क-I)

| | |
|---|---|
| निबन्ध | 150 |
| सामान्य अंग्रेजी | 150 |
| सामान्य-ज्ञान | 150 |

टिप्पणी :—ऊपर लिखे विषयों का पाठ्य-विवरण इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग "क" में दिया गया है।

(ख) वैकल्पिक विषय।

[देखिए ऊपर खण्ड (1) का उपखण्ड क (ii)]।

वर्ग-II (नियम 1 और 4 देखें) की सेवाओं / पदों के लिए उम्मीदवार निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं दो विषयों को और अन्य सभी सेवाओं के उम्मीदवार किन्हीं तीन विषयों को चुन सकते हैं :—

| विषय | कोड सं० | अधिकतम अंक |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| शुद्ध गणित | 01 | 200 |
| अनुप्रयुक्त गणित | 02 | 200 |
| सांख्यिकी | 03 | 200 |
| भौतिकी | 04 | 200 |
| रसायन | 05 | 200 |
| वनस्पति-विज्ञान | 06 | 200 |
| प्राणि विज्ञान | 07 | 200 |
| भू-विज्ञान | 08 | 200 |
| भूगोल | 09 | 200 |
| अंग्रेजी साहित्य | 10 | 200 |
| निम्नलिखित में से एक :— | | |
| असमिया | 11 | 200 |
| बंगला | 12 | 200 |
| गुजराती | 13 | 200 |
| हिन्दी | 14 | 200 |
| कन्नड़ | 15 | 200 |
| कश्मीरी | 16 | 200 |
| मलयालम | 17 | 200 |
| मराठी | 18 | 200 |
| उड़िया | 19 | 200 |
| पंजाबी | 20 | 200 |
| सिंधी-देवनागरी | 21 | 200 |
| सिंधी-अरबी | 22 | 200 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| तमिल | 23 | 200 |
| तेलुगु | 24 | 200 |
| उर्दू | 25 | 200 |
| निम्नलिखित में से एक — | | |
| अरबी | 26 | 200 |
| चीनी | 27 | 200 |
| फ्रेंच | 28 | 200 |
| जर्मन | 29 | 200 |
| पाली | 30 | 200 |
| फारसी | 31 | 200 |
| रूसी | 32 | 200 |
| संस्कृत | 33 | 200 |
| भारतीय इतिहास | 34 | 200 |
| ब्रिटिश इतिहास | 35 | 200 |
| यूरोपीय इतिहास | 36 | 200 |
| विश्व इतिहास | 37 | 200 |
| सामान्य अर्थशास्त्र | 38 | 200 |
| राजनीति विज्ञान | 39 | 200 |
| दर्शन-शास्त्र | 40 | 200 |
| मनोविज्ञान | 41 | 200 |
| विधि I | 42 | 200 |
| विधि II | 43 | 200 |
| विधि III | 44 | 200 |
| अनुप्रयुक्त यांत्रिकी | 45 | 200 |
| समाज शास्त्र | 46 | 200 |

शर्ते यह कि विशेष विषयों पर निम्नलिखित प्रतिबंध लागू होंगे —

(i) सेवाओं पदों के किसी वर्ग के लिए कोड 01, कोड 02, तथा कोड 03 वाले विषयों में से दो से अधिक विषय नहीं चुने जा सकेंगे।

(ii) कोड 11 से 25 तक के विषयों में से केवल एक ही लिया जा सकता है।

(iii) भारतीय विदेश सेवा के अतिरिक्त अन्य सेवाओं/पदों के उम्मीदवार ऊपर कोड 26—33 तक दी गई भाषाओं में से एक से अधिक न चुनें। केवल भारतीय विदेश सेवा के उम्मीदवारों को इन भाषाओं में से कोई दो को चुनने की अनुमति है लेकिन किसी भी उम्मीदवार को पाली (कोड 30) और संस्कृत (कोड 33) दोनों चुनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) सेवाओं/पदों के किसी भी वर्ग के लिए इतिहास के विषयों कोड 34, 35, 36 तथा 37 में से दो से अधिक नहीं चुने जा सकते। लेकिन किसी भी उम्मीदवार को यूरोपीय इतिहास (कोड 36) और विश्व इतिहास (कोड 37) दोनों चुनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) कोड 40 और 41 में उल्लिखित विषयों में से सेवाओं/पदों के किसी वर्ग के लिए केवल एक ही विषय लिया जा सकता है।

(vi) किसी भी वर्ग के लिए विधि के विषयों कोड 42, 43 और 44 में से दो से ज्यादा नहीं चुने जा सकते।

(vii) वर्ग II के अन्तर्गत सेवाओं/पदों के लिए कोड 15 विषय न चुना जाए।

टिप्पणी 1.—उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में दिए गए विषयों में कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी 2.—ऊपर लिखे विषयों का पाठ्य विवरण इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग-ख में दिया गया है।

(ग) अतिरिक्त विषय (देखिए ऊपर खंड-I का उपखंण्ड (क-iii)।

भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय विदेश सेवा (वर्ग-I) की प्रतियोगिता में बैठने वाले उम्मीदवार को निम्नलिखित विषयों में से कोई दो विषय भी लेने होंगे :—

| विषय | कोड संख्या | अधिकतम अंक |
|---|---|---|
| उच्च शुद्ध गणित | 50 | 200 |
| अथवा | | |
| उच्च अनुप्रयुक्त गणित | 51 | 200 |
| उच्च भौतिकी | 52 | 200 |
| उच्च रसायन विज्ञान | 53 | 200 |
| उच्च वनस्पति विज्ञान | 54 | 200 |
| उच्च प्राणिविज्ञान | 55 | 200 |
| उच्च भू-विज्ञान | 56 | 200 |
| उच्च भूगोल | 57 | 200 |
| अंग्रेजी साहित्य (1798-1935) | 58 | 200 |
| भारतीय इतिहास I (चन्द्रगुप्त मौर्य से हर्ष तक) | 59 | 200 |
| भारतीय इतिहास II (मुगल महान) 1526—1707) | 60 | 200 |
| अथवा | | |
| भारतीय इतिहास III (1772-1950) | 61 | 200 |
| अथवा | | |
| ब्रिटिश सांविधिक इतिहास (1603-1950 तक) | 62 | 200 |
| अथवा | | |
| यूरोपीय इतिहास (1871-1945 तक) | 63 | 200 |
| उन्नत अर्थशास्त्र | 64 | 200 |
| अथवा | | |
| उन्नत भारतीय अर्थशास्त्र | 65 | 200 |
| हाब्ज से आज तक के राजनीतिक सिद्धान्त | 66 | 200 |
| अथवा | | |
| राजनीतिक संगठन और लोक प्रशासन | 67 | 200 |
| अथवा | | |
| अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध | 68 | 200 |
| उच्च तत्व मीमांसा (ज्ञान मीमांसा सहित) | 69 | 200 |
| अथवा | | |
| उन्नत मनोविज्ञान जिसमें प्रायोगिक मनोविज्ञान भी शामिल है | 70 | 200 |
| भारतीय सांविधिक विधि | 71 | 200 |
| अथवा | | |
| न्याय शास्त्र | 72 | 200 |
| अरबी साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्ययुगीन सभ्यता (570-1650 ईस्वी) | 73 | 200 |
| अथवा | | |
| फारसी साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्ययुगीन सभ्यता (570-1650 ईस्वी) | 74 | 200 |
| अथवा | | |

| विषय | कोड सं० | अधिकतम अंक |
|---|---|---|
| प्राचीन भारतीय सभ्यता और दर्शन शास्त्र | 75 | 200 |
| मानव विज्ञान | 76 | 200 |
| उन्नत समाज शास्त्र | 77 | 200 |

विशिष्ट वैकल्पिक विषयों के बारे में निम्नलिखित प्रतिबन्ध लागू किए जाएंगे :—

(1) किसी भी उम्मीदवार को भारतीय इतिहास I (कोड 59) तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता और दर्शन (कोड 75) दोनों ही विषयों को एक साथ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) किसी भी उम्मीदवार को यूरोपीय इतिहास (कोड 63) तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध (कोड 68) दोनों विषयों को एक साथ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी 1.—उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में दिए गए विषयों में कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी 2.—ऊपर दिए गए विषयों का पाठ्य-विवरण इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग 'ग' में दिया गया है।

खण्ड-III

सामान्य

1. (क) ऊपर के खण्ड II के उप-खण्ड (क) की मदों में क्रमशः (1) और (3) में उल्लिखित 'निबन्ध' तथा 'सामान्य ज्ञान' के प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भाषा में दिए जा सकते हैं, अर्थात् असमिया, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। अंग्रेजी के अतिरिक्त विकल्प रूप से किसी अन्य भाषा में उत्तर देने वाले उम्मीदवारों को वही भाषा दोनों पत्रों के लिए चुननी होगी। विकल्प सम्पूर्ण पत्रों के लिए लागू होगा न कि उसके किसी अंश के लिए।

(ख) ऊपर के खण्ड-II के उप-खण्ड (ख) की कोड 11 से 33 तक के अनुसार भाषाओं के प्रश्न-पत्र को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए जाने चाहिएं। जब तक कि प्रश्न-पत्र में अन्यथा विशिष्ट रूप से दूसरी भाषा में लिखना अपेक्षित न हो, उन भाषाओं के प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में अथवा संबंधित भाषा में दिए जा सकते हैं।

टिप्पणी-I—ऊपर दिए पैरा I (क) में अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भाषा में प्रश्न-पत्र (प्रश्न-पत्रों) के उत्तर देने के इच्छुक उम्मीदवार को आवेदन पत्र के कालम 12 में संबंधित भाषा की कोड संख्या सम्बंधित प्रश्न-पत्र (प्रश्न-पत्रों) के सामने देना चाहिए। यदि दिए हुए कालमों में एक या दोनों प्रश्न-पत्रों के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है तो यह मान लिया जाएगा कि प्रश्न-पत्र/प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए जाएंगे। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम समझा जाएगा, और परिवर्तन अथवा परिवर्धन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी II.—ऊपर दिए गए पैरा 1 (क) में संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई किसी भाषा में विकल्प रूप से प्रश्न-पत्र (प्रश्न-पत्रों) के उत्तर देने वाले उम्मीदवार अपने उत्तर क्रमशः निम्नलिखित लिपि में देंगे।

| भाषा | लिपि | कोड |
|---|---|---|
| असमिया | असमिया | 11 |
| बंगला | बंगला | 12 |
| गुजराती | गुजराती | 13 |
| हिन्दी | देवनागरी | 14 |
| कन्नड़ | कन्नड़ | 15 |
| कश्मीरी | फारसी | 16 |
| मलयालम | मलयालम | 17 |
| मराठी | देवनागरी | 18 |
| उड़िया | उड़िया | 19 |
| पंजाबी | गुरमुखी | 20 |
| संस्कृत | देवनागरी | 33 |
| (क) सिंधी | देवनागरी | 21 |
| *(ख) सिंधी | अरबी | 22 |
| तमिल | तमिल | 23 |
| तेलुगु | तेलुगु | 24 |
| उर्दू | फारसी | 25 |

*ऊपर पैरा 1 (क) में दिये गये प्रश्न-पत्र (प्रश्न-पत्रों) के उत्तर देने के लिये सिंधी का विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को आवेदन-पत्र के कालम 8 में उस विशेष लिपि (कोड 21 या कोड 22) का नाम लिखना चाहिए जिसमें वे उत्तर लिखेंगे।

जो उम्मीदवार उपर्युक्त पैरा 1 (क) में दिए गए प्रश्न पत्र (प्रश्न-पत्रों) के उत्तर संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक में लिखने का विकल्प दे चुके हैं वे अगर चाहें तो, ली गई भाषा की लिपि के साथ साथ जहां प्रासंगिक हो तकनीकी शब्दों के अंग्रेजी पर्याय दे सकते हैं।

2. उपर्युक्त खण्ड II के उपखण्ड (क) (ख) और (ग) में दिये पत्रों के उत्तर के लिये 3 घंटे का समय दिया जाएगा।

3. उम्मीदवार को प्रश्न-पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (क्वालिफाइंग मार्क्स) निर्धारित कर सकता है।

5. भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा वर्ग I के लिए केवल उन्हीं उम्मीदवारों के दो अतिरिक्त प्रश्न-पत्रों की जांच और अंकन किया जाएगा जो लिखित परीक्षा के अन्य सभी विषयों में एक निश्चित निम्नतम स्तर प्राप्त करेंगे जैसा कि कि आयोग द्वारा अपने निर्णय से निर्धारित किया जाएगा।

6. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक नहीं होगी तो उसे अन्यथा मिलने वाले कुल अंकों में से कुछ अंक काट लिए जाएंगे।

7. अन्य सतही ज्ञान के लिए नम्बर नहीं दिए जाएंगे।

8. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि अभिव्यक्ति कम-से-कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक ठीक की गई हो।

9. प्रश्न-पत्रों में, जहां आवश्यक हो तोलों और मापों की केवल मीटरी प्रणाली से संबद्ध प्रश्न पूछे जाएंगे।

अनुसूची

भाग-क

[परिशिष्ट I के खण्ड II उपखण्ड (क) के अनुसार]

निबन्ध

उम्मीदवारों से दो विषयों पर निबन्ध लिखने की अपेक्षा की जाएगी। चुनाव के लिए कई विषय दिए जाएंगे। उनसे से आशा की जाएगी कि वे निबन्ध के विषय की परिधि में ही अपने विचारों को क्रम से व्यवस्थित करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावपूर्ण और ठीक-ठीक भाषाभिव्यक्ति को श्रेय दिया जाएगा।

सामान्य अंग्रेजी

प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनसे उम्मीदवारों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा शब्दों के कुशल उपयोग की सामर्थ्य का पता चले। कुछ प्रश्न इस प्रकार के भी रखे जाएंगे जिनसे उनकी समझशक्ति, उनकी निहितार्थ को ग्रहण कर सकने की सामर्थ्य तथा महत्वपूर्ण और कम महत्व वाले अंशों को पहचानने की योग्यता की परीक्षा हो सके। जैसा कि आमतौर पर होता है संक्षेप सार लेखन के लिए लेखांश दिए जाएंगे। संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए श्रेय दिया जाएगा।

सामान्य ज्ञान

सामयिक घटनाओं के और ऐसी बातों जो प्रतिदिन देखते और अनुभव करते हैं, उनके वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान सहित जिसकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय या विशेष अध्ययन न किया हो। इस प्रश्न पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए। इस प्रश्नपत्र में महात्मा गांधी के उपदेशों से संबंधित प्रश्न भी होंगे। प्रश्न-पत्र में केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे।

भाग-ख

[परिशिष्ट I के खण्ड II के उपखण्ड (ख) के अनुसार]

शुद्ध-गणित (कोड 01) —सम्मिलित विषय होंगे (1) बीजगणित (2) अनन्त अनुक्रम और श्रेणियाँ, (3) त्रिकोणमिति, (4) समीकरणों के सिद्धान्त (5) दो या तीन परिमापों के विश्लेषणात्मक रेखागणित (6) विश्लेषण और (7) अवकल समीकरण।

(2) बीजगणित —समुच्चयों, संघ प्रतिच्छेदन, गुणों के अन्तर और कोटि पूरक। वेन आरेखों। धनात्मक पूर्ण संख्याओं के गुण वास्तविक संख्या और दशमलव द्वारा उनका निरूपण। सम्मिश्रण संख्या। आरगं आरेख। कार्तीय गुणनफल सम्बन्ध मानचित्रण। मानचित्रण के रूप में कार्य। तुल्यता संबंध। वर्गों वर्गों की पृथक समाकारिता। उपवर्ग प्रसामान्य उपवर्ग। लगरेंज का प्रमेय। फ़ी वेनियम प्रमेय।

रिंगों और फील्डों की परिभाषाएं और उदाहरण। तुल्य और हासमाका-फिल्मों के विभाजन। वेक्टर स्थान।

सारणिका (जोड़, घटाना, गुणा और मैट्रिक्स का प्रतिलोमन रचित समघात और असमघात समीकरण। केली हेमिल्टन प्रमेय)।

प्रारम्भिक संख्या सिद्धान्त, अंक गणित का मूल प्रमेय। सर्वांगसमता। फरमेट और विलसन के प्रमेय।

असमताएं। समान्तर और गुणोत्तर माध्यमों (कोशी, स्वार्ज, हाउडर और मिनकोस्की की असमताएं)।

(2) अनन्त अनुक्रम और श्रेणियां —सीमा की संकल्पना। अनन्त श्रेणियां। अभिसारी अपसारी और दोलनी श्रेणियां। काशी के अभिसरणों का सिद्धान्त। तुलना और अनुपात के परीक्षण। गोज की जांच। निरपेक्ष अभिसरण और श्रेणियों का उपविन्यास।

(3) त्रिकोणमिति —परिमेय सूचों और उनके अनुप्रयोग के लिए डिमावाइर का प्रमेय। प्रतिलोम वृत्तीय और अतिपरवलयिक फलन। त्रिकोणमिति श्रेणियों का प्रसार और संकलन। अनन्त गुणनफलों के सम्बन्ध में साइन और को-साइन के लिए व्यंजक।

(4) समीकरण के सिद्धान्त —बहुपद समीकरणों के सामान्य गुण। समीकरणों के रूपान्तरण। त्रिघाती और चतुर्घात के मूलों की प्रकृति। घना-कृति का साइन का हल गस्स्प के चतुर्घात को वर्ग भिन्नों में मूलों के स्थलन और न्यूनतम का विभाजक वाइग।

(5) दो और तीन घातों की विश्लेषिक रेखागणित —सरल रेखा, रेखाओं का जोड़ा, वृत्त, वृत्तों की प्रणाली, दीर्घ वृत्त। परवलय अतिपरवलय द्वितीय श्रेणी के समीकरण को मानक फार्म में घटाना।

मैदानों सरल रेखाओं गोलों, कोन, शांकवों और उनके स्पर्श रेखा और प्रसामान्य, गुण (वेक्टर तरीकों के प्रयोग की आशा है)।

(6) विश्लेषण —सीमा की संकल्पना, सातत्य व्युत्पत्ति एक वास्तविक अन्तर के कार्य का अवकलन। सातत्य, कार्यों के गुण असातत्य के गुण। समांतर मान प्रमेय। अपरिमित फोमों का मूल्यांकन। लागरेंज और कोषी के सारण फार्मो के साथ टेलर और मैक्लोरियन के प्रमेय। एक अन्तर के कार्य के न्यूनतम और अधिकतम समसस्यवक्रों, विचित्र बिन्दु वक्रता, वक्र अनुरेखण। अवकरण आंशिक विभेदन। एक से अधिक वास्तविक अन्तर के काम का अवकलन।

समाकलन के स्तर के तरीके। सातत्य कार्य की स्पष्ट समाकलन रीमन की परिभाषा। समाकलन गणित के मूल प्रमेय। समाकलन गणित के प्रथम समांतर मान प्रमेय। चापकलन, क्षेत्रकलन, परिक्रमण। ठोसों के आयतनों और आधार और उनके प्रयोग।

(7) अवकलन समीकरण —साधारण अवकलन समीकरण का बनना। क्रम और माला। रेखागणित सम्बन्धी डी० वाई० /डी० एक्स० =एफ० (एक्स० वाई०) के लिए प्रमेय के पास जाने का प्रदर्शन। प्रथम क्रम रेखाकार और बिना रेखाकार समीकरण। विचित्र बिन्दु। विचित्र हलों। रेखाकार अवकल समीकरण और उनके विशेष गुण। रेखाकार अवकल समीकरण। लगातार गुणांकों के साथ कोची यूलर प्रकार के समीकरण। यथार्थ अवकल समीकरणों धीरमाकलन-गुणक को प्रवेश कराने वाले समीकरण, द्वितीय क्रम के समी-करण। परतन्त्रचरों और स्वतन्त्रचरों का बदलना। हल जब कि एक समाकलन ज्ञात हो। प्राचलों का विचरण।

अनुप्रयुक्त गणित (कोड 02)

इसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाएंगे —

(1) वेक्टर विश्लेषण
(2) स्थिति विज्ञान
(3) गति विज्ञान तथा
(4) द्रव स्थैतिकी

1 वेक्टर विश्लेषण —वेक्टर बीजगणित, आदिशांक व वेक्टर फलन का अवकलन। ग्रेडिएण्ट कार्तीय में अपसरण तथा कर्ल बेलनाकार तथा गोलीय निर्देशांक तथा उनकी प्राकृतिक व्याख्याएं उच्चतर घात व्युत्पन्न वेक्टर सर्वसमि-काएं तथा वेक्टर समीकरण। गाउस तथा स्ट्रोक प्रमेय।

(2) स्थैतिकी —न्यूटन की यांत्रिकी के मूल नियम। विभीय प्रमेय। समतलीय स्थैतिकी। कण-निकाय में संतुलन। कार्य तथा स्थिति ऊर्जा। द्रव्यमान केन्द्र तथा गुरुत्व केन्द्र। घर्षण सामान्य कैटिनरी। कल्पित कार्य का सिद्धांत। संतुलन का स्थायित्व तीन विमानों का बल संतुलन।

शलाकाओं में आकर्षण तथा स्थितिज ऊर्जा आयताकार तथा वृत्ताकार डिस्क, गोलीय काण, गोल। समस्थितिज पृष्ठ उनके गुण। स्थितिजों के गुण। ग्रीन का समान स्तर। लाप्लेस तथा पोइसन के समीकरण।

(3) गति विज्ञान —वर्ग वेक्टर। आपेक्षिक वेग त्वरण। कोणीय वेग। स्वतन्त्रता की कोटि तथा प्रतिबंध। सरल रेखात्मक गति। सरल आवर्त गति। समतल में गति। प्रक्षेप। प्रतिबंधित गति कार्य तथा ऊर्जा। आवेगी बलों के अधीन गति। केप्लर के नियम। केन्द्रीय बलों के अधीन कक्षाएं। परिवर्ती द्रव्यमान की गति। प्रतिरोध के अधीन गति। जड़त्व के आघूर्ण और गुणनफल परिमित और आवेगी बलों के अधीन दृढ़पिंड की दो विमीय गतियां, पिंड लोलक।

(4) द्रवस्थैतिकी —भारी तरलों के दाब, दाब की गई पद्धति के अधीन तरलों का संतुलन, दाब का केन्द्र। वक्रपृष्ठों का प्रणोद, प्लवमान पिंड का संतुलन। स्थायित्व का संतुलन। गैसों की दाब तथा वायु मंडल से संबंधित समस्याएं।

सांख्यिकी (कोड-03)

प्रायिकता —प्रायिकता का चिर सम्मत और सांख्यिकीय परिभाषाएं उदाहरणों के साथ प्रायिकता पर सरल प्रमेय। प्रतिबंधी प्रायिकता और सांख्यि-कीय स्वतन्त्रता। बेयर्स का प्रमेय। संयोगिक विचरणों—असतत और सतत

विचारों में प्रायिकता वितरणों, गणितीय प्रत्याशाएं। टेकेबाइचेफ की असमता, वृहत संख्याओं का सप्ताह नियम। केन्द्रीय सीमा प्रमेय का सरल फार्म।

II सांख्यिकीय तरीके :—संकलन, वर्गीकरण सारणीयन और विभिन्न प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़ों का आरेखी निरूपण।

सांख्यिकीय जनसंख्या की धारणा, और आवृत्ति वक्र। केन्द्रीय प्रवृत्ति और विशेषण के माप। आघूर्णी और संचयी। वैषम्य और कुटोसिस का माप। आघूर्ण—जनक फलन।

स्तर प्रायिकता बटनों का अध्ययन :—द्विपद प्वासों हाई-परिज्या-मैट्रिक। सामान्य ऋण द्विपद। आयातकार और नॉग सामान्य बंटन। पियर सोनियन वक्रों की पद्धति का सामान्य विवरण।

द्विचर बटन, द्विचर प्रसामान्य बटन के सामान्य गुण, साहचर्य और आसंग के माप। दो या अधिक चरों से संबंधित सहसंबंध और एकधात समाश्रयण। सहसंबंध अनुपात। अन्तर्वर्ग सहसंबंध कोटि सहसंबंध। अरेखीय समाश्रयण। विश्लेषण।

स्वतंत्र हस्तावकों के सारीखों द्वारा वक्रआसजन गतिमान, माध्य, वर्ग माध्य, न्यूनतम वर्ग और आघूर्ण। लंबित बहुपद और उनके प्रयोग।

III प्रतिदर्श बंटन और सांख्यिकीय अनुमान

यादृच्छिक प्रतिदर्श, सांख्यिक, प्रतिचयन और मानक त्रुटि की धारणाएं।

स्वतंत्र प्रसामान्य विचारों के माध्यम के प्रतिदर्शी बटन का व्युत्पन्न, एक्स ($X^2$), टी० और एफ० सांख्यिकी उनके गुण और प्रयोग। प्रतिदर्श साधनों के प्रतिदर्शी बटनों का व्युत्पन्न, प्रसरणों और सहसंबंध गुणबंध द्विचर प्रसामान्य जनसंख्या से। व्युत्पन्न, (बड़े प्रतिदर्शों में) और पियर सोनियन एक्स० 2 ($X^2$) के प्रयोग।

आकलन का सिद्धांत :—अच्छे आकलन की आवश्यकताएं-अनभिनतता, संगति, दक्षता तथा पर्याप्तता। आकलनों के प्रसरण का क्रेमर-राव्य निम्न-परिबंध। सर्वोत्तम एकधात अनभिनत आकलन।

आकलन के तरीके :—आघूर्णों के तरीकों के सामान्य विवरणों के अधिकतम संभाविता का तरीका, न्यूनतम वर्गों के तरीके और अधिकतम संभावित आगणकों के बिना प्रमाण के न्यूनतम गुणों का तरीका। विश्वस्यता अन्तरालों का सिद्धांत—विश्वास्यता सीमाएं, अन्तमन की सरल समस्याएं।

परिकल्पनाओं की जांच का सिद्धांत :—सरल और संयुक्त परिकल्पनाएं, सांख्यिकीय जांचों और संशय क्षेत्र। दो प्रकार की त्रुटियां, सार्थकता का स्तर और परिरक्षण की क्षमता।

सरल परिकल्पना में एक परिमापी से संबंधित के लिए अनुकूलतम संशय क्षेत्र। प्रसामान्यतः जनसंख्या से संबंधित सरल परिकल्पनाओं के लिए इस प्रकार के क्षेत्रों की रचना।

संभावित अनुपात परीक्षण। माध्यम संबंधी परीक्षणों प्रसरण सहसंबंध तथा एकचर और द्विचर प्रसामान्य जनसंख्याओं में सहसंबंध तथा सामान्यायण गुणों को सरल अपरिमापीय परीक्षणों के चिन्ह, रन, माध्यम, कोटि और यादृच्छिक किरण परीक्षण।

सरल वैकल्पिक (बिनाव्युत्पन्न) के विरुद्ध सरल परिकल्पनाओं का अनुक्रमिक परीक्षण।

I. प्रतिदर्शी तकनीकी

प्रतिदर्शी प्रति पूरण गणना प्रतिदर्शी के सिद्धांत। फ्रेमा और प्रतिदर्शी एकक। प्रतिदर्शी और अप्रतिदर्शी त्रुटियां। क्रमबद्ध प्रतिचयन। कदुक्रम और बहुकला प्रतिचयन। आकलन के अनुपात और समाश्रयण के तरीके, भारत में अभी हाल ही में बड़े पैमाने पर किए गए सर्वेक्षण के संदर्भ में प्रतिदर्श सर्वेक्षणों की अभिकल्पना।

प्रयोगों के अभिकल्प

कोणों में निरीक्षणों के विचारों का विश्लेषण। प्रयोगात्मक अभिकल्पों के सिद्धांत। पूर्णतः यादृच्छीकृत खण्ड तथा लातीनी वर्गीकार अभिकल्प। अप्राप्त भूखण्ड तकनीक 2S [S=2 (1) 5] ($3^2$ $3^3$) तथा 3 अभिकल्पों के बीच भ्रम पर गुणनखण्डनात्मक प्रयोग। खण्डित भूखण्ड अभिकल्प। संतुलित अपूर्ण, अपूर्ण अभिकल्प तथा सरल जालक।

भौतिकी (कोड—04)

पदार्थ और यांत्रिक के सामान्य गुण :—एकक तथा आयाम। परिभ्रमण गति तथा जड़ता। स्वाकृटि तथा अभ्याकर्षण, ग्रहीय गति अभ्यारयजल तथा आयाम सहसंबंध प्रत्यास्थ अपरिवर्तक तथा उनके पारस्परिक संबंध। तल-आतति, केशालत्व। असंपीड्य द्रव्यों का प्रवहण सरल तथा वाति द्रव्यों का श्यानता।

ध्वनि :—बलोत्पादित आवेपन प्रतिस्वन। तरंग गति। डाप्लर प्रभाव। रज्जुओं तथा वायु स्तंभों के तरंग। आवर्ति-वेग और ध्वनि की तीव्रता का माप। सुस्वर ग्राम। प्रशाल। ध्वनि विज्ञान। पारस्वनिकी।

ऊष्मा तथा ऊष्मा गतिक :—गैसों का गतिवाद। वाडन का गतिवाद। वान डेर वलिका स्थिति का समीकार। तापमान की माप आपेक्षित तथा संवाही ऊष्मा। जूल थामसन वालियों का प्रभाव तथा तरलन। ऊष्मा प्रवेगिकी नियम। ऊष्म यंत्र। काल कार्य वितरण।

प्रकाश :—रेखाकीय प्रकाशिकी तथा साधारण प्रकाशतंत्र सहित दूरबीन तथा सूक्ष्मदर्शी। चाक्षुष प्रतिबिम्ब में दोष तथा उनका सुधार प्रकाश तथा तरंग सिद्धांत। प्रकाश। प्रवेग की माप। प्रकाश में बाधक, व्यासंग तथा अभस्पंदन। साधारण मियोषट्ट, सरगावलीक्षा के तत्व रमन प्रभाव।

विद्युत तथा चुम्बकत्व

साधारण मामलों के क्षेत्र में तथा विभव की गणना। गॉस प्रमेय। विद्युन्मान। पदार्थ के विद्युतीय तथा चुम्बकीय गुण और उनकी माप। विद्युत प्रवाह के धारण चुम्बकीय क्षेत्र घुवाहमान विद्युत के वेग तथा मात्रा की माप। शवषमान। राव, प्ररोचन तथा धारता, तथा उनका मापन। तामविद्युत्। आवर्ती विद्युद्राह के तत्व। विद्युत्वतिवा तथा विद्युद्विहित। विद्युद्यान। विद्युच्चुम्बिक तरंगें। तमोवणी कपाद दीप तथा उनके द्वारा वितत तरंगों की साधारण प्रयुक्ति, पार्श्वण आदान। दूरवीक्षण।

आधुनिक भौतिकी के तत्व :—विद्युदणु प्राणु तथा बलीवाणु के प्राथमिक तत्व। क्रिया ऊर्जा णु-स्थराक। परमाणु का ब्रहृत्न प्रमाणु सिद्धांत। क्षरमिमक्षा तथा उनके गुण। तेजो द्विरेना के तत्व तथा आकार एवं भवर्ण रश्मियों के गुण। परमाणुओं की व्याप्टि। सापेक्षता पुंज तथा ऊर्जा के विशेष सिद्धांत के तत्व। विखंडन तथा स्राव। ब्रह्मांड रश्मियां।

रसायन (कोड—05)

अकार्बनिक रसायन :—परमाणु की सरचना। रेडियो-एक्टिवता समस्थानिक। तत्वों का कृत्रिम तत्वांतरण। नाभिकीय विखंडन। रासायनिक बन्धों की प्रकृति। वायु मंडल की अक्रिय गैसें। अपेक्षाकृत अधिक सामान्य और उपयोगी तत्वों तथा उनके यौगिकों का रसायन। दुर्लभ मृदा तत्व। हाइड्राइड आक्साइड, आवर्ती अम्ल। पर-अम्ल और पर-लवण तथा कार्बाइड। अकार्बनिक संकर। रासायनिक विश्लेषण का मूलभूत सिद्धांत।

कार्बनिक रसायन :—पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पाद। एलिफिटिक यौगिकों के निम्नलिखित वर्गों का रसायन; संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन मोनो और डाईकार्बोक्सीलिक अम्ल, ईस्टर, प्रतिस्थापित कार्बोक्सीलिक अम्ल। थायो, नाइट्रो और सायनो यौगिक। ऐमीन यूरिया यूरीवाइड, कार्ब-धात्विक यौगिक, मोनोसैकेराइड (सरचना सहित), कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन (सामान्य परिचय) सरल त्रिविमकीय यौगिक। विकृति सिद्धांत।

ऐरोमेटिक :—बेंजीन, नेफ्थेलीन और ऐन्थ्रासीन तथा उनके मुख्य व्युत्पन्न, कोलतार, आक्सन, फिनोल, एरोमेटिक, एल्कोहाल, एल्डिहाइड, कीटोन। एरोमेटिक अम्ल और हाइड्रासी अम्ल। त्रिविमविन्यासी आधा। एरिल-एमीन, डाइस्वो एजो और हाइड्राजोयौगिक। क्विनोन। विषय-चक्रीय यौगिक। पाइरोल, पिरिडीन, क्विनोलीन, इन्डोल और नील। एजो, ट्राइफेनिल मैथेन और थैलीन रंजक।

सरल आपाविक पुनर्विन्यास, समावयता, विविम समावयवता और चलावयतवपा। बहुलकीणहू।

भौतिक रसायन :—अणुगति सिद्धान्त, गैसों के गुणधर्म, अवस्था-समीकरण, (वानडेर-वाल, का, डाइटेरिसाइ) क्रान्तिक अवस्था, गैसों का द्रवण। रसायनिक सघटन के सापेक्ष द्रवों के भौतिक गुणधर्म। प्रारम्भिक क्रिस्टलिकी।

ऊष्मागतिकी का पहला और दूसरा नियम और उन नियमों का सरल भौतिक तथा रसायनिक प्रक्रमों में अनुप्रयोग। रासायनिक साम्य और द्रव्य-अनुपाती क्रिया का नियम। ला-शातेलिए का नियम। प्रावस्थानियम और उसका एक-घटके तन्त्रों तथा लोहकार्बन तंत्र में अनुप्रयोग।

अभिक्रिया की दर और कोटि। प्रथम और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। श्रृंखला अभिक्रियाएं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। उत्प्रेरण अधिशोषण।

विद्युत्-अपघटनी वियोजन। आयनिक साम्य। अम्ल-क्षारिक साम्य और सूचक। विद्यु-अपघटनी चालकता और उसके अनुप्रयोग। इलेक्ट्रोड-विभव सेल का विद्युत् वाहक बल। विद्युत्वाहक बल के माप और उनके अनुप्रयोग।

वनस्पति विज्ञान (कोड-06)

क्रिप्टोगम (बैक्टोरिया और वाइरस सहित) तथा फनेरोगैन, विशेषकर भारतीय क्रिप्टोगैम्स और फैनरगैम्स, के विभिन्न समूहों और उपसमूहों अथवा कुलों और उपकुलों, महत्वपूर्ण निरुपकों के रूप, सरचना, प्रकृति आर्थिक, महत्व, जीवनवृत्त और परस्पर संबंध।

पादप :—फिजियोलाजी के मूल सिद्धांत और प्रक्रम।

भारत में मिलने वाले सस्य-पौधों के महत्वपूर्ण रोगों का सामान्य ज्ञान और उन रोगों का नियन्त्रण तथा उन्मूलन।

परिस्थिति की ओर पादप भूगोल, विशेषत: भारतीय वनस्पति-समूह और भारत के नवनस्पति के क्षेत्रों से संबंधित मूलभूत तथ्य।

विकास, कोशिका-विज्ञान और अनुवंशिकी और पादप प्रजनन का मूल ज्ञान।

मानव कल्याण के लिए और विशेषकर, खाद्यान्नों, दालों, फलों, शर्करान्नों, स्टार्चो, तेलबीजों, मसालों, पेयों, तन्तुओं, लकड़ियों, रबर, औषधियों और सुगंध तेलों जैसे वनस्पति उत्पादों में पौधों, विशेषत: पुष्पी पौधों के आर्थिक उपयोग।

वनस्पति विज्ञान से संबंधित विकास का सामान्य परिचय।

प्राणिविज्ञान (कोड-07)

विशेषकर भारतीय सवर्ग आकर्डेटों और कार्डेटों का वर्गीकरण, जीव-परिस्थितिकी, आकारिकी, जीवन वृत्त और संबंध।

अध्यावरण, अस्थि, कंकाल, चलन, भरण, रुधिर, परिसंचरण, श्वसन, अास्मो—रैग्यूलेशन, तंत्रिका-तंत्र, ग्रंथियों और पुनरुत्पादन की क्रियात्मक आकारिकी (रूप, संरचना और कार्य)। कशेरुकी भू-विज्ञान' के तत्व।

विकास :—प्रमाण-वाद और उनकी आधुनिक व्याख्याएं। मैन्डेलीय आनुवांशिकता, म्युटेशन। प्राणी-कोशिका की सरचना। कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी के मूलभूत सिद्धांत। अनुकूलन और वितरण।

भूविज्ञान (कोड-08)

भौतिक, भूविज्ञान और भूआकृति विज्ञान :—पृथ्वी का उद्भव। संरचना, गर्भ तथा आयु। भू-अभिनति और पहाड़। समस्थिति। महाद्वीपों और महासागरों का सद्भाव। महाद्वीपीय विस्थापन भूकंप-विज्ञान ज्वालामुखी-विज्ञान। पृष्ठ एजेन्सियों की भू-वैज्ञानिकी क्रिया।

सरचना तथा क्षेत्र भू-विज्ञान :—आग्नेय अवसादी और कायांतरित शैल की सामान्य सरचनाएं। वलन, भ्रंश, विषम विन्यासों, संधियों और क्षेपों का अध्ययन। भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और भूमापन की विधियों की प्रारम्भिक जानकारी।

क्रिस्टल विज्ञान और खनिज विज्ञान :—क्रिस्टल रुप और नमिति के तत्व, क्रिस्टल-विज्ञान के नियम, क्रिस्टल तन्त्र और वर्ग, क्रिस्टल प्रकृति, यमन-लयन। विधि प्रक्षेप। खनिजों की भौतिक, रासायनिक और प्रकाशित गुणधर्म। अधिक महत्वपूर्ण शैलकर तथा आर्थिक खनिजों का इनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों, क्रिस्टल सरचनात्मक और प्रकाशित लक्षणों, परिवर्तनों प्राप्ति, और व्यावसायिक उपयोगों के संबंध में अध्ययन।

स्तरित शैल-विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान :—स्तरित शैल-विज्ञान के नियम। भारतीय स्तरित शैल-विज्ञान। भूवैज्ञानिक अभिलेखों के अश्मवैज्ञानिक और कलानुक्रम प्रविभाग। जीवाश्म प्रकृति और परिरक्षण का ढंग, जैव विकास पर प्रभाव। अकशेरुकी तथा पादप जीवाश्म।

आर्थिक भूविज्ञान :—अयस्क उत्पत्ति के सिद्धान्त, वर्गीकरण, भूविज्ञान, प्राप्ति, भारत के प्रमुख धात्विक और अधात्विक खनिजों के क्षेत्र तथा स्रोत। भारत में खनिज उद्योग। भूभौतिकीय पूर्वेक्षण और अयस्क-प्रमाधन के नियम।

शैलविज्ञान :—आग्नेय, अवसादी और कायांतरित शैलों का उद्भव, रचना, सरचना और वर्गीकरण। सामान्य भारतीय शैल प्रकारों का अध्ययन।

भूगोल (कोड-09)

संसार, विशेषत: भारत का प्राकृतिक और मानव भूगोल। प्राकृतिक भूगोल के नियम, जिसमें स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का विस्तृत अध्ययन करना शामिल है। चक्र संकल्पनाओं समस्थिति, पर्वत निर्माण के प्रक्रमो, मौसम, घटनाओं, महासागरजल की बहिस्तटीय और अधस्तलीय गति, आदि के संबंध में आधुनिक विचारों का ज्ञान भी हो।

मानव भूगोल के नियम, जिसमें संस्कृति, प्रजापति, धर्म आदि के आधार पर जिन वितरण, वातावरण और जीवन-प्रणाली, जन-संख्या उत्पत्ति, जन-संख्या की प्रावासी का विस्तृत अध्ययन करना भी शामिल है।

उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि उन्हें भारत के प्राकृतिक, मानव और आर्थिक भूगोल का विस्तृत ज्ञान हो।

अंग्रेजी साहित्य (कोड-10)

उम्मीदवारों से आशा की जाएगी कि उन्हें चौसर से लेकर महारानी विक्टोरिया के शासन के अन्त तक अंग्रेजी साहित्य के इतिहास का सामान्य ज्ञान हो तथा निम्नलिखित रचनाओं की कृतियों का विशेष ज्ञान हो।

शैक्सपीयर, मिल्टन, ड्राइडन, जानसन, वर्डसवर्थ, कीटस, डिकन्स, टेनिसन, आर्नल्ड तथा हार्डी।

स्वयं पुस्तकें पढ़ने का प्रमाण अपेक्षित होगा।

प्रश्न-पत्र इस प्रकार से बनाए जाएंगे, जिससे उम्मीदवारों की आलोचनात्मक योग्यता की जांच की जा सके।

11. असमिया (कोड-11), बंगला (कोड-12), गुजराती (कोड-13), हिन्दी (कोड-14), कन्नड (कोड-15), कश्मीरी (कोड-16), मलयालम (कोड-17), मराठी (कोड-18), उड़िया (कोड-19), पंजाबी (कोड-20), सिंधी (कोड-21, या 22), तमिल (कोड-23), तेलुगु (कोड-24) तथा उर्दू (कोड-25) :—उम्मीदवारों से यह आशा की जाएगी कि भाषा के ज्ञान और उसके साहित्य को दर्शा सकें। जिन कृतियों से वे संबंध रखते हैं, उनमें से जो सर्वोत्तम समझी जाती है उनका उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान होना अनिवार्य है, यद्यपि प्रश्न कम महत्वपूर्ण कृतियों पर भी तैयार किए जा सकते हैं। उनसे यह भी आशा की जाएगी कि ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा कलात्मक आंदोलनों की पृष्ठभूमि का तथा भाषा-विषयक विकासों का ऐसा ज्ञान रखते हों जिससे उनको साहित्य को समझने में सहायता मिलेगी। प्रश्न साहित्य इतिहास और भाषा के ऊपर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उम्मीदवारों को अनुवाद/व्याख्या करनी होगी तथा परिच्छेदों पर टिप्पणी के लिए कहा जा सकता है।

टिप्पणी : कोड 11 से 25 तक ऊपर दिए गए विषयों में से किसी विषय को लेने वाले उम्मीदवार को संबंधित भाषा में कुछ अथवा सभी प्रश्नों के उत्तर देने अपेक्षित होंगे। इन भाषाओं के लिए प्रयोग की जाने वाली लिपियां निम्नलिखित हैं —

| भाषा | लिपि |
|---|---|
| असमिया | असमिया |
| बंगला | बंगला |
| गुजराती | गुजराती |
| हिन्दी | देवनागरी |
| कन्नड | कन्नड |
| कश्मीरी | फारसी |
| मलयालम | मलयालम |
| मराठी | देवनागरी |
| उड़िया | उड़िया |
| पंजाबी | गुरुमुखी |
| सिंधी | देवनागरी अथवा अरबी |
| तमिल | तमिल |
| तेलुगु | तेलुगु |
| उर्दू | फारसी |

अरबी (कोड-26), चीनी (कोड-27), फ्रांसीसी (कोड-28), जर्मन (कोड-29), पाली (कोड-30), फारसी (कोड-31) रुसी (कोड-32) तथा संस्कृत (कोड-33) .—उम्मीदवारों को प्रमुख पर्यनिष्ठित साहित्यकारों का ज्ञान होना अपेक्षित है और उनमें उस भाषा में रचना करने और उससे अनुवाद करने की योग्यता होनी चाहिए ।

टिप्पणी —अरबी, फारसी, और संस्कृत लेने वाले उम्मीदवारों से कुछ प्रश्नों के उत्तर, यथास्थिति, अरबी, फारसी, या संस्कृत में देने की अपेक्षा की जा सकती है। संस्कृत में लिखे जाने के लिए उत्तर देवनागरी लिपि में लिखे जाने चाहिए।

भारतीय इतिहास (कोड 34) चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल से लेकर भारतीय गणतंत्र की स्थापना तक।

प्रश्न-पत्र में राजनैतिक, संविधानिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास पर भी प्रश्न होंगे ।

ब्रिटिश इतिहास (कोड-35)

अध्ययनाधीन अवधि 1485 से 1945 तक होगी। प्रश्न-पत्र में राजनैतिक, संविधानिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास पर भी प्रश्न होंगे।

यूरोप का इतिहास (कोड-36)

अध्ययनाधीन अवधि सन् 1789 से 1945 तक होगी।

प्रश्न-पत्र में राजनीतिक, राजनयिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास पर प्रश्न शामिल होंगे ।

विश्व इतिहास (1789 से 1945 तक) (कोड-37)

उम्मीदवारों से आशा की जाएगी कि उन्हें विश्व के राजनीतिक और आर्थिक विकास विशेषत. यूरोप, अमेरिका, सुदूरपूर्व, मध्यपूर्व तथा अफ्रीकी महाद्वीप के बारे में गहन ज्ञान हो। सार्वभौमिक महत्व की अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर विशेष बल दिया जाएगा।

उम्मीदवारों से यह भी आशा की जाएगी कि उन्हें विज्ञान, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में प्रदर्शित सम्पूर्ण सभ्यता के योगदान में प्रतिबिंबित सांस्कृतिक का विकास का ज्ञान हो।

सामान्य अर्थशास्त्र (कोड-38)

उम्मीदवारों से आशा की जाएगी कि उन्हें निम्नलिखित विषयों का सामान्य ज्ञान हो —

(क) आर्थिक विश्लेषण के सिद्धांत, तथा

(ख) आर्थिक मन्तव्यों का इतिहास ।

उनमें अपने सैद्धांतिक ज्ञान को वर्तमान भारतीय आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग करने की योग्यता होनी चाहिए।

राजनीतिक विज्ञान (कोड-39) —उम्मीदवारों से राजनैतिक सिद्धांत और उसके इतिहास का ज्ञान अपेक्षित है। राजनीतिक सिद्धांत का तात्पर्य केवल विज्ञान-सिद्धांत से ही नहीं है अपितु सामान्य राज्य सिद्धांत से भी है । संविधानिक रूपों (प्रतिनिधि सरकार, संघवाद आदि) और केन्द्रीय स्थानीय तथा लोक प्रशासन सम्बन्ध प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। उम्मीदवारों को वर्तमान संस्थाओं की उत्पत्ति और विकास का ज्ञान भी होना चाहिए ।

दर्शन शास्त्र (कोड-40) —उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि उन्हें निम्नलिखित के विशेष संदर्भ सहित पूर्व और पश्चिम के नीति शास्त्र के इतिहास और सिद्धांत की जानकारी होगी। नैतिक स्तर और उसके अनुप्रयोग की समस्याएं नैतिक निश्चय, नित्यवाद और स्वतन्त्र इच्छाशक्ति, नैतिक, व्यवस्था और प्रगति, व्यक्ति, समाज और राज्य के बीच सम्बन्ध, अपराध और दण्ड के सिद्धान्त तथा नीतिशास्त्र का धर्म से सम्बन्ध।

उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे निम्नलिखित के विशेष संदर्भ सहित पश्चिमी दर्शनशास्त्र के इतिहास की जानकारी रखेंगे। दर्शनशास्त्र की प्रकृति और उसका विज्ञान तथा धर्म का सम्बन्ध, पदार्थ एवं आत्मा, स्थान, एवं समय, कारणता एवं विकास तथा मूल्य एवं ईश्वर के सिद्धांत और ईश्वर, आत्मा एवं मुक्ति, एवं कारणता, विकास एवं प्रतीति के सिद्धान्तों के विशेष संदर्भ सहित भारतीय दर्शन (धर्मनिष्ठ और धर्म विरोधी प्रणालियों सहित) का इतिहास।

मनोविज्ञान (कोड—41)

मनोविज्ञान .—उसका स्वभाव, क्षेत्र एवं अध्ययन की विधियां मनोविज्ञान में प्रायोगिक विधियां।

मानवीय विकास के कारक —आनुवेशिकी एवं परिवेश।

अभिप्रेरणा भावनाएं एवं संवेग उनका स्वभाव एवं विकास, संवेगों के सिद्धान्त, चरित्र का विकास ।

संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, संवेदन प्रत्यक्ष, ज्ञान अधिनम, स्मरण शक्ति तथा विस्मरण और मनन।

प्रज्ञा एवं योग्यताएं —संकल्पना और पाश, व्यक्तित्व-स्वभाव, निर्धारक तत्व, सिद्धांत और मूल्यांकन ।

दलगत प्रक्रियाएं एवं दलगत प्रभाव, समूह गत व्यवहार, नेतृत्व एवं मनोबल, अभिवृत्ति एवं अपकृति, सामाजिक-परिवर्तन।

असामान्यता की संकल्पना मनस्ताप और मनोविक्षिप्तिक विकारों के मुख्य रूपों की पहिचान एवं कारण, सामाजिक विकृति विज्ञान और बाल-अपराध कारण और उपाय चिकित्सा विधियों के मुख्य रूप।

विधि I (कोड—42)

1 विधि शास्त्र : विधि संकल्पना विधि के प्रकार, संकारात्मक विधि, न्याय प्रशासन । विधि के स्रोत; विधि के तत्व जिनमें विधिक अधिकार और कर्तव्य शामिल हैं, दायित्व स्वामित्व कब्जा विधिक व्यक्तित्व, सम्पत्ति ।

2 संविधान विधि भारत की संविधान विधि जिसमें प्रशासनिक विधि शामिल है, ब्रिटिश संविधान के मूल सिद्धान्त।

3 टार्ट्स विधि जिसमें टार्ट्स के लिये राज्य की दायिता शामिल है।

4 दांडिक विधि (भारतीय दंड संहिता)।

5 साक्ष्य विधि सुसंगति और पूर्वधारणा. साक्ष्य के प्रकार मौखिक और लेख्य साक्ष्य, प्राथमिक और माध्यमिक साक्ष्य प्रमाण-भार विवक्षन अदालती नोटिस ।

विधि II (कोड—43)

1 संविदा विधि के सामान्य सिद्धान्त (भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 1 से 75 तक)।

2 भारतीय संविदा अधिनियम के विशेष सदर्भ में क्षति पूर्ति विधि, गारटी, गिरवी और एजेंसी ।

3 भारतीय विधि के विशेष सदर्भ में सामान बिक्री विधि, साझेदारी विधि, पराक्रमय उपकरण तथा बैंकिंग (सामान्य सिद्धांत)।

4 समवाय विधि ।

विधि III (कोड—44)

अन्तर राष्ट्रीय विधि की प्रकृति और स्रोत। अन्तर्राष्ट्रीय विधि का इतिहास, अन्तर्राष्ट्रीय विधि का सप्रदाय, अन्तर्राष्ट्रीय विधि और देश विधि।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्तियों के रूप मे राज्य/अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का अधिग्रहण और हानि। राज्य मान्यता। राज्य उत्तराधिकार।

राज्य के अधिकार और कर्तव्य, समानता का सिद्धांत।

राज्यों का क्षेत्राधिकार :

संधियां

अन्तर्राष्ट्रीय संवर्ग के एजेंट/राजनयिक एजेंटो के विशेषाधिकार और उन्मुक्ति। व्यक्ति और अन्तर्राष्ट्रीय विधि। अन्य देशीय निवासी राष्ट्रिकता। राष्ट्रीयता, राष्ट्र हीनता,। प्रत्यर्पण युद्ध अपराधी।

अन्तरराष्ट्रीय विवादों को तय करने का ढग।

युद्ध/घोषणा/प्रभाव ।

स्थल, जल और वायु-युद्ध के नियम ।

आत्म-रक्षा के लिये युद्ध ' सामूहिक सुरक्षा। क्षेत्रीय समझौते। युद्ध को अवैध घोषित करना, युद्धकारी दखल के नियम। युद्धकारिता और राज्य प्रतिरोध ।

युद्ध के ढग। युद्ध-कैदी। निरीक्षण और तलाशी का अधिकार।

प्राइज न्यायालय ।

नाकाबन्दी और विनिषिद्ध ।

तटस्थता और तटस्थीकरण। युद्ध में तटस्थ देशों के अधिकार और कर्तव्य। अतटस्थ सेवा। सयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अधीन तटस्थता।

सयुक्त राष्ट्र का चार्टर और राष्ट्र संघ का प्रतिज्ञापत्र सयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अग। विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ।

उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में दिए गए फैसलों सहित मामलों की जानकारी दे सकेंगे।

अनुप्रयुक्त यांत्रिकी (कोड—45)

भवन

छत कैंचों के सन्निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर विचार। इस्पात और इमारती लकड़ी। छतकैंचियों के प्रतिपल का विभिन्न पद्धतियों से निर्धारण। अचल भार और वायु दाव, क्षेम और कार्यरत प्रतिबल में घटक।

छतकैंचियों का डिजाइन'—विभिन्न प्रकार के छतकैंचियों और छतावन; कालरबीम और अधगोल कैंचियां, स्तम्भों के डिजाइन में यूलर गोरडन रैंकिन फिड्लर जान्सन और सरल रेखा के सूत्रों का उपयोग, स्तम्भों का बहकावकारक विभिन्न सूत्रों से प्राप्त स्तम्भों की तुलनात्मक सामर्थ्य को दर्शाने वाले वक्र। अनुभागों के आकार का चयन। इस्पाती कार्य की परिसज्जा। जोड़ एडवेयारगों का डिजाइन । सिरों को जमाने के सहारे देने की पद्धतियां ।

सरचनाओं के डिजाइनों मे प्रतिफल के वृत्तों और दीर्घवृत्तों तथा क्लेयप्रान प्रमेय का अनुप्रयोग ।

ढले लोहे और इस्पात के स्तम्भ इस्पाती स्तम्भों के साथ प्लेज और वेब कनेक्शन: टोपियों आधार स्तम्भों का तिर्यक तान।



नींव सुरक्षित दाव स्तम्भों की नींव । पटिया नींव, बाहुफरन नींव, अनोरीदार नींव। कूप स्थूर्णा ।

पुश्ता दीवार और मिट्टी के दाब रैंकिग सिद्धान्त, वेज सिद्धांत, विकर और ढलाई की ग्राफीय रचनाए, संशोधनों सहित चिनाई में विभिन्न प्रकार की पुश्ता दीवारों का डिजाइन ।

ऊंची चिनाई और इस्पाती चिमनियां - सिद्धान्त और डिजाइन।

इस्पाती और पक्के जलाशयों का डिजाइन वायु दाव के विचार से।

ढांचेदार स रचनाओं के विक्षेप और अतिरिक्तांगी ढांचों में प्रतिबल आदि का अवधारण ।

कैंचियों आबद्ध धरनों और तीन पिनी परवलयिक, अर्धवृत्ताकार तथा अर्ध-वृत्ताकार डाटो पर समान रूप से वितरित और अनियमित भार के सकल घूर्णन और कर्तन के प्रभाव-आरेख, गुम्बद-डिजाइन के सामान्य सिद्धांत।

निर्माण, डिजाइन के सिद्धांत, निर्माणों पर भार का विचार, इस्पात, कर्म गर्डर आदि ।

पुल

ऊपरी ढांचे का डिजाइन। चरभारों और वायु दाबों के कारण हुए बकन घूर्ण का ग्राफीय और वैश्लेषिक पद्धतियों से निर्धारण। पक्के पुलों और पुलियों का डिजाइन। प्लेट वेब गर्डर। प्रति बलों का विश्लेषण।

वारेन और जालदार गर्डर ।

तीन पिनी डाट, पिनी और दृढ़ डाट।

झूला, बाहुधारन और नलिकाकार पुलों के डिजाइन पर सामान्य विचार, इस्पाती डाटदार पुल ।

झूलना पुल ।

प्रबलित कक्रीट

कर्तन, बंध और विकर्ण तनाव, इसका स्वरूप, प्रक्लन का मूल्यांकन और स्थान ।

सरल और दोहरी प्रबलित धरन और अनुकालब धरन का डिजाइन।

प्रबलित कक्रीट स्तम्भों और उत्सूत्रों का सिद्धात और डिजाइन।

पटनीवों का डिजाइन ।

सरल बाहुधरन और पुश्तेदार धारक दीवारों का डिजाइन प्रबलित कक्रीट कारों के लिए तुल्य जड़ता-धरण ।

प्रत्यास्थ विक्षेप का सिद्धात और प्रबलित कक्रीट डाटो मे प्रतिबलों के अन्वेषण की रूप-रेखा ।

सामान्य

प्रतिबल विश्लेषण, विकृति प्रत्यास्थता सीमा और चरम सामर्थ्य का विश्लेषण: प्रत्यास्थ स्थिराकों मे परस्पर संबध। किसी रचना अवयव में कार्य कारी प्रतिबलों के लिए लानहार्ट-नैरोध सूत्र और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र का अवधारण। प्रतिबलों की पुनरावृत्ति। अचल भारों के लिए बकन घूर्णन और कर्तन-बल के आरेख ढांचों में प्रतिबलों का ग्राफीय अवधारण, वायुदाब का प्रभाव, काटों की पद्धति। बकन (M/1-F/Y-E/R) के कारण धरन की अनुप्रस्थ काट में प्रतिबल, मिश्रित और सयुक्ति प्रतिबल। मिट्टी के दाव का रेंकीन सिद्धात, नींवों की गहराई, खसकों की सामर्थ्य अक्षरीदार नींव मिट्टी के दाब का बल म सिद्धांत, रेबान के कारण परिवर्तन ।

चलभारों के लिए बकन, घूर्णन, कर्तन बल के आरेख। समान और समान रूप से बदलते हुए प्रतिबल का विश्लेषण धरनों के बकन का प्रत्यास्थता-सिद्धांत धरनों में बंकन और कर्तन प्रतिबल, काट का मापांक और तुल्य क्षेत्र। उत्केन्द्र भार के कारण जोड़ में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिबल। साधों और चिमनियों में प्रतिबल ब्लैक की स्थिरता, कार्य सरचनायें। वाधित्र खोलों में प्रतिबलों और रिवेटदार जोड़ों का डिजाइन थाम के सबध मे आयलर का सिद्धांत, रेकिन, गाडर और अन्य सिद्धान्त के कारण परिवर्तित ऐंठन, सयुक्त ऐंठन और संकन विक्षेप आबद्ध धरने, अनेकालब धरने और विपूर्ण प्रमेय। डाटो का प्रत्यास्थता-सिद्धान्त, पक्की डाटे ।

**समाज शास्त्र (कोड-46)**

समाज शास्त्र का स्वरूप, विषय क्षेत्र तथा पूर्ववृत्त—समाज शास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ सबंध।

जाति तथा समाज-भौगोलिक वातावरण तथा समाज—जन-संख्या तथा समाज—संस्कृति, धारणा, उसका महत्व तथा समाज और व्यक्तित्व के साथ संबंध।

समाजशास्त्र की मूल धारणाएं समूह—प्राथमिक, माध्यमिक और संदर्भ समूह—भूमिका—सामाजिक—संरचना सामाजिक कार्य—सामाजिक संगठन—मानदंड तथा मान्यताएं—

सामाजीकरण—सामाजिक नियंत्रण—सामाजिक दण्ड—विधान।

मूल सामाजिक संस्थान परिवार और सगोत्रता—संयुक्त परिवार—आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा कानूनी संस्थान।

सामाजिक स्तरीकरण जाति, सम्पदा तथा वर्ग—सामाजिक प्रक्रियाएं—सहकारिता तथा प्रतिद्वन्द।

समितियों की किस्में —असभ्य तथा सभ्य—सरल तथा जटिल—परम्परागत तथा आधुनिक।

सामाजिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत—आयोजित सामाजिक परिवर्तन—सामाजिक विकास।

ग्राम्य और शहरी समुदाय—शहरीकरण।

नोट—उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे तथ्यों द्वारा सिद्धांतों का निरूपण करें तथा सिद्धांतों की सहायता से समस्याओं का विश्लेषण करें। उनसे भारतीय समस्याओं की विशेष जानकारी अपेक्षित होगी।

भाग—ग

[परिशिष्ट I के भाग II के उप भाग (ग) के अनुसार]

**उच्चतर विशुद्ध गणित (कोड-50)**

(1) आधुनिक बीजगणित तथा स्थलन विज्ञान।

(2) वास्तविक चरों के फलनों का विश्लेषण।

(3) सम्मिश्र चरों के फलन।

(4) ज्यामिति तथा

(5) अवकल समीकरण।

(1) आधुनिक बीजगणित—समूहों, उपसमूहों, प्रसामान्य उपसमूह खंड समूह। समरूपता तथा एकक समाकारिता। एकक समाकारिता पर प्रमेय। क्रमचय समूहों। रूपान्तरण समूहों। स्वसमाकृतिकता के समूह। आंतरिक स्वसमाकृतिकता। प्रसामान्यकर्ता, केन्द्र तथा दिक् परिवर्तक। "कले और सीलो के प्रमेय। परिमितीय जनक आबेली ग्रुपों के लिए वियोजन प्रमेय। निष्पत्रों। प्रसामान्य श्रेणी, संयोजक श्रेणी, जार्डन—होल्डर प्रमेय। रिंग पूर्णांकीय डोमेन। विभाजन रिंग। क्षेत्र। आदर्श, प्रारंभिक तथा मैक्सिमल आदर्श, आदर्श के घनराशि तथा गुणनफल। भागफल रिंग। रिंगों, के लिए एकक समाकारिता प्रमेय। पणीकोय डोमेन के विभागों का क्षेत्र। यूक्लिडी डोमेन। मख्य आदर्श डोमेन। अद्वितीय गुणनखण्डन डोमेन। रिंग, परिवर्तित रिंग के ऊपर बहुपद रिंग, अद्वितीय गुणनफल डोमेन के बहुपद गुणाको सहित। नियोथर्मिन रिंग। वेक्टर स्थानों। वेक्टर स्थान का आधार। लाविकता। आवेशगुणनफल। आर्थानिर्मल आधार।

क्षेत्र विस्तार। विभाजकफील्ड। पृथक होने योग्य और पृथक न होने योग्य विस्तार। परिमित विस्तारों का गोलोइस का प्रमेय। करणी द्वारा समीकरणों के हल का अनुप्रयोग। परिमित क्षेत्र।

सांस्थितिक सदिश समष्टि। मानचित्रों तथा आस-पास, बंद समुच्चय, स्वानर समुच्चय, स्थान वैज्ञानिक स्थान के लिए आधार उपस्थान, पानकल, स्थान। स्थान विज्ञान तथा सांख्यिकी के सामर्थ्य की परिभाषा के विभिन्न तरीके। मैट्रिस स्थान, यक्लिडी स्थान तथा मैट्रिस स्थानों के अन्य उदाहरण। दो स्थान वैज्ञानिक स्थानों के संयोजको कार्तीय गुणनफल, स्थानीय संयोजन। पथ के अनुसार संयोजन। संहित स्थान के संहित स्थानों के गुणनफल, स्थानीय संहित स्थानों। पार्थक्य-अभिगृहीत। हाउजडोर्फ, प्रसामान्य तथा नियमित स्थान।

(2) वास्तविक चरों के फलनों का विश्लेषण—वास्तविक संख्याओं का डेडकाइंड का प्रमेय। परिबद्ध और सीमायें। संक्रियाएं। सतत तथा एक समान सतत। अवकलनीयता अस्पष्ट फलनों। फलनों के अधिकतम और न्यूनतम। रीमन समाके कलन। माध्यमान प्रमेयों, अनुचित पूर्णांकीय रेखा, समतल तथा गणाक पूर्णांकीय। रेखा समतल तथा गुणाक पूर्णांकीय ग्रीन, स्टको के प्रमेय।

एक समान अभिसारी श्रेणियों के एक समान अभिसरण की श्रेणियों और गुण। अपरिमित गुणनफलों का अभिकरण। समुच्चय के फलनों के आर्थोनामीलटी तथा सम्पूर्णता। फूरिये श्रेणियों तथा फूरिये प्रमेय। वायरस्ट्राम सेन्निगटन प्रमेय। लेबेस्ग्यू का माप प्रबधित फलनों के मापीय फलन तथा लेबेस्ग्यू पूर्णांकीय।

(3) मिश्रितचर के फलन—उस के समतल और रीमैन के गोला परसमिश्र संख्याओं का निरूपण। निरंतकधाती रूपान्तरणों विश्लेषिक फलनों। कौशी का प्रमेय तथा उसका विलोम। कौशी का पूर्णांकीय सूत्र। टेलर तथा लारेंट की श्रेणियां। वियेउत्राइल का प्रमेय। विजिलताएं शून्यों/अवशेषों का प्रमेय तथा पूर्णांकीय के मूल्यांकन के लिए इसका अनुप्रयोग। बीजगणित का मूल प्रमेय तथा बीजगणित के समीकरणों के मूल अनुकोण निरूपण। विश्लेषिक सतत। मिटेगलेयर का प्रमेय, वाइरेस्टास का गुणनखंड का प्रमेय, अधिकतम मापाक सिद्धांत। हैडामार्ड का त्रिवृतीय प्रमेय।

(4) ज्यामिति समतल परिच्छेदों तथा द्विघातियों की जन रेखायें द्विघाती पृष्ठ तथा इसका विश्लेषण। समायी द्विघाती की पैंसिलों का प्रारंभिक प्रमेय। गोला में वक्र/वक्रता तथा ऐठन। फ्रेनेट के सूत्र। आवरण विकाय योग्य समतल। विकास योग्य वक्र से सगुणित, रेखाजपृष्ठ। पृष्ठों कीवक्रता। वक्रता की रेखाएं, सयुग्मी रेखायें। उपगामी रेखायें। अल्पान्तरी।

(5) अवकल समीकरण —

साधारण अवकल समीकरण —पिकार्ड का अस्तित्व प्रमेय। प्रारंभिक तथा सीमांत प्रतिबंध। परगुणांको के साथ रेखाकार अवकल समीकरण। श्रेणियों में समाकलन वैसिल तथा लेगेंडर फलन। संपूर्ण तथा युगपत अवकल समीकरण।

आंशिक अवकल समीकरण

आंशिक अवकल समीकरणों की बनावट। यांत्रिक अवकल समीकरणों के पूर्णांकीय के प्रकार। प्रथम-क्रम के आंशिक अवकल समीकरण, चारपिट का तरीका। अचर गुणकों के साथ औषिक अवकल समीकरण। मांगे का तरीका। द्वितीय क्रम के औषिक अवक समीकरणों का वर्गीकरण। लाप्लेस समीकरण तथा इसकी सीमांतमान समस्यायें। तरग समीकरण तथा ऊष्माचालन के समीकरण का एक हल।

**उच्चतर अनुप्रयुक्त गणित (कोड-51)**

शामिल विषय ये होंगे —

(1) गति विज्ञान

(2) द्रवगति विज्ञान

(3) प्रत्यास्थता

(4) विद्युत तथा चुम्बकत्व

(5) आपेक्षिकता का विशेष प्रमेय।

(1) गति-विज्ञान —कण गति विज्ञान। तीन आयामों में गति। दृढ गति विज्ञान। दो आयामों में गति। संवेग तथा ऊर्जा। भूगतिमान से संबंधित गति। फोकाल्ट का लोलक। जनक निर्देशांक। होलोनोमिक तथा अहोलोनोमिक प्रणालियां। छोटे दोलन। यूलर का गतिक समीकरण। लट्टू की गति। न्यूनतम कर्मका हैमिल्टन का सिद्धांत। हैमिल्टन के विहित समीकरण तथा उनके समाकल निश्चर। संस्पर्श रूपांतरण।

(2) द्रवगति विज्ञान —

सामान्य —सातत्य का समीकरण संवेग तथा ऊर्जा।

इनविसिड प्रवाह प्रमेय —द्विविमगति। प्रवाही गति। स्रोत तथा अभिगत। प्रतिबिम्ब के तरीके तथा इसके अनुप्रयोग तरल में बेलन तथा गोला की गति। अमिलयाति तरंगें।

विस्कोस प्रवाह प्रमेय —प्रतिबल तथा विकृति विश्लेषण। नेवियरस्टोक्स-स्टोकेस समीकरण अमिलता। ऊर्जा-क्षय। समानांतर पट्टिकाओं के बीच प्रवाह।

नली में होकर प्रवाह, गोला के पार धामी प्रवाह गति। सीमानस्तर सकल्पना-द्विविम प्रवाहो के लिए। सीमानस्तर। पत्रिका के साथ सीमास्तर। रामरूपता कुष्ठ। सवर्ग तथा ऊर्जा समाकल। कल्मन तथा पोहलहोमेन का तरीका।

(3) प्रत्यास्थता —कार्तीय टेंसर। प्रतिबल तथा विकृति विश्लेषण कार्य तथा ऊर्जा। सट वेनेन्ट का सिद्धान्त। दंड और पथिकाओं का मोड़ना। ऐंठन।

(4) विद्युत तथा चुम्बकत्व —स्थिर चालक तथा सधारित चालकों की प्रणालियाँ। परावैद्युत। सकल्पनाओं के तरीके तथा इनके अनुप्रयोग। जालो मे विद्युत धाराओं के प्रवाह चुबकत्व। चुबकत्व वैद्युत। प्रेरण। प्रत्यावर्ती धारायें, मैक्सवेल के समीकरण, दोलानी परिपथ।

(5) आपेक्षिकता का विशेष प्रमेय —गलीलियन सिद्धान्त। माइकलसन-मोरलेय के प्रयोग। आपेक्षिकता के प्रमेय के सिद्धान्त। लोरेंज रूपान्तरण तथा इसके परपद। मैक्सवेल के समीकरणों में लारेंज निश्चयर। निर्वात का विद्युत गतिक। द्रव्य तथा ऊर्जा।

उच्च भौतिकी (कोड—52)

द्रव्य और ध्वनि के सामान्य गुण धर्म — विस्मर्णय पिंडों की यान्त्रिकी। कुंडलिनी कमानी कैशिका घटनायें। ध्वनि मापन पराभव्यिकी।

ऊष्मा और ऊष्मागतिकी —ब्राउनी गति। गैसो का अणुगति सिद्धान्त। निम्न दाब पर गैसों मे मिलने वाली अभिगमन-घटनाए उष्मागतिक कार्य और उनके अनुप्रयोग। कृतियों और गैसों की विशिष्ट ऊष्मा। निम्न तापमान लाना और उन्हे मापना, विकिरण और ऊर्जा वितरण का प्लैक नियम।

प्रकाश विज्ञान —गमाक्ष सगमित प्रकाशित तन्त्रों का सिद्धान्त, प्रायोगिक स्पैक्ट्रम-विज्ञान। विद्युत चुम्बकीय सिद्धान्त प्रकाश प्रकीर्णन। गमनप्रभाव। विर्वतन। ध्रुवण।

विद्युत और चुम्बकत्व —गाउस-प्रमेय। विद्युतमापी चुम्बकीय शैथिल्य। स्थायी चुम्बको का सिद्धान्त। वैद्युत राशियों का मापन। प्रत्यावर्ति धारा सिद्धान्त। माइक्लोट्रान और उच्च वोल्टता के उत्पादन की अन्य विधियां। बेतार तरंगों का प्रेषण और अभिग्रहण। टेलीविजन।

आधुनिक भौतिकी —आपेक्षिकता का विशेष सिद्धान्त प्रकाश और द्रव्यों की द्वैत प्रकृति। श्रोडिंजर समीकरण और साधारण मामलों में उनके हल। हाइड्रोजन और हीलियम स्पैक्ट्रा जीमन और स्टार्क प्रभाव। पौली नियम और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। एक्स किरण और एक्स-किरण स्पैक्ट्रम-विज्ञान। काम्पटन प्रभाव। धातुओं मे चालन। अतिचालकता। तापायनिकी तापीय आयनन परमाणु नाभिको के गुणधर्म, द्रव्यमान स्पैक्ट्रम-विज्ञान। भूलकण और उसके गुणधर्म। नाभकीय अभिक्रियाये, अन्तरिक्ष-किरणें। नाभिकीय विखण्डन और सलयन।

उच्च रसायन (कोड—53)

अकार्बनिक रसायन —परमाणु सरचना। रेडियोऐक्टियता, प्राकृतिक एव कृत्रिम। नाभिको का विखण्डन और सवयन। समस्थानिक रेडियोऐक्टिवसूचक। रेडियोऐक्टिव श्रेणिया, यूरेनियम तत्वों और उनके मुख्य यौगिको, विशेषत Be, W, Tl, V, Mo, HF, ZR तथा दुर्लभ मृदा तत्वों और उनके मुख्य यौगिको, का रसायन विज्ञान।

उपसहसयोजिता-यौगिक। अतराअवाशी तथा अनरव-योगमितीय यौगिक। मुक्त मूलक। विश्लेषण की उच्च भौतिक रासायनिक विधियां।

कार्बनिक रसायन —अनुनादी तथा हाइड्रोजनबन्ध विरचन सहित कार्बनिक रसायन के सिद्धान्त। महत्वपूर्ण कार्बनिक अभिक्रियाओं की —क्रियाविधि, समनु-रूपण सहित विन्यास-रसायन।

विभिन्न कार्बनिक यौगिको के वर्गों, विशेषत निम्नलिखित वर्गों का रसायन बहु-शर्कराइड, टर्पीन, प्राकृतिक रंजक द्रव्य एल्केलाइड, विटामिन, महत्वपूर्ण हार्मोन, मलेरिया रोधक, क्लोरीन कीट-नाशी, मुख्य प्राणिजैविक, तथा सश्लिष्ट बहुलक।

भौतिक रसायन —अणगतिक सिद्धान्त, ऊष्मागति की विज्ञान के तीन नियम तथा भौतिक रसायनिक प्रक्रमों में उनका अनुप्रयोग, आणविक सरचना से सबधित तथा उसका स्पष्टीकरण करने वाले भौतिक-रासायनिक गुणधर्म। क्वान्टम-सिद्धान्त तथा रसायन मे इसका अनुप्रयोग।

रासायनिक तथा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि तथा बलगतिकी। उत्प्रेरण। अधिशोषण। पृष्ठरसायन। कोलायड। विद्युत-रसायन।

उच्च वनस्पति विज्ञान (कोड-54)

उम्मीदवारों को भारतीय वनस्पति समूह पर विशेष ध्यान देते हुए, वर्तमान और विलुप्त दोनो प्रकार के वनस्पति जगत के मुख्य समूहों (अर्थात् शैवाल, कवक, ब्रयोफाइटा, टेरिडो-फाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजिओस्पर्म) का उच्च ज्ञान होना चाहिए।

वर्गीकरण वनस्पति विज्ञान —एंजियोस्पर्म के महत्वपूर्ण समूहों का सामान्य ज्ञान तथा उनके वर्गीकरण के सिद्धान्त।

शारीर —पादपऊतकों का उद्‌भव, स्वरूप, और विकास और पारस्थितिक तथा कायिकीय दृष्टि से उनका वितरण।

पादप रोग विज्ञान —जीवाणु, फगी, वाइरस और शरीरक्रियात्मक रोगो द्वारा होने वाली पौधो की महत्वपूर्ण बीमारी का उन्नत ज्ञान। नियत्रण पद्धति।

आवयविकी पादप जीव रसायन सहित पौधों की अवयन रचना सबधी प्रक्रियाओं का उन्नत ज्ञान।

परिस्थितिकी —भारत की वनस्पति के मुख्य प्रकार, उनका वितरण और वनस्पति अध्ययन का महत्व। पादप भूगोल के सिद्धान्त।

कायिकी —पादप कार्य के महत्वपूर्ण कायिकीय प्रक्रम का उच्च ज्ञान। इसमें पादप जीव रसायन ज्ञान भी शामिल है।

आर्थिक वनस्पति विज्ञान —आर्थिक दृष्टि से उष्णक एव उपोष्णक क्षेत्रों के विशेष रूप से भारत के महत्वपूर्ण पौधो का अध्ययन।

सामान्य जीव विज्ञान —विभिन्नता, आनुवंशिकता क्रम विकास कोशिका—विज्ञान तथा आनुवंशिकी के मूल तत्वों और आधुनिक विकास एव पादप प्रजनन के सिद्धान्तों का ज्ञान।

उच्च प्राणिविज्ञान (कोड-55)

आकार्डेटो और कार्डेटो, विशेषकर भारतीय प्राणि समूहो, का वर्गीकरण, जीवपरिस्थिति की, आकारिकी, जीवनवृत्त तथा सबध।

अंग-तत्र का क्रियात्मक आकृतिविज्ञान (रूप सरचना तथा कार्य) काशेरुकी भ्रूणविज्ञान की रूपरेखा।

प्राणियो का वर्गीकरण, व्यक्तिवृत्त, अनकली समाभिरूपता तथा विषाभि-रूपता, पशु, परिस्थितिकी, प्रवास तथा रजन।

विकास प्रमाण, वाद और उनकी आधुनिक व्याख्याए। अनुकूलन, अतरिक्ष में प्राणियों का वितरण।

कोशिका, कोशिका-विज्ञान, आनुवशिकी, लिंग-निर्धारण तथा अत स्राव विज्ञान के ज्ञान मे नवीन प्रगतियां।

भौतिक रसायनिक तथा जैविक कारकों के सामिश्र के रूप में वातावरण तथा व्यक्ति, जनसख्या और समुदाय के रूप में जीवों की आधुनिक सकल्पना।

निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध, प्रोटोजोआ तथा रोग, कीट तथा मानव, परजीवी, विज्ञान, अलवण जल तथा समुद्री जीव विज्ञान, सरोवर-विज्ञान तथा मत्स्य-जीवविज्ञान, ज्ञान तथा सभ्यता के लिए महान जीव-वैज्ञानिकों का योगदान।

उच्च भूविज्ञान (कोड-56)

सामान्य भूविज्ञान—भूविज्ञान का इतिहास तथा विकास इसकी विभिन्न शाखाएं तथा विज्ञान की अन्य शाखाओं से इसका सबंध । पृथ्वी का उद्भव, विकास, संरचना, रचना, गर्भ तथा आयु । भूप्राकृति-विज्ञान । रेडियोएक्टिवता तथा भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी विज्ञान, भूअभिनतियों समास्थितियों में उसका अनुप्रयोग । महाद्वीपों तथा महासागर द्रोणियों का विकास । पृष्ठ एजेन्सियों और अन्तर्भूमिका एजेंसियां की भूवैज्ञानिक क्रिया, महाद्वीपीय विस्थापन ।

संरचना तथा क्षेत्र भूविज्ञान-पटल विरूपण—शैल विरूपण पर्वतों का उद्भव स्थल-आकृति तथा खनन सम्बन्धी संरचनाएं । भारत का विवर्तनिक इतिहास । भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं भूमापन की विधियां ।

स्तरित शैलविज्ञान तथा जीवाश्म विज्ञान—स्तरित शैल विज्ञान के नियम तथा सह सम्बन्ध । भारतीय स्तरित शैल विज्ञान का विस्तृत अध्ययन तथा विश्व स्तरित शैल विज्ञान की रूपरेखा, विभिन्न कालों में पृथ्वी, समुद्र, प्राणी समूहों तथा वनस्पति समूहों का विभाजन । जैव-विकास के सिद्धांत । जीवाश्म—उनका महत्व । प्रतिरूपी इन्डेक्स जीवाश्म तथा सह सम्बन्ध, भारत के विशेष संदर्भ, में अकशेरुकी का विस्तृत अध्ययन और भूवैज्ञानिक इतिहास ।

क्रिस्टल विज्ञान तथा खनिज विज्ञान—क्रिस्टल आकारिकी, क्रिस्टल वज्ञान के नियम, क्रिस्टल तंत्र तथा वर्ग, प्रकृति यमलन, क्रिस्टलों का कोणमापी तथा ऐक्स-किरण अध्ययन । परिमाणु संरचना । शैल तथा आर्थिक खनिजों का भारत में उनके अस्तित्व के विशेष संदर्भ में विस्तृत अध्ययन ।

शैल-विज्ञान—अग्नेय, अवसादी तथा कायन्तरित शैलों का उद्भव और विकास संचरना खनिज घटक, गठन तथा वर्गीकरण का यातरण सहित शैलजनन शैलरूपायन/उल्का पिण्डों का अध्ययन/मुख्य भारतीय शैल प्रकार ।

आर्थिक विज्ञान—अयस्क उत्पत्ति, आर्थिक खनिजों का वर्गीकरण तथा अयस्क-स्थान निर्धारण । भारत के विशेष संदर्भ में आर्थिक खनिज विक्षेपों का भूविज्ञान । खनिज उद्योगों का स्थान निर्धारण (1) गुणधर्मों का मूल्यांकन, खनिज अर्थशास्त्र खनिजों का संरक्षण तथा उपयोग । राष्ट्रीय खनिज नीति स्ट्रेटेजिक खनिज भू वैज्ञानिक भूभौतिकीय तथा भूरासायनिक पूर्वेक्षण तकनीकें तथा उनके अनुप्रयोग । खनन प्रतिचयन अयस्कप्रसाधन तथा अयस्क सज्जीकरण की मुख्य विधियां । भूमि तथा भौम जल सामान्य इंजीनियरी समस्याओं में भूविज्ञान का अनुप्रयोग ।

उच्च भूगोल (कोड 57)

पर्चे के दो भाग होंगे —पहले भाग के अन्तर्गत भारत के विशेष संदर्भ में भौतिक मानव तथा आर्थिक भूगोल का प्रगत अध्ययन होगा ।

दूसरे भाग में निम्नलिखित विशेष विषयों का प्रगत अध्ययन शामिल होगा और उम्मीदवार से आशा की जाती है कि उसे कम से कम दो विषयों का ज्ञान होगा :—

भू-आकृति विज्ञान । जलवायु विज्ञान (मौसम के पूर्वानुमान तथा विश्लेषण की नई विधियों सहित) मानचित्रकला (समकोणीय गोलीय त्रिकोण के हल, थियोडोलाइट के उपयोग, निर्यक विमध्य जाल जैसे प्रगत प्रक्षेप, आदि सहित) । ऐतिहासिक भूगोल । राजनैतिक भूगोल । भौगौलिक विचार तथा खोजों का इतिहास ।

अंग्रेजी साहित्य (कोड 58)

प्रश्न-पत्र अंग्रेजी साहित्य (1798-1935) के अध्ययन पर आधारित होगा, जिसमें निम्नलिखित रचनाकारों का विशेषाध्ययन अपेक्षित होगा :—

वर्डस्वर्थ, कोलरिज, शैली, कीट्स, लैम्ब, जैन, ऑस्टिन, कारलाइल, रस्किन, थैकरे, राबर्ट ब्राउनिंग, आर्जे इलियट, जी० एम० होपकिन्स, शो, डब्ल्यू० बी० थीट्स, गाल्सवार्दी, जे० एम० मिज, ई० एम० फोस्टर तथा टी० एस० इलियट । स्वयं पुस्तकें पढ़ने का प्रमाण अपेक्षित होगा ।

प्रश्न-पत्र इस प्रकार बनाए जायेंगे जिससे इस अवधि की प्रमुख साहित्यिक धाराओं का ज्ञान ही नहीं, अपितु उनके आलोचनात्मक मूल्यांकन की जांच भी की जा सके । इसमें उस अवधि, की सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित प्रश्न भी शामिल किये जा सकते हैं ।

भारतीय इतिहास I (कोड 59)—(चन्द्रगुप्त मौर्य से हर्ष तक) मौर्य वंश—साम्राज्य का अभ्युदय तथा दृढ़ीकरण । प्रशासन तथा अर्थ व्यवस्था । साम्राज्य का पतन ।

मगध का पतन

शुंग, तथा कण्व वंश—चोल, चेर, तथा पाण्ड्य ।

पश्चिम से संपर्क उत्तर भारत—भारत यूनान ।

दक्षिण भारत—रोमन व्यापार ।

मध्य एशिया तथा भारत ।

शक वंश।कुशान वंश । सत्वाहन ।

एशियाई देशों से भारत का संपर्क—बौद्ध मत का प्रसार ।

गुप्त साम्राज्य

भारतीय शास्त्रीय संस्कृति का निर्माण । भारत के और समुद्रपारीय संपर्क । गुप्त वंश का पतन, हूण जाति ।

उत्तर भारत में बदली हुई अर्थ व्यवस्थाएं तथा राजनीति पर उनका प्रभाव ।

वाहटक तथा चालोक्य वंशों का अभ्युदय ।

पल्लवों का अभ्युदय । हर्षवर्धन ।

हर्षवर्धन

भारतीय इतिहास II (मुगल साम्राज्य 1526 से 1707) (कोड–60)

राजनीति इतिहास —भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, इसका दृढ़ीकरण तथा विस्तार । सूर राजान्तराल । मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष । अकबर, जहांगीर और शाहजहां । मुगलों के फारस तथा मध्य एशिया से संबंध । प्रशासनिक पद्धति का विकास । मुगल दरबार में यूरोप के लोग, प्रारम्भिक पुर्तगाली, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी बस्तियां, पतन का प्रारम्भ । औरंगजेब, उनके युद्ध तथा नीतियां ।

सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामाजिक जीवन —सांस्कृतिक जीवन तथा कला का विकास, वास्तुकला तथा साहित्य ।

धार्मिक आन्दोलन भक्ति आन्दोलन, सूफीमत, दीने-इलाही । मुगल बादशाहों की धार्मिक नीति ।

आर्थिक जीवन कृषि जीवन । भूधारण पद्धतियां । उद्योग वाणिज्य तथा व्यवसाय । आयात तथा निर्यात परिवहन व्यवस्था । भारत का ऐश्वर्य ।

सामाजिक जीवन दरबारी जीवन, नागरिक जीवन, ग्रामीण जीवन । वेषभूषा । रीति-रिवाज, खाद्य तथा पेय, मनोरंजन तथा मल, त्योहार, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति ।

भारतीय इतिहास III (1772 से 1950) (कोड 61)

बंगाल तथा दक्षिण भारत में ब्रिटिश सत्ता का दृढ़ीकरण भारत में ब्रिटिश सत्ता का विकास । ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा ब्रिटिश राज्य/सिविल सर्विस, न्याय पद्धति पुलिस तथा सेना का विकास । नई भूमिकर पद्धति तथा भूधारण पद्धति का विकास । ब्रिटिश व्यवसाय नीति । भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव । 1857 का विद्रोह । भारतीय राज्यों के साथ सम्बन्ध विदेश नीति, तथा ब्रह्मा व अफगानिस्तान के साथ सम्बन्ध । आधुनिक उद्योग तथा संचार साधनों का विकास । आधुनिक शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास ।

भारतीय पुनः जागृति—राजा राम मोहन राय, ब्रह्मसमाज और विद्यासागर, आर्य समाज, थियोसोफिस्ट, रामकृष्ण तथा विवेकानन्द, सैयद अहमद खां सामाजिक सुधार आधुनिक भारतीय साहित्य का विकास ।

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का अभ्युदय इण्डियन नेशनल कांग्रेस (1885 से 1905) दादाभाई नारोजी, राणाडे, गोखले उग्र राष्ट्रवाद का विकास, विभाजन विरोधी आन्दोलन, स्वदेशी तथा बायकाट आन्दोलन, तिलक व अरविन्द घोष, होमरूल लीग तथा लखनऊ समझौता।

सांविधानिक विकास—1861 तथा 1862 के अधिनियम, मिन्टो मार्ले सुधार, माट फोर्ड सुधार, 1935 का अधिनियम।

महात्मा गांधी का राजनीति में प्रवेश तथा स्वतन्त्रता संग्राम। सत्ता-हस्तान्तरण क्रिप्स मिशन, कैबीनेट मिशन, स्वतन्त्रता अधिनियम तथा विभाजन। 1950 का संविधान। स्वतंत्र भारत, विदेश नीति तटस्थता, धर्मनिरपेक्षता की योजना।

ब्रिटिश संविधान का इतिहास (1603 से 1950 तक) (कोड 62)

ताज बनाम संसद्

जेम्स तथा संसद् के बीच सम्बन्ध। अधिकार याचिका। चार्ल्स तथा परमाधिकार बनाम सामान्य कानून। (गृह युद्ध)।

संविधान प्रवर्तक—

लांग संसद् की सरकार। लिट्ल संसद् प्रौटेक्टोरेट। पुन: स्थापन। ग्लोरियस रिवोल्यूशन। बिल आफ राईट्स। ताज, कार्यपालिका तथा संसद्।

राजा तथा उनके मंत्री। ताज का प्रभावाधिकार। मंत्रिमंडल तथा संसद् 1936 का राजतन्त्रीय आपात-काल।

संसद् का सुधार

सुधार अधिनियम तथा हाऊस आफ कामन्स। हाउस आफ कामन्स तथा हाऊस आफ लार्डस। हाऊस आफ लार्ड्स का सुधार।

कामनवैल्थ (राष्ट्रमंडल)

कामनवैल्थ का उद्गम तथा विकास। वेस्टमिन्स्टर का परिनियम, कामनवैल्थ सहयोग का कार्यान्वयन। कामनवैल्थ में ताज की स्थिति।

यूरोपीय इतिहास (1871—1945) (कोड 63)

यूरोप का औद्योगिक विकास—राष्ट्रवाद तथा लोकतांत्रिक और समाजवादी आन्दोलन का विकास।

जर्मन साम्राज्य, "तृतीय फ्रांसीसी गणराज्य", हैब्सबर्ग, राजवंश राजतन्त्री रूप। संधियों और मंत्रियों की नीति।

पूर्व संबंधी (ईस्टर्न) प्रश्न।

साम्राज्यवाद का उत्थान तथा निकट पूर्व, मध्यपूर्व अफ्रीका और सुदूरपूर्व में यूरोप के साम्राज्यवादी हित।

प्रथम विश्वयुद्ध का उद्गम तथा परिणाम।

रूस की क्रांति तथा उसके परिणाम।

वर्साइ समझौता, राष्ट्रसंघ (लीग आफ नेशंज), विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण के प्रयत्न, सुरक्षा की खोज, फासिज्म तथा नाजिज्म का उदय और उसके अंतर्राष्ट्रीय परिणाम।

द्वितीय विश्व युद्ध।

उच्च अर्थशास्त्र (कोड 64)

आर्थिक विश्लेषण के कृत्य।

मूल्य का सिद्धांत। खपत और मांग का सिद्धांत। उत्पादन का संगठन। एकाधिकार का सिद्धांत। एकाधिकार का नियंत्रण।

वितरण का सिद्धांत। किराया। पूंजी का सिद्धांत। धन तथा ब्याज का सिद्धांत। बचत तथा विनियोजन। बैंकिंग तथा उधार सम्बन्धी नियम। मजदूरी तथा नियोजन सम्बन्धी सिद्धान्त। सामूहिक सौदाबाजी तथा औद्योगिक शान्ति।

राष्ट्रीय आय। आर्थिक प्रगति तथा वितरणात्मक न्याय।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त। विदेश मुद्रा। अदायगियों का शेष।

व्यापारिक चक्र तथा उनका नियन्त्रण। सरकार का आर्थिक योग। आर्थिक कल्याण। लाभ (हित) के साधन मूल्यांकन तथा नियमन।

कराधान के सिद्धान्त—कराधान का प्रभाव क्षेत्र, सरकारी कर और व्यय के प्रभाव घाटे का अर्थ प्रबन्ध और मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास आयोजन।

उच्च भारतीय अर्थशास्त्र (कोड 65)

युद्धकालीन तथा योद्धोत्तर अवधि में आर्थिक विकास प्राकृतिक साधन सामाजिक संस्थाएं। कृषि उत्पादन तथा वित्त। अन्य तथा अन्य कृषि उत्पादन का मूल्य निर्धारण तथा वितरण। भूमि सुधार। किसी विकासमयी अर्थ-व्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योगों का स्थान। आधुनिक संगठित उद्योग का विकास। लोक कम्पनियों का नियमन। औद्योगिक सम्बन्ध तथा श्रम (बल) की समस्याएं। सम्मिश्रित अर्थ व्यवस्था। सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार, क्षेत्र तथा दक्षता। भारतीय पूंजी तथा प्रत्यय पद्धति। रिजर्व बैंक का योगदान। जनसंख्या, समस्याएं तथा जनसंख्या सम्बन्धी नीति। बेरोजगारी तथा अपूर्ण रोजगारी। भारतीय राष्ट्रीय आय का निर्धारण। विदेशी व्यापार का नियमन। अदायगियों का शेष, भारतीय करारोपण पद्धति संबंधी वित्त। आर्थिक विकास के लिए योजना। क्रमबद्ध योजनाओं का आकार तथा ढांचा। स्रोत तथा कार्यान्वयन की समस्याएं।

हाब्स से लेकर आज तक के राजनीतिक सिद्धांत (कोड 66)

ठेका (कान्ट्रेक्ट) तथा प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत-हाब्स, लोक, रूसो। प्रभुता के मन्तव्य का विकास। इतिहासकार—वीको मौन्टैस्क तथा बर्क। उपयोगितावादी। विकासवादी। आदर्शवादी। कांट, हेगल, ग्रीन ब्राडले तथा बोसंक वे। रूढ़िवाद तथा उदारवाद। मार्क्सवाद तथा समाजवाद व साम्यवाद की धाराएं। बहुलवाद फासिज्म, मनोविज्ञान का प्रभावी क्षेत्र। पूर्वी देशों में बीसवीं शताब्दी की विचारधाराएं।

राजनीतिक तथा लोक प्रशासन (कोड 67)

राजनीतिक संस्थाएं—आधुनिक राष्ट्रों का विकास, संसदीय तथा राष्ट्रपति सहित सरकारें। एक सत्ता तथा संघीय सरकारें। विधान मंडल कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। प्रतिनिधित्व के प्रकार साम्यवादी तथा एक सत्ताधारी सरकारें।

लोक प्रशासन—आधुनिक सरकार में लोक प्रशासन। नीति निर्धारण तथा उच्चतर नियंत्रण न्यायपालिका तथा कार्यपालिका। संगठन, प्रबन्ध, प्रकार तथा माध्यम। नियामक आयोग तथा लोक निगम कर्मचारी वर्ग प्रशासन-सिविल सेवा तथा इसकी समस्याएं, बजट तथा वित्तीय प्रशासन। प्रशासनिक अधिकार। न्यायालयों द्वारा नियंत्रण। लोक सेवाएं तथा जनता।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध (कोड 68)

भाग I

राष्ट्रीय शक्ति के आधार और सीमाएं।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति सिद्धांत तथा नैतिकता का स्थान।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि का स्थान।

विदेश नीति के निर्धारण में राष्ट्रीय हित का योग।

शक्ति संतुलन का सिद्धांत।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का स्वरूप और उनके कार्य।

संयुक्त राष्ट्रसंघ, उद्देश्य, संरचना और कार्य प्रणाली।

भाग II

प्रथम विश्वयुद्ध के मूल कारण तथा शान्ति "समझौते" का स्वरूप।

राष्ट्रसंघ (लीग आफ नेशंज) तथा दोनों युद्धों के बीच के वर्षों में सामूहिक सुरक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए किए गए प्रयत्न।

द्वितीय विश्व युद्ध के मूल कारण ।

परमाणु युग तथा परम्परागत अन्तर्राष्ट्रीय संबंध पर इसके प्रभाव ।

"शीत-युद्ध" तथा विश्व राजनीति पर इसके प्रभाव ।

नए राष्ट्रों का अभ्युदय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रतिमान में परिवर्तन ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, भारत तथा निम्नलिखित में से किसी एक देश की विदेश नीति :—

ग्रेट ब्रिटेन, जापान, जर्मनी तथा फ्रांस ।

उच्च तत्वमीमांसा (ज्ञान-मीमांसा सहित) (कोड-69)

उम्मीदवारों से यह आशा की जाएगी कि वे कान्ट से लेकर आज तक के प्रमुख दार्शनिकों (नामतः कान्ट, हीगल, ब्राडले, रायस, क्रोचे, मूर, रसल, जेम्स, शिल्लर, ड्यूई, बर्गसन, एलेक्जेण्डर, व्हाईटहैड, विटगनस्टाईन, अयर, हार्मेडगर तथा मार्सल ।

निम्नलिखित विषयों में से किसी पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

ज्ञान के स्रोत, तत्व, भिन्न-भिन्न रूप । उसकी सीमाएं, मापदण्ड तथा समाज विज्ञान ।

सत्य, मिथ्या मूल्य ।

वास्तविकता के सिद्धान्त । वास्तविकता । जीवन और अस्तित्व । एकत्ववाद, द्वैतवाद, बहुत्ववाद, प्रकृतिवाद, अनीश्वरवाद, ईश्वरवाद, मोक्षवाद और रहस्यवाद । हैगलोत्तर आदर्शवाद । नवीन यथार्थवाद । मौलिकवाद, अनुभूतिवाद । उपयोगितावाद ।

उपकरणवाद । मानववाद, प्रकृतिवादी और धार्मिक ।

तार्किक प्रत्यक्षवाद, अस्तित्ववाद, अनीश्वरवादी और ईश्वरवादी । आगमन की समस्याएं, प्राकृतिक नियम, सापेक्षवाद, ईश्वर और अनिश्चयवाद के सम्बन्ध में वर्णन के क्षेत्र में नवीन विचारधाराएं ।

उच्च मनोविज्ञान प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सहित (कोड 70)

मनोविज्ञान की विषय-वस्तु, क्षेत्र और पद्धतियां, अन्य विज्ञानों से इसका सम्बन्ध ।

आनुवंशिकता और परिवेश सम्बन्धी विवाद, मानव के विकास पर इन दोनों के सापेक्षिक प्रभाव सम्बन्धी प्रयोगात्मक अध्ययन ।

अभिप्रेरण एवं संवेग की समस्याएं । कुंठा और विग्रह, विग्रहों के प्रकार । आत्मरक्षातन्त्र-अभिव्यंजक गतिविधियों से संबंधित अध्ययन, मनोधारानुक्रिया (PGR) असत्य परिवचन ।

संवेदना और अनुभूति—मनोवैज्ञानिक पद्धतियां, देश-प्रत्यक्ष ज्ञान, शाश्वत, संगठन के कारक, गत्यात्मक, व्यक्तित्व तथा सामाजिक कारकों का योग, अन्तर्वेक्षित अनुभूति ।

अधिगम स्मृति, विस्मरण और चिंतन के अध्ययन की प्रायोगिक पद्धतियां—अधिगम और सिद्धान्त—अर्थ का स्वभाव ।

व्यक्तित्व मनोविज्ञान—निर्धारक तत्व, गुण, किस्म, परिमाप, और सिद्धान्त, व्यक्तित्व का मूल्यांकन—व्यक्तित्व के आचरण मूलक माप-क्रम निर्धारण मान, नाम-निर्देशक तकनीक, प्रश्नावलियां तथा तालिकाएं, अभिवृत्ति मान, प्रक्षेपीय परीक्षण ।

व्यक्तिगत भेद—प्रज्ञा और अभिवृत्तियों का स्वभाव एवं नाम । परीक्षण विन्यास इकाई विश्लेषण । परीक्षण मान और मानक मापों की विश्वसनीयता और और वैधता कारक विश्लेषण-सिद्धान्त ।

मनोविज्ञान में मत और सरणियां—मनोविज्ञान के परंपरावादी मत और मुख्य समकालीन सरणियां, फ्रायडवादी, नव-फ्रायडवादी, नवआचरणवादी, पूर्णाकार (गेस्टाल्ट) और प्रयोग-क्षेत्रीय सिद्धान्त ।

भारत की संविधान विधि (कोड 71)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—भारत के संविधान का विकास जिसमें 1861 के इंडियन काउंसिल ऐक्ट से 1950 तक में भारतीय संविधान में प्रतिनिधि तथा उत्तरदायी सरकार के विकास पर विशेष रूप से प्रश्न होंगे ।

सामान्य तत्व, कल्याणकारी राज्य का आदर्श, भारतीय संविधान का प्राक्कलन तथा राज्य की नीति के मार्ग दर्शन सिद्धान्त, केन्द्रवर्ती तथा संघात्मक शासन पद्धतियों की मान्यताएं, मंत्रिमंडलीय पद्धति, विधिनियम की यथावत् पद्धति, न्यायिक पुनरेक्षण, संवैधानिक प्रथाएं, भारतीय संविधान के प्रमुख तत्वों की संयुक्तगण राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया के संविधानों से तुलना ।

अधिकारों का विभाजन, अधिकारों का पार्थक्य सिद्धान्त ।

**विधान मंडल**

विधायी कार्य-विधि, विधान मंडल का विशेषाधिकार, विधायी अधिकारों का प्रत्योजन ।

कार्यपालिका—अध्यक्षीय तथा संसदीय, कार्यपालिका, सेवाओं तथा लोक सेवा आयोगों से संबंधित प्रावधान, विधि शासन का सिद्धान्त ।

न्यायपालिका —प्रशासनिक एवं अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकारियों का न्यायिक नियंत्रण, रिट क्षेत्र के अधिकार-क्षेत्र । न्यायपालिका की स्वतन्त्रता ।

विधायी अधिकारों का विभाजन, ट्रिटी पावर के विशिष्ट परिवेश में अधिकारों के विभाजन के सिद्धान्त, कर लगाने का अधिकार, संविधानी (संविधान संशोधन) अधिकार, अवशिष्ट अधिकार, अधिकारों के विभाजन संबंधी न्यायिक सिद्धान्त,

मूलभूत अधिकार—संविधान में प्रत्याभूत विभिन्न मूलभूत अधिकारों का रूप तथा उनका प्रभाव विस्तार ।

नोट :—उम्मीदवारों से प्रत्याशा की जाती है कि उन्हें भारत के संविधान का पाठ्य ज्ञान, संविधान के संशोधनों का तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का कुशल ज्ञान है ।

**न्यायशास्त्र (कोड 72)**

न्यायशास्त्र—परिभाषा तथा क्षेत्र, विधिशास्त्र के विभिन्न मतवाद । प्रभुसत्ता वाद की संकल्पना, विधिनियम, विधिनियम तथा आदर्श, विधिनियमों का विकास, प्राकृतिक नियम, राज्य के विधिनियम, विधिनियम का शुद्ध सिद्धान्त, विधिनियम की अनुल्लंघनीयता का सिद्धान्त, विधिनियम की समाजशास्त्रवादी सिद्धान्त, विधिनियम के प्रकार, सिविल विधिनियम, दण्डविधि नियम, स्थायी तथा प्रक्रिया संबंधी विधिनियम, व्यक्तिगत विधिनियम तथा सामाजिक विधिनियम, अन्तर्राष्ट्रीय विधिनियम, विधिनियम तथा न्याय, विधिनियम तथा समानता, विधिनियम के अनुसार न्याय, न्याय-प्रशासन के स्रोत

विधिनियम के स्रोत, प्रथा, न्यायिक पूर्व विधान, संहिताकरण ।

विधि के तत्व, न्यायिक मान्यताओं का विश्लेषण तथा वर्गीकरण, व्यक्तित्व, अधिकार, कर्त्तव्य, स्वतन्त्रता, शक्ति, उन्मुक्ति, अयोग्यता, हैसियत, कब्जा, स्वामित्व, पट्टा, न्यास, सुविधाधिकार, सुरक्षा, हानि, उत्तरदायित्व, दायित्व, अधिनियम । नीयत, उद्देश्य, लापरवाही, स्वत्व, चिरभोगाधिकार, उत्तराधिकार और वसीयतें ।

विधिनियम संबंधी मान्यताओं का विकास, कान्ट्रेक्ट, टार्ट का विकास, अपराध । सम्पत्ति तथा वसीयत, न्यायिक विचारधारा में वर्तमान विचारधारा ।

अरबी साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्ययुगीन सभ्यता (570 ई०—1650 ई०) (कोड 73)

इस प्रश्न पत्र में उम्मीदवारों के भूगोल, इतिहास और सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक क्रम विकास और प्रगति विषयक ज्ञान की जांच की जाएगी।

फारसी साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्ययुगीन सभ्यता (570 ई० 1650 ई०) (कोड 74)

इस प्रश्न पत्र में उम्मीदवारों के भूगोल, इतिहास, और सामाजिक राजनीति तथा धार्मिक क्रम-विकास और प्रगति विषयक ज्ञान की जांच की जाएगी।

प्राचीन भारतीय सभ्यता और दर्शन शास्त्र (कोड 75)

2000 ई० पू० —1200 ई० तक भारतीय सभ्यता, दर्शन और विचार धारा का इतिहास।

टिप्पणी —इस प्रश्न-पत्र में उम्मीदवारों के भूगोल, इतिहास और सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक क्रम-विकास और प्रगति विषयक ज्ञान की परीक्षा की जाएगी। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जिन से पुरातत्व सम्बन्धी खोजों की जानकारी अपेक्षित हो।

मानव विज्ञान (कोड 76)

(क) भौतिक मानव विज्ञान —इसकी परिभाषा और क्षेत्र। भौतिक मानव विज्ञान का अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध। मानवजाति का क्रम विकास, प्राकृत वर्गों में मानव का स्थान —उसका पैरेनथिकस से लगाकर आस्ट्रा लाइथैकस तक प्रीह्यूमैन तथा प्रोटोमैन जातियों से सम्बन्ध, पैलियान्थ्रामिक मानव पिथैकेन्थ्रोपस। गिनेन्थ्रोपस तथा नीएँडर्थल। नीन्थ्रोपिक। मानव—क्रोमैगनन ग्रिमाल्डी तथा चान्सैलेड-होमसेपिअन्स।

मानव में जातिगत अन्तर तथा जातीय वर्गीकरण-शरीर रचना सम्बन्धी, रक्त वर्गीय तथा आनुवंशिक / जातियों के निर्माण में आनुवंशिकता तथा परिवेश का प्रभाव। मानव की उत्पत्ति के सिद्धान्त —मैंडेलियन नियम जैसे कि वे मानव पर लागू होते हैं।

मानव का शरीर विज्ञान —आहार -पोषण, अन्त प्रजनन तथा वर्ण संकरीकरण के प्रभाव, पाषाणकाल से सिंधुघाटी सभ्यता तथा मध्य और दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृतियों तक भारत में मानव के प्रसार का इतिहास। जातीय वर्ग और भारत में उनका वितरण।

(ख) सामाजिक (सांस्कृतिक) मानव विज्ञान —क्षेत्र तथा कार्य। समाज शास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान तथा पुरातत्वशास्त्र से सम्बन्ध। सांस्कृतिक, मानव-विज्ञान के विभिन्न मत-विकासवादी, ऐतिहासिक कार्यात्मक और सांस्कृतिक। मानव समाज का गठन तथा विकास।

आर्थिक संगठन —प्रारंभिक शिकार तथा खाद्य संग्रह की अवस्था, पशुपालन, कृषि परवर्ती कृषि, सघन कृषि, औजारों का प्रयोग।

राजनीतिक संगठन —दल, जन जातियां तथा दुहरा संगठन, जन-जाति परिषदें, मुखियों के कार्य।

सामाजिक संगठन —विवाह तथा पारिवारिक रचना के प्रकार, मातृसत्ताक, पितृसत्ताक, बहुपत्नीत्व, बहुपतित्व, बहिर्जातीय विवाह तथा सगोत्र-विवाह, स्त्रियों की स्थिति, उत्तराधिकारी तथा तलाक,

आद्य धर्म —टोटमवाद, निषेध, गर्भाधान के अधिकार, नर-हत्या तथा नर बलि।

कला, संगीत, लोक नृत्य तथा खेलकूद।

दलगत सम्बन्ध, विवादों का न्याय निर्णय, न्याय तथा दण्ड-सम्बन्धी मान्यताएं।

बौद्धिक विकास का स्तर' विशेष रुचियों और योग्यताएं, आदि मानव के आचरण और प्रान्तपालों के केन्द्रीयतावाद की पृष्ठभूमि में भावनात्मक आवश्यकताएं।

व्यक्तित्व का निर्माण तथा व्यक्तित्व और आदिम समाज में उसके योगदान का विकास।

जन जातियों का संस्कार तथा सम्पर्क का उन पर प्रभाव। जनसंख्या के ह्रास और उसके कारण। आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक कुण्ठन अमरीका, अफ्रीका तथा ओशियाना में जनजातियां का ह्रास। भारतीय जनजातियों में जनसंख्या का ह्रास तथा उसको रोकने के उपाय।

(ग) जातित्व के आधार पर भारतीय जनजातियों में से किसी एक का गहन अध्ययन।

1 भारत की उत्तर-पूर्वी सीमान्त वासी आदिम जनजातियां।

2 नागा पहाड़ियों —त्वेन्सांग क्षेत्र की जनजातियां।

3 असम का स्वायत्तता प्राप्त जनजातियां —खासी, गारो, मिकिर तथा लुशाई।

4 छोटा नागपुर तथा मध्य भारत की आष्ट्रिक जनजातियां।

5 नीलगिरि पर्वत के जनजातियों सहित दक्षिण भारत की जनजातियां।

6 अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां।

टिप्पणी —उम्मीदवारों को भाग (ग) तथा (क) अथवा (ख) से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

उन्नत समाज शास्त्र (कोड 77)

समाज शास्त्र के स्वरूप, विस्तार तथा प्रणाली के संबंध में विभिन्न विचार।

समाजशास्त्र के मुख्य विचारक-मार्क्स, वेबर, दुरखिम तथा उनके आधुनिक व्याख्याकार।

सामाजिक संरचना तथा कार्य के सम्बन्ध में सिद्धान्त —प्रगति, विकास तथा परिवर्तन अन्तर्द्वन्द तथा एकीकरण-स्तर, भूमिका, भूमिका विरूपण तथा भूमिका अन्तर्द्वन्द सामाजिक तन्त्र सामाजिक, मानक, नियंत्रण, अनुसमर्थन तथा विकसित पुरस्कार तथा दण्ड।

मुख्य सामाजिक संरचनाएं तथा संस्थाएं, परिवार तथा सगोत्रता।

आर्थिक, राजनीतिक, विधिसम्मत, तथा धार्मिक संस्थाएं —शिक्षा अधिकारी वर्ग —सामाजिक स्तरीकरण (जिसमें जाति, वर्ग तथा विशिष्ट वर्ग शामिल है)।

समाजशास्त्र में अनुसंधान प्रणाली, सर्वेक्षण, प्रश्नपत्रक तथा साक्षात्कार, प्रतिदर्शी तथा अनुमाप तकनीक —साझेदार तथा गैर-साझेदार प्रेक्षण—सूक्ष्म तथा बृहत् प्रणालियां -समाजशास्त्र में प्रयोग लघु समूह अनुसंधान प्रणाली।

सामाजिक परिवर्तन में समाजशास्त्रियों की भूमिका।

भारत का समाजशास्त्र

परिवार सगोत्रता तथा विवाह -जाति राजनीति में जाति की भूमिका ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय राष्ट्रीय एकीकरण की समस्यायें प्रादेशिकता, भाषावाद, साम्प्रदायिकता तथा राष्ट्रीयता।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्ग असमानता की समस्या।

आर्थिक विकास के सामाजिक पहलू, योजना औद्योगीकरण तथा नगरीयकरण।

पंचायतराज तथा स्थानीय राजनीति।

आधुनिक भारत में सामाजिक आन्दोलन सामाजिक सुधार आन्दोलन, पिछड़े वर्गों का आन्दोलन, भूदान तथा ग्रामदान और पुनरुद्धार-वृत्ति आन्दोलन भूमि संबंधी तथा विद्यार्थी-आन्दोलन।

टिप्पणी —उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाएगी कि वे तथ्यों द्वारा सिद्धान्तों का निरूपण करें तथा सिद्धान्तों की सहायता से समस्याओं का विश्लेषण करें। उनसे भारतीय समस्याओं की विशेष जानकारी अपेक्षित होगी।

खंड (घ)

[देखिए परिशिष्ट खण्ड I के खंड 1 का उप-खण्ड (स)]

व्यक्तित्व परीक्षण —एक बोर्ड द्वारा उम्मीदवार का साक्षात्कार किया जाएगा इस बोर्ड के सामने उम्मीदवार के कैरियर का वृत्त होगा उससे सामान्य

रुचि की बातों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यह साक्षात्कार इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि जिस सेवा या सेवाओं के लिए उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, उसके/उनके लिए वह व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं। यह परीक्षण उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्राय से किया जाता है। मोटे तौर पर इस परीक्षण का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके भौतिक गुणों अपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का भी मूल्यांकन करना है। इसमें उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता, आलोचनात्मक ग्रहणशक्ति, स्पष्ट और तर्कसंगत प्रतिपादन करने की शक्ति, संतुलित निर्णय की शक्ति, रुचि, की विविधिता और गहराई, नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी आदि की भी जांच की जाती है।

2 साक्षात्कार महज जिरह की प्रक्रिया नहीं अपितु स्वाभाविक निदेशन और प्रयोजन युक्त वार्तालाप की प्रक्रिया है। जिसका उद्देश्य उम्मीदवारों के मानसिक गुणों को समझना है।

3 व्यक्तित्व परीक्षण उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान की जांच करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी जांच तो लिखित प्रश्न पत्रों में पहले ही हो जाती है। उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे केवल अपने विद्याध्ययन के विशेष विषयों में ही समझ बूझ के साथ रुचि न लें, परन्तु वे उन घटनाओं में भी जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही है, तथा आधुनिक विचाराधाराओं में और उन नई खोजों में भी रुचि लें जो कि एक सुशिक्षित युवक में जिज्ञासा उत्पन्न करती है।

## परिशिष्ट -II

भा० प्र० से आदि परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है उसका संक्षिप्त ब्यौरा —

1 भारतीय प्रशासनिक सेवा :—(क) नियुक्तियां परिवीक्षा आधार पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी परन्तु कुछ शर्तों के अनुसार उसे बढ़ाया भी जा सकेगा। सफल उम्मीदवार को परिवीक्षा की अवधि में, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है।

(ग) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को सेवा में स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा-अवधि को, जितना उचित समझे, कुछ शर्तों के साथ बढ़ा सकती है।

(घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती है।

(ङ) वेतनमान —

कनिष्ठ :—रु० 700-40-900 द० रो०-40-1100-50-1300।

वरिष्ठ वेतनमान —

(1) समय वेतनमान —

रु० 1200 (छठे वर्ष या उसके पहले) -50-1300-60-1600-द० रो०-60-1900-100-2000।

(2) चयन ग्रेड —

रु० 2000-125/ 2-2250

इनके अतिरिक्त अधिसमय-मान पद भी होते हैं जिनका वेतन रु० 2500 से रु० 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है।

महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवाएं (महंगाई भत्ता) नियम, 1972 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार मिलेगा।

परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ समय वेतनमान में प्रारंभ होगी और उन्हें परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि को समयवेतनमान में वेतन वृद्धि छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी।

(च) भविष्य निधि —भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, समय-समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा (भविष्यनिधि) नियमावली, 1955 में शासित होते हैं।

(छ) छुट्टी —भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समय समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं।

(ज) डाक्टरी परिचर्या :—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को समय समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा (डाक्टरी परिचर्या) नियमावली, 1964 के अन्तर्गत प्राप्य डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं पाने का हक है।

(झ) सेवा निवृत्त लाभ —प्रतियोगिता परीक्षा - के आधार पर नियुक्त किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु व सेवा निवृत्ति लाभ) नियमावली 1958 द्वारा शासित होते हैं।

2 भारतीय विदेश सेवा —(क) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष होगी जिसे बढ़ाया जा सकता है। सफल उम्मीदवारों को भारत में लगभग 21 मास तक रहना होगा। इसके बाद उन्हें तृतीय सचिव या उप-कौंसुल बनाकर उन भारतीय मिशनों में भेज दिया जाएगा जिनकी भाषाएं उनके लिए अनिवार्य भाषाओं के रूप में नियत की गई हो। प्रशिक्षण की अवधि में परिवीक्षाधीन अधिकारियों को एक या अधिक विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी, इसके बाद ही वे सेवा में स्थायी हो सकेंगे।

(ख) सरकार के लिए संतोषजनक रूप से परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने और निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर ही परिवीक्षाधीन अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी किया जाएगा। परन्तु यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे सेवा मुक्त कर सकती है या परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे बढ़ा सकती है या यदि उसका कोई मूल पद (substantive post) हो तो उस पर वापस भेज सकती है।

(ग) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो तो या उसे देखते हुए उसके विदेश सेवा के लिए उपयुक्त होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है या यदि उसका कोई मूल पद हो तो उसे उस पर वापस भेज सकती है।

(घ) वेतनमान —

कनिष्ठ वेतनमान —रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300।

वरिष्ठ वेतनमान :—रु० 1200 (छठे वर्ष या उससे पहले) 50-1300-50-1600- द० रो०-60-1900-100-2000।

इनके अतिरिक्त अधिसमय वेतनमान पद भी होते है जिनका वेतन रु० 2000 से रु० 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है।

(ङ०) परिवीक्षा अवधि में परिवीक्षाधीन अधिकारी को इस प्रकार वेतन मिलेगा —

पहले वर्ष —रु० 700 प्रति मास।

दूसरे वर्ष —रु० 740 प्रतिमास।

तीसरे वर्ष :—रु० 780 प्रति मास।

टिप्पणी 1 :—परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि, समय वेतनमान, में वेतन-वृद्धि, छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी।

टिप्पणी 2 —परिवीक्षाधीन अधिकारी की परिवीक्षा अवधि में वार्षिक वेतन-वृद्धि तभी मिलेगी जब वह निर्धारित परीक्षाएं ( यदि कोई हो ) पास कर लेगा और सरकार को संतोषप्रद -प्रगति करके दिखाएगा। विभागीय परीक्षाएं पास करके अग्रिम वेतन वृद्धियां भी अर्जित की जा सकती हैं।

टिप्पणी 3 .—परिवीक्षाधीन के तौर पर नियुक्ति से पूर्व सावधि पद के अतिरिक्त मूल रूप से स्थायी पद पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी का वेतन एफ० आर० 22-बी० (1) के अधीन किया जाएगा .

(घ) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

(छ) विदेश में सेवा करते समय, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को उनकी हैसियत के अनुसार विदेश-भत्ते मिलेंगे जिससे कि ये नौकर-चाकरों और जीवन-निर्वाह के खर्च को पूरा कर सकें, और आतिथ्य (एन्टरटैनमेन्ट) सम्बन्धी अपनी विशेष जिम्मेदारियों को भी निभा सकें। इसके अतिरिक्त, विदेश में सेवा करते समय, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को निम्नलिखित रियायतें भी मिलेंगी :—

(1) हैसियत के अनुसार मुफ्त सुसज्जित मकान।

(2) सहायता प्राप्त डाक्टरी परिचर्या योजना के अन्तर्गत डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं ।

(3) भारत आने के लिए वापसी हवाई यात्रा का किराया जो अधिक से अधिक दो बार और विशेष आपाती स्थितियों, में ही दिया जाएगा, (जैसे भारत में स्थित किसी निकटतम सम्बन्धी की मृत्यु या सख्त बीमारी अथवा पुत्री का विवाह )।

(4) भारत में पढ़ने वाले 8 से 12 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए वर्ष में एक बार वापसी हवाई यात्रा का किराया, ताकि वे लम्बी छुट्टियों में माता-पिता से मिल सकें। परन्तु इस रियायत पर कुछ शर्तें लागू होंगी।

(5) 5 से 18 वर्ष तक की आयु वाले अधिक से अधिक दो बच्चों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर शिक्षा भत्ता।

(6) विदेश में प्रशिक्षण के लिए जाते समय और सेवा में पक्का होने पर सज्जा भत्ता अधिकारी के सेवाकाल को विभिन्न अवस्थाओं में भी निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाता है। साधारण सज्जा भत्ते के अतिरिक्त, विशेष सज्जा भत्ता भी उन अधिकारियों को दिया जा सकता है जिन्हें असाधारण रूप से कठोर जलवायु वाले देशों में तैनात किया जाए ।

(7) विदेश में कम से कम दो वर्ष की सेवा करने के बाद, अधिकारियों, उनके परिवारों और नौकरों के लिए छुट्टी पर घर जाने का किराया।

(ज) समय-समय पर संशोधित पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली 1933 कुछ तरमीमों के साथ इस सेवा के सदस्यों पर लागू होगी। विदेशों में की गई सेवा के लिए भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों को, भारतीय विदेश सेवा (सी० एल० सी० ए० नियमावली, 1961 के अंतर्गत अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी, जो पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली के अन्तर्गत मिलने वाली छुट्टी के 50 प्रतिशत तक होगी।

(झ) भविष्य निधि .—भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सामान्य भविष्यनिधि ( केन्द्रीय सरकार ) नियमावली, 1960 द्वारा शासित होते हैं।

(ञ) सेवा निवृत्ति लाभ —प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी उदारीकृत पेंशन नियमावली 1950 द्वारा शासित होते हैं।



(2) भारत में रहते समय, अधिकारियों को वे ही रियायतें मिलेंगी जो उनके समकक्ष या समान हैसियत वाले सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती हैं।

3 भारतीय पुलिस सेवा.—(क) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा। सफल उम्मीदवारों को परिवीक्षा की अवधि में भारत सरकार के निर्णय अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) और (ग) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण्ड (ख) और (ग) में दिया गया है।

(घ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत, भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

(ङ०) वेतनमान :—

कनिष्ठ वेतनमान :—रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300।

वरिष्ठ वेतनमान :—रु० 1200 ( छठे वर्ष या उससे पहले ) 50-1700।

चयन ग्रेड—रू० 1800।

पुलिस उप महानिरीक्षक—रु० 2000-125/2-2250।

पुलिस कमिश्नर, कलकत्ता और बम्बई —रु० 2250-125/2-2500।

पुलिस महानिरीक्षक—रु० 2500-125/2-2750।

निदेशक, खुफिया ब्यूरो—रु० 3500।

मंहगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा (महगाई भत्ता ) नियम, 1972 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों अनुसार मिलेगा ।

(च), (छ), (ज) और (झ) } जैसा कि भारतीय प्रशानिक सेवा के खण्ड (च), (छ), (ज) और (झ) में दिया गया है।

4 दिल्ली और अण्डमान, निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, सुपर टाइम

(क) नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी जो सक्षम प्राधिकारियों के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है। परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है।

(ग) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि समाप्त कर ली है तो उसे सेवा में स्थायी कर दिया जाएगा। यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे बढ़ा सकती है।

(घ) वेतनमान .—

ग्रेड I (चयन ग्रेड) —रु० 1100-50-1500।

ग्रेड II वेतनमान :—रु० 650-30-740-35-810 - द० रो०- 35-880-40-1000-द० रो० -40-1200।

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति को सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा बशर्ते कि यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से सावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था, सेवा में परिवीक्षा की अवधि में

उसका वेतन मूल-नियम 22-ख (1) के परन्तुक के अधीन विनियमित किया जाएगा। सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के लिए वेतन और वेतन वृद्धियां मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगी।

(च) इस सेवा के अधिकारियों को परिशोधित केन्द्रीय वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महगाई भत्ता प्राप्त करने का हक होगा।

(छ) महगाई भत्ता और महगाई वेतन के अतिरिक्त इस सेवा के अधिकारियों को, प्रतिकर (नगर) भत्ता, मकान किराया भत्ता और पहाड़ी स्थानों तथा मुदूर स्थानों में रहन-सहन के बढ़े खर्च को पूरा करने के लिए अन्य भत्ते दिए जाएंगे, यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थानों पर भेजा जाएगा और उन स्थानों के लिए ये भत्ते प्राप्य होंगे।

(ज) इस सेवा के अधिकारी दिल्ली, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा नियमावली, 1971 और इस नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतें अथवा बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे। जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत किए गए आदेशों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, उनमें ये अधिकारी उन नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले तदनुरूप अधिकारियों पर लागू होते हैं।

5. रेल सुरक्षा बल में ग्रुप ख में सहायक सुरक्षा अधिकारी/सहायक समादेष्टा/एडजूटेन्ट के पद

(क) रेल सुरक्षा बल (उच्च अधिकारी) निम्न प्रकार हैं :—

वेतनमान —

*(i) उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी —रु० 1300-60-1600।

(ii) सहायक महा निरीक्षक सुरक्षा अधिकारी / समादेष्टा —रु० 1100 (छटे वर्ष या उससे पहले) 50-1600।

(iii) सहायक सुरक्षा अधिकारी, सहायक समादेष्टा, एडजूटेन्ट ग्रुप ख रु० 650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000 द० रो०-40-1200।

*तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतनमान को संशोधित किए जाने की संभावना है।

(ख) 2 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी जिसके दौरान दोनों तरफ से तीन महीने के नोटिस पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी स्थायीकरण के लिये निर्धारित विभागीय अथवा अन्य परीक्षाएं पास न करें तो यह अवधि बढ़ाई जा सकेगी। चयन किए गए उम्मीदवारों को परिवीक्षा की अवधि के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित स्थान तथा रीति से प्रशिक्षण लेना होगा तथा परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ग) जिस अधिकारी की अपनी परिवीक्षा की अवधि संतोषपूर्वक समाप्त की गई घोषित कर दी जाए उसे स्थायी किया जा सकेगा। परन्तु यदि, सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य अथवा आचरण असंतोषजनक हो अथवा ऐसा प्रतीत हो कि उसका सक्षम होना असंभव हो तो सरकार उसे तुरन्त सेवामुक्त कर सकेगी अथवा जितना वह उचित समझे उसकी परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकेगी।

(घ) इस प्रकार भर्ती किए गए किसी भी अधिकारी को रेल सेवा में किसी भी स्थान पर सेवा करनी पड़ेगी।

(ङ) इस प्रकार भर्ती किए गए अधिकारियों को

(i) रेल पेंशन नियमों द्वारा शासित किया जाएगा;

(ii) रेल भविष्य निधि समय समय पर संशोधित नियमों के अधीन रेल भविष्य निधि (गैर-अंशदायी) में अंशदान करना होगा;

(iii) रेल भविष्य निधि अधिनियम, 1957 तथा रेल भविष्य निधि नियम 1957 में दी गई व्यवस्थाओं के द्वारा शासित किया जाएगा, और

(iv) उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन बल के उच्च अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रयोग करना होगा।

(च) यदि कोई परिवीक्षाधीन किसी ऐसे कारण से जिस पर वह नियन्त्रण कर सकता है प्रशिक्षण लेना अथवा परिवीक्षा में रहना नहीं चाहे तो उसे प्रशिक्षण पर हुआ सम्पूर्ण व्यय तथा उसकी परिवीक्षा की अवधि में उसे दिया गया कोई भी अन्य धन वापिस करना होगा।

(छ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य अथवा आचरण संतोषजनक न हो अथवा ऐसा प्रतीत हो कि उसके सक्षम बनने की संभावना न हो तो सरकार उसे तुरन्त सेवामुक्त कर सकेगी।

(ज) ग्रुप 'ख' के अधिकारी इस सम्बन्ध में समय समय पर लागू किए गए नियमों के अनुसार सुरक्षा अधिकारी/समादेष्टा सहायक महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किए जाने के पात्र होंगे।

(झ) अधिकारियों की सेवा क्रमिक वेतनमान में उसके न्यूनतम से आरम्भ होगी और यह वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये पद ग्रहण करने की तारीख से गिनी जाएगी।

(ञ) अधिकारियों को उन सभी मामलों में जिन्हें विशेष रूप से इसमें नहीं दिया गया है, भारतीय रेल स्थापना संहिता की व्यवस्थाओं तथा समय समय पर संशोधित जारी किए गए वेतनमान आदेशों द्वारा शासित किया जाएगा।

पांडिचेरी पुलिस सेवा—ग्रुप 'ख'

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा के आधार पर की जाएंगी जिसमें सक्षम प्राधिकारी की विवक्षा पर वृद्धि भी हो सकती है। परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को ऐसा प्रशिक्षण पाना होगा और ऐसा विभागीय परीक्षण पास करना होगा जो पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक निर्धारित करें।

(ख) प्रशासक की राय में यदि परिवीक्षा पर चल रहे अधिकारी का कार्य या आचरण असन्तोषजनक है या ऐसा आभास देता है कि उसके सक्षम बन पाने की संभावना नहीं है तो प्रशासक उसको उसी समय सेवा-मुक्त कर सकता है।

(ग) जिस अधिकारी के बारे में अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर लेने की घोषणा कर दी जाती है उसे उक्त सेवा में स्थायी किया जा सकता है। प्रशासक की राय में यदि उसका कार्य या आचरण असन्तोषजनक है तो प्रशासक उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकता उसकी परिवीक्षा की अवधि उतने समय के लिये और बढ़ा सकता है जितना वह ठीक समझे।

(घ) उक्त सेवा से सम्बद्ध अधिकारी को सघ राज्य क्षेत्र, पांडिचेरी में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है।

(ङ) वेतनमान—

(i) ग्रेड I (चयन ग्रेड)—रु० 1100-50-1600

(ii) ग्रेड II (समय वेतनमान)—रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200।

प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती हुआ कोई व्यक्ति उक्त सेवा में नियुक्त होने पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त करेगा।

किन्तु उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले यदि वह आवधिक पद के अलावा किसी अन्य स्थायी पद पर मूल रूप में नियुक्त रहा हो तो सेवा में

उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान उसका वेतन "मूल नियमावली" के नियम 22-ख के उप-नियम (1) के उपबंधों के अधीन विनियमित किया जाएगा । उक्त सेवा में नियुक्त अन्य व्यक्तियों के मामले में वेतन तथा वेतनवृद्धियां "मूल नियमावली" के अनुसार विनियमित होगी।

(च) उक्त सेवा के अधिकारियों पर पांडिचेरी पुलिस सेवा नियम 1972 के साथ-साथ प्रशासक द्वारा बनाए गए अन्य ऐसे विनियम या इन नियमों को लागू करने के उद्देश्य से जारी किए गए अनुदेश लागू होंगे ।

7. भारतीय डाक-तार लेखा तथा वित्त सेवा

(क) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करके अपने को स्थायी किये जाने के योग्य सिद्ध न किया हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा हो तो उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी ।

(ख) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण, असंतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) परिवीक्षा की अवधि के समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा से मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बढ़ा सकती है ।

(घ) भारतीय डाक-तार लेखा तथा वित्त सेवा पर भारत के किसी भी भाग में सेवा का एक निश्चित उत्तरदायित्व है ।

भारतीय डाक-तार तथा वित्त सेवा का वेतनमान

(i) कनिष्ठ वेतनमान—रु० 700-40-900 द० रो०-40-1100-50-1300 ।

(ii) वरिष्ठ वेतनमान—रु० 1100-50-1600 ।

(iii) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1500-60-1800-100 2000 ।

(iv) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (लेवेल II)—रु० 2250-125/2-2500 ।

(v) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड—(लेवेल I) रु० 2500-125/2-2750 ।

जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व, मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा ।

8. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा

9 भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा

10 भारतीय रक्षा लेखा सेवा

(क) नियुक्ति परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी । परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके, अपने को पक्का किए जाने के योग्य सिद्ध न किया हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जाएगी ।

(ख) यदि यथास्थिति, सरकार या नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है ।

(ग) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर, यथास्थिति, सरकार या नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती/सकता है या यदि यथास्थिति, सरकार या नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की राय में उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा से मुक्त कर सकती/सकता है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती/सकता है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में स्थायी करने का दावा नहीं किया जा सकेगा ।

(घ) लेखा परीक्षा के लेखा सेवा से अलग किए जाने की संभावना और अन्य सुधारों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकते हैं और कोई उम्मीदवार जो इस सेवा के लिये चुना जाये इस परिवर्तन से होने वाले परिणाम के आधार पर कोई दावा नहीं करेगा और उसे अलग किए गए केन्द्रीय और राज्य सरकार और नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के अन्तर्गत सांविधिक लेखा परीक्षा कार्यालय में काम करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अन्तर्गत अलग किए गए लेखा कार्यालयों के संवर्ग में अन्तिम रूप से रहना पड़ेगा ।

(ङ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र-सेवा (फील्ड-सर्विस) पर भारत में या भारत के बाहर भी भेजा जा सकता है।

(च) वेतनमान ।

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का वेतनमान

1 कनिष्ठ वेतनमान—रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300 ।

2 वरिष्ठ वेतनमान—1100 (छठे वर्ष या उससे पहले) 50-1600 ।

3 कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1500-60-1800 100-2000 ।

4 महालेखापाल (i) रु० 2500 125/2-2750 (पदों का 50 प्रतिशत) । (ii) रु० 2250-125/2-2500 (पदों का 50 प्रतिशत) ।

5 अपर उप नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक—रु० 2500-125/2-3000 ।

6 भारतीय उप नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक—रु० 3000-100-3500 ।

नोट 1—परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के समय वेतनमान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से, उसकी सेवा कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी।

नोट 2—परिवीक्षाधीन अधिकारियों को 700 रु० से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वे समय समय पर विहित नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेंगे ।

नोट 3—यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं करता तो उसकी रु० 740 तक ले जाने वाली वेतनवृद्धि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार दी जाएगी ।

नोट 4—जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा ।

भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय शुल्क सेवा

अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सहायक कलैक्टर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और/या सीमा शुल्क (कनिष्ठ वेतनमान) —रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300 ।

सहायक कलैक्टर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और/या सीमा शुल्क (वरिष्ठ-वेतनमान)—रु० 1100 (छठे वर्ष अथवा उससे कम) 50-1600 ।

उप कलैक्टर सीमा शुल्क और/या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपर कलैक्टर, सीमा शुल्क और/या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क —रु० 1500-60-1800-100-2000 ।

अपिलेट कलैक्टर सीमा शुल्क और या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क।

सीमा शुल्क कलैक्टर और या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ।

निरीक्षक निदेशक
नारकोटिक्स आयुक्त
प्रशिक्षण निदेशक
आसूचना तथा सांख्यिकी निदेशक

(i) रु० 2250-125/2-2500 (पदों का 50 प्रतिशत) ।

(ii) रु० 2500-125/2-2750 (पदों का 50 प्रतिशत) ।

(क) नियुक्तियां दो वर्ष के लिये परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी, किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करके स्थायीकरण का हकदार नहीं हो जाता तो उक्त अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है । तीन वर्ष की अवधि में विभागीय प्रतियोगिताओं को उत्तीर्ण न कर सकने पर नियुक्ति रद्द भी की जा सकती है ।

(ख) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य अथवा आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उसके सक्षम अधिकारी बनने की संभावना नहीं है तो सरकार उसे तुरन्त सेवा-मुक्त कर सकती है ।

(ग) परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर सरकार उसकी नियुक्ति को स्थायी कर सकती है अथवा यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो सरकार या तो उसे सेवा-मुक्त कर सकती है अथवा उसके परिवीक्षाकाल में अपनी इच्छानुसार वृद्धि कर सकती है किन्तु अस्थायी रिक्तियों पर नियुक्ति किए जाने पर स्थायीकरण संबंधी उसका कोई दावा नहीं स्वीकार किया जाएगा ।

(घ) भारतीय सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क सेवा, ग्रुप 'क' के अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में सेवा करनी होगी तथा भारत में ही "फील्ड-सर्विस" भी करनी होगी ।

नोट 1.—परिवीक्षाधीन अधिकारी को प्रारम्भ में रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300 के समय वेतनमान में न्यूनतम वेतन मिलेगा तथा वार्षिक वृद्धि के लिये अपने सेवाकाल को वह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से माना जाएगा ।

नोट 2.—जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर भारतीय सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन कर सेवा-ग्रुप 'क' में नियुक्ति से पूर्व मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 22-ख (i) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा ।

नोट 3.—परिवीक्षा की अवधि में अधिकारी को प्रशिक्षण निदेशालय (सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क), नई दिल्ली में विभागीय प्रशिक्षण तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में बुनियादी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण लेना होगा । मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त कर लेने पर उसे "पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा" उत्तीर्ण करनी होगी। उसे विभागीय परीक्षा के खण्ड I और खण्ड II में भी सफलता प्राप्त करनी होगी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा के एक भाग को पास कर लेने पर वेतन बढ़ाकर रु० 740 कर दिया जाएगा । सम्पूर्ण विभागीय परीक्षा पास कर लेने पर वेतन बढ़ाकर रु० 780 कर दिया जाएगा । जब तक कि वह अधिकारी अन्य आवश्यक शर्तों के अधीन 3 वर्ष की सेवा पूरी नहीं कर लेता है तब तक उसे रु० 780 से अधिक वेतन नहीं दिया जाएगा । यदि वह अकादमी की "पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा" पास नहीं कर लेता है तो उसकी प्रथम वेतन वृद्धि एक वर्ष के लिए उस तारीख से स्थगित कर दी जाएगी जिसको वह इसे प्राप्त करता अथवा उस तारीख तक जब विभागीय अधिनियमों के अधीन दूसरी वेतन वृद्धि पड़ती हो इनमें जो भी पहले हो स्थगित कर दी जाएगी ।

नोट 4.—परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारतीय सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा ग्रुप 'क' के गठन में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा आवश्यक समझकर किए जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा ।

भारतीय रक्षा लेखा सेवा

कनिष्ठ समय वेतनमान—रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300 ।

वरिष्ठ समय वेतनमान—रु० 1100 (छठे वर्ष या उससे कम) 50-1600 ।

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1500-60-1800-100-2000 ।

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (लेवेल II)—रु० 2250-125/2-2500 ।

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (लेवेल I)—रु० 2500-125/2-2750 ।

रक्षा लेखा महानियन्त्रक—रु० 3000 (नियत)

नोट 1.—परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा, कनिष्ठ समय वेतनमान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से, उनकी कार्यभार ग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी । जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व मौलिक आधार पर सर्वाधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा ।

नोट 2.—विभागीय परीक्षा का खण्ड I पास कर लेने पर परिवीक्षाधीन अधिकारी का वेतन बढ़ा कर रु० 740/- प्र० मा० कर दिया जाएगा । यदि वह एक वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले उक्त परीक्षा का खण्ड I पास कर लेता है तो पास करने की तारीख से बढ़ा दिया जाएगा । इसी प्रकार विभागीय परीक्षा का खण्ड II पास कर लेने पर परिवीक्षाधीन अधिकारी का वेतन बढ़ा कर रु० 780/- प्र० मा० कर दिया जाएगा । यदि वह दो वर्ष की सेवा पूरी कर लेने से पहले उक्त परीक्षा का खण्ड II पास कर लेता है तो पास करने की तारीख से बढ़ा दिया जाएगा । रु० 700-1300 के वेतनमान में वेतन को रु० 820/- प्र० मा० तक बढ़ाते हुए तीसरी वेतन वृद्धि तीन वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर ही की जाएगी ।

नोट 3.—यदि कोई भी परिवीक्षाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी मसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति

परीक्षा पास नहीं करता है तो 740 रु० तक के उनके वेतन के लिये पहली वेतन वृद्धि उन अनुदेशों के अनुसार दी जाएगी जो भारत सरकार द्वारा जारी किए जाए । असफल उम्मीदवारों को फिर से परीक्षा मे बैठने की आवश्यकता नही होगी ।

11. भारतीय आयकर सेवा ग्रुप 'क' :

(क) नियुक्ति परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी । परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, यदि परिवीक्षाधीन, अधिकारी, निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके अपने आपको स्थायी किए जाने के योग्य सिद्ध न कर सके। यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि मे विभागीय परीक्षाए पास करने मे लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जाएगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असंतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है ।

(ग) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है, या यदि सरकार की राय मे उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा से मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहो पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में, स्थायी करने का दावा नहीं किया जा सकेगा ।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तिया करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौप रखी है तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डो मे उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है ।

(ङ) वेतनमान :

आयकर अधिकारी ग्रुप 'क'

(i) कनिष्ठ वेतनमान रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300 ।

(ii) वरिष्ठ वेतनमान रु० 1100-50-1600 ।

आयकर सहायक आयुक्त रु० 1500-60-1800-100-2000 ।

आयकर आयुक्त (i) रु० 2250-125/2-2500 ।

(लेवल II)

(ii) रु० 2500-125/2-2750 ।

(लेवल I)

(च) परिवीक्षाधीन अवधि में अधिकारी को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी मसूरी तथा आयकर प्रशिक्षण कालिज, नागपुर मे प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उसे पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास करनी होगी । इसके अतिरिक्त परिवीक्षाधीन अवधि मे विभागीय परीक्षा खण्ड I और खण्ड II भी पास करने होगे । पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा खण्ड I पास कर लेने पर वेतन बढ़ा कर 740 रु० कर दिया जाएगा । विभागीय परीक्षा खण्ड II पास कर लेने पर वेतन बढ़ा कर रु० 780 कर दिया जाएगा । रु० 780 के स्तर के ऊपर वेतन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उस अधिकारी की सेवा 3 वर्ष पूरी नहीं हो चुकी हो या दूसरी ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो आवश्यक समझी जाए ।

यदि वह एकादमी की पाठ्य-क्रम संपूर्ति परीक्षा पास नही कर लेता तो एक वर्ष के लिये उसकी वेतन वृद्धि स्थगित कर दी जाएगी अथवा उस तारीख तक जब तक कि विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे दूसरी वेतन वृद्धि मिलने वाली हो और इन दोनो में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी ।

नोट.—परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भली भाति समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आयकर सेवा ग्रुप क-1 के गठन मे किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जोकि समय-समय पर उचित समझे जाने के बाद भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वे उस प्रकार के परिवर्तनो के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नही कर सकेंगे ।

12. भारतीय आयुक्त कारखाना सेवा, ग्रुप 'क' :

(तैर तकनीकी सवर्ग)

(क) चुने गए उम्मीदवारो को सहायक प्रबन्धो (परिवीक्षा पर), के रूप में नियुक्त किया जाएगा । परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष की होगी । इस अवधि को आयुध कारखानो के महानिदेशक की अनुशसा से सरकार द्वारा घटाया या बढाया जा सकता है । सहायक प्रबन्धक (परिवीक्षा पर) सरकार द्वारा दिया गया जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त करेगा और उसे सरकार द्वारा निर्धारित विभागीय तथा भाषा परीक्षाए उत्तीर्ण करनी होगी । भाषा परीक्षाओ मे एक परीक्षा हिन्दी की होगी ।

अधिकारी की परिवीक्षा की अवधि के समाप्त होने पर सरकार उसको उसकी नियुक्ति पर स्थायी करेगी, परन्तु यदि परिवीक्षा की अवधि मे अथवा अन्त में उसका काम या आचरण, सरकार की राय मे, असतोषजनक रहा है तो सरकार या तो उसको कार्यमुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा की अवधि उतने समय के लिये और बढ़ा सकती है जितना वह उचित समझे, परन्तु शर्त यह है कि कार्यमुक्त करने के आदेश देने से पहले अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन बातो से अवगत कराया जाएगा जिनके आधार पर उसको कार्यमुक्त किया जाने वाला है और उसको उस पर लगाए गए दोषो के कारण बताने का अवसर दिया जाएगा ।

(ख) भारतीय आयुध कारखाने मे सहायक प्रबन्धक (परिवीक्षा पर) को रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300 के निर्धारित वेतनमान मे वेतन मिलेगा । परिवीक्षा की अवधि के समय उनको विभाग की विभिन्न शाखाओ मे और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में प्रशिक्षण के आधारभूत पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण लेना होगा ।

(ग) (i) चुने गए उम्मीदवारो को आवश्यकता होने पर कम-से-कम चार वर्ष की अवधि के लिये सशस्त्र सेनाओ मे कमीशन प्राप्त अधिकारियो के रूप में काम करना होगा । इस अवधि मे प्रशिक्षण की अवधि भी, यदि हो तो, शामिल होगी, परन्तु शर्त यह है कि ऐसे अधिकारी के लिए (i) उसकी नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष के बाद कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप मे सेवा करना आवश्यक नही होगा और (ii) चालीस वर्ष की आयु हो जाने के बाद आम-तौर से कमीशन-प्राप्त अधिकारी के रूप में काम करना आवश्यक नही होगा ।

(ii) तारीख 9-3-1957 के सा० नि० आ० स० 92 के अधीन प्रकाशित, रक्षा सेना मे असैनिक व्यक्ति (क्षेत्रीय सेवा दायित्व) नियम, 1957 इन उम्मीदवारो पर भी लागू होगे । उन नियमो मे निर्धारित स्वास्थ्य स्तर के अनुसार इनकी स्वास्थ्य परीक्षा की जाएगी ।

(घ) स्वीकार्य वेतन की दरे निम्नलिखित हैं :—

| | |
|---|---|
| सहायक प्रबन्धक/तकनीकी स्टाफ अधिकारी | कनिष्ठ वेतनमान . रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300 |
| उप प्रबन्धक/उप सहायक महानिदेशक, आयुध-कारखाना | रु० 1100-(छठे वर्ष या उससे कम)-50-1600 |
| प्रबन्धक/वरिष्ठ उप-सहायक महानिदेशक, आयुध कारखाना | रु० 1100-50-1400* |
| उप-महाप्रबन्धक/सहायक महानिदेशक आयुध कारखाना ग्रेड II | रु० 1300-60-1600-100-1800* |
| सहायक महानिदेशक आयुध-कारखाना, ग्रेड I | रु० 2000-125/2-2250 |

| | |
|---|---|
| उप महानिदेशक, आयुध-कारखाना | (i) रु० 2500-125/2-2750 पदों के 50 प्रतिशत के लिए । |
| | (ii) रु० 2250-125/2-2500 पदों के 50 प्रतिशत के लिये । |
| अपर महानिदेशक, आयुध-कारखाना | रु० 3000 (नियत) |
| महानिदेशक, आयुध कारखाना | रु० 3500 (नियत) |

*संशोधन पूर्व वेतनमान। संशोधित वेतनमान विचाराधीन है।

(ङ) इस प्रकार भरती किए गए परिवीक्षाधीन की सेवा ग्रहण करने से पहले एक बांड भरना होगा।

13 भारतीय डाक सेवा

(क) चुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा जिसकी अवधि, आमतौर पर, दो वर्ष से अधिक नहीं होगी । इस अवधि में उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी प्रशिक्षणाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य कुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है ।

(ग) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में, स्थायी करने का दावा नहीं किया जा सकेगा ।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(i) कनिष्ठ समय वेतनमान :
रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300

(ii) वरिष्ठ समय वेतनमान :
रु० 1100-50-1600

(iii) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड :
रु० 1500-60-1800-100-2000

(iv) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (लेवल II) :
रु० 2250-125/2-2500

(v) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (लेवल I) :
रु० 2500-125/2-2750

(vi) सदस्य डाक तार बोर्ड रु० 3000 ।

(च) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व मौलिक आधार पर आवधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा ।

(छ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक सेवा के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी, जोकि समय-समय पर उचित समझे जाने के बाद, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, और वे इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेंगे ।

(ज) चुने गए उम्मीदवारों को, सरकार के निदेशानुसार सैन्य डाक सेवा के अन्तर्गत भारत अथवा विदेश में कार्य करना होगा।

14. भारतीय सिविल लेखा सेवा :

(क) नियुक्तियां 2 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा के आधार पर की जाएंगी । किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने स्थायीकरण के लिये निर्धारित विभागीय परीक्षा पास कर अर्हता प्राप्त नहीं की तो यह अवधि बढ़ाई जा सकती है । तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाओं में बार-बार असफल रहने पर नियुक्ति समाप्त की जाएगी ।

(ख) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य-कुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है ।

(ग) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बढ़ा सकती है परन्तु अस्थायी रिक्तियों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में स्थायीकरण का दावा नहीं किया जा सकेगा ।

(घ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि नियुक्ति भारतीय सिविल लेखा सेवा के गठन में किए गए ऐसे परिवर्तनों के अधीन होगी जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा ठीक समझे जाएं और ऐसे परिवर्तनों के परिणामस्वरूप वे किसी प्रतिकर का दावा नहीं करेंगे ।

(ङ) वेतनमान :—

कनिष्ठ वेतनमान :—रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300 ।

वरिष्ठ वेतनमान :—रु० 1100 (छठे वर्ष या उससे कम) -50-1600

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड :—रु० 1500-60-1800-100-2000 ।

चयन ग्रेड :—रु० 2000-125/2-2250

वरिष्ठ चयन ग्रेड :—रु० 2250-125/2-2500 ।

लेवल II

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड :—रु० 2500-125/2-2750

लेवल I

महालेखा नियंत्रक :—रु० 3000 ।

नोट 1.—परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा भारतीय सिविल लेखा सेवा के समय वेतनमान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन-वृद्धि के प्रयोजनार्थ वह उनकी कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से गिनी जाएगी ।

नोट 2:—परिवीक्षाधीन अधिकारियों को रु० 700/- की स्टेज से ऊपर वेतन की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वे समय-समय पर निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेते हैं ।

नोट 3:—उन परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को, जो लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की "पाठ्यक्रमसंपूर्ति" परीक्षा पास नहीं करते, रु० 740- तक की उनकी पहली वेतन वृद्धि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार स्वीकृत की जाएगी । अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों को पुनः परीक्षा देनी होगी ।

नोट 4 :—जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से पहले आवधिक पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य कर रहा हो उसका वेतन मूल नियम 22 (ख) (1) में दिए गए उपबन्धों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

15. भारतीय रेल लेखा सेवा :

(क) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी, जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी । इस अवधि में किसी भी ओर से तीन महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त की

जा सकेगी । यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके स्थायीकरण के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है तो परिवीक्षा की अवधि बढ़ाई जा सकेगी ।

सरकार ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारी की नियुक्ति खत्म कर सकती है जो अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर सभी विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेता ।

(ख) भारतीय रेल लेखा सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भी रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा में प्रशिक्षण लेना होगा और कालेज प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित परीक्षा पास करनी होगी । इस कालेज में परीक्षा देनी अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूसरा अवसर तभी मिल सकता है जब कि आपवादिक परिस्थितियां हों और अधिकारी का कार्य ऐसा हो कि उसे यह छूट दी जा सकती हो । हालांकि, दो वर्ष का प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा करने पर, उन्हें किसी कार्यकारी पद पर लगाया तो जा सकता है, परन्तु उन्हें तब तक स्थायी नहीं किया जा सकता जब तक कि वे रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा की परीक्षा और ऊंची तथा नीची विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेते ।

(ग) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को देवनागरी लिपि में हिन्दी की अनुमोदित स्तर की एक परीक्षा पहले ही या परिवीक्षा अवधि में पास कर लेनी चाहिए । यह परीक्षा या तो गृह मंत्रालय की ओर से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा संचालित 'प्रवीण' हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो । किसी भी परिवीक्षाधीन अधिकारी को तब तक स्थायी नहीं किया जा सकता या उसका वेतन 780 रु० नहीं किया जा सकता जब तक कि वह यह परीक्षा पास नहीं कर लेता । ऐसा न करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है । इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती ।

(घ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए भारतीय रेल लेखा-सेवा के अधिकारी परिवीक्षाधीन अधिकारियों सहित (क) रेलवे पेंशन नियमावली द्वारा शासित होंगे और (ख) समय-समय पर संशोधित राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदान रहित) के नियमों के अन्तर्गत इस निधि में अभिदान करेंगे ।

(ङ) इन नियमों के अधीन भर्ती किए गए अधिकारी समय-समय पर लागू होने वाले सुविधाजनक छुट्टी नियमों के अनुसार छुट्टी लेने के पात्र होंगे ।

(च) यदि किसी ऐसे कारण से जो कि उसके वश के बाहर न हो, भारतीय रेल लेखा सेवा का कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी परिवीक्षा या प्रशिक्षण में ही छोड़ना चाहे तो उसे अपने प्रशिक्षण का पूरा खर्च और परिवीक्षाधीन अवधि में उसे दी गई सब रकमें वापस करनी होंगी ।

(छ) यदि सरकार की राय में, किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है ।

(ज) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर, सरकार-अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे बढ़ा सकती है ।

वेतनमान

कनिष्ठ वेतनमान रु० 700-40-900-रो०-40-1100-50-1300 ।

वरिष्ठ वेतनमान रु० 1100 (छठे वर्ष या उससे कम) 50-1600

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड रु० 1500-60-1800-100-2000

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड

(i) रु० 2250-125/2-2500

(ii) रु० 2500-125/2-2750 ।

(झ) यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी अपनी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निर्धारित विभागीय परीक्षा पास नहीं कर सकेगा तो रु० 740 से रु० 780 तक की उसकी वेतन-वृद्धि रोक दी जाएगी । परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी जाएगी और जब तक विभागीय परीक्षाएं पास कर लेगा और उसके बाद जब स्थायी कर दिया जाएगा तो अंतिम विभागीय परीक्षा समाप्त होने की तारीख के बाद अगले दिन से उसका वेतन समय वेतनमान में उस स्टेज पर नियत कर दिया जाएगा जो उसे अन्यथा मिला होता पर उसे वेतन का बकाया नहीं मिलेगा । ऐसे मामलों में भावी वेतन-वृद्धि की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन-वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन-वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेंगी ।

नोट 1—परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ वेतनमान में कम-से-कम वेतनमान से प्रारम्भ होगी और वेतन वृद्धि के प्रयोजन से, वह उनकी कार्य भार-ग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी । परन्तु उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं पास करनी होंगी और उसके बाद ही उनका वेतन समय-वेतनमान में रु० 740 प्रतिमास से रु० 780 प्रतिमास किया जा सकेगा ।

नोट 2—परन्तु, जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से पहले आवधिक पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य करता था, उसका वेतन नियम 2018 क (1) नियम 2 मू० नि० 22-ख (1) में दिए गए उपबन्धों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

16. सैन्य भूमि और छावनी सेवा (ग्रुप क)

(क) (i) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार परिवीक्षा पर रखा जाएगा जिसकी अवधि आमतौर पर 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी । इस अवधि में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा ।

(ii) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से पहले आवधिक पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य करता था उसका वेतन मूल नियम 22 (ख) (1) में दिए गए उपबन्धों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

(ख) परिवीक्षा अवधि में उम्मीदवार को निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ।

(ग) (i) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे सेवा मुक्त कर सकती है, परन्तु सेवामुक्ति का आदेश देने से पहले, उसे सेवामुक्ति के कारणों से अवगत कराया जाएगा और लिख कर "कारण बताने" का अवसर भी दिया जाएगा ।

(ii) यदि परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, अधिकारी ने ऊपर उप-पैरा (ख) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास न की हो तो सरकार अपनी विवेक से या तो उसे सेवामुक्त कर सकती है या यदि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ानी आवश्यक हो तो वह जितना उचित समझे, परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकती है ।

(iii) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है । परन्तु सेवा मुक्ति का आदेश देने से पहले, अधिकारी को सेवामुक्ति के कारणों से अवगत कराया जाएगा और लिख कर "कारण बताने" का अवसर भी दिया जाएगा ।

(घ) इस सेवा के सदस्य को उसकी परिवीक्षा अवधि में वार्षिक वेतन-वृद्धि देय हो जाने पर भी, तब तक नहीं मिलेगी, जब तक कि वह विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेगा । जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिली होगी, वह विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख से मिल जाएगी ।

(क) यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

(ख) वेतन-मान इस प्रकार है —

प्रशासनिक पद

(i) निदेशक, सैन्य भूमि और छावनियां -रु० 2500-125/2-2750

(ii) उप-निदेशक, सैन्य भूमि और छावनियां :—रु० 2000-125/2-2500।

(iii) सहायक निदेशक, सैन्य भूमि और छावनियां .—रु० 1500-60-1800-100-2000।

ग्रुप "क"

वरिष्ठ वेतनमान .

रु० 1100 (छठवां वर्ष अथवा उससे कम) -50-1600

कनिष्ठ वेतनमान :

रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300।

(छ) (i) ग्रुप क के वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों सामान्यतया ग्रुप क की छावनियों में उप-सहायक निदेशकों, सैन्य सम्पदा अधिकारियों तथा कार्यपालक अधिकारियों के क्लास I पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

(ii) ग्रुप क कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को सामान्यतया ग्रुप क उन छावनियों में कार्यपालक अधिकारियों के क्लास I तथा क्लास II पदों पर नियुक्त किया जाएगा जिन पर छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 13 की उपधारा (4) के खण्ड (क) का उपखण्ड (1) लागू होता है।

(ज) सभी पदोन्नतियां, इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गयी विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के अनुसार, सरकार द्वारा चुन कर की जाएंगी वरीयता पर तभी विचार किया जायेगा जब कि दो या अधिक उम्मीदवारों के बारे गुणवत्ता की दृष्टि से बराबर होंगे।

(झ) इस सेवा का कोई भी सदस्य, सरकार से पहले मंजूरी लिये बिना कोई भी ऐसा काम नहीं लेगा जोकि उसके सरकारी काम से संबन्धित न हो।

(ञ) सैन्य भूमि और छावनियों के अधिकारियों से भारत में कहीं भी सेवा ली जा सकती है, और उन्हें सेवा-क्षेत्र पर भी भारत किसी भाग में भेजा जा सकता है।

(ट) इस सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवारों को समय समय पर संशोधित सैन्य भूमि तथा छावनी सेवा क्लास-I क्लास-II नियमावली 1951 द्वारा शासित किया जाएगा।

17. भारतीय रेल यातायात सेवा

(क) नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों को भारतीय रेल यातायात सेवा में परिवीक्षाधीन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाएगा उनकी परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष होगी इस अवधि में उन्हें पैरा (ङ) में उल्लिखित प्रशिक्षण लेना होगा और कम से कम एक वर्ष तक किसी कार्यकारी पद पर काम करना होगा। यदि किसी मामले में संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण पूरा न करने के कारण प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जाएगी तो उसके अनुसार परिवीक्षा की कुल अवधि भी बढ़ जायगी।

(ख) यदि किसी ऐसे कारण से जो, कि उसके वश के बाहर न हो, भारतीय रेल यातायात सेवा का परिवीक्षाधीन अधिकारी परिवीक्षा या प्रशिक्षण बीच में छोड़ना चाहे तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च और परिवीक्षा अवधि में उसे दी गई सब रकमें वापस करनी होंगी।

(ग) इस सेवा में नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि तीन वर्ष होगी। इस अवधि में किसी भी ओर से तीन महीने का नोटिस दे कर सेवा समाप्त की जा सकेगी। परिवीक्षा अधिकारियों को पहले दो वर्ष तक व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा जो अधिकारी इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे और अन्यथा भी उपयुक्त समझे जायेंगे, उन्हें कार्यकारी पद का कार्यभार सौंप दिया जायेगा, यदि उन्होंने निर्धारित विभागीय और अन्य परीक्षाएं पास कर ली हों। ध्यान रहे कि परीक्षाएं नियमानुसार प्रथम प्रयास में ही पास कर ली जायें, क्योंकि अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर बाकी किसी भी हालत में दूसरा अवसर नहीं दिया जायेगा। किसी परीक्षा में असफल होने के परिणामस्वरूप परिवीक्षाधीन अधिकारी की सेवा समाप्त की जा सकती है और उसकी वेतनवृद्धि तो हर हालत में रुक ही जायेगी।

किसी कार्यकारी पद पर एक वर्ष तक कार्य करने के बाद परिवीक्षाधीन अधिकारियों को एक अन्तिम परीक्षा पास करनी होगी। यह परीक्षा व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार की होगी। जब परिवीक्षाधीन अधिकारी सब तरह से नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझ लिये जाएंगे तो उन्हें स्थायी कर दिया जायेगा। जिन मामलों में किसी कारण से परिवीक्षा की अवधि बढ़ाई गई हो उनमें विभागीय परीक्षा पास करने पर और स्थायी होने पर समय-समय पर लागू होने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार पहली और बाद की वेतनवृद्धियां ली जा सकेंगी।

(घ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को देवनागरी लिपि में अनुमोदित स्तर की हिन्दी की एक परीक्षा पहले ही या परिवीक्षा अवधि में पास कर लेनी चाहिए। यह परीक्षा या तो गृह मंत्रालय की ओर से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा संचालित "प्रवीण" हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो।

किसी भी परिवीक्षाधीन अधिकारी को तब तक स्थायी नहीं किया जा सकता, या उसका वेतन 780 रु० नहीं किया जा सकता जब तक कि वह यह परीक्षा पास नहीं कर लेता। ऐसा न करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है। इसमें कोई छूट दी जा सकती।

(ङ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किये गये भारतीय रेल यातायात सेवा के अधिकारी (परिवीक्षाधीन सहित) भी :—

(क) रेल पेंशन नियमों द्वारा अधिशासित होंगे; और

(ख) समय-समय पर संशोधित राज्य रेल अविष्य निधि (अंशदान रहित के नियमों के अन्तर्गत इस निधि में अभिदान भी कर सकेंगे।

(च) कार्यभार ग्रहण की तारीख से ही वेतन प्रारम्भ होगा। वेतन वृद्धि के प्रयोजनों से भी सेवा उसी तारीख से गिनी जाएगी।

(छ) इन नियमों के अधीन भर्ती किए गए अधिकारी समय समय पर लागू होने वाले छुट्टियों की उदारीकृत छुट्टी नियमावली के अनुसार छुट्टी लेने के पात्र होंगे।

(ज) अधिकारियों को आमतौर पर उनके पूरे सेवाकाल में उसी रेलवे में रखा जायगा जिसमें वे सर्वप्रथम नियुक्त कर दिये जायेंगे और वे किसी अन्य रेलवे में स्थानान्तरित होने के लिये साधिकार दावा नहीं कर सकेंगे। परन्तु भारत सरकार को यह अधिकार है कि वह उन अधिकारों को सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत में या भारत के बाहर किसी परियोजना या रेलवे में स्थानान्तरित कर सकती है।

(क) वेतनमान

कनिष्ठ वेतनमान—रु० 700–40–900–द० रो०–40–1100–50–1300।

वरिष्ठ वेतनमान—रु० 1100 (छठवां वर्ष अथवा उससे कम)—50–1600।

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1500–60–1800–100–2000।

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड—रु० (i) रु० 2250–125/2–2500, (ii) रु० 2500–125/2–2750।

नोट 1 :—परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ वेतनमान में न्यूनतम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतनवृद्धि के प्रयोजन से वह

उनकी कार्यभार ग्रहण की तारीख से गिनी जायगी। परन्तु उन्हे निर्धारित विभागीय परीक्षा या परीक्षाए पास करनी होगी। और उसके बाद ही उनका वेतनमान रु० 740 प्रतिमास से रु० 780 प्रतिमास किया जा सकेगा।

यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी अपनी परिवीक्षा और प्रशिक्षण की अवधि के पहले दो वर्षो मे विभागीय परीक्षाए पास नही कर सकेगा तो रु० 740 से रु० 780 तक की उसकी वेतनवृद्धि रोक दी जाएगी और परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी जाएगी। जब वह विभागीय परीक्षाए पास कर लेगा और उसके बाद जब स्थायी हो जाएगा तो अंतिम विभागीय परीक्षा समाप्त होने की तारीख के बाद अगले दिन से उसका वेतन समय वेतनमान मे उस अवस्था पर नियत कर दिया जायेगा जो उसे अन्यथा मिला होता पर उसे वेतन का बकाया नही मिलेगा। ऐसे मामलो में भावी वेतनवृद्धियो की तारीख पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा।

यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठक्रम सपूर्ति परीक्षा पास नही करता तो जिस तारीख को उसे पहले वेतनवृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी, अथवा विभागीय नियमो के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतनवृद्धि प्राप्त होने वाली हो और दोनो मे से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

नोट 2:—किन्तु जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रुप में नियुक्ति से पहले आवधिक पद के अतिरिक्त अन्य किसी स्थायी पद पर मूल रुप से कार्य करता था, उसका वेतन नियम 2018क (1)नि० —(ii)मू० नि० 22 ख (1) में दिए गए उपबन्ध के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

(ण) वेतन वृद्धियां केवल अनुमोदित सेवा के लिए ही और विभाग के नियमो के अनुसार ही दी जाएगी।

(ट) प्रशासनिक ग्रेडों में पदोन्नतियां स्वीकृत में रिक्तियां होने पर ही की जायेगी और पूर्ण रुप से चयन के आधार पर ही की जायेगी। एक मात्र वरीयता के आधार पर ही पदोन्नति के लिए दावा नही किया जा सकता।

(ट) भारतीय रेल यातायात सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियो के शिक्षण का पाठ्यक्रम।

नोट 1:—जिन उम्मीदवारो ने भारत मे या और कही प्रशिक्षण या अनुभव पहले कभी प्राप्त कर रखा हो, उनके मामले मे भारत सरकार को अपने निर्णय के अनुसार प्रशिक्षण अवधि घटाने का अधिकार है।

नोट 2 —परिवीक्षाधीन अधिकारियो को भी रेलवे स्टाफ कालेज बड़ौदा मे दो चरणों में प्रशिक्षण लेना होगा। इस कालेज में परीक्षा देना अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूसरा अवसर तभी मिल सकता है जब कि आपवादिक परिस्थितिया हो और अधिकारी का कार्य अभिलेख ऐसा हो कि उसे यह छूट दी जा सकती है। परीक्षा में असफल होने पर परिवीक्षाधीन अधिकारी की सेवा समाप्त की जा सकेगी, उसके प्रशिक्षण और परिवीक्षा की अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ा दी जायगी और उन्हे किसी भी हालत मे तब तक स्थायी नही किया जाएगा तब तक कि वे परीक्षायें पास नही कर लेंगे।

नोट 3:—नीचे जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया गया है वह मुख्य रुप से मार्ग- दर्शन के प्रयोजन से बनाया गया है। इसमे महा- प्रबन्धको द्वारा अपनी विवक्षा के अनुसार स्थिति विशेष को ध्यान मे रखते हुए परिवर्तन किये जा सकते है, परन्तु सामान्यतया प्रशिक्षण की कुल अवधि नही घटाई जानी चाहिए।

नोट 4 —प्रशिक्षण के दौरान परिवीक्षाधीन अधिकारी को, गार्ड, यार्ड मास्टर सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड फोरमैन, ट्रेन परीक्षक, सहायक लोको फोरमैन, सहायक नियंत्रक आदि की हैसियत मे कार्य करना होगा जिसका विवरण नीचे दिया गया है। प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद जब परिवीक्षाधीन अधिकारी को किसी कार्यकारी पद पर तैनात किया जाता है तो उसे अपना कार्य करने के लिए यात्रा करनी पड़ती है तथा यात्रा के दौरान रास्ते के स्टेशनो पर "पड़ाव" की कोई सुविधायें उपलब्ध नही होती है। उसे दुर्घटना स्थलों की जाच के लिए किसी भी समय जाना पड़ता है तथा नियंत्रण कार्यालयो और स्टेशनो का निरीक्षण करना पड़ता है। इस सब के लिए बहुत परिश्रम अपेक्षित होता है तथा रात को भी काम करना पड़ता है।

(ड) (1) पाठ्यक्रम की अवधि—दो वर्ष

| क्रम स० | मद | अवधि (सप्ताह) |
|---|---|---|
| 1 | लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी | 17 |
| 2. | रेलवे स्टाफ कालिज, बड़ौदा (प्रथम चरण) | 12 |
| 3 | क्षेत्रीय स्कूल, गार्ड के कर्त्तव्य सीखने के लिए (प्रथम चरण) | 4 |
| 4 | गार्ड के रूप मे कार्य करते हुए | 3 |
| 5 | बुकिंग/पार्सल आफिस, गुड्स शेड तथा ट्रांशिपमेंट रोड | 10 |
| 6 | यातायात लेखा तथा लेखाओ का चल निरीक्षक | 5 |
| 7 | क्षेत्रीय स्कूल मे सहायक स्टेशन मास्टर के कर्त्तव्य सीखने के लिए (द्वितीय चरण) | 4 |
| 8. | यार्ड मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड फोरमैन तथा ट्रेन परीक्षक के रुप मे कार्य करते हुए | 13 |
| 9. | सहायक लोको फोरमैन के रुप मे कार्य करते हुए | 1 |
| 10. | सहायक नियंत्रक | 4 |
| 11. | उप मुख्य नियंत्रक, विद्युत् नियंत्रक | 6 |
| 12 | रेल स्टाफ कालिज, बड़ौदा (द्वितीय चरण) | 6 |
| 13 | पूर्वी रेलवे मे प्रशिक्षण | |
| | (क) आसनसोल डिवीजन | |
| | (i) कोल पाइलट कार्य करते हुए 1 5 सप्ताह<br>(ii) अन्दाल और आसनसोल यार्ड कम्पलेक्स का कार्य इसमे दुर्गापुर इस्पात कारखाना भी शामिल है। | 2.5 |
| | (ख) धनबाद डिवीजन | |
| | (i) कोयला आबटन की कार्यविधि इसमे पेह और करनपुरा जैसे यार्डो तथा पेह और बुगवा बाशरीज तक के क्षेत्रो का दौरा करना होगा<br>(ii) क्षेत्रीय कोयला अधीक्षक के कार्यालय का कार्य | 2 |
| | (ग) मुगलसराय मार्शलिंग यार्ड—साथ ही मन्धुआदीह—देहरी ओन-सोन तक दौरे भी करने होंगे | 1 |
| 14 | दक्षिण पूर्वी रेलवे में प्रशिक्षण | |
| | (i) खड़गपुर डिवीजन—ओडामुण्डा यार्ड, राउरकेला इस्पात कारखाना—इसके साथ-साथ कैप्टिव माइन्स के दौरे | 1.5 |
| | (ii) बिलासपुर डिवीजन<br>भिलाई मार्शलिंग यार्ड, भिलाई इस्पात कारखाना तथा बीरी मीरी और मनेन्द्रगढ़ कोयला खानो के क्षेत्रो का दौरा | 1.5 |
| 15 | रेलवे जिनमे आवंटित किया गया—उसमे प्रशिक्षण | |
| | (क) मुख्य कार्यालय (सचालन) 4 00<br>(ख) मुख्य कार्यालय (वाणिज्यिक) 4 00 | 8 00 |
| | विभिन्न प्रकार के परीक्षण के लिए यात्रा समय तथा अस्थावश्यक छुट्टी के लिए रखी गई समयावधि | 2.5 |
| | कुल | 104.0<br>104 सप्ताह<br>या 24 महीने |

(2) यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी अपने दो वर्ष के प्रशिक्षण के अन्त मे परीक्षा पास कर लेगा तो उसे अगले एक वर्ष के लिए किसी कार्यकारी पद का भार परिवीक्षा पर सौप दिया जाएगा ।

(3) परीक्षा आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम पूरा होने पर तथा प्रशिक्षण अवधि मे निश्चित समय पर ली जाएगी ।

नोट—किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी को, स्वतन्त्र रूप से गार्ड, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड फोरमैन, सहायक लोको-मोटिव फोरमैन या सहायक नियंत्रक का काम सौपने से पहले यह आवश्यक है कि प्रशासन के किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा उक्त प्रत्येक पद के कार्य के सबध मे उसकी परीक्षा ली जाए और योग्य घोषित किया जाए ।

18 केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अनुभाग अधिकारी ग्रेड ग्रुप ख

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा मे इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं —

| ग्रेड | वेतनमान |
|---|---|
| चयन ग्रेड (उप सचिव या समकक्ष) | रु० 1500–60–1800–100–2000 । |
| ग्रेड I (अवर सचिव) | रु० 1200–50–1600 । |
| अनुभाग अधिकारी ग्रेड | रु० 650–30–740–35–810–द० रो०–35–880–40–1000–द० रो०–40–1200 । |
| सहायक ग्रेड | रु० 425–15–500–द० रो०–15–560–20–700–द० रो०–25–800 । |

चयन ग्रेड और ग्रेड I का नियत्रक अखिल-सचिवालय आधार पर मत्रिमण्डल सचिवालय (कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग) करता है और अनुभाग अधिकारी/सहायक ग्रेड, मत्रालयो द्वारा नियत्रित किए जाते हैं ।

केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड मे ही सीधी भर्ती की जाती है ।

(ख) अनुभाग अधिकारी ग्रेड मे सीधे भर्ती किए गए अधिकारियो को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा । इस परिवीक्षा अवधि मे उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाए पास करनी होगी, यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण अवधि मे पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा ।

(ग) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय मे उसका कार्य या आचरण सतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, उतना उचित समझे बढ़ा सकती है ।

(घ) यदि सरकार ने सेवा मे नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौप रखी हो तो वह अधिकारी उपर्युक्त खण्डो मे वर्णित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है ।

(ङ) अनुभाग अधिकारियो को सामान्यतया "अनुभागो" का अध्यक्ष बनाया जाएगा और ग्रेड I के अधिकारियो को, सामान्यतया शाखाओ का कार्यभार सौपा जाएगा, जिनमे एक या अधिक अनुभाग होगे ।

(च) अनुभाग अधिकारी इस सबध मे समय समय पर लाग होने वाले नियमो के अनुसार ग्रेड मे पदोन्नति पाने के पात्र होगे ।

(छ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I के अधिकारी, केन्द्रीय सचिवालय मे चयन ग्रेड की सेवा मे और अन्य ऊचे प्रशासनिक पदो पर नियुक्ति पाने के पात्र होगे ।

(ज) जहा तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियो की छुट्टी पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का सबध है वे अन्य ग्रुप–क और ग्रुप–ख के अधिकारियो के समान ही समझे जाएगे ।

19 भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' सामान्य सवर्ग के समेकित ग्रेड II तथा III (अनुभाग अधिकारी ग्रेड)

(क) भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' (ग्रुप ख) के समेकित ग्रेड–II तथा III की स्थायी रिक्तियों की 16 2/3 प्रतिशत रिक्तियां सघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती हैं । इस ग्रेड का वेतनमान रु० 650-30-740 35 810-द० रो०-35-880-40 1000-द० रो०-40-1200 है ।

(ख) अनुभाग अधिकारी ग्रेड मे सीधे भर्ती किए गए अधिकारी 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर होगे और इस अवधि के दौरान उन्हे सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण तथा विभागीय परीक्षाए पास करनी होगी । प्रशिक्षण के दौरान उन्हे पर्याप्त प्रगति न दिखाने अथवा निर्धारित परीक्षाए पास न कर सकने पर परिवीक्षाधीन अधिकारी को सेवा-मुक्त कर दिया जाएगा ।

(ग) परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर सरकार स्थायी पद उपलब्ध होने पर अधिकारी को उसके पद पर स्थायी कर सकती है अथवा उसका कार्य अथवा आचरण, सरकार की राय मे, असतोषप्रद होने पर या तो उसे सेवा-मुक्त किया जा सकता है या उसकी अवधि को उतना और बढ़ाया जा सकता है जितना सरकार उचित समझेगी, परिवीक्षा की कुल अवधि 3 वर्ष से अधिक नही होगी ।

(घ) उक्त सेवा मे नियुक्तियां करने की शक्तियां सरकार द्वारा किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित किए जाने पर वह अधिकारी उपरोक्त खण्ड मे विहित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है ।

(ङ) इस सेवा मे नियुक्त किए गए अधिकारी सामान्यत अनुभाग अध्यक्ष होगे । विदेश मत्रालय/विदेश व्यापार मंत्रालय के मुख्यालय मे नियुक्त होने पर उनका पदनाम अनुभाग अधिकारी तथा कही प्रशासनिक अधिकारी होगा । विदेश स्थित भारतीय मिशनो मे सेवारत होने पर उनका पदनाम रजिस्ट्रार होगा । हालाकि स्थानीय प्रयोजनो के लिए उन्हें राजनयिक हैसियत का अटैची कहा जा सकता है ।

(च) अनुभाग अधिकारी भारतीय विदेश सेवा ख के सामान्य सवर्ग के ग्रेड I मे इस सबंध मे समय समय पर लागू नियमो के अनुसार रु० 1200-50-1600 के वेतनमान मे पदोन्नति के पात्र होगे ।

(छ) इसी तरह भारतीय विदेश सेवा ख के सामान्य सवर्ग के ग्रेड-I के अधिकारी, इस सबध मे समय-समय पर लागू नियमो के अनुसार भारतीय विदेश सेवा क के वरिष्ठ वेतनमान मे, रु० 1200 (छठवां वर्ष या कम) 50-1300-60-1600-द० रो०-60-1900-100-2000 के वेतनमान मे नियुक्ति के पात्र होगे ।

(ज) भारतीय विदेश सेवा, शाखा-ख विदेश मत्रालय तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनो तक सीमित है और इस सेवा मे नियुक्त अधिकारी विदेश व्यापार मत्रालय के अलावा किसी अन्य मत्रालय मे सामान्यत स्थानातरित नहीं किए जाते । किन्तु उन्हे भारत मे तथा बाहर कही भी सेवा मे जाना पड़ सकता है ।

(झ) विदेश मे सेवा के दौरान, भारतीय विदेश सेवा-ख के अधिकारियो को उनके मूल वेतन के अतिरिक्त, समय समय पर मजूर की गई दरो पर विदेश भत्ता प्रदान किया जाता है जो सबधित देश मे निर्वाह खर्च पर निर्भर करता है । इसके अतिरिक्त, विदेश मे सेवा के दौरान भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए०) नियमावली 1961 जिस रूप मे वे भारतीय विदेश सेवा-ख के अधिकारियो पर लागू किए गए हैं, के अनुसार निम्नलिखित रियायतें भी दी जाती हैं —

(i) सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार नि शुल्क सुसज्जित आवास ।

(ii) सहायता प्रवृत्त चिकित्सा परिचर्या योजना के अन्तर्गत चिकित्सा परिचर्या की सुविधाएं ।

(iii) विशेष संकट काल में जैसे किसी निकटतम संबंधी की भारत में मृत्यु या गंभीर बीमारी की स्थिति में, जैसा कि सरकार द्वारा परिभाषित किया गया हो, अधिकारी के सेवा काल के दौरान अधिकतम दो बार विदेश में ड्यूटी स्थल से भारत और वहां से वापिस ड्यूटी स्थल तक का वापसी हवाई भाड़ा।

(iv) भारत में पढ़ रहे 8 और 21 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को छुट्टियों के दौरान अपने माता-पिता से मिलने के लिए कतिपय शर्तों के अधीन वार्षिक वापसी हवाई भाड़ा ।

(v) 5 और 18 वर्ष के बीच की आयु के अधिकतम दो बच्चों के लिए, सरकार द्वारा समय समय पर विहित की गई दरों पर शिक्षा भत्ता ।

(vi) सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की गई दरों तथा विहित नियमों के अनुसार विदेश सेवा के संबंध में आउटफिट भत्ता । साधारण आउटफिट भत्ते के अतिरिक्त ऐसे देशों में पदस्थ अधिकारियों को विशेष आउटफिट भत्ता भी मिलता है जहां की जलवायु असामान्य रूप से शीतल होती है ।

(vii) निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकारियों और उनके परिवारों को घर जाने का छुट्टी भाड़ा ।

(ञ) इस सेवा के सदस्यों पर संशोधित छुट्टी नियम, 1933 समय-समय पर संशोधित रूप में लागू होते हैं जिनमें कुछ संशोधन किया जा सकता है । विदेश सेवा के संबंध में पड़ौसी देशों को छोड़ कर, अधिकारी परिशोधित छुट्टी नियम, के अन्तर्गत मिलने वाली छुट्टी के 50% तक छुट्टी का एडीशनल क्रेडिट पाने के हकदार हैं ।

(ट) भारत में होने पर ये अधिकारी ऐसी रियायतें पाने के हकदार होंगे जो समकक्ष तथा समान स्तर के अन्य केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों को प्राप्य हैं ।

(ठ) भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारी समय-समय पर यथा संशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली 1960 और उसके अधीन जारी किए गए आदेशों द्वारा शासित होंगे ।

(ड) इस सेवा में नियुक्त अधिकारी उदारी कृत पेंशन नियमावली, 1950 समय-समय पर यथा संशोधित तथा उसके अधीन जारी किए गए आदेशों द्वारा शासित होंगे ।

20 सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड, ग्रुप ख—

(क) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में इस समय निम्नलिखित चार ग्रेड हैं :—

| ग्रेड | वेतनमान |
|---|---|
| (1) चयन ग्रेड (ग्रुप क) (संयुक्त-निदेशक अथवा वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी) । | रु० 1500-60-1800 |
| (2) सिविलियन स्टाफ अधिकारी (ग्रुप क) । | रु० 1100-50-1600 |
| (3) सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रुप ख—(राजपत्रित) । | रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 । |
| (4) सहायक ग्रुप ख (अराजपत्रित) । | रु० 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800 । |

उपर्युक्त सेवा सवर्ग सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय के अन्तर सेवा संगठनों के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति करती है ।

सीधी भर्ती केवल सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड तथा सहायक ग्रेड में ही की जाती है ।

(ख) सीधी भर्ती वाले व्यक्ति सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड में 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे । इस अवधि में उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा अथवा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखाने अथवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण न हो पाने के फलस्वरूप परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा-मुक्त कर दिया जाएगा ।

(ग) परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर सरकार चाहे तो संबंधित अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर दे अथवा यदि उसका कार्य या आचरण सरकार की राय में संतोषजनक न रहा हो तो उसे सेवा-मुक्त कर दे या परिवीक्षा की अवधि उतने काल तक के लिए बढ़ा दे जितना सरकार उचित समझे ।

(घ) यदि सेवा में नियुक्तियां करने की शक्तियां सरकार द्वारा किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाए तो वह अधिकारी उपर्युक्त खंडों में वर्णित सरकार की शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है ।

(ङ) सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय अन्त. सेवा संगठनों में सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी सामान्यतः अनुभागों के प्रमुख होंगे जबकि सिविलियन स्टाफ अधिकारी एक या अधिक अनुभागों के कार्यप्रभारी होंगे ।

(च) सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी समय-समय पर तत्संबंधी लागू नियमों के अनुसार सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे ।

(छ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सिविलियन स्टाफ अधिकारी समय-समय पर तत्सम्बन्धी लागू नियमों के अनुसार उक्त सेवा के चयन ग्रेड में तथा अन्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के पात्र होंगे ।

(ज) जहां तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारियों की छुट्टी, पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, वे समय-समय पर रक्षा सेवाओं के व्यय में से वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए लागू नियमों, विनियमों तथा आदेशों द्वारा शासित होंगे ।

21 सीमा-शुल्क मूल्यनिरूपक सेवा—ग्रुप ख

(क) मूल्यनिरूपक ग्रेड में रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में भर्ती की जाती है । नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षा के आधार पर की जाती है तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी, यदि चाहे तो बढ़ा भी सकता है । परिवीक्षा अवधि में उम्मीदवारों को केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । उन्हें रु० 680 के ऊपर का वेतन तब तक नहीं लेने दिया जायेगा जब तक वे निर्धारित विभागीय परीक्षा पूर्ण रूप से पास नहीं कर लेते ।

(ख) यदि परिवीक्षा की मूल अथवा परिवर्द्धित अवधि की समाप्ति पर नियोक्ता प्राधिकारी यह समझता है कि चयन किया गया उम्मीदवार स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है अथवा परिवीक्षा की उक्त मूल अथवा परिवर्द्धित अवधि के दौरान, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं होगा तो वह उसे सेवा-मुक्त कर सकता है, अथवा जो उचित समझे, वह आदेश दे सकता है ।

(ग) परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर तथा विभागीय परीक्षाएं पास कर लेने के बाद अधिकारियों को संबद्ध ग्रेड में स्थायी करने पर विचार किया जाएगा ।

(घ) लागू नियमो के अनुसार मूल्यनिरूपक, भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन सेवा ग्रुप क (रु० 700–1300) मे सहायक कलक्टर के अगले उच्च ग्रेड मे पदोन्नति के लिए पात्र होगे ।

(ङ) अवकाश, पेशन आदि के मामले मे इन अधिकारियो पर केन्द्रीय सरकार के अन्य ग्रुप ख अधिकारियो पर लागू होने वाले नियम ही लागू होगे । जहां तक उन की सेवा की अन्य शर्तों का प्रश्न है, उन पर सीमा-शुल्क मूल्यनिरूपक सेवा ग्रुप 'ख' की भर्ती नियमावली की व्यवस्थाए लागू होगी । इन नियमो मे यह विशेष रूप से निर्दिष्ट है कि इस सेवा के अधिकारियो को "केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड" के अधीन किसी भी समकक्ष या उच्च पद पर भारत मे कहीं भी तैनात किया जा सकता है ।

22. दिल्ली और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप-समूह सिविल सेवा ग्रुप 'ख'

(क) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जायेगी, जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी की विवक्षा से बढ़ाया जा सकेगा । परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाए पास करनी होंगी ।

(ख) यदि सरकार की राय मे किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसको देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है ।

(ग) जब यह घोषित कर दिया जायेगा कि अमुक अधिकारी ने संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है तो उसे सेवा मे स्थायी किया जा सकता है । यदि सरकार की राय मे उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है ।

(घ) वेतनमान

ग्रेड–I (चयन ग्रेड) रु० 1200-50-1600 ।

ग्रेड–II (समय वेतनमान) रु० 650-30-740-35-810 द० रो०-35-880-40-1000 द० रो०-40-1200 ।

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामो के आधार पर भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति को सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा बशर्ते कि यदि वह सेवा मे नियुक्ति से पहले मूल रूप से आवधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था, सेवा में परिवीक्षा की अवधि मे उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) के उपबन्धों के अधीन विनियमित किया जाएगा । सेवा मे नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियो के लिए वेतन और वेतन वृद्धियां मूल नियमो के अनुसार विनियमित होंगी ।

(ङ) सेवा के अधिकारियो को परिशोधित केन्द्रीय वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियो पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरो पर महगाई भत्ता प्राप्त करने का हक होगा ।

(च) महगाई भत्ते के अतिरिक्त इस सेवा के अधिकारियो को, प्रतिकर (नगर) भत्ता, मकान किराया भत्ता और पहाड़ी स्थानो तथा सुदूर स्थानों में रहन-सहन के बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए अन्य भत्ते दिए जाएगे, यदि उन्हे ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थानो पर भेजा जाएगा और जिन स्थानो के लिए ये भत्ते देय होगे ।

(छ) इस सेवा के अधिकारियो पर दिल्ली और अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा नियमावली, 1971 और इस नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदेश अथवा बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होगे । जो मामले विशिष्ट रूप से पूर्वोक्त नियमो या विनियमो अथवा उनके अन्तर्गत जारी किए गए आदेशो या विशेष आदेशो के अन्तर्गत नही आते उनमें ये अधिकारी उन नियमों, विनियमो और आदेशों द्वारा शासित होगे जो सघ के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले तदनुरूप अधिकारियो पर लागू होते हैं ।

23 गोआ, दमन तथा दियु सिविल सेवा—ग्रुप ख

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की जाएगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा । परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारो को गोआ, दमन और दियु सघ राज्य के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाए पास करनी होंगी ।

(ख) यदि प्रशासक की राय मे किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नही है अथवा यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की सभावना नही है, तो प्रशासक उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकता है ।

(ग) जिस अधिकारी के लिए यह घोषित हो जाएगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा में स्थायी किया जा सकता है । यदि प्रशासक की राय मे उसका कार्य या आचरण सतोषजनक नही रहा है तो वह उसे सेवा मुक्त कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है ।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को गोआ, दमन तथा दियु संघ राज्य क्षेत्र मे किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा ।

(ङ) वेतनमान —

ग्रेड-I (चयन ग्रेड) —रु० 1100-50-1600 ।

ग्रेड-II (समय वेतनमान) रु० 650-30-740-35-810-द० रो०- 35-880-40- 1000- द० रो-40-1200 ।

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामो के आधार पर भर्ती किए गए व्यक्ति को सेवा मे नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनमत वेतन प्राप्त होगा ।

किन्तु यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से आवधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था, सेवा में परिवीक्षा की अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) के उपबधो के अधीन विनियमित किया जाएगा । सेवा मे नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तिओ के लिए वेतन और वेतन-वृद्धियां मूल नियमो के अनुसार विनियमित होगी ।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली 1955, के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के पदो पर पदोन्नति के पात्र होगे ।

(च) इस सेवा के अधिकारी गोआ, दमन तथा दियु सिविल सेवा नियमावली, 1967, तथा इन नियमो को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासक द्वारा बनाए गए अन्य विनियमो द्वारा शासित होगे ।

24. पांडिचेरी सिविल सेवा—ग्रुप ख

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की जाएंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा । परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारो को पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाए पास करनी होगी ।

(ख) यदि प्रशासक की राय मे किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण सतोषजनक नही है अथवा यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की सम्भावना नही है, तो प्रशासक उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकता है ।

(ग) जिस अधिकारी के लिए यह घोषित हो जाएगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा मे स्थायी किया जा सकता है । यदि प्रशासक की राय मे उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नही रहा है तो उसे सेवा-मुक्त कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि जितनी ठीक समझे बढ़ा सकता है ।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को पांडिचेरी सघ राज्य क्षेत्र मे किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा ।

(ङ) वेतनमान —

ग्रेड– I (चयन ग्रेड) —रु० 1100-50-1600 ।

ग्रेड– II (समय वेतनमान) —रु० 650-30-740-35-810-द० रो० 35-880-40- 1000- द० रो०- 40-1200

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामो के आधार पर भर्ती किए गए व्यक्ति को सेवा मे नियुक्ति पर केवल वेतन का एन्ट्री ग्रेड वेतनमान प्राप्त होगा किन्तु यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से आवधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था, सेवा मे परिवीक्षा की अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22 ख (1) के उपबधो के अधीन विनियमित किया जाएगा । सेवा मे नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियो के लिए वेतन और वेतन-वृद्धियां मूल नियमों के अनुसार विनियमित होगी ।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के पदो पर पदोन्नति के पात्र होगे ।

(च) इस सेवा के अधिकारी पांडिचेरी सिविल सेवा नियमावली, 1967, तथा इन नियमो को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासन द्वारा जारी किए गए अनुदेशो द्वारा शासित होगे ।

## परिशिष्ट III

### उम्मीदवारो की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

ये विनियम उम्मीदवारो की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि यह अनुमान लगा सके कि वे अपेक्षित शारीरिक स्तर के है या नही । ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षको (मेडिकल एग्जामिनर्स) के मार्ग निर्देशन के लिए भी हैं तथा जो उम्मीदवार इन विनियमो मे निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओ को पूरा नही करता तो उसे स्वास्थ्य परीक्षको द्वारा स्वस्थ घोषित नही किया जा सकता । किन्तु किसी उम्मीदवार को इन विनियमो मे निर्धारित मानक के अनुसार स्वस्थ न मानते हुए भी स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड को इस बात की अनुमति होगी कि वह लिखित रूप से स्पष्ट कारण देते हुए, भारत सरकार को यह अनुशंसा कर सके कि उक्त उम्मीदवार को सेवा मे लिया जा सकता है और इससे सरकार को कोई हानि नही होगी ।

2 किन्तु यह बात भी भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि भारत सरकार को स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

विभिन्न सेवाओ का वर्गीकरण दो श्रेणियो "तकनीकी तथा गैर तकनीकी" के अधीन इस प्रकार होगा —

(क) तकनीकी

(1) भारतीय रेलवे यातायात सेवा,

(2) भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय पुलिस सेवा, ग्रुप ख

(ख) गैर तकनीकी

भा० प्र० से०, भा० वि० से०, भारतीय प्रशासनिक और लेखा सेवा, भारतीय सीमा-शुल्क सेवा, भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय रेल लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, आयकर अधिकारी (ग्रुप-क) सेवा, भारतीय डाक सेवा, सैन्य भूमि तथा छावनी सेवा ग्रुप क । रेलवे सुरक्षा बल मे ग्रुप-ख, पद और अन्य केन्द्रीय सिविल सेवाओ के ग्रुप क तथा ख के पद ।

1 नियुक्ति के योग्य ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने मे बाधा पड़ने की सम्भावना हो ।

2 (क) भारतीय (एंग्लो-इंडियन समेत) जाति के उम्मीदवारो की आयु, कद और छाती के घेर के परस्पर सम्बन्ध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारो की परीक्षा मे मार्ग-दर्शन के रूप मे जो भी परस्पर सम्बन्ध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझे, व्यवहार मे लाए । यदि वजन, कद और छाती के घेर मे विषमता हो तो जाच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल मे रखना चाहिए और छाती का एक्स-रे लेना चाहिए । ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा ।

(ख) निम्नलिखित सेवाओ के लिए कद और छाती के घेर का कम-से-कम मान नीचे दिया जाता है जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को स्वीकार नही किया जा सकता ।

| सेवा का नाम | कद | छाती का घेर पूरा (फैला कर) | फैलाव |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | सें० मी० | सें० मी० | |
| (1) भारतीय रेल यातायात सेवा और रेलवे | 152 | 84 | 5 सें० मी० (पुरूषो के लिए) |
| सुरक्षा बल मे ग्रुप ख के पद | 150 | 79 | 5 सें० मी० (महिलाओं के लिए) |
| (2) भारतीय पुलिस सेवा तथा दिल्ली अंडमान, निकोबार द्वीप समूह | 165 | 84 | 5 सें० मी० (पुरुषो के लिए) |
| पुलिस सेवा ग्रुप ख | 150 | 79 | 5 सें० मी० (महिलाओ के लिए) |

अनुसूचित जन जातियो और ऐसी जातियों जैसे गोरखा, गढ़वाली असमिया, नागा जन जातियो आदि मे सम्बन्धित उम्मीदवारो जिनकी औसत लम्बाई दूसरो से प्रकटत कम होती है, के मामले में न्यूनतम निर्धारित कद की लम्बाई में छूट दी जा सकेगी ।

भारतीय पुलिस सेवा और रेल सुरक्षा बल को छोड़कर ग्रुप 'ख' की पुलिस सेवा हेतु अनुसूचित जन जातियो और गोरखा, गढ़वाली, असमिया, नागा जैसी जातियो से सम्बद्ध उम्मीदवारो के मामले मे छूट देकर निम्नलिखित न्यूनतम ऊंचाई मानक लागू हैं :—

| | |
|---|---|
| पुरुष | 160 सें० मी० |
| महिला | 145 सें० मी० |

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि मे नापा जाएगा :—

वह अपने जूता उतार देगा और उसे माप-दण्ड (स्टेंडर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पाँव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन, सिवाए एड़ियो के पांवो की उगलियो या किसी और हिस्से पर न पड़े । वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिण्डलियां, नितम्ब और कन्धे माप-दण्ड के साथ लगे रहेगे । उसकी ठोडी नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (वर्टेक्स आफ दि हैड लेवल) हारिजेन्टल बार (आड़ी छड) के नीचे आ जाए । कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरो में नापा जाएगा ।

4 उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है :—

उसे इस भाति सीधा खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हो और उसकी भुजाए सिर से ऊपर उठी हो । फीते को छाती के गिर्द इस तरह से लगाया जाएगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा अंसफलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणो (इन्फीरियर एंगल्स) से लगा रहे और

रहे और यह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी खाडे समतल (हारिजेंटल प्लेन) में रहे । फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कन्धे ऊपर या नीचे की ओर न किए जाए जिससे कि फीता न खिसके । तब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और छाती का अधिक से अधिक फैलाव गौर से नोट किया जाएगा और कम-से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा, 84-89, 86-93.5 आदि । नाप को रिकार्ड करते समय आधे सेंटीमीटर से कम के भिन्न (फ्रेक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए ।

नोट —अन्तिम निर्णय लेने से पहले उम्मीदवारों की ऊंचाई और छाती दो बार नापनी चाहिए ।

5. उम्मीदवार का वजन भी लिया जाएगा और उसका वजन किलोग्रामों में रिकार्ड किया जाएगा । आधे किलोग्राम के फ्रेक्शन को नोट नहीं करना चाहिए ।

6. (क) उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी । प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा —

(ख) चश्मे के बिना नजर (नेकेड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक केस में मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक इन्फारमेशन) मिल जाएगी ।

(ग) विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा ।

| सेवा की श्रेणी | दूर की नजर | | नजदीक की नजर | |
|---|---|---|---|---|
| | अच्छी आंख (ठीक की हुई दृष्टि) | खराब आंख (ठीक की हुई दृष्टि) | अच्छी आंख | खराब आंख |
| भा० प्र० से० भा० पु० से तथा केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप क और ख | | | | |
| (i) तकनीकी | 6/6 या 6/9 | 6/12 6/9 | जे०/I | जे०/II |
| (ii) गैर-तकनीकी | 6/9 | 6/12 | जे०/I | जे०/II |
| (iii) भारतीय आयुध कारखाना सेवा | 6/6 अथवा 6/9 | 6/18 6/9 | जे०/I | जे०/II |

(घ) (i) उपर्युक्त तकनीकी सेवाओं और लोक सुरक्षा से सम्बन्धित अन्य सेवाओं के सबध मे मायोपिया (सिलिंडर मिलाकर) कुल—4·00 डी० से अधिक नहीं हो । हाइपरमेट्रोपिया (सिलिंडर मिलाकर) कुल—4 00 डी० से अधिक नहीं होना चाहिये ।

किन्तु शर्त यह है कि यदि "तकनीकी" के रूप में वर्गीकृत सेवाओं (रेल मंत्रालय के अधीन सेवाओं को छोड़कर) से सम्बध उम्मीदवार हाई मायोपिया के आधार पर अयोग्य पाया जाए तो वह मामला तीन दृष्टि विशेषज्ञों के विशेष बोर्ड को भेजा जायेगा, जो यह घोषणा करेंगे कि क्या निकट दृष्टि रोगात्मक है अथवा नहीं । यदि यह मामला रोगात्मक नहीं है तो उम्मीदवार को योग्य घोषित कर दिया जायेगा, बशर्ते कि वह दृष्टि सबधी अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति करता हो ।

(ii) मायोपिया फडस के प्रत्येक मामले मे परीक्षा की जानी चाहिये और उसके परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिये । यदि उम्मीदवार की ऐसी रोगात्मक दशा हो जो कि बढ़ सकती है और उम्मीदवार की कार्य कुशलता पर प्रभाव डाल सकती है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाए ।

(ङ) दृष्टि क्षेत्र — सभी सेवाओं के लिये सम्मुखन विधि (कन्फ्रन्टेशन मैथड) द्वारा क्षेत्र की जांच की जायेगी । जब ऐसी जांच का नतीजा असन्तोषजनक या सविग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र को पैरामीटर पर निर्धारित किया जाना चाहिये ।

(च) रतौंधी (नाइट ब्लाइण्डनेस) साधारणतया रतौंधी दो प्रकार की होती है, (1) विटामिन "ए" की कमी होने के कारण और (2) रेटीना के शारीरिक रोग के कारण जिस की आम वजह रेटीनोटिस पिगमेंटोसा होती है । उपर्युक्त (1) में फडस की स्थिति प्रसामान्य होती है, साधारणतया छोटी आयु वाले व्यक्तियो मे और कम खुराक पाने वाले व्यक्तियो मे दिखाई देती है और अधिक मात्रा में विटामिन "ए" के खाने से ठीक हो जाती है । ऊपर बताई गई (2) की स्थिति मे फडस प्राय. होती है और अधिकांश मामलो मे केवल फडस की परीक्षा से ही स्थिति का पता चल जाता है । इस श्रेणी का रोगी प्रौढ़ होता है और खुराक की कमी से पीडित नहीं होता है । सरकार मे ऊंची नौकरियो के लिये प्रयत्न करने वाले व्यक्ति इस वर्ग मे आते हैं। उपर्युक्त (1) और (2) दोनो के लिए अन्धेरा अनुकूलन परीक्षण से स्थिति का पता चल जायेगा । उपर्युक्त (2) के लिये, विशेषतया जब फडस न हो तो इलेक्ट्रो-रेटीनोग्राफी किये जाने की आवश्यकता होती है । इन दोनो जाचो (अन्धेरा अनुकूलन और रेटीनोग्राफी में समय अधिक लगता है और विशेष प्रबन्ध और सामान की आवश्यकता होती है और इसलिये साधारण चिकित्सिक जाच से इसका पता लगाना सभव नहीं है । इन तकनीकी बातो को ध्यान मे रखते हुए मत्रालय/ विभाग को चाहिये कि वे बतायें कि रतौंधी के लिए इन जांचो का करना अनिवार्य है या नहीं ।

यह इस बात पर निर्भर होगा कि जिन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाने वाली है उनके कार्य की अपेक्षाएं क्या हैं और उनकी ड्यूटी किस तरह की होगी ।

(छ) कलर विजन—उपर्युक्त तकनीकी सेवाओं के सम्बन्ध में कलर विजन की जांच जरूरी है । जहां तक गैर तकनीकी सेवाओं/पदो का सबध है सम्बद्ध मत्रालय/विभाग को मेडिकल बोर्ड को सूचना देनी होगी कि उम्मीदवार जो सेवा चाहता है उसके लिए कलर विजन परीक्षा होनी चाहिए या नहीं ।

नीचे दी गई तालिका के अनुसार रग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर ग्रेड और निम्नतर (लोअर) ग्रेडो में होना चाहिये जो लैंटर्न मे एपर्चर के आकार पर निर्भर होगा ।

| ग्रेड | रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का उच्चतर ग्रेड | रग के प्रत्यक्ष ज्ञान का निम्नतर ग्रेड |
|---|---|---|
| 1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी | 16 फीट | 16 फीट |
| 2. द्वारक (एपर्चर) का आकार | 1.3 मि० मीटर | 1.3 मि० मीटर |
| 3 उद्मासन काल | 5 सेकेंड | 5 सेकेंड |

भारतीय रेल यातायात सेवा, रेलवे सुरक्षा बल के ग्रुप ख पद और लोक बचाव से सबंधित अन्य सेवाओं के लिए कलर विजन के उच्चतर ग्रेड आवश्यक है किन्तु दूसरों के लिये कलर विजन के लोअर ग्रेड को पर्याप्त मान लिया जाए ।

लाल सकेत, हरे सकेत और सफेद रग को आसानी से और हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना सतोषजनक कलर विजन है इशिहारा की प्लेटो के अच्छी इस्तेमाल को जिन्हे रोशनी में और एड्रिज ग्रीन जैसी उपर्युक्त लैंटर्न की रोशनी में दिखाया जाता है, कलर विजन की जाच करने के लिये विश्वसनीय समझा जायेगा । वैसे तो दोनो मे से किसी भी एक जाच को साधारणतया

पर्याप्त समझा जा सकता है, लेकिन सड़क रेल और हवाई यातायात से सम्बन्धित सेवाओं के लिये लैटर्न जांच कराना लाजमी है। शक वाले मामलों में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच करने पर अयोग्य पाया जाये तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिये। तथापि भारतीय रेल यातायात सेवा में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के कलर विजन के परीक्षण के लिए इशिहारा प्लेट और एड्रिज की हरी लालटैन दोनों का प्रयोग किया जाएगा।

(ज) दृष्टि की तीक्ष्णता से भिन्न आंख की अवस्थाएं (आक्युलर कंडीशन)

(i) आंख की उस बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि (प्रोग्रेसिव रिफ्रेक्टिव एरर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्ष्णता के कम होने की संभावना हो अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(ii) भैंगापन (स्क्विट)—तकनीकी सेवाओं में, जहां द्विनेत्री (बाइनाकुलर) दृष्टि का होना अनिवार्य हो, दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर की होने पर भी भैंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिए। दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर की होने पर भैंगापन को अन्य सेवाओं के लिये अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए।

(iii) यदि किसी व्यक्ति की एक ही आंख हो अथवा यदि उसकी एक आंख की दृष्टि ही सामान्य हो और दूसरी आंख की मन्द दृष्टि हो अथवा अप सामान्य दृष्टि हो, तो उसका प्रभाव प्रायः यह होता है कि व्यक्ति में गहराई बोध हेतु त्रिविम दृष्टि का अभाव होता है। इस प्रकार की दृष्टि कई सिविल पदों के लिये आवश्यक नहीं है। इस प्रकार के व्यक्तियों को चिकित्सा बोर्ड योग्य मानकर अनुशासित कर सकता है। बशर्ते कि सामान्य आंख—

(i) की दूर की दृष्टि 6/6 और निकट की दृष्टि जे०/I चश्मा लगाकर अथवा उसके बिना हो, बशर्ते कि दूर की दृष्टि के लिये किसी मेरिडियन में त्रुटि 4 डायोप्टेरिज से अधिक न हो।

(ii) का दृष्टि का पूरा क्षेत्र हो,

(iii) की सामान्य रंग दृष्टि, जहां अपेक्षित हो।

बशर्ते कि बोर्ड का यह समाधान हो जाय कि उम्मीदवार प्रश्नाधीन कार्य विशेष से संबंधित सभी कार्यकलापों का निष्पादन कर सकता है।

दृष्टि तीक्ष्णता संबंधी उपरोक्त छूट प्राप्त मानक "तकनीकी" रूप में वर्गीकृत पदों/सेवाओं के लिये उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी। सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग को चिकित्सा बोर्ड को यह सूचित करना होगा कि उम्मीदवार "तकनीकी" पद के लिये है अथवा नहीं।

(iv) कोन्टेक्ट लेंस—उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय कोन्टेक्ट लेंस के प्रयोग की आज्ञा नहीं होगी यह आवश्यक है कि आंख की जांच करते समय दूर की नजर के लिये टाइप किये हुए अक्षरों को उद्भासन 15 फुट की ऊंचाई के प्रकाश से हो।

ध्यान दें :—आर० पी० एफ० के ग्रुप बी के पदों के लिए यही चिकित्सा मानक लागू होगा जो कि गैर तकनीकी सेवाओं के लिए है। किन्तु चूंकि इस सेवा का संबंध जनता की सुरक्षा से है इसलिए इन पदों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें भी लागू होंगी :—

(i) कलर विजन की परीक्षा अनिवार्य होगी और उच्चतर ग्रेड का कलर विजन आवश्यक है।

(ii) प्रत्येक आंख में दृष्टि तीक्ष्णता निर्धारित मानक की होते हुए भी भैंगापन (स्क्विंट) को अयोग्यता समझा जाएगा।

(iii) रेलवे सुरक्षा बल में नियुक्ति के लिए केवल "एक आंख" अयोग्यता समझी जाएगी।

7 ब्लड प्रेशर—

ब्लड प्रेशर के सम्बन्ध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा। नार्मल उच्चतम सिस्टालिक प्रेशर के आकलन की काम चलाऊ विधि नीचे दी जाती है :—

(i) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100+आयु होता है।

(ii) 25 वर्ष से ऊपर आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन करने में 110 में आधी आयु जोड़ देने का तरीका बिल्कुल सतोषजनक दिखाई पड़ता है।

ध्यान दें :—सामान्य नियम के रूप में 140 एम० एम० से ऊपर के सिस्टालिक प्रेशर को और 90 एम० एम० से ऊपर डायस्टालिक प्रेशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए, और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य ठहराने के सम्बन्ध में अपनी अन्तिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें। अस्पताल की रिपोर्ट से यह पता लगना चाहिये कि घबराहट (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर में वृद्धि थोड़े समय रहती है या उसका कारण कोई कायिक (आर्गेनिक) बीमारी है। ऐसे सभी केसों में हृदय की एक्स रे और विद्युत हृदलेखी (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक) परीक्षायें और रक्त-यूरिया निकास (क्लियरेंस) की जांच भी नेमी रूप से की जानी चाहिये। फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अन्तिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा।

ब्लड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका

नियमतः पारेवाले दाबान्तरमापी (मर्करी मेनोमीटर) किस्म का उपकरण (इन्स्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिये। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिये। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा शिथिल और आराम से हो। कुछ हारिजेंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर भुजा को आराम से सहारा दिया जाए। भुजा पर से कंधे तक कपड़े उतार देने चाहिये। कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ को भुजा के अन्दर की ओर रख कर और इसके नीचे किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिये। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैला कर समान रूप से लपेटना चाहिये ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले।

कोहनी के मोड़ पर प्रगंड धमनी (ब्रेकियल आर्टरी) को दबा दबा कर ढूंढा जाता है और तब इसके ऊपर बीचों-बीच स्टैथस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 एम० एम० एम० की हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की क्रमिक ध्वनि सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है। जब और हवा निकाली जायगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्राय हो जाय, वह डायस्टालिक प्रेशर है ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिये क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिये क्षोभकर होता है और इससे रीडिंग गलत हो जाती है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाय। (कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दाब गिरने पर ये गायब हो जाती है और निम्न स्तर पर पुनः प्रगट हो जाती हैं। इस 'साइलेंट गैप' से रीडिंग में गलती हो सकती है।)

8 परीक्षक की उपस्थिति में ही किये गये मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिये और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिये। जब मैडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके अन्य सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायबिटीज) के द्योतक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष

रूप से नोट करेगा । यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोज मेह (ग्लाइकोसूरिया) के सिवाय, अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टेण्डर्ड के अनुरूप पाये तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोजमेह अमधु-मेही (नान डायबिटिक) हो और बोर्ड केस को मेडिसिन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाए हो । मेडिकल विशेषज्ञ स्टेंडर्ड ब्लड शुगर टालरेस टेस्ट समेत जो भी क्लिनिकल या लेबोरेटरी परीक्षा जरूरी समझेगा, करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की "फिट" या "अनफिट" की अन्तिम राय आधारित होगी । दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिये बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नही होगा । औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिये यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाय ।

9 यदि जाच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते या उससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसकी अस्थायी रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव न हो जाये। किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टीशनर से आरोग्यता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, प्रसूति की तारीख के 6 हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाण-पत्र के लिये उसकी फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिये ।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातो का प्रेक्षण करना चाहिये ।

(क) उम्मीदवार को दोनो कानो से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिन्ह है या नही । यदि कोई कान की खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान-विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिये । यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया (आपरेशन) या हियरिंगएड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नही किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो । चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्गदर्शन के लिये इस सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्गदर्शक जानकारी दी जाती है :—

| | |
|---|---|
| (1) एक कान में प्रकट अथवा पूर्ण बहरापन, दूसरा कान सामान्य होगा । | यदि उच्च फ्रीक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीबल तक हो तो गैर-तकनीकी काम के लिये योग्य । |
| (2) दोनो कानो में बहरेपन का प्रत्यक्ष बोध, जिसमे श्रवण यत्र (हियरिंग ऐड) द्वारा कुछ सुधार सभव हो । | यदि 1000 से 4000 तक की स्पीच फिक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीबल तक हो तो तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनो प्रकार के काम के लिए योग्य । |
| (3) सेन्ट्रल अथवा मार्जिनल टाइप के टिमपेनिक मेम्बरेन में छिद्र । | (i) एक कान सामान्य हो दूसरे कान में टिमपेनिक मेम्बरेन में छिद्र हो तो अस्थायी आधार पर अयोग्य ।<br>कान की शल्य चिकित्सा की स्थिति सुधारने से दोनो कानो में मार्जिनल या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवारो को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित करके उस पर नीचे दिये गये नियम 4 (ii) के अधीन विचार किया जा सकता है । |
| | (ii) दोनो कानो मे मार्जिनल या एटिक छिद्र होने पर अयोग्य ।<br>(iii) दोनो कानो में सेन्ट्रल छिद्र होने पर अस्थायी रूप में अयोग्य । |
| (4) कान के एक ओर से/दोनों ओर से मस्टायड केविटी से सब नार्मल श्रवण । | (i) किसी एक कान के सामान्य रूप से एक ओर से मस्टायड केविटी से सुनाई देता हो, दूसरे कान में सबनार्मल श्रवण वाले कान/मस्टायड केविटी होने पर तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनो प्रकार के कामो के लिये योग्य ।<br>(ii) दोनो ओर से मस्टायड केविटी तकनीकी काम के लिये अयोग्य, यदि किसी भी कान की श्रवणता श्रवण यंत्र लगाकर अथवा बिना लगाए सुधार कर 30 डेसीबेल हो जाने पर गैर तकनीकी कामो के लिये योग्य । |
| (5) बहते रहने वाला कान आपरेशन किया गया/बिना आपरेशन वाला । | तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनो प्रकार के कामो के लिये अस्थायी रूप में अयोग्य । |
| (6) नासापट की हड्डी सबधी/विसिपताओ (दोनो डिफार्मिटी) सहित अथवा उससे रहित नाक की जीर्ण प्रदाहक/एलर्जिक दशा । | (i) प्रत्येक मामले की परिस्थितियो के अनुसार निर्णय लिया जाएगा ।<br>(ii) यदि लक्षणो सहित नासापट अपसरण विद्यमान होने पर अस्थायी रूप में अयोग्य । |
| (7) टांसिल्स और/अथवा स्वर यत्र (लेरिंक्स) की जीर्ण प्रदाहक दशा । | (i) टांसिल और अथवा स्वरयत्र की जीर्ण प्रदाहक दशा-योग्य ।<br>(ii) यदि आवाज में अत्यधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थायी रूप से अयोग्य । |
| (8) कान, नाक, गले (ई० टी०) के हल्के अथवा अपने स्थान पर दुर्दम ट्यूमर | (i) हल्का ट्यूमर—अस्थाई रूप से अयोग्य<br>(ii) दुर्दम ट्यूमर अयोग्य |
| (9) आस्टोस्क्लिरोसिस | श्रवण यत्र की सहायता से या आपरेशन के बाद श्रवणता 30 डेसीबेल के अन्दर होने पर योग्य । |
| (10) कान, नाक अथवा गले के जन्मजात दोष | (i) यदि काम काज मे बाधक न हो तो योग्य ।<br>(ii) भारी मात्रा में हकलाहट हो तो अयोग्य । |

(11) नेजल पोली — स्थायी रूप से अयोग्य ।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता हकलाती/नहीं हो

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं, और अच्छी तरह चबाने के लिये जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं। (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा)।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं, तथा उसका दिल या फेफड़े ठीक हैं या नहीं।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं ।

(च) उसे रपचर है या नहीं ।

(छ) उसे हाईड्रोसील, बढ़ी हुई वेरिकोसिल, वेरिकाजशिरा (वेन) या बवासीर है या नहीं ।

(ज) उसके अंगों, हाथों और पैरों की संरचनावट और विकास अच्छा है या नहीं और उसकी ग्रंथियां भली भांति स्वतंत्र रूप से हिलती हैं या नहीं ।

(झ) उसे कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं ।

(ञ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं ।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं जिससे कमजोर संगठन का पता लगे।

(ठ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं ।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं।

11 दिल और फेफड़ों को किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो, सभी मामलों में नेमी रूप से छाती की एक्स-रे परीक्षा की जानी चाहिये।

सरकारी सेवा के लिये उम्मीदवार के स्वास्थ्य के संबंध में जहां कहीं सन्देह हो चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार की योग्यता अथवा अयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अस्पताल के विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है, जैसे यदि किसी उम्मीदवार पर मानसिक त्रुटि अथवा विपथन (ऐबरेशन) से पीड़ित होने का संदेह होने में बोर्ड का अध्यक्ष अस्पताल के किसी मनोचिकित्सा विज्ञानी/मनोविज्ञानी से परामर्श कर सकता है ।

जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाणपत्र में अवश्य ही नोट किया जाए। मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिये कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की सम्भावना है या नहीं ।

12 मेडिकल बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील करने वाले उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार रु० 50/- का अपील शुल्क जमा करना होता है । यह शुल्क केवल उन उम्मीदवारों को वापस मिलेगा जो अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किए जायेंगे । शेष दूसरों के मामलों में यह जब्त कर लिया जाएगा । यदि उम्मीदवार चाहे तो अपने आरोग्य होने के दावे के समर्थन में स्वस्थता प्रमाणपत्र संलग्न कर सकते हैं । उम्मीदवारों को प्रथम स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा भेजे गए निर्णय के 21 दिन के अन्दर अपीलें पेश करनी चाहिएं अन्यथा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिये अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई दिल्ली में ही होगी और इसका खर्च उम्मीदवारों को ही देना पड़ेगा। दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के के संबंध में की जाने वाली यात्राओं के लिये यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जायेगा । अपीलों के निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त होने पर अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा की जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबन्ध के लिये मन्त्रिमंडल (कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

6—21GI/77

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिये निम्नलिखित सूचना दी जाती है —

1 शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिये अपनाए जाने वाले स्टैन्डर्ड में संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवा काल (यदि हो) के लिये उचित गुंजाइश रखनी चाहिए ।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिये योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपॉईंटिंग अथारिटी) को यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इनफर्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो ।

यह बात समझ लेनी चाहिये कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही संबद्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवार के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है । साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि जहां प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिये जब कि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो ।

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिये किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा ।

भारतीय रक्षा लेखा सेवा (इंडियन डिफेंस अकाउन्ट्स सर्विस) के उम्मीदवारों को भारत में और भारत से बाहर क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) करनी होगी । ऐसे उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बारे में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिये कि उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के योग्य है या नहीं ।

डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए ।

ऐसे मामलों में जबकि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं । किन्तु डाक्टरी बोर्ड ने जो खराबी बतायी हो उनका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता ।

ऐसे मामलों में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार अयोग्य बनाने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (औषध या शल्य) द्वारा दूर हो सकती है वहां डाक्टरी बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए । नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाय तो दूसरे डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतंत्र है ।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी तौर पर अयोग्य करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छह महीने से कम नहीं होनी चाहिए । निर्धारित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो तो ऐसे उम्मीदवार को और आगे की अवधि के लिये अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिये उनकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिये अयोग्य हैं ऐसा निर्णय अन्तिम रूप से दिया जाना चाहिए ।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देने चाहिए और उनके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिये गये नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

1. अपना पूरा नाम लिखें :—
(साफ अक्षरों में)

2 अपनी आयु और जन्म स्थान बताये———————

2 (क) क्या आप अनुसूचित जन जाति या गोरखा, गढवाली, असमि, नागालैण्ड जन जाति आदि में से किसी जाति से सबधित हैं जिसका औसत कद दूसरो से कम होता है । 'हां' या 'नही' में उत्तर दीजिये । उत्तर 'हां' मे हो, तो उस जाति का नाम बताइए ।

3 (क) क्या आपको कभी चेचक रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रथिया, (ग्लैण्ड्स) का बढ़ना या इनमे पीडा पडना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफडे की बीमारी, मृर्छा के दौरे, रुमेटिज्म, ऐपेंडिसाइटिस हुआ है ?

(ख) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शैय्या पर लेटे रहना पडा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है ?

4 आपको चेचक का टीका आखिरी बार कब लगा था ?

5 क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई ?

6 अपने परिवार के सबध मे निम्नलिखित ब्यौरे दें —

| यदि पिता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था | मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण | आपके कितने भाई जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था | आपके कितने भाइयो की मृत्यु हो चुकी है, उनकी आयु और मृत्यु का कारण |
|---|---|---|---|
| | | | |

| यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था | मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण | आपकी कितनी बहनें जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था | आपकी कितनी बहिनो की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण |
|---|---|---|---|
| | | | |

7 क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ?

8 यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर हां में हो तो बताइये कि सेवा/किन सेवाओ के लिये आपकी परीक्षा की गई थी ?

9 परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ?

10 कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ ?

11 मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो———————

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक हैं ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर———————

मेरे सामने हस्ताक्षर किये———————

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर———————

नोट —उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिये उम्मीदवार जिम्मेवार होगा । जान बूझकर किसी सूचना को छिपाने से वह नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाए तो बार्धक्य निवृत्ति भत्ता (सुपरन्युएशन अलाउंस) या उपदान (ग्रेचुटी) के सभी दावो से हाथ धो बैठेगा ।

(ख) ———————(उम्मीदवार का नाम) की शारीरिक परीक्षा की मैडिकल बोर्ड की रिपोर्ट :

1. सामान्य विकास—अच्छा———————बीच का———————

कम पोषण पतला———————औसत———————मोटा———

कद (जूते उतारकर)———————वजन———————

अत्युत्तम वजन———————कब था ?———————

वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन———————

तापमान———————

छाती और घेर———————

(1) पूरा सांस खीचने पर———————

(2) पूरा सांस निकालने पर———————

2 त्वचा—कोई जाहिरा बीमारी ।

3. नेत्र :—

(1) कोई बीमारी———————

(2) रतौंधी———————

(3) कलर विजन का दोष———————

(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन)———————

(5) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्वीटी)———————

(6) फडस की जांच———————

| दृष्टि की तीक्ष्णता | चश्मे के बिना | चश्मे से | चश्मे की पावर गोल सिलि-एक्सिस |
|---|---|---|---|
| दूर की नजर | दा० ने०<br>बा० ने० | | |
| पास की नजर | दा० ने०<br>बा० ने० | | |
| हाईपरमेट्रोपिया (व्यक्त) | दा० ने०<br>बा० ने० | | |

4 कान निरीक्षण———————सुनना

दायां कान———————बायां कान———————

5. ग्रथियां———————थाइराइड———————

6. दातों की हालत———————

7. श्वसन तत्र (रसिपरेटरी सिस्टम)—क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों मे किसी असमानता का पता लगा है ? यदि पता लगा है तो असमानता का पूरा ब्यौरा दें ।

8 परिसचरण तंत्र (सर्क्युलिटरी सिस्टम) .

(क) हृदय . कोई आंगिक गति (आर्गेनिक लीजन)—

गति (रेट) '

खड़े होने पर

25 बार कुदाए जाने के बाद ————————————

कुदाए जाने के 2 मिनट बाद ————————————

(ख) बूलड प्रैसर———————————सिस्टालिक————

डायस्टालिक

9. उदर (पेट) घेर————————————स्पर्श सहायता

(टडरनैस) ह्रानिया————————————

(क) दबाकर मालूम पड़ना/जिगर————————————

तिल्ली————————————गुर्दे————————

ट्यूमर————————————

(ख) रक्तार्श

भगंदर

20. तांत्रिक तंत्र (नर्व सिस्टम) तांत्रिक या मानसिक अशक्तता का संकेत————————————

11. चाल तंत्र (लोकोमीटर सिस्टम)

की असमानता———

12. शनन मूत्र तंत्र (जेनिटो यूरिनरी सिस्टम)—हाइड्रोसील, वेरिकासील आदि का संकेता मूक कोई संकेत .

मूत्र परीक्षा —

(क) कैसा दिखाई पड़ता है ?

(ख) अपेक्षित गुरुत्व (स्पेसिफिक ग्रेविटी)

(ग) एल्युमैन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्ट

(च) कोशिकाएं (सैल्स)

13 छाती की एक्स-रे परीक्षा की रिपोर्ट।

14 क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह इस सेवा की ड्यूटी को दक्षता पूर्वक निभाने के लिये अयोग्य हो सकता है।

नोट —महिला उम्मीदवार के मामले में, यदि यह पाया जाता है कि वह 12 सप्ताह की अवस्थिति अथवा उससे अधिक समय से गर्भिणी है तो उसे अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिये, देखें विनियम 9।

15 (i) उन सेवाओं का उल्लेख करें जिनके लिये उम्मीदवार की परीक्षा की गई —

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा।

(ग) केन्द्रीय सेवाएं, ग्रुप 'क' तथा 'ख'

(ii) क्या वह निम्नलिखित सेवाओं में दक्षतापूर्वक और निरन्तर काम करने के लिये सब तरह से योग्य पाया गया है —

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, (कद, छाती का घेर, नजर, रंग दिखाई न देना और चाल, खास तौर से देखें)।

(ग) भारतीय रेलवे यातायात सेवा (कद, छाती, नजर, रंग दिखाई न देना, खास तौर से देखें)।

(घ) दूसरी केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप 'क' 'ख'।

(iii) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिए योग्य है।

नोट —बोर्ड को अपना जांच परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए।

(i) योग्य (फिट)।

(ii) अयोग्य (अनफिट) जिसका कारण————————

(iii) अस्थाई रूप से, अयोग्य, जिसका कारण————————

स्थान———————— अध्यक्ष————————

तारीख ———————— सदस्य ————————

सदस्य ————————

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 मार्च 1977

स० 1/68/76-जी० पी० ए०-3—राष्ट्रपति सचिवालय के 23 फरवरी, 1962 की अधिसूचना संख्या 30-प्रेज/62 के तहत तारीख 3 मार्च, 1962 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित पुलिस (विशेष ड्यूटी) पदक प्रदान किए जाने को अधिशासित करने वाले नियमों के नियम 1 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा यह अधिसूचित करती है कि पुलिस बलों, केन्द्रीय पुलिस/सुरक्षा संगठनों के सदस्य इस मंत्रालय के तारीख 27 अगस्त, 1969 की अधिसूचना स० 9/11/69-पी०-4, तारीख अप्रैल, 1974 की स० 9/94/72-जी० पी० ए०-2 और तारीख 3 दिसम्बर, 1976 को सं० 9/78/74 जी० पी० ए०-2 (3) के तहत पहले से निर्दिष्ट क्षेत्रों के अतिरिक्त सिक्किम राज्य में की गई सेवा के लिए पुलिस (विशेष ड्यूटी) पदक और उस पदक के बारे में प्रदान किए जाने के पात्र होंगे।

चरनजीत सिंह चड्ढा, उप सचिव

## उद्योग मंत्रालय

### (औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 1977

संकल्प

स० 13(4)/76-इले० इन्ड०—उद्योग मंत्रालय के संकल्प स० 13/4/76 इले० इण्ड० दिनांक 23-12-76 द्वारा मैसर्स वोल्टास लिमिटेड, द्वितीय पोरबारत रोड, थाना-400606 के श्री एम० बालासुब्रमणियन को वातानुकूलन तथा रेफ्रीजरेशन उद्योग के निमित्त बनाई गई नामिका का एक सदस्य नियुक्त किया गया था। सरकार ने अब यह निश्चय किया है कि मैसर्स वोल्टास लिमिटेड के कर्नल एन० सी० गुप्ता, नामिका के सदस्य होंगे तथा श्री एम० बालासुब्रमणियन एक वैकल्पिक सदस्य रहेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सभी संबंधितों को इस संकल्प की सूचना दे दी जाए तथा आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

जी० एन० मेहरा, संयुक्त सचिव

## नौवहन और परिवहन मंत्रालय

### (परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च 1977

संकल्प

स० 55-ए० एस० ओ० 1(6)/72—उपलब्ध भारतीय टनभार के अधिक प्रभावोत्पादक प्रयोग करके सरकारी स्वामित्व वाले माल के लिए नौवहन प्रबन्ध पर सलाह देने और सामान्य तौर से समन्वय करने के लिए तत्कालीन परिवहन और संचार मंत्रालय (परिवहन विभाग) में संकल्प स० 33-एम० एम० (207)/57, तारीख 16 जनवरी, 1958 में भारत के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और भारतीय नौवहन कम्पनियों के प्रतिनिधियों से नौवहन समन्वय समिति का गठन किया गया। संकल्प स० 55-एम० सी० (197)/60, तारीख 6-1-1961 और स० 38-एम डी(22)/63, तारीख जुलाई, 1963 के अनुसार सभी उपलब्ध भारतीय जहाजों को माल आवंटन करने और उस माल के वहन के लिए विदेशी जहाज नियत करने जिसे भारतीय जहाजों को आवंटित नहीं किया जा सकता, के लिए नौवहन समन्वय समिति में कार्यकारी समिति और चार्टरिंग समिति जोड़ी गयी।

2. पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर और उक्त संकल्पों में अनुमानित कार्य के और अधिक सुचारु निष्पादन के हित में यह निश्चय किया गया है कि उपलब्ध भारतीय जहाजों को सरकारी स्वामित्व वाले और/या नियंत्रित माल के आवंटन और भारतीय जहाजों के उपलब्ध न होने पर माल के वहन के लिए विदेशी जहाजों के चार्टरिंग संबंधी कार्य नौवहन परिवहन मंत्रालय में नौवहन समन्वय और चार्टरिंग प्रभाग द्वारा किया जाता है। चार्टरिंग के मुख्य नियंत्रक इस प्रभाग के समस्त प्रभारी

होगी। परिणामस्वरूप यह निश्चय किया गया है कि 6-1-1961 और 4-7-1967 के समस्त संकल्पों के अन्तर्गत गठित उक्त कार्यकारी समिति और चार्टरिंग समिति को समाप्त कर दिया जाए और उनके स्थान पर चार्टरिंग समिति उन जहाजों के चार्टर के लिए दरों को और संविदाओं को अन्तिम रूप देने के रोजाना के कार्यों को करेगी जो नौवहन समन्वय और चार्टरिंग प्रभाग के कार्यक्षेत्र में आते हैं :—

इस पुनर्गठित चार्टरिंग समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :—

(i) चार्टरिंग के मुख्य नियंत्रक।
(ii) चार्टरिंग के उपमुख्य नियंत्रक।
(iii) सम्बंधित चार्टरिंग अधिकारी/नौवहन समन्वय अधिकारी।
(iv) नौवहन और परिवहन मंत्रालय का वित्तीय सलाहकार या उसका प्रतिनिधि।

3. यह भी निश्चय किया गया है कि 16-1-1958 के संकल्प में उल्लिखित नौवहन समन्वय समिति समाप्त हो जाएगी और उसके स्थान पर "ट्रांसपोर्ट समीक्षा समिति" का गठन किया जाएगा जिसके निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(i) नौवहन और परिवहन मंत्रालय के नौवहन समन्वय और चार्टरिंग प्रभाग के कार्यों की समय-समय पर समीक्षा करना, और

(ii) लाइनर और चार्टर्ड जहाजों द्वारा सरकारी स्वामित्व वाले और/या नियंत्रित माल के नौवहन प्रबन्ध करने में उचित समन्वय सुनिश्चित करने और भारतीय टनभार का यथासंभव अधिकतम उपयोग करने के लिए मंत्रालयों, सरकारी क्षेत्र उपक्रमों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों पर सामान्य रूप से सलाह देना।

4. समिति नौवहन और परिवहन मंत्रालय में होगी और उसका निम्न प्रकार का गठन होगा :—

(क) अध्यक्ष सचिव, नौवहन और परिवहन मंत्रालय।

(ख) सदस्य

(1) सचिव, वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग), या उसका प्रतिनिधि
(2) नौवहन और परिवहन मंत्री के वित्तीय सलाहकार या उसका प्रतिनिधि।
(3) सचिव, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, (खाद्य विभाग), या उसका प्रतिनिधि।
(4) सचिव, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) या उसका प्रतिनिधि।
(5) सचिव, आपूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय (आपूर्ति विभाग), या उसका प्रतिनिधि।
(6) सचिव, वाणिज्य मंत्रालय या उसका प्रतिनिधि।
(7) सचिव, इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) या उसका प्रतिनिधि।
(8) सचिव, ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) या उसका प्रतिनिधि।
(9) सचिव, पैट्रोलियम मंत्रालय या उसका प्रतिनिधि।
(10) सचिव, रसायन और उर्वरक मंत्रालय या उसका प्रतिनिधि।
(11) नौवहन महानिदेशक, बम्बई या उसका प्रतिनिधि।
(12) अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम या उसका प्रतिनिधि।
(13) अध्यक्ष, भारतीय राज्य व्यापार निगम या उसका प्रतिनिधि।
(14) अध्यक्ष, भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम या उसका प्रतिनिधि।
(15) अध्यक्ष, भारतीय तेल निगम लि०, नई दिल्ली या उसका प्रतिनिधि।
(16) अध्यक्ष, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०, नई दिल्ली या उसका प्रतिनिधि।
(17) अध्यक्ष, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम निगम लि०, नई दिल्ली या उसका प्रतिनिधि।
(18) अध्यक्ष, भारतीय नौवहन निगम लि०, बम्बई या उसका प्रतिनिधि।
(19) अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय पोतस्वामी संघ, बम्बई या उसका प्रतिनिधि।
(20) चार्टरिंग के मुख्य नियंत्रक—सदस्य सचिव।

(ग) समिति आवश्यकतानुसार अन्य मंत्रालयों/विभागों/सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के प्रतिनिधियों को सहयोजित कर सकेगी।

(घ) समिति की छः महीने में कम से कम एक बैठक होगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति "ट्रांसपोर्ट समीक्षा समिति" के सदस्यों को राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सचिवों प्रधानमंत्री के सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम० रामकृष्णय्या, सचिव

---

श्रम मंत्रालय

संकल्प

दिनांक 25 मार्च 1977

सं० यू० 23017/1/75-डब्ल्यू० ए० (एम)—भारत सरकार ने, तारीख 7 अगस्त 1976 के भारत के राजपत्र, भाग-I, खण्ड 1 में प्रकाशित अपने संकल्प सं० यू०-23017/1/75-डब्ल्यू० ए० (एम), तारीख 2 अगस्त, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय किया है अर्थात् :—

उक्त संकल्प में—

I. पैरा 1 में

(i) "सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य" शीर्षक के अन्तर्गत "लोहा अयस्क खान कल्याण आयुक्त, गोवा, दमन व दीव" शब्दों के स्थान पर "महाराष्ट्र और गोवा, दमन व दीव के लोहा अयस्क खान कल्याण आयुक्त" शब्दों रखे जाएंगे,

(ii) प्रविष्टि 5 हटा दी जाएगी और प्रविष्टि 6 को प्रविष्टि 5 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा,

(iii) प्रविष्टि 5 को इस प्रकार पुनः संख्यांकित करने के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी; अर्थात् :—
"6 सदस्य सचिव—श्रम मंत्रालय के अवर सचिव"

II. पैरा 2 में, "श्रम मंत्रालय के अवर सचिव बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेंगे" शब्द हटा दिए जाएंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जाए :—

1. आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र बिहार, उड़ीसा और गोवा, दमन व दीव की सरकारें।
2. इस्पात मंत्रालय (इस्पात विभाग), नई दिल्ली।
3. बोर्ड के सभी सदस्य।
4. नियोजकों और श्रमिकों के सम्बंधित संगठन।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र के आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

धरनी धर,
श्रम कल्याण के महानिदेशक

## PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 4th April 1977

No. 34-Pres /77.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the West Bengal Police —

*Names and ranks of officers .*

Shri Arobinda Chatterjee,
Inspector-in-charge,
Jadavpur Police Station,
District 24-Parganas,
West Bengal.

Shri Jagadish Chandra Biswas,
Sub-Inspector of Police,
D I B., 24-Paraganas,
West Bengal.

*Statement of services for which the decoration has been awarded*

On the 31st July, 1974 Shri Arobinda Chatterjee, Inspector-in-charge of Jadavpur Police Station, received information that some top-ranking extremists had assembled in village Thandarpara (Santoshpur) with arms and ammunition and were planning some violent activities The Inspector, immediately organised a police party consisting of himself. Sub-Inspector Jagadish Chandra Biswas, some of his trusted men and a section of CRP The party reached the village in the small house of the 1st August, 1974 They located the hut which was made of bamboos. The Inspector peeped through a hole and found some youngmen engaged in conversation inside, in the dim light of a kerosene lamp The Inspector ordered the force to surround the hut He then himself alongwith Shri Biswas rushed into the room and asked the extremists to surrender. The extremists bolted the door from within and attacked the officers with iron rods. The Inspector and the Sub-Inspectors both received injuries on their forehead and hands but nevertheless fought back and with their revolvers fired at the extremists killing one of them on the spot and injuring two others One of the injured later succumbed to his injuries Three other extremists surrendered. Two rifles, some literature and ammunition were recovered from the hut.

In this encounter Shri Arobinda Chatterjee and Shri Jagdish Chandra Biswas exhibited gallantry, courage, initiative and devotion to duty of a high order

2. These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 31st July, 1974

No 35-Pres /77 —The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the West Bengal Police —

*Name and rank of the officer*

Shri Raghuban Prasad Singh, *(Deceased)*
Constable No. 2932,
District Armed Police,
24-Parganas,
West Bengal.

*Statement of services for which the decoration has been awarded*

On the 15th September, 1974 at about 09 30 hours a police party on patrol duty on river Bego Khal, District 24 Paraganas, accompanied fishermen belonging to the Sunderbans Estuarine Fishermen's Co-operative Society. Naik Jyoti Prakash Ukil and Shri Raghuban Prasad Singh were in an advance patrol boat with the rest of the party following in another boat The advance party saw a country boat with about 25 to 30 men coming close to a boat belonging to the fishermen Soon the fishermen started raising a hue and cry as the occupants of the unknown boat were trying to rob them Naik Jyoti Prakash Ukil and Constable Raghuban Prasad Singh challenged the occupants who started firing at the police party One of the bullets hit the left arm of constable Raghuban Prasad Singh However, undeterred by the injury Shri Singh as well as Shri Ukil continued to fire on the dacoits till the rest of the party joined them During the firing another bullet hit Constable Raghuban Prasad Singh in his chest as a result of which he was killed In this encounter two dacoits were killed and four guns and some ammunition was recovered

Constable Raghuban Prasad Singh thus exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 15th September, 1974.

No 36-Pres /77 —The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police :—

*Name and rank of the officer*

Shri Harpal Singh,
Sub-Inspector of Police,
Madhya Pradesh

*Statement of services for which the decoration has been awarded*

On 4th February, 1976 Shri Harpal Singh received information about two notorious dacoits hiding in the ravines of village Singroli. He collected the available force and rushed to the place He encircled the area by dividing his force into three groups. On spotting the dacoits sub-Inspector Harpal Singh challenged them to surrender The dacoits opened fire on the Police party Undeterred by the firing the Sub-Inspector also took position and engaged the dacoits He managed to kill one of them but the other continued to fire at the police. Unmindful of the risk to his life Sub-Inspector Harpal Singh continued the attack and tried to close in on the dacoit. At this, a dacoit in desparation rushed at the Sub-Inspector but Shri Harpal Singh was alert and with a good aim shot down the dacoit Some arms and ammunition were recovered from the person of the dacoits

In this encounter Shri Harpal Singh exhibited exemplary courage, determination, initiative and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 4th February, 1976

No 37-Pres /77 —The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Mizoram Armed Police —

*Name and rank of the officer*

Shri Luaia,
Sub-Inspector of Police,
1st Battalian,
Mizoram Armed Police

*Statement of services for which the decoration has been awarded*

On the 26th August, 1975, a party of three selected Mizoram Armed Police Personnel led by Shri Luaia was deputed to tackle a group of hostiles The Police party surrounded the house where the hostiles were hiding and challenged them to surrender One of the hostiles poked his revolver out of the window and tried to shoot but it misfired He then jumped through the window and tried to escape towards the jungle Sub-Inspector Luaia chased the fleeing hostile and tried to apprehend him with the help of another constable During the scuffle Sub-Inspector Luaia and a hostile rolled down the slop for about 10—15 yards The hostile tried his level best to shoot from his revolver but lost grip on it and the revolver fell down. The Police party then overpowered the hostile The other hostiles taking advantage of the situation escaped into the jungle

In this encounter Shri Luaia exhibited conspicuous gallantry, initiative and devotion to duty of a high order.

2 This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 26th August 1975.

The 26th January 1977

No. 38-Pres /77 —The President is pleased to approve the award of "Shaurya Chakra" for acts of gallantry to :—

1. Colonel Sudarshan Singh (IC-04092-P (Rajput Regiment),

Chief Security Officer,
Ministry of Defence.

(*Effective date of the award* . 26*th July*, 1975)

On July 26, 1975 at approximately 0250 hours, Colonel Sudarshan Singh, Chief Security Officer, Ministry of Defence, while proceeding in his car from his residence at Dhaula Kuan, New Delhi, to the Central Secretariat on his usual surprise checks of his guards noticed a suspicious looking individual holding a packet in his hand on the west of the road. Col. Sudarshan Singh beamed the lights of his car on the individual who ducked down to avoid the searching beam of the light This action of the individual added to the suspicion of Col. Sudarshan Singh who stopped his car and challenged the man. On being challenged, the individual ran into the adioining nullah leading towards the jungle over the ridge. Col Sudarshan Singh, unmindful of the risk involved and without caring for his personal safety, ran after the individual As he was about to catch him, he slipped into the nullah which was full of water and slush due to heavy rains on the previous days. He immediate got up and started chasing the individual. Taking advantage of the darkness, the suspect disappeared into the thick jungle, but the chase forced him to drop the packet as it was hampering his escape. Col. Sudarshan Singh picked up the packet and finding that it would be futile to chase the suspect any further, returned to his car He opened the packet and found that it contained a self loading 7.62 mm rifle with one magazine and a 9-mm machine carbine with two magazines These weapons and magazines were subsequently handed over at the Chankyapuri Police Station.

In this action, Colonel Sudarshan Singh displayed exemplary courage, initiative, determination and devotion to duty of a high order

2. 267944 Corporal Phani Raju Kala Venkata,

AFSO II.

(*Effective date of the award* : 25*th September*, 1975)

Corporal Phani Raju Kala Venkata has been on the posted strength of an Operational Wing since March, 1973. On the 25th September, 1975, when he was on Aircraft Crash Crew duty, an AN-12 aircraft landed with heavy smoke and fire in the crew cabin due to an electrical short circuit Corporal Phani Raju Kala Venkata immediately followed the aircraft with the crash tender As soon as the aircraft came to a halt he, in complete disregard to his personal safety, rushed into the aircraft and started extinguishing the fire Although he felt suffocated due to heavy smoke, he did not lose courage and continued his endeavours to extinguish the fire and was ultimately able to bring the fire under control and thus saved a valuable and irreplaceable aircraft.

In this action, Corporal Phani Raju Kala Venkata displayed exemplary courage, initiative, determination and devotion to duty of a high order.

3. 225696 Sergeant Sankaran Kutty Nair,

ACH/GD.

(*Effective date of the award* · 29*th October*, 1975)

On the 29th October, 1975, at about 20 00 hours, Sergeant Sankaran Kutty Nair was proceeding towards the MES Electricity sub-station in the domestic camp of his base to find out the cause of the failure of electric power As he was nearing the substation, he heard an explosion, and saw a flash coming out of the building and heard a cry for help He rushed towards the building and found that a man in flames was lying on the floor near the entrance and that smoke was coming out of the building In utter disregard of the danger to his personal safety, he entered the building and switched off the mains He then found that an MES employee was lying unconscious with his clothes in flames. Sergeant Nair put out the flames by rolling him on the ground and tearing off his clothes He then carried him to the Medical Inspection Room on his shoulders, where prompt first aid and subsequent treatment for burns in Military Hospital saved the individual's life. Thus by presence of mind and quick action he saved a valuable human life and expensive service equipment.

In this action, Sergeant Sankaran Kutty Nair displayed exemplary courage, great initiative and a high sense of public duty

4. 7235583 Lance Dafadar Gurbachan Singh,
RVC.

(*Effective date of the award* . 19*th November*, 1975)

Lance Dafadar Gurbachan Singh, a dog trainer, was member of a patrol party detailed to apprehend the culprits who had cut the under-ground cable of Army Headquarters Receiver Station on Ridge Road, New Delhi. In the darkness, he got detached from the patrol but kept on following the dog and reached a place in the jungle where two thieves were burning the cable for extraction of metal In complete disregard to his personal safety and without waiting for his companions, he challenged them On realising the danger, one of the thieves attacked him with an axe which hit him on his head Despite the injury, he grappled with the thief and did not allow him to escape. In the meanwhile the patrol party also reached the spot This led to the recovery of the stolen cable and arrest of the gang which committed such crimes.

In this action, Lance Dafadar Gurbachan Singh displayed exemplary courage, determination and devotion to duty of a high order.

5. Commander Narayana Radhakrishnan (Retd ),
Indian Navy

(*Effective date of award* 4*th January*, 1976)

Recently Commander Narayana Radhakrishnan was required to take part in a hazardous operation which called for extreme daring and immaculate execution By his personal example of calmness, speed and control the special task was completed within the stipulated time.

Commander Narayana Radhakrishnan thus displayed exemplary courage, determination and devotion to duty of a high order.

6. Shri C P Ravikumar,
Attender,
Bank of India,
K. R Circle,
Mysore

(*Effective date of the award* . 19*th January*, 1976)

On the 19th January, 1976, a criminal went to a branch of the Bank of India, K. R Circle, Mysore, pretending to be an agent of a commercial firm He observed the transactions for some time and then all of a sudden dashed towards the strong room, pointed a revolver at the employees of the Bank and asked them to raise their hands so that he could take out the cash, from the strong room. At that time Shri C P. Ravikumar, Sepoy of the Bank, threw a wooden parcel box over the hand of the culprit, as a result of which the revolver fell down from his hand. However, he managed to pick up the revolver and fired one round which caused injury to a person on his right knee. Meanwhile, Shri Ravikumar with the help of the Bank staff overpowered the accused, snatched away the revolver, detained him in the Bank and handed him over to the Police.

In this action Shri C P Ravikumar displayed remarkable initiative, exemplary courage, presence of mind and devotion to duty of a high order

7. G/100066 Oem Gopal Singh (*Posthumous*)
GREF.

(*Effective date of the award* : 19*th February*, 1976)

OEM Gopal Singh was the operator in charge of the dozer detailed for widening of the Churachandpur-Tipaimukh road. The widening was being carried out in a difficult rocky terrain. On the 19th February, 1976, due to rock blasting the road was completely blocked with boulders and debris, OEM Gopal Singh commenced clearing the road with the bulldozer.

While engaged in the clearing operation, he noticed huge slide coming over his dozer at that stage, OEM Gopal Singh could very easily have saved his life by jumping off the machine. But the imminent threat to his own life did not deter him from attempting to save his machine which otherwise would have been carried away, alongwith the slide, down the steep slope He immediately reversed his bulldozer and saved it from being hit by the on-coming rock slide How-

ever, as he was reversing, another single huge chunk of rock fell from a height of about forty feet directly on top of the operator's seat resulting in his instantaneous death

In this action, OEM Gopal Singh displayed exemplary courage, determination and devotion to duty of a high order

8. Brigadier Rajinder Singh (IC 5302), VSM, Artillery.

(*Effective date of award*: 9*th April*, 1976)

On 9th April, 1976, at about 20 15 hours, a gang of armed bandits held up two Uttar Pradesh Roadways buses near village Mundha Pande, between Moradabad and Rampur There were approximately fifty passangers in the buses who were deprived of their cash and other valuables.

Brigadier Rajinder Singh, who was returning from Delhi in his car, happened to arrive at the scene just then. Finding the road blocked and unaware of the incident, he stopped his car at a little distance. Soon one of the dacoits ran towards his car, covered him with a pistol and demanded the occupants of the car to get out and hand over their belongings to him The officer though outnumbered and effectively covered by the dacoits, shot at the bandit nearest to him with his pistol This bandit was the leader of a well-organised gang of highway robbers In the meantime, the Roadways buses sped away from the scene The movement of the buses afforded a few vital second to the robbers to escape along with their wounded companion, whom they later abandoned in a field The arrest of this wounded dacoit resulted in the liquidation of his gang.

In this action, Brigadier Rajinder Singh displayed exemplary courage, presence of mind and determination and a high sense of public duty.

9. Squadron Leader Davinder Singh Sant ( 8157) Flying (Pilot).
(*Effective date of the award*: 17*th June*, 1976)

Squadron Leader Davinder Singh Sant was commissioned in the Flying Branch (Pilot) of the Indian Air Force in December, 1963 During his tenure of about 13 years in various operational Squadrons, he has flown a total of about 20 00 hours and has acquired the highest Instrument Rating on Supersonic aircraft On 17th June, 1976, while imparting Dual combat instruction from the rear seat of a supersonic operational trainer aircraft he was involved in an accident in which his aircraft sustained extensive damage leading to extreme control difficulty This was further aggravated by the shattering of both the front and rear canopies resulting in visual difficulties. The incapacitation of the pilot in the front cockpit and the complete loss of radio communication, made the situation more grave The dislodging of the drogue parachute from the front seat in to the rear seat, partially control of flaps, total failure of the main braking system and absence of the pariscope made the safe recovery of the aircraft extremely difficult Notwithstanding the sudden shock, he acted in a cool and professional manner and recovered the severely damaged aircraft with an incapacitated pilot safety and thus save a valuable life

In this action, Squadron Leader Davinder Singh Sant displayed exemplary courage, professional skill and devotion to duty of a high order

10 6306198 Lance Naik Jagbeer Singh, Signals.

(*Effective date of the award* · 31*st August*, 1976)

On 31st August, 1976, at about 13 30 hours Lance Naik Jagbeer Singh saw a man moving about in a suspicious manner near the unit information room of a Signal Regiment located at Jaipur On enquiring about his particulars, the man told him that he was the brother of an individual serving in a particular battalion of Rajputana Rifles Lance Naik Jagbeer Singh knowing that the battalion had left the station sometime ago, got suspicious. He took him to the Regimental Headquarters where, on his request, he was permitted to use the bath room Lance Naik Jagbeer Singh who was already alert, heard some metallic sound coming from inside the bath room When that man came out of the bathroom, he summoned a sweeper who recovered nine live round of 9 mm ammunition from the latrine. Realising that he had been found out, the suspect tried to draw a 9 mm pistol which was tucked inside his trouser waist band Lance Naik Jagbeer Singh immediately grappled with the suspect and raised an alarm With the help of a few others, he disarmed and suspect, and found that the pistol was loaded and had seven rounds in the magazine. The suspect was later identified as a notorious dacoit wanted for a number of murders and dacoits.

In this action, Lance Naik Jagbeer Singh displayed exemplary courage, presence of mind, initiative and devotion to duty of a high order.

K BALACHANDRAN, Secy to the President

## CABINET SECRETARIAT
## (DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS)
## RULES

New Delhi, the 16th April, 1977

No. 13018/1/77-AIS(I) —The rules for a combined competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1977 for the purpose of filling vacancies in the following services/posts are, with the concurrence of the Ministries concerned and the Comptroller and Auditor General of India in respect of the Indian Audit and Accounts Service,published for general information.—

*Category I*

(i) The Indian Administrative Service, and

(ii) The Indian Foreign Service.

*Category II*

(i) The Indian Police Service,

(ii) The Delhi, and Andaman & Nicobar Islands Police Service, Group B and

(iii) Posts of Assistant Security Officer/Assistant Commandant/Adjutant,Group B in the Railway Protection Force

*Category III*

(a) *Group A Services*:

(i) The Indian P & T Accounts & Finance Service.

(ii) The Indian Audit & Accounts Service.

(iii) The Indian Customs and Central Excise Service.

(iv) The Indian Defence Accounts Service.

(v) The Indian Income-tax Service (Group A).

(vi) The Indian Ordance Factories Service, Group A (Assistant Managers—Non-Technical).

(vii) The Indian Postal Service.

(viii) The Indian Civil Accounts Service.

(ix) The Indian Railway Accounts Service

(x) The Indian Railway Traffic Service. and

(xi) The Military Lands and Cantonments Service, Group A.

(b) *Group B Services*

(i) The Central Secretariat Service, Section Officers' Grade, Group B

(ii) The Indian Foreign Service Branch 'B' Integrated Grade II and III of the General Cadre (Section Officers' Grade)

(iii) The Armed Forces Headquarters Civil Service Assistant Civilian Staff Officers' Grade, Group B,

(iv) The Customs Appraisers' Service, Group B and

(v) The Delhi and Andaman & Nicobar Islands Civil Service Group B.

1 A candidate may compete in respect of any one or more of the categories of Services/posts mentioned above (Please see Rule 4) He should clearly indicate in his application the Services covered by the category/categories concerned for which he wishes to be considered in the order of preference

A candidate belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or a woman candidate competing for the I A S /I.P.S.

should clearly indicate in his/her application the order of preference for the State Cadre in case he/she is selected for the I.A.S./I.P.S.

A male candidate not belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and competing for the IAS/IPS should indicate in his application if he would like to be considered for allotment to the State to which he belongs in case he is selected for the IAS/IPS.

*NO REQUEST FOR ALTERATION IN THE PREFERENCES INDICATED BY A CANDIDATE IN RESPECT OF SERVICES COVERED BY THE CATEGORY/CATEGORIES FOR WHICH HE/SHE IS COMPETING OR IN RESPECT OF THE STATE CADRES TO WHICH HE/SHE WOULD LIKE TO BE CONSIDERED FOR ALLOTMENT WOULD BE CONSIDERED UNLESS THE REQUEST FOR SUCH ALTERATION IS RECEIVED IN THE OFFICE OF THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION WITHIN 15 DAYS OF THE DATE OF DECLARATION OF THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION. NO COMMUNICATION EITHER FROM THE COMMISSION OR FROM THE GOVERNMENT OF INDIA WOULD BE SENT TO THE CANDIDATES ASKING THEM TO INDICATE THEIR REVISED PREFERENCES, IF ANY FOR THE VARIOUS CADRES/SERVICES AFTER THEY HAVE SUBMITTED THEIR APPLICATIONS. FOR SENDING THE REVISED PREFERENCES, IF ANY, THE CANDIDATES SHALL USE THE SAME FORMS AS GIVEN IN COLUMN 21 AND 22 OF THE APPLICATION FORM.*

*PROVIDED THAT WHERE A REQUEST IS MADE AFTER THE EXPIRY OF THE PERIOD AFORESAID, THE CABINET SECRETARIAT (DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS) MAY, IF IT IS SATISFIED THAT THE CANDIDATE WILL BE PUT TO UNDUE HARDSHIP IN REMAINING IN THE SERVICE FOR WHICH HE HAS INDICATED HIS PREFERENCE AND IN CONSULTATION WITH THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, CONSIDER SUCH REQUEST.*

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission.

Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951; The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951; [as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971], the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, and the Constitution (Nagaland), Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix II to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. The combined competitive examination for recruitment to I.A.S. etc. is to be treated as comprising three separate and distinct examinations for three categories of Services/posts *viz.*, (i) IAS and IFS, (ii) IPS, Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police Service and posts of Assistant Security Officer/Assistant Commandant/Adjutant, 'Group B' in Railway Protection Force and (iii) Central Services, Delhi and Andaman & Nicobar Islands Civil Service, Goa, Daman and Diu Civil Service and Pondicherry Civil Service.

5. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or is not a migrant from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania or is not a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia shall be permitted to compete more than three times at the examination for each of the three categories of Services/posts mentioned in Rule 4 above, but this restriction is effective from the examination held in 1961.

NOTE 1.—If a candidate actually appears in *any* one or more subjects he shall be deemed to have competed at the examination for each of the categories of Services/posts to which he is admitted by the Commission.

NOTE 2.—The existing scheme of examination the syllabi for the various subjects and the number of times for which a candidate can compete at the examination are liable to be revised for the examinations to be held after 1977.

6. (1) For the Indian Administrative Service and the Indian Police Service a candidate must be a citizen of India.

(2) For other Services, a candidate must be either—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibean refugee who came over to India, before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Provided further that candidates belonging to categories (b), (c) and (d) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

7. (a)(i) A candidate for the Indian Administrative Service, the Indian Foreign Service and for all the remaining Services, excepting the Indian Police Service Delhi, and Andaman & Nicobar Islands Police Service and posts of Assistant Security Officer/Assistant Commandant/Adjutant, Group B in the R.P.F. mentioned in paragraph 1 above must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 26 years on the 1st August, 1977 i.e., he must have been born not earlier than 2nd August, 1951 and not have than 1st August 1956.

(ii) A candidate for the Indian Police Service, Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police Service and posts of Assistant Security Officer/Assistant Commandant/Adjutant, Group B in the R.P.F. must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 26 years on the 1st August, 1977 i.e., he must have been born not earlier than 2nd August, 1951 and not later than 1st August, 1957.

(b) The upper age limit prescribed above will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January 1964 and 25th March, 1971,

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Schedule Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile

East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971,

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964,

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide*, repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania or who is a repatriate of Indian origin from Zambia, Agreement of October, 1964,

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963

(viii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Sheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963

(ix) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof,

(x) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes

(xi) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force Personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, and

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel, disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released, as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED

8 A candidate must hold a degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational Institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or posses an equivalent qualification

NOTE I.—Candidates who have appeared at an examination the passing of which would render them educationally qualified for the Commission's examination but have not been informed of the result as also the candidates who intend to appear at such a qualifying examination will *NOT* be eligible for admission to the Commission's examination

NOTE II.—In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate provided that he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination

9 A candidate who is appointed to a Service in Category I (I A S or I F S) on the results of an earlier examination will not be eligible to compete at this examination

A candidate who is appointed to a Service mentioned in col (ii) below on the results of an earlier examination will be eligible to compete at this examination only for Services mentioned against that Service in col. (iii) below :

| Sl No | Service to which appointed | Service for which eligible to compete. |
|---|---|---|
| (i) | (ii) | (iii) |
| 1 | Indian Police Service | (*i*) Category I (I A S. and I. F. S.). |
| | | (*ii*) Central Services (Group A in Category III) |
| 2 | Central Services Group A | (*i*) Category I. (I A. S and I. F S) |
| | | (*ii*) I. P S in Category II. |
| 3. | Central Services, Group B (including Civil and Police Services, in Union Territories) | (*i*) Category I (I A. S. and I F.S.) |
| | | (*ii*) I. P. S in Category II. |
| | | (*iii*) Central Services, Group A in Category III |

10 Candidates must pay the fee prescribed in para 6 of the Commission's Notice

11 All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily rated employees, will be required to submit a 'No Objection Certificate' from the Head of their Office/Department in accordance with the instructions, contained in para 2 of Annexure to the Commission's Notice

12. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final

13 No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission

14 A candidate who is or has been declared by the Commission to be guility of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script (s), or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations, or

(xi) attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them,

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

15 Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes may be summoned for an interview for a personality test by the Commission by applying relaxed standards if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for interview for a personality test on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them

16 After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota subject to the fitness of these candidates for appointment to the services irrespective of their ranks in the order of merit at the examination

17. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

18 Due consideration will be given at the time of making appointments on the results of the examination to the preferences expressed by a candidate for various Services at the time of his application

Provided that a candidate who is appointed to a Service in Category I (IAS or IFS) on the results of an earlier examination, will not be considered for appointment to any other Service on the results of this examination

Provided further that a candidate who is appointed to a Service mentioned in col (ii) below on the results of an earlier examination will be considered only for appointment in Services mentioned against that Service in col (iii) below on the results of this examination

| Sl. No | Service to which appointed | Services to which appointment will be considered |
|---|---|---|
| (i) | (ii) | (iii) |
| 1 | Indian Police Service | (i) Category I (IAS and IFS)<br>(ii) Central Services, Group A in Category III |
| 2 | Central Services, Group A | (i) Category I (IAS and IFS)<br>(ii) I. P S in Category II |
| 3. | Central Services, Group B (including Civil and Police Services in Union Territories) | (i) Category I (IAS and IFS.)<br>(ii) I. P S. in Category II<br>(iii) Central Services, Group A in Category III) |

19 Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his character and antecedents is suitable in all respects, for appointment to the Service

20 A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority as the case may be may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed Any candidate called for the Personality Test by the Commission may be required to undergo medical examination No fee shall be payable to the Medical Board by the candidate for medical examination

NOTE I—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standard required are given in Appendix III to these Rules For the disabled ex-Defence Services personnel and the Border Security Force personnel disabled in operation during Indo-Pak hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, the standards will be relaxed consistent with the requirements of the Service(s)

Note II—The medical standards prescribed for entry in the Indian Postal Service are likely to be revised

21 No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to service

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation on this rule

22 Candidates are informed that some knowledge of Hindi prior to entry into service would be of advantage in passing departmental examinations which candidates have to take after entry into service

23 Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix II

R C SAMAL Under Secy

## APPENDIX I

### SECTION I

Plan of the Examination

The competitive examination comprises —

(A) Written examination in—

(i) three compulsory subjects (for all Services/posts) Essay, General English, and General Knowledge, each with a maximum of 150 marks [see Sub-Section (a) of Section II below],

(ii) a selection from the optional subjects set out in Sub-Section (b) of Section II below Subject to the provisions of that Sub section, candidates may take optional subjects up to a total of 600 marks for all Services except the Services/posts under Category II (*c*) Rules 1 and 4) for which optional subjects up to a total of 400 marks only may be taken The standard of these papers will be approximately that of an Honours Degree Examination of an Indian University, and

(iii) a selection from the additional subjects set out in Sub-Section (c) of Section II below Subject to the provision of that Sub-Section, candidates may take additional subjects up to a total of 400 marks for the Indian Administrative Service and Indian Foreign Service (Category I) The standard of these papers will be higher than that prescribed for the optional subjects under Sub-Section (A)(ii) above.

(B) Interview for Personality Test (vide Part D of the Schedule to this Appendix) of such candidates as may be called by the Commission carrying maximum marks as Follows

| | |
|---|---|
| *Category I* | |
| Indian Foreign Service | 100 |
| Indian Administrative Service | 300 |
| *Category II and III* : | |
| All Services/Posts | 200 |

SECTION II

*Examination Subjects*

(a) *Compulsory subjects* (vide *Sub Section A (i) of Section I above*) —

| | Maximum Marks |
|---|---|
| Essay | 150 |
| General English | 150 |
| General Knowledge | 150 |

NOTE :—The syllabi of the subjects mentioned above are given in Part A of the Schedule to this Appendix

(b) *Optional Subject* (vide *Sub Section A (ii) of Section I above*) —

Candidates for Services/Posts under category II (cf Rules 3 and 4) may offer any two, and for all other Services any three the following subjects —

| Subjects | Code No | Maximum Marks |
|---|---|---|
| Pure Mathematics | 01 | 200 |
| Applied Mathematics | 02 | 200 |
| Statistics | 03 | 200 |
| Physics | 04 | 200 |
| Chemistry | 05 | 200 |
| Botany | 06 | 200 |
| Zoology | 07 | 200 |
| Geology | 08 | 200 |
| Geography | 09 | 200 |
| English Literature | 10 | 200 |
| *One of the following* | | |
| Assamese | 11 | 200 |
| Bengali | 12 | 200 |
| Gujarati | 13 | 200 |
| Hindi | 14 | 200 |
| Kannada | 15 | 200 |
| Kashmiri | 16 | 200 |
| Malayalam | 17 | 200 |
| Marathi | 18 | 200 |
| Oriya | 19 | 200 |
| Punjabi | 20 | 200 |
| Sindhi-Devanagari | 21 | 200 |
| Sindhi-Arabic | 22 | 200 |
| Tamil | 23 | 200 |
| Telugu | 24 | 200 |
| and Urdu | 25 | 200 |
| *One of the Following* : | | |
| Arabic | 26 | 200 |
| Chinese | 27 | 200 |
| French | 28 | 200 |
| German | 29 | 200 |
| Pali | 30 | 200 |
| Persian | 31 | 200 |
| Russian | 32 | 200 |
| Sanskrit | 33 | 200 |
| Indian History | 34 | 200 |
| British History | 35 | 200 |
| European History | 36 | 200 |
| World History | 37 | 200 |
| General Economics | 38 | 200 |
| Political Science | 39 | 200 |
| Philosophy | 40 | 200 |
| Psychology | 41 | 200 |
| Law-I | 42 | 200 |
| Law-II | 43 | 200 |
| Law-III | 44 | 200 |
| Applied Mechanics | 45 | 200 |
| Sociology | 46 | 200 |

Provided that the following restrictions shall apply to particular optional subjects :—

(i) Of the subjects with codes 01,02 and 03 not more than two can be offered for any category of Services/posts

(ii) Of the subjects with codes 11 to 25, only one can be offered

(iii) Candidates for Services/Posts other than the Indian Foreign Service may not offer more than one of the languages with codes 26 to 33 mentioned above For the Indian Foreign Service only, candidates are allowed to offer any two of these languages but no candidate shall be allowed to offer both Pali (code 30) and Sanskrit (code 33).

(iv) Of the History subjects with codes 34, 35, 36 and 37 not more than two can be offered for any category of Services/posts but no candidate shall be allowed to offer both European History (Code 36) and World History (code 37).

(v) Of the subjects with codes 40 and 41, not more than one can be offered for any category of Services/posts

(vi) Of the Law subjects with codes 42, 43 and 44, not more than two can be offered for any category of Services/posts.

(vii) Subject with code 45 must not be offered for the Services/posts under Category II

NOTE 1—No change in the subjects offered by the candidate in his application for the examination will be allowed

NOTE 2—The syllabi of the subjects mentioned above are given in Part B of the Schedule to this Appendix

(c) *Additional subjects* [vide Sub Section A(iii) of Section I above].

Candidates competing for the Indian Administrative Service/Indian Foreign Service (Category I), must also select any two of the following subjects :—

| Subject | Code No. | Maximum Marks |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Higher Pure Mathematics | 50 | 200 |
| OR | | |
| Higher Applied Mathematics | 51 | 200 |
| Higher Physics | 52 | 200 |
| Higher Chemistry | 53 | 200 |
| Higher Botany | 54 | 200 |
| Higher Zoology | 55 | 200 |
| Higher Geology | 56 | 200 |
| Higher Geography | 57 | 200 |
| English Literature (1798-1935) | 58 | 200 |
| Indian History (From Chandragupta Maurya to Harsha) | 59 | 200 |
| OR | | |
| Indian History II (The Great Mughals (1526—1707) | 60 | 200 |
| OR | | |
| Indian History III (From 1772 to 1950) | 61 | 200 |
| OR | | |
| British Constitutional History (From 1603 to 1950) | 62 | 200 |
| OR | | |
| European History (From 1871 to 1945) | 63 | 200 |
| Advanced Economics | 64 | 200 |
| OR | | |
| Advanced Indian Economics | 65 | 200 |
| Political Theory from Hobbes to the present day | 66 | 200 |
| OR | | |
| Political Organisation and Public Administration | 67 | 200 |
| OR | | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| International Relations | 68 | 200 |
| Advanced Metaphysics including Epistemology | 69 | 200 |
| OR | | |
| Advanced Psychology including experimental Psychology | 70 | 200 |
| Constitutional Law of India | 71 | 200 |
| OR | | |
| Jurisprudence | 72 | 200 |
| Medieval Civilisation as reflected in Arabic Literature (570 A D - 1650 A D.) | 73 | 200 |
| OR | | |
| Medieval Civilisation as reflected in Persian Literature (570 A D - 1650 A.D.) | 74 | 200 |
| OR | | |
| Ancient Indian Civilisation and Philosophy | 75 | 200 |
| Anthropology | 76 | 200 |
| Advanced Sociology | 77 | 200 |

Provided that the following restrictions shall apply to particular additional subjects

(1) No candidates shall be allowed to offer both Indian History I (code 59)and Ancient Indian Civilisation and Philosophy (code 75)

(2) No candidate shall be allowed to offer both European History (code 63) and International Relations (code 68)

NOTE 1—No change in the subjects offered by the candidate in his application for the examination will be allowed

NOTE 2—The Syllabi of the subjects mentioned above are given in Part C of the Schedule to this Appendix

## SECTION III

### General

1 (a) The question papers in 'Essay' and 'General Knowledge, vide items (1) and (3) respectively of Sub-Section (a) of Section II above, may be answered in English, or in any one of the languages mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution, *viz* Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Sindhi Tamil, Telugu and Urdu Candidates exercising the option to answer both the papers in a language other than English must choose the same language for both the papers. The option will apply to a complete paper and not to a part thereof

(b) Question papers in all other subjects must be answered in English except question papers in languages, with codes 11 to 33 vide sub-section (b) of Sections II above, which unless specifically required otherwise, may be answered in English or in the language concerned

NOTE 1—A candidate desirous of answering the question paper(s) mentioned in para 1(a) above in a language other than English must clearly indicate in column 12 of the Application Form, the code number of that language against the paper(s) concerned If no entry is made in the said column in respect of either or both of the papers, it will be assumed that the paper/papers will be answered in English. *The option once exercised shall be treated as final; and no request for alternation or addition in the said column shall be entertained*

NOTE II.—Candidates exercising the option to answer the paper(s) in para 1(a) above in any of the languages mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution will be required to write their answers in the respective script indicated below

| Language Script | Code No |
|---|---|
| Assamese-Assamese | 11 |
| Bengali-Bengali | 12 |
| Gujarati-Gujarati | 13 |
| Hindi-Devanagari | 14 |
| Kannada-Kannada | 15 |
| Kashmiri-Persian | 16 |
| Malayalam-Malayalam | 17 |
| Marathi-Devanagari | 18 |
| Oriya-Oriya | 19 |
| Punjabi-Gurmukhi | 20 |
| Sanskrit-Devanagari | 33 |
| *(a) Sindhi-Devanagari | 21 |
| *(b) Sindi-Arabic | 22 |
| Tamil-Tamil | 23 |
| Telugu-Telugu | 24 |
| Urdu-Persian | 25 |

Candidates exercising the option to answer the paper(s) referred to in para 1(a) above in Sindhi must also indicate in column 12 of the application form the name of the particular script (code 21 or code 22) which they will adopt

Candidates exercising the option to answer the paper(s) referred to in para 1(a) above in any of the languages mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution may if they so desire, give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the version in the language opted by them

2 The duration of each of the papers referred to in Sub-sections (a) (b) and (c) of Section II above will be 3 hours

3 Candidate must write the papers in their own hand In no circumstances, will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them

4 The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

5 For the Indian Administrative Service and the Indian Foreign Service, (Category I), the two additional papers of only such candidates will be examined and marked as attain such minimum standard as may be fixed by the Commission in their discretion at the written examination in all the other subjects.

6 If a candidate's handwriting is not easily legible, a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him

7 Marks will not be allotted for mere superficial knowledge

8 Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination

9 In the question papers, wherever necessary, questions involving the Metric System of weights and measures only will be set

## SCHEDULE

### PART A

*[Vide Sub-Section (a) of Section II of Appendix I]*

### *ESSAY*

Candidates will be required to write essay on two topics The choice of subjects will be given They will be expected to keep closely to the subject of the essay to arrange their ideas in orderly fashion, and to write concisely Credit will be given for effective and exact expression

*GENERAL ENGLISH*

Candidates will be required to answer questions designed to test their understanding of English and workmanlike use of words. Some of the questions will be devised to test also their reasoning power, their capacity to perceive implications and their ability to distinguish between the important and the less important. Passages will usually be set for summary or precis. Credit will be given for concise and effective expression.

*GENERAL KNOWLEDGE*

Including knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any Scientific subject. The paper will also include question on History of India and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study, and questions on the teachings of Mahatma Gandhi. The paper will consist of objective type questions only.

PART B

*[Vide Sub-Section (b) of Section II of Appendix I]*

*PURE MATHEMATICS (Code-01)*

The subjects included will be (1) Algebra, (2) Infinite Sequences and Series, (3) Trigonometry, (4) Theory of equations, (5) Analytic Geometry of two and three dimensions, (6) Analysis and (7) Differential Equations.

(1) *Algebra*: Sets, Union, Intersection difference and complementation properties, Venn Diagram, Properties of natural numbers, Real numbers and their representation by decimals, Complex numbers, Argand Diagram, Cartesian Products, Relation, Mapping, Function as a mapping, Equivalance relations, Groups, Esomorphism of groups, Sub-groups, Normal subgroups, Lagranges Theorem, Frobenius theorem.

The definitions and illustrations of Rings and Fields, Divisors of Zero and Homomorphisms, Vector spaces.

Determinants, Addition, subtraction, multiplication and inversion of matrix, Linear homogeneous and non-homogeneous equations, Cayley-Hamilton theorem.

Elementary number theory, Fundamental theorem of arithmetic, Congruences, Theorems of Fermat and Wilson.

Inequalities, Arithmetical and Geometrical means, Inequalities of Cauchy, Schwarz, Holder and Minkowsky.

(2) Infinite Sequences and Series.—Concept of limit, Infinite series, Convergent, divergent and Oscillatory series, Cauchy's general principle of convergence, Comparison and ratio tests, Gauss' test, Absolute convergence and derangement of series.

(3) Trigonometry: De Moivre's theorem for rational index and its applications, Inverse Circular and hyperbolic functions, Expansions and summation of trigonometrical series, Expressions for sine and cosine in terms of infinite products.

(4) Theory of Equations: General properties of polynomial equations, Transformation of equations, Nature of the roots of cubic and biquadratic, Cardan's solution of the cubic, Resolution of biquadratic into quadratic factors, Location of roots and Newton's method of divisors.

(5) *Analytic Geometry of two and three dimensions*.—Straight line, Pair of straight lines, circle, system of circles, Ellipse, Parabola, Hyperbola, Reduction of a second degree equation to a standard form.

Planes, straight lines, sphere, cone, coincides and their tangent and normal properties. (Vector methods will be permissible.)

(6) *Analysis*: Concepts of Limit, Continuity, Derivation, differentiability of a function of one real variable, Properties of continuous functions, Characterisation of discontinuities, Mean value theorems, Evaluation of indeterminate forms, Taylor's and Maclaurin's theorems with Lagrange's and Cauchy's forms of remainders, Maxima and minima of function of one variable, Plane curves, singular points, curvature, curve tracing, Envelopes, Partial Differentiation, Differentiability of a function of more than one real variable.

Standard methods of integration, Riemann's definition of definite integral of continuous functions, Fundamental theorem of integral calculus, First mean value theorem of integral calculus, Rectification, quadrature, volumes and surfaces of solids of revolution and their applications.

(7) *Differential Equations*: Formation of ordinary differential equation, Order and degree, Geometrical demonstration of the existence theorem for $\frac{dy}{dx} = f(x)$.

First order linear and non linear equations, Singular points, Singular solutions, Linear differential equations and their important properties, Linear Differential Equations with constant co-efficients, Cauchy-Euler type of equations, Exact differential equations and equations admitting integrating factor, Second order equations, Changing of dependent and independent variables, Solution when one integral is known, Variation of parameters.

*APPLIED MATHEMATICS (CODE-02)*

The subjects included will be (1) Vector Analysis, (2) Statics, (3) Dynamics and (4) Hydrostatics.

(1) *Vector Analysis*: Vector Algebra, Differentiation of vector function of a scalar variable, Gradient, divergence and curl in cartesian, cylindrical and spherical coordinates and their physical interpretation. Higher order derivatives, Vector identities and Vector equations, Gauss and Stokes theorems.

(2) *Statics*: Fundamental laws of Newtonian Mechanics, Theory of Dimensions, Plane statics, Equilibrium of system of particles, Work and Potential Energy, Centre of mass and Centre of gravity, Friction, Common Cantenary, Principle of virtual work, Stability of equilibrium, Equilibrium of forces in three dimensions.

Attraction and Potential of rods, rectangular and circular discs, spherical shells, sphere, Equipotential surfaces and their properties, properties of potentials, Green's equivalent stratum, Laplace's and Poisson's equations.

(3) *Dynamics*: Velocity vector, Relative velocity, Acceleration, Angular velocity, Degrees of freedom and constraints, Rectilinear motion, Simple harmonic motion, Motion in a plane, Projectiles, Constrained motion, Work and energy, Motion under impulsive forces, Kepler's laws, Orbits under central forces, Motion of varying mass, Motion under resistance, Moments and products of inertia, Two dimentional motion of a rigid body under finite and impulsive forces, Compound pendulum.

(4) *Hydrostatics*: Pressure of heavy fluids, Equilibrium of fluids under given system of forces, Centre of pressure, Thrust on curved surfaces, Equilibrium of floating bodies, Stability of equilibrium, Pressure of gases and problems relating to atmosphere.

*STATISTICS (Code-03)*

I. *Probability*

Classical and Statistical definitions of probability, Simple theorems on probability with examples, Conditional probability and statistical independence, Bayes theorem, Random variables—Discreet and Continuous, Probability functions and probability density functions, Probability distributions in one or more variates, Mathematical expectations, Techebycheffs inequality, Weaklaw of large numbers, Simple form of Central Limit theorem.

II. *Statistical Methods*

Compilation, classification, tabulation and diagrammatic representation of various types of statistical data.

Concepts of statistical population, and frequency curve, Measures of Central tendency and dispersion, Moments and cumulants, Measures of Skewness and Kurtosis, Moment-generating functions.

Study of standard probability distributions—Binomial, Poisson, Hypergeometric, Normal, Negative—Binomial, Rectangular and lognormal distributions, General description of the Pearsonian system of curves.

General properties of a bivariate distribution, bivariate normal distribution, Measures of association and contingency, Correlation and Linear regression involving two or more variables, Correlation ratio, Intraclass correlation, Rank correlation, Non-linear regression analysis.

Curvefitting by methods of free-hand curves moving averages, group averages, least squares and moments Orthogonal Polynominals and their uses.

III *Sampling distribution and statistical inference*

Random sample statistics, concepts of sampling distribution and standard error

Derivation of sampling distribution of mean of independent normal variates $\chi^2$, t and F Statistics, their properties and uses Derivation of sampling distribution of sample means variances and correlation coefficient from a bivariate normal population Derivation (in large samples) and uses of Pearsonian $\chi^2$

Theory of Estimation Requirements of a good estimate unbiasedness, consistency, efficiency and sufficiency. Cramer Rao lower bound to variance of estimates Best linear unbiased estimates

Methods of estimation—general descriptions of the methods of moments method of maximum likelihood, method of least squares and method of minimum $\chi^2$. Properties of maximum likelihood estimators (without proof). Theory of confidence intervals— imple problems of setting confidence limits.

Theory of Testing of Hypotheses, Simple and composite hypotheses Statistical tests and critical regions. Two kind of error, level of significance and power of a test.

Optimum critical regions for simple hypotheses concerning one parameter. Construction of such regions for simple hypotheses relating to a normal Population.

Likelihood ratio tests Tests involving mean variance, correlation and regression coefficients in univariate and bivariate normal populations Simple non parametric tests—sign, run, median rank and randomisation tests.

Sequential test of a simple hypotheses against a simple alternative (without derivation)

IV *Sampling techniques*

Sampling versus complete enumeration. Principles of sampling Frames and sampling units. Sampling and non-sampling errors. Simple random sampling Stratified sampling Cluster sampling Systematic sampling. Description of multi stage and multiphase sampling. Ratio and regression methods of estimation. Designing of sample surveys with reference to recent large scale surveys in India.

V *Design of Experiments*

Analysis of variance and covariance with equal number of observations in the cells

Transformation of variates to stabilise variance.

Principles of experimental designs. Completely randomised block and latin square designs. Missing plot techniques. Factorial experiments with confounding in $2s[s-2(1)5]$, $3^2$ and $3^3$ designs. Splitpot design Balanced incomplete designs and simple latice.

## PHYSICS (CODE-04)

General Properties of matter and Mechanics —Units and dimensions Rotational motion and moments of inertia. Gravity, Gravitation, planetary motion Stress and Strain relationship, elastic modulii and their inter relations. Surface tension, capillarity Flow of incompressible fluids Viscosity of liquids and gases.

Sound.—Forced vibrations and resonance. Wave motion Doppler effect Vibrations of strings and air columns Measurement of frequency, velocity and intensity of sound Musical scales Accoustics of halls Ultrasonics

Heat and Thermodynamics —Elements of the kinetic theory of gases Brownian motion Van der Waals equation of state Measurement of temperature specific heat and thermal conductivity Joule Thompson effect and liquefaction of gases Laws of thermodynamics Heat engines Black body radiation

Light – Geometrical optics and simple optical systems Telescope and microscope Defects in optical images and their corrections Wave theory of light Measurement of velocity of light. Interference diffraction and polarization of light. Simple interferometers. Elements of spectroscopy, Raman effect

Electricity and Magnetism.—Calculation of field and potential in simple cases. Gauss's theorem. Electrometers Electrical and magnetic properties of matter and their measurement. Magnetic field due to electric current galvanometers. Measurement of current and quantity of electricity Potentiometer, Resistance, Inductance and capacitance, and their measurement Thermoelectricity. Elements of alternating currents. Dynamos and motors. Electrolysis, Electromagnetic waves Radio valves and their simple applications, transmission and reception of wireless waves Television

Elements of modern Physics —Elementary properties of electron, proton and neutron Planck's constant and its measurement. Bohr's theory of the atom. X-rays and their properties. Elements of radio activity and properties of alpha beta and gamma rays. Nuclei of atoms. Elements of the special theory of relativity, mass and energy Fission and fusion Cosmic rays.

## CHEMISTRY (CODE 05)

Inorganic Chemistry.—Structure of the atom The periodic Law, Radioactivity, Isotopes, Artificial transmutations of elements. Nuclear fission. Nature of chemical bonds. The inert gases of the atmosphere. Chemistry of the more common and useful elements and their compounds. Rare earth elements. Hydrides oxides, oxyacids, peracids and persalts and carbides. Inorganic complexes Basic principles of chemical analysis.

*Organic Chemistry.*—Petroleum and petroleum products. Chemistry of the following classes of aliphatic compounds : Saturated and unsaturated hydrocarbons, alcohols, ethers, aldehydes. Ketones mono and dicarboxylic acid, esters, substituted carboxylic acids, thio, nitro and cyano compounds, amines urea and ureides, organometallic compounds monsaccharides (including structures) carbohydrates and proteins (general ideas). Simple alcyclic compounds. Strain theory.

*Aromatic.*—Benzene naphalene and anthracene and their principal derivatives; coaltar distillation, phenols aromatic alcohols, aldehydes ketones. Aromatic acids and hydroxyacids Stoichindrance. Arylamines Diazo, azo and hydrazo compounds. Quinones, Heterocyclic compounds, pyrrole pyridine quinoline indole and indigo Azo, triphenylmethane and phthalein dyes.

Simple molecular rearrangements. Isomerism stereoisomerism and tautomerism polymerisation

*Physical Chemistry.*—The kinetic theory. Properties of gases. Equations of state (Vander Waals Dieterici). The critical state. Liquefaction of gases. Physical properties of liquids in relation to their chemical constitution Elementary Crystallography.

The first and second laws of thermodynamics and their application to simple physical and chemical processes Chemical equilibrium and Law and Mass Action Le Chatelier's Principle. The Phase Rule and its application to one-component systems and to the ironcarbon system.

Rate and order of a reaction. First and second order reactions Chain reactions. Photochemical reactions Catalysis Adsorption

Electrolytic dissociation. Ionic equilibria Acid-base equilibria and indicators. Study of electrolytic conductance and its applications Electrode potentials E M F. of cells, Measurements of E M F and their applications.

## *BOTANY (CODE-06)*

Form structure, habit, economic importance, life histories and inter-relationships of the important representatives of the various groups and sub-groups, or families and sub-families of cryptogams (including bacteria with viruses) and phanerogams, with special reference to Indian plants.

The fundamental principles and processes of plant physiology.

A general knowledge of important diseases of crop plants in India and methods of their control and eradication.

The basic facts relating to ecology and plant geography, with special reference to Indian flora and the botanical regions of India.

Basic knowledge about evolution, cytology, genetics and plant breeding

Economic uses of plants specially flowering plants in relation to human welfare, particularly with reference to such vegetable products as food-grains, pulses, fruits, sugars and starches oil-seeds, spices, beverages fibres, woods, rubber drugs and essential oils

A general familiarity with the development of knowledge relating to the botanical science

*ZOOLOGY (CODE-07)*

The classification, bionomics, morphology, life-history and relationship of nonchordates and chordates with special reference to Indian forms

Functional morphology (form structure and function) of the integument endoskeleton, locomotion feeding, blood-circulation respiration osmoregulation, nervous system, receptors and reproduction. Elements of vertebrate embryology.

Evolution : evidences, theories and their modern interpretations Mendelian inheritance; mutation. Structure of animal cell; basic principles of cytology & genetics Adaptation and distribution.

*GEOLOGY (CODE-08)*

*Physical Geology and Geomorphology*—Origin, structure interior and age of the Earth Geosynclines and mountains. Isostasy. Origin of continents and oceans. Continents drift Seismology Volcanology Geological action of surface agencies

*Structural and Field Geology*—Common structures of igneous, sedimentary and metamorphic rocks Study of folds, faults, unconformities joints and thrusts. Elementary ideas of methods of geological Surveying and Mapping

*Crystallography and Mineralogy*.—Elements of crystal forms and symmetry. Laws of Crystallography, Crystal systems and classes; Crystal habits; twinning. Stereographic projections. Physical chemical and optical properties of minerals. Study of more important rock-forming and economic minerals regarding their chemical and physical properties, crystallographic and optical characters, alterations, occurrence and commercial uses.

*Stratigraphy and Palaeontology*—Principles of Stratigraphy Indian Stratigraphy. Lithological and Chronological subdivisions of Geological record. Fossils—nature and mode of preservation; bearing on Organic evolution. Invertebrate and plant fossils

*Economic Geology*.—Theories of Ore genesis Classification geology, occurrence localities and resources of chief metallic and non-metallic minerals of India. Mineral industries in India. Principles of Geophysical prospecting and ore dressing.

*Petrology*.—Origin, constitution, structure and classification of igneous, sedimentary and metamorphic rocks Study of common Indian Rock types.

GEOGRAPHY (CODE-09)

Physical and Human Geography of the world with special reference to India. Principles of Physical Geography comprising a detailed study of the lithosphere hydrosphere and atmosphere leading up to the modern views regarding cycle concepts, isostasy, process of mountain formation, weather phenomena, surface and subsurface movement of ocean waters, etc

Principles of Human Geography comprising a detailed study of the distribution of man on the basis of culture race, religion, etc environment and mode of life, population trends population movements.

Candidates are expected to have a detailed knowledge of physical, human and economic geography of India

ENGLISH LITERATURE (CODE-10)

Candidates will be expected to show a general knowledge of the history of English Literature from the time of Chaucer to the end of the reign of Queen, Victoria, with special reference to the words of the following authors :—

Shakespeare, Milton, Dryden, Johnson, Wordsworth, Keats, Dickens, Tennyson, Arnold and Hardy

Evidence of first-hand reading will be required. The paper will be designed also to test the candidates' critical ability

ASSAMESE (CODE-11), BENGALI (CODE-12), GUJARATI (CODE-13), HINDI (CODE-14), KANNADA (CODE-15), KASHMIRI (CODE-16), MALYALAM (CODE-17) MARATHI (CODE-18), ORIYA (CODE-19), PUNJABI (CODE-20), SINDHI (CODE-21 OR 22), TAMIL (CODE-23), TELUGU (CODE-24), AND URDU (CODE-25)—Candidates will be expected to show a knowledge of the language and its literature They must have first hand knowledge of the best known words with which they deal, though questions on works of lesser importance may also be set They will also be expected to possess such knowledge of the historical and cultural background, of intellectual and artistic movements and of linguistic developments as will enable them to understand the literature. Questions may be set on literary, history and on language. Candidates will be required to translate/explain and may be asked to comment on passages.

NOTE—A candidate offering any of the subjects mentioned above with codes 11 to 25 may be required to answer some or all the questions in the language concerned. The scripts required to be used for these languages are indicated below

Language Script

Assamese—Assamese
Bengali—Bengali.
Gujarati—Gujarati
Hindi—Devanagari.
Kannada—Kannada
Kashmiri—Persian
Malayalam—Malayalam
Marathi—Devanagari
Oriya—Oriya
Punjabi—Gurmukhi
Sindhi—Devanagari or Arabic
Tamil—Tamil.
Telegu—Telugu
Urdu—Persian

ARABIC (CODE 26), CHINESE (CODE-27), FRENCH (CODE-28), GERMAN (CODE-29), POLI (CODE-30), PERSIAN (CODE-31), RUSSIAN (CODE-32), AND SANSKRIT (CODE-33)—Candidates will be expected to show a knowledge of the principal classical authors and to be able to translate from and compose in the language

NOTE—Candidates for Arabic, Persian and Sanskrit may be asked to answer some questions in Arabic, Persian or Sanskrit as the case may be. Answers required to be written in Sanskrit must be written in the Devanagari Script.

INDIAN HISTORY (CODE-34)

From the beginning of the reign of Chandragupta Maurya to the establishment of Indian Republic The paper will include questions on political, constitutional, economic and cultural developments

BRITISH HISTORY (CODE-35)

The period of study will be from 1789 to 1945 The paper will include questions on political, constitutional, economic and cultural developments.

EUROPEAN HISTORY (CODE-36)

The period of study will be from 1789 to 1945. The paper will include questions on political diplomatic economic and cultural developments

WORLD HISTORY (CODE-37) (FORM 1789 to 1945)—

Candidates will be expected to possess sound knowledge of the major political and economic developments in world, with special reference to Europe, the U.S.A., the Far East, the Middle East and the African Continent. There will be

special emphasis on international events of world importance.

Candidates will also be expected to be familiar with cultural developments as reflected in contributions to civilization as a whole, in the fields of science, literature and art

GENERAL ECONOMICS (CODE-38)

Candidates will be expected to have a general knowledge of (a) the principles of economic analysis; and (b) the history of economic doctrines

They should be able to apply their knowledge of theory to an analysis of the current economic problems of India

POLITICAL SCIENCE (CODE-39)

Candidates will be expected to show a knowledge of political theory and its history, political theory being understood to mean not only the theory of legislation but also the general theory of the State Questions may also be set on constitutional forms (Representative Government, Federation, etc) and Public Administration, Central and Local. Candidates will be expected to have knowledge of the origin and development of existing institutions

PHILOSOPHY (CODE-40)

The candidates will be expected to be familiar with History and Theory of Ethices, Eastern and Western with special reference to the problems of Moral Standards and their application. Moral Judgment, Determination and Free Will Moral Order and Progress, relation between Individual, Society and the State theories of Crime and Punishment, and relation of Ethics to Religion

They will also be expected to be familiar with History of Western Philosophy, with special reference to nature of philosophy and its relation to Science and Religion, theories of Matter and Spirit, Space and Times, Causation and Evolution, and Value and God, and with History of Indian Philosophy (including orthodox and heterodox systems), with special reference to theories of God Self and Liberation, and causation Evolution and Appearance

PHYCHOLOGY (CODE-41)

Phychology its nature, scope and methods, experimental method in psychology.

Factors in human development heredity and environment

Motivation feelings and emotions; their nature and development; theories of emotions; developmennt of character

The cognitive processes, sensation, perception, learning, memory and forgetting and thinking.

Intelligence and abilities—Concepts and measurement, Personality-nature, determinants, theories and assessment

Group process and group effect, crowd behaviour, leadership and morale; attitudes and prejudice; social change.

Concept of abnormality symptoms and etiology of the main forms of psychoneurotic and psychotic disorders, social pathology and juvenile delinquency—causes and prevention; Main forms of therapeutic techniques

LAW I (CODE-42)

1 Jurisprudence : Concept of Law; Kinds of law; Positive law; Administration of Justice, Sources of law, Elements of law including legal rights and duties, Liability Ownership possession; Legal personality, Property

2. Constitutional Law Constitutional Law of India including Administrative Law; basic principles of the English Constitution

3. Law of Torts including State liability for Torts

4 Law of Crimes (Indian Penal Code).

5 Law of evidence : Relevancy and presumptions; Kinds of Evidence—oral and documentary evidence; primary and secondary evidence; Burden of proof, Estoppel; judical notice

LAW II—(CODE-43)

1. General Principles of the Law of Contract (Sec 1 to 75 of the Indian Contract Act)

2 Law of Indemnity, Guarantee. Bailment, Pledge and Agency with special reference to the Indian Contract Act

3 Law of sale of Goods, Law of Partnership and Negotiable Instruments and Banking (General Principles), with special reference to the Indian Law

4 Company Law

LAW III—(CODE-44)

Nature and Sources of International Law History of International Law The School of International Law International Law and Municipal Law.

State as persons of International Law Acquisition and loss of international personality State recognition. State succession

Rights and duties of States Principle of equality Jurisdiction of States

Treaties

Agents of International intercourse. Privileges and immunities of diplomatic agents. The individual and International Law. Aliens Nationality Naturalisations Statelessons. Extradition. War Criminals

Modes of settlement of International disputes

War : Declaration, Effects.

Laws of land, sea and aerial warfare

War in selfdefence Collective security Regional pacts. Outlawry of war Laws of belligerent occupation Belligerency and insurgency.

Methods of warfare. Prisoners of war Right of visit and search Prize courts.

Blockade and contraband.

Neutrality and neutralisation. Rights and duties of neutral states in war. Unneutral service Neutrality under the Charter of the U.N

The Charter of the U N and covenant of the league of Nations. Principal organs of the United Nations Specialised International Organisations.

Candidates will be expected to show familiarity with cases including the pronouncements of the International Court of Justice

APPLIED MECHANICS—(CODE-45)

*BUILDINGS*

Considerations of materials used in the construction of roof-trusses. Steel and Timber Determination of stresses in trusses by various methods Dead-loads and wind pressure Factors of safety and working stresses

Designs of roof-trusses Various types of roof-trusses and roof-coverings, collar beam and hammer beam trusses.

Use of Euler's, Gordon's Ranking's Fidler's Johnsons and straight line formulate in the design of struts. Bucklings factor of struts, curves showing comparative strength of struts obtained by various formulate Choise of size of Sections Finish of Steel work, Joints, Designs of endbearings, methods of fixing and supporting ends

Application of circles and elipse of stress and Clayepron's theorem to design of structures.

Cast Iron and Steel Columns.—Flauge and web connections to steel Columns, caps, bases; transverse bracing of columns.

Foundations —Safe pressures: foundations for columns Slab foundations, cantilever foundations, grillage foundations Wells Piles

Retaining Walls and Earth Pressures —Rankine's theory, Wedgetheory Winker's and Blight's graphical constructions with corrections. Design of various types of retaining walls in masonry.

Tall masonry and Steel Chimneys —Theory and design,

Design of Steel and Masonry Reservoirs, with considerations of wind-pressures.

Deflection of framed structures and determination of stresses etc in redundant frames.

Influence diagrams for bending moment and shear for uniformly distributed and irregular loads on trusses, built-in beams and three pinned parabolic; semi-elliptic and semi-circular arches

General principles of dome design.

Principles of Building Design; consideration of loads on buildings; Steel-work girders, etc., for buildings.

BRIDGES

Design of superstructure. Determination by graphical and analytical methods of bending moment due to moving loads wind pressures

Design of masonry bridges and culverts.

Plate-webb girders Analysis of stresses.

Warren and lattice girders.

Three pinned arches; doubly pinned and rigid arches

General considerations on the design of suspension cantilevers and tubular bridges

Steel arched bridges.

Swing bridges.

REINFORCED CONCRETE

Shear, bond and diagonal tension, its nature evaluation and location of reinforcement.

Design of simple and doubly reinforced beams and continuous beams.

Theory and design of reinforced concrete columns and piles.

Design of Slab foundations.

Design of simple cantilever and counterfort retaining walls.

Equivalent moments of inertia for reinforced concrete sections

Theory of elastic deflections and outline of investigation of stresses in reinforced concrete arches.

GENERAL

Analysis of stress, analysis of strain, elastic limit and ultimate strength. Relation between the elastic constants Launhardt-Weyrauch formula for working stresses in a Structural member and determination of its cross sectional area. Repetition of stresses. Bending moment and shearing force diagrams for dead loads. Graphical determination of stresses in frames; effect of wind pressure method of sections Stress in the cross-section of a beam due to bending (M/I-F/Y-E/R); compound and conjugated stresses Rankine's theory of earth-pressure; depth of foundations; strength of footings. Grillage foundations; Coulomb's theory of earth-pressure, modification due to Rebahn

Bending moment and shearing force diagrams for live loads Analysis of uniforms and uniformly varying stress Elastic theory of bending of beams, bending and shear stresses in beams Modulus of section and equivalent areas Maximum and minimum stresses in a joint due to eccentric loading Stresses in dams and chimneys Stability of block work structures Design of revetted joint and stresses in boiler shells Euler's theory concerning struts, modifications due to Rankine Gordon and others Torsion, Combined torsion and bending deflections Encastre beams Continuous beams and theorem of three moments Plastic theory of arches Masonry arches

*SOCIOLOGY (CODE-46)*

Nature, scope and antecedents of sociology—Relation between sociology and other social sciences

Race and society—Geographical environment and society—Population and society—Culture, the concept, its importance, and its relation to society and personality.



Basic concepts in sociology Groups—primary, secondary and reference groups—Role—Social structure—Social function—Social organisation—Norms and values—socialization—Social control—Social sanctions

Basic social institutions, Family and kinship—The joint family—Economic, political, religious and legal institutions.

Social stratification; Castes estate and class—Social processes—Cooperation and conflict

Types of societies: Primitive and civilized—Simple and complex—Traditional and modern.

Social change: Theories of social change—Planned social change—Social evolution

Rural and Urban Communities—Urbanization

NOTE.—The candidates will be expected to illustrate theory with facts, and to analyse problems with the help of theory. They will be expected to be particularly conversant with Indian Problems

PART C

[*Vide* Sub-Section (c) of Section II, of Appendix I]

HIGHER PURE MATHEMATICS (CODE-50)

The subjects included will be (1) Modern Algebra and Topology, (2) Analysis of functions of real variables, (3) Functions of a complex variable, (4) Geometry and (5) Differential Equations.

(1) *Modern Algebra*: Groups, Sub-groups, Normal Subgroups Factor groups, Homomorphism and isomorphism. Theorems on isomorphism Permutation groups. Groups of transformation Groups of automorphism. Inner automorphism Normaliser, Centre and Commutator Theorems of Cayley and Sylow Decomposition theorem for finitely generated abelian groups. Invariants, Normal series, Composition series, Jordan-Holder theorem Rings, Internal domains. Division ring. Fields, Ideals, Prime, primary and maximal ideals, sums and products of ideals Quotient ring Isomorphism theorems for rings. The field of quotients of an intergal domain Euclidean domains. Principal ideal domains Unique factorisation domains Ring of polynomial over a commutative ring. Polynomials with co-efficients from a unique factorisation domain Neotherian rings

Vector spaces Basis of a vector space Dimension. Orthogonality Scalar product Orthonormal basis.

Field extension Splitting fields. Separable and inseparable extension Galois theory of finite extensions. Application to solution of equations by radicals Finite fields

Topological space, maps and neighbourhoods, closed sets, open sets base for a topological space, subspaces, quotient spaces Different ways of defining a topology and strength of topologies Matrics spaces. Euclidean spaces, and other examples of matric spaces. Connectivity Cartesian product of two topological spaces, local connectivity Pathwise connectivity Compact spaces Product of compact spaces, locally compact spaces Separation axioms, Housdorff, normal and regular spaces

(2) *Analysis of functions of real variables* Dedekind's theory of real numbers Bounds and limits Sequences, Continuity and uniform continuity Differentiability Implicit functions Maxima and minima of functions, Riemann Integration Mean value theorems Improper integrals. Line surface and multiple integrals Green's and Stokes theorems.

Uniform convergence of series and properties of uniformly convergent series Convergence of infinite products. Orthonormality and completeness of sets of functions Fourier series and Fourier theorem Weierstrass approximation theorem Lebesgue measure Measurable functions and Lebesgue interval of bounded functions

(3) *Functions of a complex variable*—Representation of complex numbers on Gauss plane and on Riemann's sphere. Bilinear transformations Analytic functions Cauchy's theorem and its converse Cauchy's integral formula Taylor's and Laurent's series Lioville's theorem Singularities Zeros. Theory of Residues and its application to evaluation of integrals Fundamental theorem of algebra and roots of algebraic equations Conformal representation Analytic continuation Mittag-Lefflers theorem Wiistrass' factorisation Theorem The maximum modulus principle Hadamard's three-circle theorem.

(4) Geometry : Plane sections and generating lines of quadrics. The quadric surface and its analysis Confocal quadrics Elementary theory of pencils of quadrics Curves in space Curvature and torsion. Frent's formulae. Envelopes Developable surfaces Developable associated with a curve. Ruled surfaces Curvature of surfaces. Lines of curvature Conjugate lines Asymptotic lines Geodesics.

(5) *Differential Equations* .—

*Ordinary differential Equations* . Picard's existence theorem Initial and Boundary conditions Linear differential equations with variable coefficients Integration in series Bessel and Legendre functions Total and simultaneous differential equations.

Partial Differential Equations · Formation of partial differential equations Types of integrals of partial differential equations Partial differential equation of first order. Charpit's method. Partial differential equations with constant coefficients Monge's methods Classification of partial differential equations of second order Laplace Equation and its boundary value problems. Solutions of wave equation and equation of heat conduction

## HIGHER APPLIED MATHEMATICS : (CODE-51)

The subjects included will be (1) Dynamics, (2) Hydrodynamics, (3) Elasticity, (4) Electricity and Magnetism (5) special theory of relativity

(1) Dynamics Particle Dynamics. Motion in three dimensions Rigid Dynamics Motion in two dimentions Momentum and Energy Motion relative to the moving earth Foucault's pendulum Generalized coordinates. Holonomic and non-holonomic systems, Lagrange's equations of motion for holonomic systems Small oscillations Euler's geometrical and dynamical equations Motion of a top Hamilton's principle of least action Hamilton's canonical equations and their integral invariants Contact transformations.

(2) *Hydrodynamics* :

*General* : Equation of continuity, momentum and energy.

*Inviscid Flow Theory*: Two-dimensional motion Streaming motion Sources and sinks Method of images and its application Motion of cylinder and sphere in a fluid. Vortex motion Waves

*Viscous Flow Theory* : Stress and Strain analysis Navier Stokes Equations Vorticity Dissipation of energy Flow between parallel plates Flow through pipe Slow streaming motion past a sphere. Boundary layer concept. Boundary layer equations for two dimentional flows, boundary layer along a plate Similarity solutions. Momentum and energy integrals Method of Karman and Pohlhausen.

(3) Elasticity Cartesian Tensors Stress and strain analysis Work and energy Saints Venant's principle Bending of beams and plates Torsion

(4) *Electricity and Magnetism* : Electrostatics Conductors and condensers Systems of conductors, Dielectrics Method of images and its application Flow of electric currents in net works. Magnetism Electromagnetism Induction Alternating currents Maxwell's equations. Oscillatory circuits

(5) *Special Theory of Relativity* : Galilean principle Michelson-Morley experiment The principles of theory of relativity. Lorentz transformation and its consequences Lorentz invariance of Maxwell's equations Electrodynamics of a Vacuum Matter and energy

## HIGHER PHYSICS · (CODE-52)

*General Properties of Matter and Sound* · Mechanics of deformable bodies Helical springs Capillary phenomena Viscosity Accoustical measurements Ultrasonics

*Heat and Thermodynamics* · Brownian motion Kinetic theory of gases Transport phenomena in gases at low pressures Thermodynamic function and their applications Specific heat of solids and gases Production and measurement of low temperatures Radiation of Planck's law of energy distribution

Optics : Theory of co-axial symmetrical optical systems Experimental spectroscopy. Electro-magnetic theory Scattering of light. Raman effect. Diffraction Polarisation.

*Electricity and Magnetism* . Gauss's theorem Electrometers' Magnetic hysteresis Theory of permanent magnets Measurement of electrical quantities Alternating current theory Cyclotron and other methods for production of high voltages Transmission and reception of wireless waves Television

*Modern Physics* Special theory of relativity. Dual nature of light and matter Shoediner's equation and its solution in simple cases. Hydrogen and helium spectra. Zeeman & Stark effects Pauli's principle and periodic classification of elements X-rays and X-ray spectroscopy Compton effect. Conduction in metals Supraconductivity Thermionics Thermal ionization. Properties of atomic nuclei. Mass spectroscopy Elementary particles and their properties Nuclear reactions Cosmic rays. Nuclear fission and fusion

## HIGHER CHEMISTRY (CODE-53)

*Inorganic Chemistry* —The structure of the atom Radioactivity, natural and artificial Fission and fusion of nuclei Isotopes Radioactive indicators Radioactive series. Transuranic elements.

Chemistry of the elements and their principal compounds with special reference to Be W. Ti. V Mo Hf Zr and rare earth elements

Co-ordination compounds Interstitial and non-stoichiometric compounds Free radicals Advanced Physicochemical methods of analysis

*Organic Chemistry* —Theories of organic chemistry, including resonance and hydrogen bond formation. Mechanism of important organic reactions Stereo chemistry, including conformation

Chemistry of different classes of organic compounds with special reference to the following Polysaccharides terpenes, natural colouring matters, alkaloids, vitamins, important hormones, antimalarials, chlorine insecticides, principal antibiotics and synthetic polymers

*Physical Chemistry* —The kinetic molecular theory. The three laws of thermodynamics and their application to physical chemical processes Physico-chemical properties in relation to and elucidating molecular structure Quantum theory and its application to chemistry.

The mechanism and kinetics of chemical and photochemical reactions Catalysis Adsorption Surface chemistry Colloids Electrochemistry

## HIGHER BOTANY : (CODE-54)

*Plant kingdom* —Advanced knowledge of the main groups of the vegetable kingdom both living and extinct (*viz* Algae-Fungi Bryophyta, Pteridophyta. Gymnosperms and Angiosperms) with special reference to the Indian flora.

*Systematic Botany* —Principles of classification and a general knowledge of the more important families of angiosperms

*Anatomy* —Origin, nature and development of plant tissues and their distribution from the ecological and psysiological points of view

*Plant pathology*.—An advanced knowledge of the important diseases of plants caused by bacteria, fungi, viruses and physiological diseases Methods of control.

*Physiology* —An advanced knowledge of the important physiological processes in plants including plant biochemistry

*Ecology* —Principal types of vegetation of India, their distribution and the importance of eco—physiological studies Principles of plant geography.

*Economic botany* —A study of the important economic plants of tropical and sub-tropical areas, with special reference to India

*General Biology* —Knowledge of the fundamentals of and recent developments in variation, heredity, evolution, cytology genetics and principles of plant breeding.

## HIGHER ZOOLOGY (CODE-55)

The classification, bionomics, morphology, life-history and relationship of non-chordates and chordates, with special reference to Indian fauna.

Functional morphology (form, structure and function) of the organ systems. Outlines of vertebrate embryology.

The Classification, ontogeny, phylogeny, adaptice divergence and convergence of animals, animal ecology, migration and colouration.

Evolution evidences, theories, and their modern interpretations Adaptation, distribution of animals in space

Recent advances in the knowledge of the cell cytology genetics, sex determination and endocrinology.

Modern concept of the environment as a complex of physical, chemical and biological factors and of the organisms as individuals, population and communities.

An easy relating to any of the following topics · Protozoa and disease; Insect and man; Parasitology Fresh-water and marine biology, Limnology and fishery biology, Contribution of great biologists to knowledge and civilization.

HIGHER GEOLOGY : (CODE-56)

*General Geology*.—History and development of the Science of Geology, its different branches and contacts with other sciences Origin evolution, structure, constitution, interior and age of the Earth. Geomorphology, Radioactivity and its applications to Geology, Seismology, Volcanology, Geosynclines; Isostasy. Evolution of continents and ocean basins Geological action of surface and subterranean agencies Continental drift.

*Structural and Field Geology* —Diastrophism, Rock deformation, Origin of mountains, Structures in relation to topography and mining Tectonic history of India Methods of Geological Surveying and Mapping.

*Stratigraphy and Palaeontology* —Principles of Stratigraphy, and correlation Detailed study of Indian Stratigraphy and outline of World Stratigraphy Distribution of land, sea, faunas and floras in different periods Theories of organic evolution Fossils—their importance. Index fossils and correlation Detailed study and geological history of the invertebrate fossils and the principal groups of vertebrate and plant fossils with special reference to India

*Crystallography and Mineralogy* —Crystal Morphology; Laws of crystallography; crystal systems and classes, habits twinning. Goniometric and X-ray study of crystals Atomic structure Detailed study of rock-forming minerals and of economic minerals with special reference to their occurrence in India.

*Petrology*—Origin and evolution, structure, mineral constituents, texture and classification of igneous sedimentary and metamorphic rocks. Petrogenesis including metamorphism Petrochemistry Study of meteorites Important Indian rock-types

*Economic Geology* —Ore-genesis; classification of economic minerals and controls of ore localization Geology of economic mineral deposits with particular reference to India Location of mineral industries Evaluation of properties; Mineral economics; conservation and utilisation of minerals National mineral policy Strategic minerals. Geological, geophysical and geochemical prospecting techniques and their applications Principal methods of mining, sampling, ore dressing and ore beneficiation Soils and ground water. Application of Geology to common engineering problems

HIGHER GEOGRAPHY : (CODE-57)

The paper will consist of two parts :—

The first part will comprise an advanced study of Physical, Human and Economic Geography, with special reference to India.

The second part will comprise advanced study of the following special subjects and a candidate will be expected to have knowledge of at least two of these subjects :

Geomorphology Climatology (including modern methods of weather forecasting and analysis). Cartography (including solution of right-angled spherical triangles, use of Theodolite, advance projections like the oblique zenithal nets, etc) Historical geography Political geography History of geographical thought and discoveries.

ENGLISH LITERATURE (1798—1935) (CODE-58)

The paper will cover the study of English Literature from 1798 to 1935, with special reference to the works of Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats, Lamb, Jane, Austen, Carlyle, Ruskin, Thackeray, Robert Browning, George Eliot G M. Hopkins, Shaw, W. B. Yeats, Glasworthy, J. M Synge, E. M. Forster and T. S Eliot.

Evidence of first hand reading will be required. The paper will be designed to test not only the knowledge but also critical evaluation of the main literary trends during the period Questions having a bearing on the social and cultural background of the period may be included.

INDIAN HISTORY I (FROM CHANDRA GUPTA MAURYA TO HARSHA)—(CODE-59)

The Mauryas The rise and consolidation of the empire Administration and economy. Decline of the empire.

The eclipse of Magadha. The Shungas and the Kanvas.

The Cholas, Cheras and Pandyas.

Contacts with the West. North India—the Indo-Greeks South India—Roman trade

Central Asia and India. The Shakas. The Kushanas. The Satavahanas.

Indian contacts with Asian countries—The spread of Buddhism

The Imperial Guptas—The Creation of Classical Indian Culture. Further Indian contacts overseas. The decline of the Guptas. The Hunas

Changing economic patterns in north India and their impact on politics.

The rise of the Vakatakas and the Chalukyas.

The emergence of the Pallavas.

Harshvardhana

INDIAN HISTORY II THE GREAT MUGHALS (1526—1707) (CODE-60)

*Political History*

Establishment of the Mughal Empire in India; its consolidation and expansion The Sur interregnum, Mughal Empire at its zenith Akbar, Jehangir and Shahjehan. Mughal relations with Persia and Central Asia. The development of administrative system. Europeans at the Mukhal Court, early Portuguese, French and English settlements The beginning of the decline of Aurangbez, his wars and policies.

*Cultural, Religious, Economic and Social life.*

Cultural life, and promotion of art, architecture and literature.

*Religious movements* · Bhakti Movement. Suffism. Din-I-Ilahi Religious policy of the Mughal Emperors.

*Economic life* Agrarian life. Systems of land tenure. Industry. Trade and Commerce Exports, imports. Means of transport. Wealth of India

*Social life* · Court life; Urban life; Rural life. Dress. manners, customs, food and drink, amusements, recreations and festivals. Position of women

INDIAN HISTORY III (FROM 1772 TO 1950) (CODE-61)

Consolidation of British power in Bengal and South India. Expansion of British power in India. The East India Company and the British state Evolution of the Civil Service, Judicial system, the police, and the arm Development of new land revenue system and agrarian relations British Commercial policy Economic impact of British rule in India. The revolt of 1857. Relations with Indian States Foreign policy, and relations with Burma and Afghanistan Development of modern industry, and means of communication. Development of modern education. Growth of the Press.

*Indian Re-awakening* · Raja Rammohan Roy, Brahmo-Samaj and Vidya Sagar; the Arya Samaj, the Theosophists : Ramakrishna and Vivekananda; Syyed Ahmed Khan Social Reform. Development of modern Indian literature The rise of Indian National Movement : The Indian National Con-

gress (1885—1905) Dadabhai Naroji, Ranade and Gokhale. Growth of militant nationalism, anti-partition agitation. Swadeshi and Boycott Tilak and Aurobindo Ghosh, the Home Rule League and the Lucknow Pact.

Constitutional Development: Acts of 1861 & 1892; Minto Morley Reforms, the Montford Reforms, the 1935 Act.

Emergence of Mahatma Gandhi and the struggle for freedom. Transfer of Power. The Chipps Mission, the Cabinet Mission, Independence Act and Partition. The Constitution of 1950. Independent India; Foreign Policy. Non-alignment; Secularism, and Planning.

BRITISH CONSTITUTIONAL HISTORY (FROM 1603 TO 1950) (CODE-62)

*Crown* versus Parliament

Relations between James I and Parliament. Petition of Rights. Charles I and the issue of prerogative versus common Law Civil war.

*The Constitution makers —*

Government by Long Parliament. The Little Parliament The Protectorate. The Restoration. The Glorious Revolution The Bill of Rights.

The Crown, the Executive and Parliament.—

The King and his Ministers. Influence of the Crown. The Cabinet and Parliament The Monarchical Crisis of 1936.

*The Reform of Parliament —*

Reforms Acts and the House of Commons The House of Commons and the House of Lords. The Reforms of the House of Lords.

*The Commonwealth.—*

Origin and growth of the Commonwealth. The Statute of Westminster. The Machinery of Commonwealth Co-operation. The position of the Crown in the Commonwealth.

EUROPEAN HISTORY (1871—1945) (CODE-63)

The Industrial Development of Europe—Growth of nationalism, and democratic and socialist movement

The German Empire; the Third French Republic, the Habburg Monarchy Imperial Russia.

The policy of alignment and ententes.

The Eastern Question.

The rise of imperialism and European imperial interests in the Near East, the Middle East, Africa and the Far East.

The origin and consequences of the First World War.

The Russian Revolution and its consequence.

The Versailles settlement; the League of Nations, efforts at World Disarmament, the search for security, rise of Fascism and Nazism and their international implications.

The Second World War.

ADVANCED ECONOMICS (CODE-64)

Functions of economic analysis

The theory of price. The theory of consumption and demand Organization of production. Theory of the firm and industry. Imperfect competition. Theory of monopoly Control of monopoly

The theory of distribution Rent The theory of capital. The theory of money and interest. Savings and investments. Banking and credit regulation The theory of wages and employment. Collective bargaining and industrial peace.

National income. Economic progress and distributive justice.

The theory of international trade. Foreign exchanges. Balance of payments

Business cycles and their control Economic role of Government Economic welfare. Public utilities, pricing and regulation

Theory of taxation, Incidence of taxation, Effects of Government taxation and expenditure Deficit financing and inflation.

Planning for economic development.

ADVANCED INDIAN ECONOMICS (CODE-65)

Economic developments during the War and Post-War period Natural resources Social institutions. Agricultural Production and finance. Pricing and distribution of foodgrains and other agricultural products. Land reform. Place of cottage and small scale industries in developing economy. Growth of modern organized industry. Regulation of public companies. Industrial relations and problems of labour. Mixed economy. Scope and efficiency of the public sector, Indian monetary and credit system. Role of the Reserve Bank, Population problems and population policy Unemployment and under-employment Computation of Indian national income Regulation of foreign trade. Balance of payments. Indian taxation system. Federal finance, Planning for economic development. Size and structure of successive plans Problems of resources and of implementation.

POLITICAL THEORY FROM HOBBES TO THE PRESENT DAY (CODE-66)

Theories of Contract and Natural Rights—Hobbes, Locke and Rousseau Development of the idea of Sovereignty The Historians—Vico. Montesquieu and Burke The Utilitarians. The Evolutionists. The Idealists—Kant. Hegel. Green, Bradley and Bosanquet. Conservatism and Liberalism. Marxism and Schools of Socialism and Communism Pluralism, Fascism The Impact of Psychology. Trends of twentieth century thought in the East.

POLITICAL ORGANISATION AND PUBLIC ADMINISTRATION (CODE 67)

Political Institutions. The rise of Modern National States. Parliamentary and Presidential forms of Government. Unitary and Federal Governments. The Legislature. The Executive and the Judiciary. Methods of Representation The Communistic and Totalitarian forms of Government

Public Administration. Public Administration in the Modern State. The formulation of policy and higher control—the Legislature and the Executive Organisation. Management, Methods and Tools. Regulatory Commission and Public Corporations. Personnel Administration—The Civil Service and its Problems The Budget and Financial Administration. Administrative Powers, Control by the Court. The Public Services and the Public

INTERNATIONAL RELATIONS—(CODE-68)

Part I

Foundations and limitations of national power.

The place of power, ideology and ethics in International Relations.

The role of International Law in International Relations.

The role of national interest in the formulation of foreign policy.

The Foreign Policies of the United States, the U.S.S.R. China, India and one of the following:

Great Britain, Japan, Germany and France.

ADVANCED METAPHYSICS INCLUDING EPISTEMOLOGY.—(CODE-69)

Candidates will be expected to be familiar with the views of prominent philosophers from Kant to the present day e.g Kant, Hegel, Bradley, Royce, Croce Moore Russel, James, Schiller Dewey Bergson Alexander Whitehead, Wittgenstein, Ayer Heidegger and Marcel.

Question may be set on any of the following topics

The sources, materials, varieties, limits criteria and sociology of knowledge

Truth, falsehood, error

Theories of reality, Reality, subsistence and existence. Monism, dualism and pluralism Naturalism, agnosticism theism, absolutism and mysticism Post-Hegelian idealism New realism, Radical empiricism Pragmatism.

Instrumentalism. Humanism—naturalistic and religious.

Logical positivism. Existentialism—atheistic and theistic. Recent trends of the philosophy of science in regard to the

problems of induction, laws of nature, relativity, indeterminancy and God.

ADVANCED PSYCHOLOGY INCLUDING EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY —(CODE-70)

Subject-matter scope and methods of psychology, its relation with other sciences.

Heredity and environment controversy —Experimental studies on the relative influence of the two on human development.

Problems of motivation and emotion. Frustration and conflict, types of conflict, defence mechanisms—Studies in expressive movements, P G.R , lie detection.

Sensation and Perception—Psychophysical methods; space perceptions, factors of perceptual organization; role of dynamic personality and social factors, inter-personal perception Experimental methods in the study of learning, memory, forgetting and thinking—Theories of learning and forgetting theories of sign-process—nature of meaning.

Psychology' of personality—determinants, traits, types, dimensions, and theories; assessment of personality—behavioural measures or personality—rating scales, nominating techniques, questionnaires and inventories, attitude scales, projective tests.

Individual differences; nature and measurement of intelligence and aptitudes. Test construction—Item analysis. Test scales and norms—Reliability and validity of measures—Factor analysis—Theories

Schools and systems of psychology—Traditional Schools and the main contemporary systems of psychology, Freudians neo-Freudians, neo-Behaviourists, Gestalt and field theories.

CONSTITUTIONAL LAW OF INDIA.—(CODE-71)

Historical Background, The growth of the Indian Constitution with special reference to the development of representative and responsible Government from the Indian Council Act of 1861 down to the Indian Constitution of 1950

General Features Welfare State Ideal Preamble to the Indian Constitution and Directive Principles of State Policy, Concepts of Unitary and Federal Government Cabinet System. Due Process of Law, Judicial Review, Constitutional Conventions; Comparison of the Salient Features of the Constitution with those of the U K. and the U S A Canada and Australia.

Division of Powers Theory of separation of powers.

The Legislature—Legislative procedure; Privileges of Legislature, Delegation of legislative power.

The Executive.—Presidential and Parliamentary Executives; Provisions relating to Services and Public Service Commissions, The doctrine of Rule of Law.

The Judiciary.—Judicial control of administrative and quasi-Judiciary authorities; Scope of Writ Jurisdiction; Independence of the Judiciary.

Distribution of Legislative Powers; Principles of distribution of powers with special reference to Treaty Power; Commerce Power Taxing Power Constituent (Constitution-Amending) Power and Residual Power Judicial doctrines relating to distribution of powers.

Fundamental Rights. Nature and scope of the various fundamental rights guaranteed under the Constitution.

Note —Candidates will be expected to be conversant with the text of the Indian Constitution amendments thereto and leading decisions of the Supreme Court.

JURISPRUDENCE —(CODE-72)

Jurisprudence : Definition and scope; various Schools of Jurisprudence; Concepts doctrine regarding Sovereignty.

Law · Law and Morals; Evolution of Law, Law of Nature, Law of State, Imperative theory of Law; Pure theory of Law, Sociological theory of Law; Kinds of Law; Civil Law; Criminal Law; Substantive Law and Adjective Law; Private Law and Public Law, International Law; Law and Justice; Law and Equity; Justice according to Law, Administration of Justice.

Sources of Law Customs, Judicial Precedent Legislation; Codification.

Elements of Law, Analysis and classification of juristic concepts; Personality Right, Duty, Liberty, Power, Immunity, Disability Status Possession Ownership, Lease, Trust, Easement Security, Wrong, Liability Obligation, Act Intention, Motive, Negligence, Title, Prescription; Inheritance and Wills

Evolution of Legal Concepts, Evolution of Contract Tort, Crime Property, and Wills, Current trends in Juristic thought

MEDIEVAL CIVILISATION AS REFLECTED IN ARABIC LITERATURE (570 AD —1650 A.D.)—(CODE-73)

The paper will test the candidate's knowledge of geography, history and social, political and religious evolution and developments.

MEDIEVAL CIVILISATION AS REFLECTED IN PERSIAN LITERATURE (570 A D —1650 A.D.)—

(CODE-74)

The paper will test the candidate's knowledge of geography, history and social, political and religious evolution and developments

ANCIENT INDIAN CIVILISATION AND PHILOSOPHY (CODE-75)

The history of the Civilisation Philosophy and Thought of India from 2000 B C to 1200 A D

Note.—The paper will test the knowledge of geography history and social, political and religious evolution and developments Questions may be set which require an acquaintance with archaeological discoveries

ANTHROPOLOGY (CODE-76)

(A) Physical Anthropology —Definition and scope The relation of Physical Anthropology to other sciences The evolution of Man his exact place among the Primitive Group—his relationship to Prehuman and Protohuman forms from Parapithecus to Australiothecus. Early types of Man—Palaeonthropic man—Pithecanthropus Synanthropous and Neanderthal Neanthropic man—Cro Magnon Grimaldi and Chancelade—Homo Sapiens

Racial differentiation of Man and bases of racial classification—Morphological serological and genetic. Role of heredity and environment in the formation of Races Principles of human genetics—Mendelian laws as applicable to Man.

Human Biology—The effects of nutrition inbreeding and hybridisation

History of distribution of Man in India from the lithic ages to the Indus Valley civilisation and Megalithic cultures of Central and Southern India Racial types and their distribution in India.

(B) Social (Cultural) Anthropology —Scope and functions. Relation with Sociology Social Psychology and Archaeology Different schools of Cultural Anthropology—Evolutionary Historical Functional and Kultu Kreis The structure and development of Human Society.

Economic Organisation—Early stage of hunting and food gathering domestication of animals, agriculture shifting cultivation terracing intensive cultivation implements used.

Political Organisation—Clan, trib and dual organization, tribal council, function of headman or chief.

Social Organisation—Marriage and kinship forms, matriarchy, patriarchy, polygyny, Polyandry, exogamy and endogamy Position of women, inheritance and divorce

Primitive religion—Totemism, Taboo, magical and fertility rites, head hunting and human sacrifice.

Art Music Folk dance and sports.

Group relationship, adjudication of disputes, concept of Justice and punishment.

Intelligence level, special aptitudes and abilities, emotional needs underlying primitive behaviour and ethnocentrism

Structure of personality and development of personality and its role in primitive society.

Acculturation and the effects of contact on primitive tribes Depopulation and its causes. Economic and psychological frustration Decline of primitive tribes in America Africa and Oceania. Depopulation among Indian tribals and remedial measures.

(C) intensive study of any one of the ethnic division of tribal India,

1. The tribes of the N.E.F.A or North Eastern Frontiers of India
2. The tribes of the Naga Hills— Tewansang Area.
3. The autonomous tribes of Assam—the Khasis, the Garos, Mikirs and the Lushai
4. The Australoid tribes of Chhotanagpur and Central India
5. The tribes of Southern India including the tribes of the Nilgiri Hills.
6. The tribes of the Andaman and Nicobar Islands.

NOTE —Candidates will be required to answer question on (C) and (A) or (B).

ADVANCED SOCIOLOGY—(CODE-77)

Divergent views regarding the nature, scope and methods of sociology

Major sociological thinkers : Marx Weber Durkheim and their modern interpreters

Theories of social structure and function—Progress evolution and change—Conflict and integration—Status, role, roleset and role conflict—Social network—Social norms, control sanctions and deviation—Rewards and punishment

Major social structures and institutions, Family and Kinship:

Economic, political, legal and religious institutions—Education Bureaucracy—Social stratification (including caste, class and elites)

Research methods in Sociology; Surveys, questionnaires and interviews—Sampling and scaling techniques—Participant and non-participant observation—Micro and Macro methods —Experimentation in sociology—Small group research methods

Role of sociologists in social change

Sociology of India :

Family kinship and marriage—Caste—Role of caste in politics—Rural and urban communities—Problems of national integration; regionalism, linguism, communalism and nationalism.

Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes. The problem of inequalities.

Social aspects of economic development, planning industrialization and urbanization

Panchayati raj and local politics.

Social movements in modern India : social reform movements, backward classes movement, bhoodan and gramdan and "revivalist" movements—Agrarian and student unrest.

Note.—The candidates will be expected to illustrate theory with facts and to analyse problems with the help of theory. They will be expected to be particularly conversant with Indian problems

PART D

[Vide Sub-Section (B) of Section I of Appendix I]

Personality test —The candidate will be interviewed by a Board who will have before them a record of his career. He will be asked questions on matters of general interest The object of the interview is to assess the personal suitability of the candidate for the Service or Services for which he has applied by a Board of competent and unbiased observers The test is intended to judge the mental calibre of a candidate In broad terms this is really an assessment of not only his intellectual qualities but also social traits and his interest in current affairs Some of the qualities to be judged are mental alertness, critical powers of assimilation, clear and logical exposition, balance of judgment, variety and depth of interest, ability for social cohesion and leadership, intellectual and moral integrity.

2. The technique of the interview is not that of a strict cross examination but of a natural, though directed and purposive conversation which is intended to reveal the mental qualities of the candidate

3. The personality test is not intended to be a test either of the specialised or general knowledge of the candidates which has been already tested through their written papers. Candidates are expected to have taken an intelligent interest not only in their special subjects of academic study but also in the events which are happening around them both within and without their own state or country as well as in modern currents of thought and in new discoveries which should rouse the curiosity of well educated youth.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Services to which recruitment is made through I.A.S etc. Examination.

1. Indian Administrative Service —(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended subject to certain conditions. Successful candidates will be required to undergo prescribed training at such place and in such manner and pass such examination during the period of probation as the Government of India may determine.

(b) If, in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation Government may confirm the officer in the Service or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period subject to certain conditions as Government may think fit.

(d) An officer belonging to the Indian Administrative Service will be liable to serve anywhere in India or abroad either under the Central Government or under a State Government

(e) Scales of pay —

Junior Scale—Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300.

Senior Scale :

(i) Time Scale Rs. 1200 (6th year or under)—50—1,300—60—1,600—EB—60—1,900—100—2,000.

(ii) Selection Grade Rs 2,000—125/2—2,250.

In addition there are super-time scale posts carrying pay between Rs 2,500 and Rs 3,500 to which Indian Administrative Service Officers are eligible for promotion.

Dearness allowance will be admissible in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time under the All India Services (Dearness Allowance) Rules, 1972.

A probationer will start on the junior time scale and be permitted to count the period spent on probation towards leave, pension or increment in the time scale.

(f) *Provident Fund* —Officers of the Indian Administrative Service are governed by the All India Services (Provident Fund) Rules, 1955, as amended from time to time.

(g) *Leave* —Officers of the Indian Administrative Service are governed by the All India Services (Leave) Rules, 1955, as amended from time to time.

(h) *Medical Attendance*—Officers of the Indian Administrative Service are entitled to medical attendance benefits admissible under the All India Services Medical Attendance Rules, 1954, as amended from time to time.

(i) *Retirement Benefit*—Officers of the Indian Administrative Service appointed on the basis of Competitive examination are governed by the All India Services (Death *cum* Retirement Benefits) Rules, 1958

2 *Indian Foreign Service*—(a) Appointment will be made on probation for a period of two years which may be extended Successful candidates will be required to pursue a course of training in India for approximately twenty-one months. Thereafter they may be posted as Third Secretaries or Vice-Consuls in Indian Missions whose languages are allotted to them as compulsory languages During their period of training the probationers will be required to pass one or more departmental examination before they become eligible for confirmation in Service

(b) On the conclusion of his period of probation to the satisfaction of Government and on his passing the prescribed examinations, the Probationer is confirmed in his appointment If, however, his work or conduct has in the opinion of the Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such period as they may think fit or may revert him to his substantive post, if any.

(c) If, in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is not likely to prove suitable for the Foreign Service, Government may either discharge him forthwith or may revert him to his substantive post, if any

(d) Scales of pay —

Junior Scale.—Rs 700—40—900—EB—40—1100—50—1300

Senior Scale—Rs 1200 (6th year or under)—50—1300—60—1,600—FB—60—1,900—100—2,000

In addition there are super-time scale posts carrying pay between Rs 2,000 and Rs 3,500 to which I P S Officers are eligible for promotion.

(e) A probationer will receive the following pay during probation —

First Year—Rs. 700 per mensem.

Second Year—Rs 740 per mensem

Third Year—Rs 780 per mensem

NOTE 1—A probationer will be permitted to count the periods spent on probation towards leave, pension or increment in the time-scale

NOTE 2—Annual increments during probation will be contingent on the probationer passing the prescribed test, if any, and showing progress to the satisfaction of Government Increments can also be earned in advance by passing the departmental examination

NOTE 3—The pay of a Government servant who held a permanent post other than a tenure post in substantive capacity prior to his appointment as a probationer will be regulated subject to the provision of F R. 22 B(I).

(f) An officer belonging to the Indian Foreign Service will be liable to serve anywhere inside or outside India

(g) During service school I.F.S. officers are granted foreign allowances according to their status to compensate them for the increased cost of living and of servants and also to meet their special responsibilities in regard to entertainment In addition the following concessions are also admissible to I F.S officer during service abroad

(i) Free furnished accommodation according to status.

(ii) Medical attendance facilities under the Assisted Medical Attendance Scheme

(iii) Return air passage to India up to a maximum of two for special emergencies such as the death or serious illness of an immediate relation in India or marriage of daughter.

(iv) Annual return air passage for children between the ages of 8 and 21 studying in India to visit the parents during the long vacations, subject to certain conditions

(v) An allowance for the education of children up to maximum of two children between ages of 5 and 18 at rates prescribed by Government from time to time

(vi) Outfit allowance at the time of departure for training abroad and on confirmation in the service. Outfit allowance is also granted at various stages of an officer's career in accordance with the prescribed rules Special outfit allowance is admissible in addition to the ordinary outfit allowance to officers posted in countries where abnormally hard climatic conditions exist.

(vii) Home leave passages for officers, their families and servants after a minimum of 2 years service abroad

(h) The Revised Leave Rules, 1933, as amended from time to time, will apply to Members of the Service subject to certain modifications. For service abroad I F S Officers are entitled under the I F S (PLCA) Rules, 1961, to an additional credit of leave to the extent of 50 per cent of leave admissible under the Revised Leave Rules

(i) *Provident Fund*—Officers of the Indian Foreign Service are governed by the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960.

(j) *Retirement Benefits*—Officers of the Indian Foreign Service appointed on the basis of competitive examination are governed by the Liberalised Pension Rules, 1950.

(k) While in India officers are entitled to such concessions as are admissible to other Government servants of equal and similar status.

3 *Indian Police Service*—(a) Appointment will be made on probation for a period of two years which may be extended Successful candidates will be required to undergo probation at such place and in such manner and pass such examination during the period of probation as Government may determine.

(b) & (c) As in clauses (b) and (c) for the Indian Administrative Services

(d) An officer belonging to the Indian Police Service will be liable to serve anywhere in India or abroad either under the Central Government or under a State Government.

(e) Scales of pay :—

Junior Scale :—Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300.

Senior Scale —Rs. 1200 (6th year or under)—50—1700

Selection Grade Rs. 1,800.

Deputy Inspector General of Police —Rs. 2,000 —125/2—2,250

Commissioner of Police, Calcutta and Bombay —Rs 2,250 —125/2—2,500.

Inspector General of Police —Rs. 2,500—125/2 —2,750

Director, Intelligence Bureau—Rs 3,500

Dearness allowance will be admissible in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time under the All India Services (Dearness Allowance) Rules, 1972

(f), (g), (h), (i) — As in clause (f), (g), (h) and (i) for the Indian Administrative Service

(4) *Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police Service Group B*—(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the Central Government may prescribe

(b) If in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service If his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) Scales of pay :—

Grade I (Selection Grade)—Rs. 1,100—50—1,500

Grade II—Time Scale—Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1,000—EB—40—1,200.

A person recruited on the results of competitive examination shall, on appointment to the Service, draw pay at the minimum of the time-scale, provided that if he held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment to the Service, his pay during the period of his probation in the Service shall be regulated under the proviso of Fundamental Rule 22B(I) The pay and increments in the case of other persons appointed to the Service shall be regulated in accordance with the Fundamental Rules.

(e) Officers of the Service are entitled to get dearness allowance at the Central Government rates applicable to employee's drawing pay in revised Central scales of pay.

(f) In addition to dearness allowance officers of the Service are entitled to draw compensatory (city) allowance, house rent allowance and allowances to compensate for higher cost of living in hill stations, expensiveness incidental in remote localities etc. if they are posted at places, either for training or on duty where such allowances are admissible.

(g) Officers of the Service are governed by the Delhi and Andaman and Nicobar Islands Police Service Rules, 1971, and such other regulations as may be made or instructions issued by the Central Government for the purpose of giving effect to those Rules In regard to matters not specifically covered by the aforesaid Rules or by regulations or orders issued thereunder or by special orders, they are governed by the rules, regulations and orders applicable to corresponding officers serving in connection with the affairs of the Union.

*5 Posts of Assistant Security Officer/Assistant Commandant/Adjutant, Group B in the Railway Protection Force*

(a) The Railway Protection Force (Superior Officers) consists of the following :

*Scale of Pay*

*(i) Deputy Chief Security Officer.—Rs. 1300—60—1600 (AS)

(ii) Assistant Inspector General/Security Officer/Commandant—Rs. 1100 (6th year or under)—50—1600.

(iii) Asstt Security Officer/Assistant Commandant, Adjutant, Group B—Rs 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.—

*The scale of pay is also likely to be revised in the light of the recommendation of the Third Pay Commission.

(b) Appointment will be made on probation for a period of 2 years during which the service will be liable to termination on three months' notice on either side The period may be extended if the Officer on probation does not qualify for confirmation by passing the prescribed departmental and other tests The selected candidates will be required to undergo training at such place and in such manner and pass such examinations during the period of probation as Government may determine

(c) The Officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed If, however, in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows, that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith or may extend his period of probation for such further period as it may deem fit.

(d) An Officer, so recruited, will be liable to serve anywhere on the Indian Railways.

(e) Officers so recruited shall

(i) be governed by the Railway Pension Rules;

(ii) Subscribe to the Railway Provident Fund (Non-contributory) under the rules of that fund as amended from time to time;

(iii) be governed by the provisions contained in the R P F Act 1957 and the R.P.F. Rules 1959; and

(iv) exercise the powers vested in the superior officers of the Force under the said Act and Rules.

(f) If for any reason not beyond his control, a probationer wishes to withdraw from training or probation he shall be liable to refund the whole cost of training and any other money paid to him during the period of his probation.

(g) If in the opinion of Government the work or conduct of an Officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to be efficient, Government may discharge him forthwith

(h) Group B Officers will be eligible for promotion as Security Officer/Commandant/Assistant Inspector General in accordance with the rules in force from time to time in this behalf

(i) Officers will start their service on the minimum of the time-scale and will count their service for increment from the date of joining.

(j) In all matters not specifically provided herein the Officers will be governed by the provisions of the Indian Railway Establishment Code and extant orders as amended/issued from time to time.

*6. Pondicherry Police Service—Group 'B'*

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the Administrator of the Union Territory of Pondicherry may prescribe.

(b) If in the opinion of Administrator the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, the Administrator may discharge him forthwith

(c) The Officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has, in the opinion of the Administrator, been unsatisfactory, he may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Administrator may think fit

(d) An Officer belonging to the Service will be required to serve at any place in the Union Territory of Pondicherry

(e) Scales of Pay—

(i) Grade I (Selection Grade)—Rs 1100—50—1600

(ii) Grade II (Time Scale)—Rs 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

A person recruited on the results of the competitive examination shall on appointment to the service draw pay at the minimum of the time scale

Provided that if he held a permanent post other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment to the Service, his pay during the period of his probation in service shall be regulated under the provisions of sub-rule (1) of Rule 22 B of the Fundamental Rules The pay and increments in the case of other persons appointed to the service shall be regulated in accordance with the Fundamental Rules

(f) Officers of the Service are governed by Pondicherry Police Service Rules 1972 with such other regulations as may be made or instructions issued by the Administrator for the purpose of giving effect to these rules.

*7 Indian P & T Accounts & Finance Service—*

(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years provided that this period may be extended if the

officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examination Repeated failure to pass the departmental examinations within the prescribed period will involve loss of appointment

(b) If, in the opinion of Government the work and conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient, the Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has, in the opinion of the Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit

(d) The Indian P&T Accounts & Finance Service carries with it a definite liability for service in any part of India.

*Indian P & T Accounts & Finance Service*

Scales of pay—

(i) Junior Time Scale— Rs 700—40—900—EB—40—1100—50—1300

(ii) Senior Time Scale.—Rs. 1100—50—1600.

(iii) Junior Administrative Grade.—Rs 1500—60—1800—100—2000.

(iv) Senior Administrative Grade (Level II).—Rs 2250—125/2—2500.

(v) Senior Administrative Grade (Level I) —Rs. 2500—125/2—2750

2. The pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post, in a substantive capacity prior to his appointment as probationer will, however, be regulated subject to the provisions of F R. 228(1)

8. Indian Audit and Accounts Service.

9. Indian Customs and Central Excise Service.

10 Indian Defence Accounts Service

(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years provided that this period may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examination Repeated failure to pass the departmental examinations within a period of three years will involve loss of appointment

(b) If in the opinion of Government or the Comptroller and Auditor General, as the case may be the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation Government or the Comptroller and Auditor General as the case may be may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has, in the opinion of Government or the Comptroller and Auditor General as the case may be, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) In view of the possibility of the separation of Audit from Accounts and other reforms the constitution of the Indian Audit and Accounts Service is liable to undergo changes and any candidate selected for that Service will have no claim for compensation in consequence of any such changes and will be liable to serve either in the separated Accounts Offices under the Central or State Governments or in the Statutory Audit Offices under the Comptroller and Auditor General and to be absorbed finally if the exigencies of service require it in the cadre on which posts in the separated Accounts Offices under the Central or State Government may be borne

(e) The Indian Defence Accounts Service carries with it a definite liability for service in any part of India as well as for field Service in or out of India.

(f) Scales of Pay —

*Indian Audit and Accounts Service*

1 Junior Scale —Rs. 700- 40—900—EB—40—1100—50—1300

2. Senior Scale —Rs 1100 (6th year or under)—50—1600

3 Junior Administrative Grade —Rs 1500—60—1800—100—2000

4 Accountants General (i)—Rs 2,500—125/2—2,750 (50% posts)

(ii) Rs. 2250—125/2—2500 (50% posts).

5 Additional Deputy Comptroller and Auditor General—Rs 2500—125/2—3000

6 Deputy Comptroller & Auditor General of India —Rs 3000—100—3500.

NOTE 1 —Probationary Officers will start on the minimum of the time scale of I.A. & A S and will count their service for increments from the date of joining.

NOTE 2 —The Officers on probation will not be allowed the pay above the stage of Rs 700 unless they pass the departmental examination in accordance with the rules which will be prescribed from time to time

NOTE 3 —In the case of probationers who do not pass the end-of-the Course Test at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, the first increment raising their pay to Rs 740 would be granted in accordance with such instructions as Government of India may issue The failed candidates will not be required to take the test again

NOTE 4 —The pay of a Government servant who held a permanent post other than a tenure post, in a substantive capacity prior to his appointment as probationer will however, be regulated subject to the provision of F R 22(B)(1).

*Indian Customs and Central Excise Service*

| 1 | 2 |
|---|---|
| Superintendent of Central Excise, Group A<br>Assistant Collector of Central Excise and/or Customs (Junior Scale) | Rs 700—40—900—EB—40—1100—50—1300 |
| Assistant Collector of Central Excise and/or Customs (Senior Scale) | Rs 1100 (6th year or under) 50—1600 |
| Deputy Collector of Customs and/or Central Excise<br>Addl Collector Customs and/or Central Excise. | Rs 1500—60—1800—100—2000 |
| Appellate Collector of Customs and/or Central Excise<br>Collector of Customs and/or Central Excise<br>Director of Inspection<br>Narcotics Commission<br>Director of Training<br>Director, Statistics & Intelligence. | (i) Rs 2250—125/2—2500 (50% of the posts)<br>(ii) (Rs) 2500—125/2—2750 (50% of the posts) |

(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years provided that this period may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations Repeated failures to pass the departmental examinations within a period of two years will involve loss of appointment

(b) If in the opinion of the Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his/her period of probation Government may confirm the officer in his/her appointment or if his/her work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge

him/her from the service or may extend his/her period of probations for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation

(d) The Indian Customs and Central Excise Service, Group A carries with it a definite liability for service in any part of India.

NOTE 1.—A probationary officer will start at the minimum of the time scale of pay of Rs 700—40—900—EB—40—1,100—50—1,300, and will count his/her service for increments from the date of joining.

NOTE 2.—The pay of a Government servant who held a permanent post other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as probationer in the Indian Customs and Central Excise Service, Group A, will be regulated subject to the provisions of F.R. 22-B(1)

NOTE 3.—During the period of probation, an officer will undergo departmental training at the Directorate of Training (Customs and Central Excise), New Delhi and also a foundational course training at the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administrator Mussoorie. At the end of the training at Mussoorie he/she will have to pass the "End of the Course" test He/she will have to pass Part I and Part II of the Departmental Examination On passing the end of the course test' at the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie and one of the parts of the Departmental Examination the pay will be raised to Rs 740. On passing the departmental examination in full the pay will be raised to Rs 780 The pay beyond Rs 780/- will not be allowed unless he/she has completed 3 years of service subject to such other conditions as may be found necessary In case he/she does not pass the 'end of the course test' at the Academy, the first increment will be postponed by one year from the date on which he/she would have drawn it or upto the date on which under the departmental regulations the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 4.—It should be clearly understood by the probationers that the appointment would be subject to any change in the constitution of the Indian Customs and Central Excise Service Group A which the Government of India may think proper to make from time to time and that they would have no claim for compensation in consequence of any such change.

*Indian Defence Accounts Service*

Junior Time Scale.—Rs 700—40—900—EB—40—1100—50—1,300.

Senior Time Scale—Rs. 1100 (6th year or under) 50—1600

Junior Administrative Grade.—Rs. 1500—60—1800—100—2000.

Selection Grade in the Junior Administrative Grade—Rs. 2000—125/3—2250

Senior Administrative Grade, Level II.—Rs. 2250—125/2—2500.

Senior Administrative Grade, Level I—Rs. 2500—125/2—2750.

Controller General of Defence Accounts—Rs. 3000 (fixed)

NOTE 1—Probationary officers will start on the minimum of the junior time scale and will count their service for increments from the date of joining. The pay of a Government servant who held a permanent post other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as probationer will, however be regulated subject to the provisions of F.R 22-B(I)

NOTE 2.—On passing Part I of the departmental examination, the pay of the Probationary Officer will be raised to Rs 740/- p m from the date of passing Part I examination if it is earlier than completion of one year's service Similarly on passing Part II of the departmental examination the pay of the probationary officer will be raised to Rs 780/- p.m. from the date of passing Part II examination, if it is earlier than completion of 2 years service The third increment in the scale of Rs 700—1300 raising the pay to Rs 820/- p m can be granted only on completion of 3 years of service.

NOTE 3—In the case of probationers who do not pass the end-of-the Course-Test at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, the first increment raising their pay to Rs. 740 would be granted in accordance with such instructions as Government of India may issue. The failed candidates will not be required to take the test again.

11 *Indian Income-tax Service Group A*—(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years provided that this period may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations. Repeated failures to pass the departmental examinations within a period of 3 years will involve loss of appointment.

(b) If, in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become an efficient Income-tax Officer, the Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit provided that in respect of appointment to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) If the power to make appointments in the service is delegated by Government to any officer that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses

(e) Scales of pay :—

Income-tax Officer, Group A

Junior scale

(i) Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300.

Senior scale

(ii) Rs. 1100—50—1600.

Assistant Commissioner of Income-tax—

Rs 1500—60—1800—100—2000

Commisisoner of Income-tax—

(i) Rs. 2250—125/2—2500—(Level II).

(ii) Rs. 2500—125/2—2750 (Level I).

(f) During the period of probation an officer will undergo training at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, and the Indian Revenue Service (Direct Taxes) Staff College, Nagpur. At the end of training at Mussoorie, he/she will have to pass the 'end-of-the-course' test. In addition, I and II departmental examinations will also have to be passed during the period of probation On passing the 'end-of-the-course' test and the 1st Departmental Examination, his/her pay will be raised to Rs 740 On passing the 2nd Departmental Examination, the pay will be raised to Rs. 780 The pay beyond the stage of Rs 780 will not be allowed unless he/she is confirmed and has completed 3 years of service subject to such other conditions as may be found necessary

In case he/she does not pass the end of the course test at the Academy, the first increment will be postponed by one year from the date on which he/she would have drawn it or up to the date on which under the departmnetal regulations, the second increment accrues, whichever is earlier

NOTE—It should be clearly understood by probationers that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Income-tax Service, Group A, which the Government of India may think proper to make from time to time and that they would have no claim for compensation in consequences of any such changes.

12 *Indian Ordnance Fatcories Service, Group A (Non-Technical Cadre)*—(a) Selected Candidates will be appointed as Assistant Managers (Probationers) The period of probation will be two years which may be reduced or extended by the Government on the recommendation of the Director General Ordnance Factories An Assistant Manager, (Probationers) will undergo such training as shall be provided

by Government and may be required to pass such departmental and language tests as Government may prescribe. The language tests will include a test in Hindi.

On the conclusion of his period of probation, Government will confirm the officer in his appointment. If, however, during or at the end of the period of probation his work or conduct has, in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him or extend his period of probation for such period as Government may think fit, provided that before orders of discharge are passed the officer shall be appraised by competent authority of the grounds on which it is proposed to discharge him and be given an opportunity to show cause against it.

(b) The Assistant Managers (Probationers) in the Indian Ordnance Factories Service would draw pay in the prescribed scale of pay of Rs. 700—40—900—EB—40—1,100—50—1,300 During the period of probation, they will be required to undergo training in the various branches of the Department and in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Mussoorie, in a foundational course of training.

(c) (i) Selected candidates shall, if so required, be liable to serve as Commissioned Officers in the Armed Forces for a period of not less than four years including the period spent on training, if any, provided that such person (i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment and (ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(ii) The candidates shall also be subject to Civilians in Defence Services (Field Service Liability) Rules 1957 published under S.R.O No. 92 dated 9th March 1957 as amended. They will be medically examined in accordance with the medical standards laid down therein.

(d) The following are the rates of pay admissible :—

| | |
|---|---|
| Assistant Manager/ Technical Staff Officer | Junior Scale : Rs. 700—40—900—EB. 40—1100—50—1300. |
| Deputy Manager/Deputy Assistant Director General, Ordnance Factories | Rs. 1100—(6th year or under —50—1600. |
| Manager/Senior Deputy Assistant Director General Ordnance Factories | Rs. 1100—50—1,400*. |
| Deputy General Manager/Assistant Director General, Ordnance Factories, Grade II | Rs. 1,300—60—1600—, 100—1800*. |
| Assistant Director General Ordnance Factories Grade I | Rs 2,000—125/2—2250. |
| Deputy Director General Ordnance Factories | (i) Rs. 2,500—125/2—2750—for 50% of the posts. (ii) Rs. 2250—125/2—2500 for 50% of posts . |
| Additional Director General, Ordnance Factories | Rs. 3,000 (fixed). |
| Director General Ordnance, Factories | Rs. 3,500 (fixed). |

*Pre-revised scale of pay. Revised pay scales are under consideration

(e) A probationer so recruited shall have to execute a bond before joining the service.

13. *Indian Postal Service*—(a) Selected candidates will be under training in this department for a period which will not ordinarily exceed two years During this period they will be required to pass the prescribed departmental test.

(b) If in the opinion of Government the work or conduct of an officer under training is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of training Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Governmennt been unsatisfactory Government may either discharge him from the service or may extend his period of training for such further period as Government may think fit provided that in respect of appointment to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) If the power to make appointment in the Service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) *Scales of Pay* :—

(i) Junior Time Scale—Rs 700—40—900—EB—40—1100—50—1300.

(ii) Senior Time Scale—Rs. 1100—50—1600.

(iii) Junior Administrative Grade—Rs. 1500—60—1800—100—2000.

(iv) Senior Administrative Grade (Level II)—Rs. 2250—125/2—2500.

(v) Senior Administrative Grade (Level I)—Rs. 2500—125/2—2750.

(vi) Member P&T Board—Rs. 3000.

(f) The pay of a Government servant who held a permanent post other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as probationer will be regulated subject to the provisions of F R. 22-B(I).

(g) It should be clearly understood by the officers on probation that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Indian Postal Service which Government of India may think proper to make from time to time and that they would have no claim for compensation in consequence of any such changes.

(h) Selected candidates will be lible to serve in the Army Postal Service in India or abroad as required by Government.

14. *INDIAN CIVIL ACCOUNTS SERVICE*

(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years provided that this period may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations Repeated failure to pass the departmental examinations within a period of three years will involve loss of appointment

(b) If in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation

(d) It should be clearly understood by the officers on probation that the appointment would be subject to any change in the constitution of the Indian Civil Accounts Service, which the Government of India may think proper to make from time to time and that they would have no claim for compensation in consequence of any such changes.

(e) Scales of Pay:—

Junior Scale - Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300

Senior Scale - Rs. 1100 (6th year or under) -50-1600

Junior Administrative Grade - Rs. 1500-60-1800-100-2000

Selection Grade - Rs. 2000-125/2-2250

Senior Administrative Grade - Rs 2250-125/2-2500 Level II

Senior Administrative Grade—Rs. 2500-125/2-2750 Level I

Controller General of Accounts - Rs. 3000.

Note 1—Probationary Officers will start on the minimum of the time scale of ICAS and will count their service for increments from the date of joining.

Note 2—The Officers on probation will not be allowed the pay above the stage of Rs. 700 unless they pass the departmental examination in accordance with the rules which will be prescribed from time to time.

Note 3—In the case of probationers who do not pass the end-of-the Course-Test at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, the first increment raising their pay to Rs 740 would be granted in accordance with such instructions as Government of India may issue. The failed candidates will not be required to take the test again.

Note 4—The pay of a Government servant who held a permanent post other than a tenure post, in a substantive capacity prior to his appointment as probationer will however, be regulated subject to the provision of F.R.22(B)(1)

15. *Indian Railway Accounts Service*—(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years during which the service will be liable to termination on three months' notice on either side. The period of probation may be extended if the officer on provation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations

Government may terminate the appointment of a Probationary Officer who fails to pass all the Departmental Examinations within three years of the date of appointment.

(b) Probationers of the Indian Railway Accounts Service will also be required to undergo training in two phases at the Railway Staff College, Baroda, and to pass the tests prescribed by the College authorities. The tests in the College are compulsory and a second chance in the event of failure will not be given except in exceptional circumstances and provided the record of the officer is such that such relaxation may be made They may, however, be put on to a working post on satisfactory completion of two years' training but they may not be confirmed till they have passed the tests at the Railway Staff College, Baroda, and passed the higher and lower departmental examinations.

(c) Probationers should have already passed or should pass during the period of probation an examination in Hindi in the Devanagari script of an approved standard. This Examination may be the 'Praveen' Hindi Examination conducted by the Directorate of Education, Delhi, on behalf of the Ministry of Home Affairs or one of the equivalent Examinations recognized by the Central Government

No probationary officer can be confirmed or his pay in the time scale raised to Rs 780 p.m unless he fulfils this requirement; and failure to do so will involve liability to termination of service. No exemption can be granted

(d) Officers (including probationers) of the Indian Railway Accounts Service recruited under these rules—

(a) will be governed by the Railway Pension Rules, and

(b) shall subscribe to the State Railway Provident Fund (non-contributory) under the rules of that Fund,

as amended from time to time

(e) Officers recruited under these rules shall be eligible for leave in accordance with the liberalised leave rules as in force from time to time.

(f) If for any reason not beyond his control, a probationer in the Indian Railway Accounts Service wishes to withdraw from training or probation, he will be liable to refund the whole cost of his training and any other moneys paid to him during the period of his probation

(g) If, in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith

(h) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(i) Scale of Pay.—

(a) Junior Scale . Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300

Senior Scale : Rs. 1100 (6th year or under)—50—1600.

Junior Administrative Grade : Rs. 1500—60—1800—100—2000.

Senior Administrative Grade

(i) 2250—125/2—2500

(ii) Rs 2500—125/2—2750

(b) Increment from Rs. 740 to Rs. 780 will be stopped if they fail to pass the prescribed Departmental Examination within the two years' probationary period. The probationary period will be extended and on their passing the prescribed Departmental tests and being subsequently confirmed their pay will, from the date following that on which the last departmental examination ends, be fixed at the stage in the time scale which they would have otherwise attained but no arrears of pay would be allowed to them. In such cases the date of future increments will not be affected.

In case, any of the probationers does not pass the 'end-of-the-course-test' at Lal Bahadur Shastri National Adademy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or upto the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 1.—Probationary officers will start on the minimum of the Junior Scale and will count their service for increments from the date of joining They will, however, be required to pass any departmental examination or examinations that may be prescribed before their pay can be raised from Rs. 740 p.m to Rs. 780 p.m in the time scale.

NOTE 2.—The pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as probationer will, however be regulated subject to the provisions of Rule 2018A-(1)RII [F.R. 22-B(1)].

16. *Military Lands and Cantonments Service (Group A)*

(a) (i) A candidate selected for appointment shall be required to be on probation for a period which shall not ordinarily exceed 2 years During this period he shall be required to undergo such course of training as may be prescribed by Government.

(ii) The pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as probationer will, however, be regulated subject to the provisions of F.R. 22-B(1).

(b) During the period of probation a candidate will be required to pass the prescribed departmental examination

(c) (i) If in the opinion of Government, the work or conduct of an Officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him after apprising him of the grounds on which it is proposed to do so, and after giving him an opportunity to show cause in writing before such order is passed.

(ii) If at the conclusion of the period of probation an Officer has not passed the Departmental Examination mentioned in sub-para (b) above Government may, in its discretion, either discharge him from service, or if the circumstances, of the case so warrant, extend the period of probation for such period as Government may consider fit.

(iii) On the conclusion of the period of probation Government may confirm an officer in his appointment, or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him after apprising him of the grounds out of which it is proposed to do so and after giving him an opportunity to show cause in writing before such order is passed or extend the period of probation for such further period as Government may consider fit

(d) No annual increment which may become due will be admissible to a member of the Service during his proba-

tion unless he has passed the departmental examination An increment which was not thus drawn will be allowed from the date of passing of the departmental examination

(e) In case, any of the Probationers does not pass the 'end-of-the-course-test' at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or upto the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

(f) The scales of pay are as under —

| | |
|---|---|
| *Administrative Posts* | |
| (*i*) Director, Military Lands and Cantonments . . | Rs 2500—125/2—2750 |
| (*ii*) Deputy Director, Military Lands and Cantonments | Rs 2000—125/2—2500 |
| (*iii*) Assistant Director, Military Lands and Cantonments . | Rs 1500—60—1800 100—2000 |
| Group A | |
| Senior Scale . . . | Rs 1100 (6th year or under) —50—1600 |
| Junior Scale . . | Rs. 700 —40—900—LB —40—1100—50—1300. |

(g) (i) Group A Senior Scale Officers will normally be appointed as Deputy Assistant Directors, Military Estates Officers and Executive Officers of Class I Cantonments.

(ii) Group A Junior Scale Officers will normally be appointed as Executive Officers to Class I Cantonments and Class II Cantonments to which sub-clause (i) of Clause (c) of sub-section (4) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 is applicable.

(h) All promotions will be made by selection (seniority being considered only when the claims of two or more candidates are equal on merits) by Government on the recommendations of a Departmental Promotion Committee appointed in this behalf by the Government

(i) No member of the Service shall undertake any work not connected with his official duties without the previous sanction of Government

(j) The Military Lands & Cantonments Service carries with it a definite liability for service in any part of India as well as for Field Service in India

(k) A candidate appointed to the Service shall be governed by the Military Lands and Cantonments Service (Group A and Group B) Rules, 1951, as amended from time to time

17 *Indian Railway Traffic Service*

(a) Candidates selected for appointment will be appointed as probationary officers in the Indian Railway Traffic Service for a period of three years during which they will undergo the training as indicated in para (m) and put in a minimum period of one year's probation in a working post If the period of training has to be extended in any case due to the training having not been completed satisfactorily the total period of probation will be correspondingly extended

(b) If for any reasons not beyond his control a probationer in the Indian Railway Traffic Service wishes to withdraw from training or probation, he will be liable to refund the whole cost of his training and any other moneys paid to him during the period of his probation

(c) Appointments to the service will be on a probation for a period of three years during which the service of the officers will be liable to termination by three months notice on either side Probationary officers will be required to undergo practical training for the first two years Those who complete this training successfully and are otherwise considered suitable will be placed in charge of a working post provided they have passed the prescribed departmental and other examinations It must be noted that these examinations should as a rule be passed at the first chance and that save under exceptional circumstances a second chance will not be allowed Failure to pass any of the examinations may result in the termination of service and will, in any case, involve stoppage of increment

At the end of one year in a working post of the Probationary Officers will be required to pass final examination both practical and theoretical, and will, as a rule, be confirmed if they are considered fit for appointment in all respects. In cases where the probationary period is extended for any reason the drawal of the first and subsequent increments on their passing the departmental examinations, and on being, confirmed, will be subject to the rules and orders in force from time to time.

(d) Probationers should have already passed or should pass during the period of probation an examination in Hindi in the Devanagari script of an approved standard This examination may be the 'Praveen' Hindi Examination conducted by the Directorate of Education, Delhi, on behalf of the Ministry of Home Affairs or one of the equivalent examination recognised by the Central Government.

No Probationary Officer can be confirmed or his pay in the time scale raised to Rs. 780 p.m unless he fulfils the requirements, and failure to do so will involve liability to termination of service. No exemption can be granted.

(e) Officers (including probationers) of the Indian Railway Traffic Service recruited under these rules :—

(a) will be governed by the Railway Pension Rules; and

(b) shall subscribe to the State Railway Provident Fund (non-contributory) under the rules of that Fund,

as amended from time to time.

(f) Pay will commence from the date of joining service Service for increments will also count from that date

(g) Officers recruited under these rules shall be eligible for leave in accordance with the liberalised leave rules as in force from time to time.

(h) Officers will ordinarily be employed throughout their service on the railway to which they may be posted on first appointment and will have no claim as a matter of right to transfer to some other Railway But the Government of India reserve the right to transfer such officers in the exigencies of service to any other railway or project in or out of India

(i) Scales of pay :—

Junior Scale Rs 700—40—900—EB—40—1100—50—1300

Senior Scale Rs 1100 (6th year or under)—50—1600.

Junior Administrative Grade . Rs 1500—60—1800—100—2000

Senior Administrative Grade

(i) Rs. 2250—125/2—2500

(ii) Rs 2500—125/2—2750.

NOTE 1 —Probationary officers will start on the minimum on the Junior Scale and will count their service for increments from the date of joining They will, however, be required to pass any departmental examination or examination that may be prescribed before their pay can be raised from Rs 740 p.m. to Rs 780 p.m in the time scale.

Increment from Rs 740 to Rs 780 will be stopped if they fail to pass the Departmental Examination within the first two years of the training and probationary period The probationary period will be extended and on their passing the prescribed Departmental tests and being subsequently confirmed, their pay will from the date following that on which the last departmental examination ends be fixed at the stage in the time scale which they would have otherwise attained but no arrears of pay would be allowed to them In such cases the date of future increments will not be affected

In case any of the probationers does not pass the 'end-of-the-course-test' at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 2.—The pay of a Government Servant who held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as probationer, will, however, be regulated subject to the provision of Rule 2018A(1) R.II[F.R.22-B.(1)].

(j) The increments will be given for approved service only and in accordance with rules of the Department.

(k) Promotions to the administrative grades are dependent on the occurrence of vacancies in the sanctioned establishment and are made wholly by selection; mere seniority does not confer any claim for such promotion.

(l) Courses of training for probationers in the Indian Railway Traffic Service.

NOTE 1.—The Government of India reserve the right to reduce at their discretion the period of training in the case of candidates who have had previous training or experience either in India or elsewhere.

NOTE 2.—Probationers will also have to undergo training at the Railway Staff College, Baroda, in two phases. The test in the Staff College is compulsory and a second chance in the event of failure will not be given except in exceptional circumstances and provided the record of the Officer is such that such a relaxation may be made. Failure to pass the test may involve the termination of service and in any case the officers will not be confirmed till they pass the tests, their period of training and/or probation being extended as necessary.

NOTE 3.—The programme of training given below has been drawn up chiefly for the purpose of guidance it may be varied at the discretion of General Managers to suit particular cases provided that the total aggregate period of training is not ordinarily curtailed

NOTE 4.—During the period of training, the probationer has to work as a Guard, Yard Master, Assistant Station Master, Station Master, Yard Foreman, Train Examiners, Assistant Loco Foreman, Assistant Controller etc. as detailed below After completion of training when the probationer is posted against a working post, his duties involve travelling with no facilities for camping at way side stations. He has to visit sites of accidents at odd hours and inspect Control offices and stations The work is arduous and will involve night duties.

(m) (1) Length of course—Two years.

| S. No. | Item | Period (Weeks) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie | 17 |
| 2. | Railway Staff College, Baroda (First Phase) | 12 |
| 3. | Area School to learn Guard's duties (Phase I) | 4 |
| 4. | Working as Guard | |
| 5. | Booking Parcel Office, Goods shed and Transhipment shed | 10 |
| 6. | Traffic Accounts and Travelling Inspector of Accounts | 5 |
| 7. | Area School to learn duties of Assistant Station Master (Phase II). | 4 |
| 8. | Working as Yard Master, Assistant Station Master, Station Master, Yard Foreman and Train Examiner | 13 |
| 9 | Working as Assistant Loco Foreman | 1 |
| 10 | Assistant Controller | 4 |
| 11. | Deputy Chief Controller, Power Controller | 6 |
| 12. | Railways Staff College, Baroda, Phase II | 6 |
| 13. | *Training on the Eastern Railway* | |
| | (*a*) *Asansol Division* | |
| | (*i*) Coal Pilot Working 1.5 weeks<br>(*ii*) Working of Andal & Asansol Yards Complex including Durgapur Steel Plant | 2.5 |
| | (*b*) *Dhanbad Division* | |
| | (*i*) Coal allotment procedure including filed trip to yards such as PEH and Karanpura including washeries such as PEH & Dugda<br>(*ii*) Working of coal area Supdt's organisation | 2 |
| | (*c*) Mughalsarai Marshalling Yard including visits to Manduadih-Dehri-on-sone | 1 |
| 14. | *Training on South Eastern Railway* | |
| | (*i*) Chakradharpur Division Bondamunda Yard, Rourkela Steel Plant, including visit to Captive Mines | 1.5 |
| | (*ii*) *Bilaspur Division* | |
| | Bhillai Marshalling Yard, Bhillai Steel Plant and visit to Chirimiri and Mahendragarh colliery areas | 1.5 |
| 15. | *Training in allotted Railways* | |
| | (*a*) Headquarters office (Optg) 4.00<br>(*b*) Headquarters office (Commercial) 4.00 | 8.0 |
| | Period set apart for journey time for taking up various items of training and inescapable leave | 2.5 |
| | Total | 104 weeks or 24 months |

(2) Provided he passes the examination at the end of his two years' training, a probationer will be given charge of a working post on probation for a further year.

(3) Examination will be held as may be required at the close of courses as well as at intervals during the period of training.

NOTE—Before a probationer is put to work independently as a Guard, Assistant Station Master, Station Master, Yard Foreman, Assistant Locomotive Foreman or Assistant Controller he must be examined by a responsible officer of the administration in the respective duties for each of these posts and declared qualified.

18. *The Central Secretariat Service, Section Officers' Grade, Group B—*

(a) The Central Secretariat Service has at present, the following grades :—

| Grade | Scale of Pay |
|---|---|
| Selection Grade (Deputy Secretary or equivalent) | Rs. 1500—60—1800—100—2000. |
| Grade I (Under Secretary) | Rs. 1200—50—1600. |
| Grades of Section Officers | Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1,000—EB—40—1,200. |
| Grades of Assistants | Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800. |

Selection Grade and Grade I are controlled by the Cabinet Secretariat (Department of Personnel and Administrative

Reforms), on an all-Secretariat basis. Section Officer/Assistants' Grades, however, are controlled by the Ministries.

Direct requirement is made to the Section Officers' Grade and to the Assistants' Grade only.

(b) Direct recruits to the Section Officers' Grade will be on probation for two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge of the probationers from service.

(c) On the conclusion of his period of probation Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory. Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Section Officers will normally be heads of Sections while officers of Grade I will normally be incharge of Branches consisting of one or more sections.

(f) Section Officers will be eligible for promotion to Grade I in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(g) Officers of Grade I of the Central Secretariat Service will be eligible for appointment to the Selection Grade of the Service and to other higher administrative posts in the Central Secretariat.

(h) As regards leave, pension and other conditions of Service Officers of the Central Secretariat Service will be treated similarly to other Group A and Group B Officers.

19. *The Indian Foreign Service Branch 'B', Integrated Grade II and III of the General Cadre (Section Officers' Grades)*—

(a) 16-2/3% of the substantive vacancies in the Integrated Grade II & III of the Indian Foreign Service, Branch 'B' (Group B) are filled by direct recruitment through the U.P.S.C. The scale of pay attached to this grade is Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

(b) Direct recruits to the Section Officers' Grade will be on probation for two years during which period they will be required to undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the prescribed tests may result in the discharge of probationers from service.

(c) On the conclusion of the period of probation, Government may confirm an officer in his appointment subject to availability of permanent post or if his work and conduct have, in the opinion of Government been unsatisfactory, may either discharge him from the service or may extend the period of his probation for such further period as Government may deem fit. The total period of probation will not exceed 3 years.

(d) If the power to make appointment in the Service is delegated by Government to any officer that officer may exercise any of the powers of Government prescribed in the above clause.

(e) Officers appointed to this service will normally be Heads of Sections. While employed at the Headquarters of the Ministry of External Affairs/Ministry of Foreign Trade they will be designated as Section Officers and sometimes Administrative Officers. While serving in Indian Missions abroad, their designation will be Registrars, although for local purposes they may be called Attaches with diplomatic status.

(f) Section Officers will be eligible for promotion to Grade I of the General Cadre of the IFS (B) in the scale of Rs. 1,200—50—1600 in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(g) Officers of the Grade I of the General Cadre of the IFS (B) will in turn be eligible for appointment to posts in the senior scale of IFS (A) in the scale of pay of Rs. 1200 (6th year or under)—50—13,00—60—1,600—EB—60—1,900—100—2,000, in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(h) The Indian Foreign Service Branch (B) is confined to the Ministry of External Affairs and Indian Missions abroad and the officers appointed to this service are not normally liable to transfer to other Ministries except the Ministry of Foreign Trade. They are however, liable to serve anywhere inside or outside India.

(i) During service abroad, IFS (B) officers are granted foreign allowance in addition to their basic pay at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition, the following concessions are also admissible during service abroad, in accordance with the IFS (PLCA) Rules, 1961, as made applicable to IFS (B) Officers :—

(i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government.

(ii) Medical Attendance Facilities under the Assisted Medical Attendance Scheme.

(iii) Return air passage to India and back to the place of duty abroad up to a maximum of two throughout an officer's service for special emergencies such as the death or serious illness of an immediate relation in India as may be defined by the Government.

(iv) Annual return air passage for children between the ages of 8 and 21 studying in India to visit their parents during vacation subject to certain conditions.

(v) An allowance for the education of children up to a maximum of two children between the ages of 5 and 18 at rates prescribed by Government from time to time.

(vi) Outfit allowance in connection with service abroad, in accordance with the prescribed rules and at rates fixed by Government from time to time. In addition the ordinary outfit allowance, special outfit allowance is admissible to officers posted in countries where abnormally cold climatic conditions exist.

(vii) Home leave passage for officers and their families in accordance with the prescribed rules.

(j) The Revised Leave Rules, 1933 as amended from time to time will apply to members of the service subject to certain modifications. For service abroad, except in some neighbouring countries, officers are entitled to an additional credit of leave to the extent of 50 per cent of leave admissible under the Revised Leave Rules.

(k) While in India officers are entitled to such concessions as are admissible to other Central Government servants of equal and similar status.

(l) Officers of the IFS (B) are governed by the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 as amended from time to time and by orders issued thereunder.

(m) Officers appointed to this service are governed by the Liberalised Pension Rules, 1950, as amended from time to time and by orders issued thereunder.

20. *The armed Forces Headquarters Civil Service, Assistant Civilian Staff Officers Grade Group B*—

(a) Armed Forces Headquarters Civil Service has at present four grades as follows :—

| Grade | Scale of Pay |
|---|---|
| (1) Selection Grade (Group A). (Joint Director or Senior Civilian Staff Officer) . . | Rs. 1500—60—1800. |
| (2) Civilian Staff Officer (Group A) | Rs. 1100—50—1600. |
| (3) Assistant Civilian Staff Officer (Group B Gazetted) . . | Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200. |
| (4) Assistant (Group B Non-Gazetted) | Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800 |

The above Service caters for the Armed Forces Headquarters and Inter-Services Organisations of the Ministry of Defence.

Direct recruitment is made to the Assistant Civilian Staff Officers' Grade and to the Assistant Grade only

(b) Direct recruits to the Assistant Civilian Staff officers Grade will be on probation for 2 years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge of the probationer from service.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further periods as Government may think fit

(d) If the power to make appointment in the Service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) In the Armed Forces Headquarters and Inter-Service Organisations of the Ministry of Defence, Assistant Civilian Staff Officers will normally be heads of Sections while Civilian Staff Officers will normally be incharge of one or more Sections.

(f) Assistant Civilian Staff Officers will be eligible for promotion to the Grade of Civilian Staff Officer in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(g) Civilian Staff Officers of the Armed Forces Headquarters Civil Service will be eligible for appointment to the Selection Grade of the Service and to other administrative posts in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(h) As regards leave, pension and other conditions of service officers of the Armed Forces Headquarters Civil Service will be governed by the rules, regulations and orders in force from time to time, in respect of civilians paid from the Defence Services Estimates

21 *Customs Appraisers Service, Group B*

(a) Recruitment is made in the grade of Appraiser in the scale of Rs 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1,000—EB—40—1,200 Appointments are made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the Competent Authority During the period of probation, the candidates will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the Central Board of Excise and Customs may prescribe They will not be allowed to draw pay above the stage of Rs. 680 unless they pass the prescribed departmental Examination in full.

(b) If on the expiration of the period of probation or any extension thereof the appointing authority is of the opinion that the selected candidate is not fit for permanent employment or if at any time during such period of probation or extension thereof he is satisfied that the candidate will not be fit for parmanent appointment on the expiration of such period of probation he may discharge him from the service or pass such orders as he thinks fit

(c) On the successful completion of the period of probation and after passing of the departmental examination the officers will be considered for confirmation in the grade.

(d) Appraisers will be eligible for promotion to the next higher grade of Assistant Collector in the Indian Customs and Central Excise Service Group A (Rs 700—1,300) in accordance with the rules in force

(e) Regarding leave and pension the officers will be treated like other Group B officers in Central Government departments As regards other terms and conditions of their service they will be governed by the provisions in the Recruitment Rules for the Customs Appraisers' Service Group B These rules particularly provide that the members of the Service will be liable to posting in any equivalent or higher posts under the Central Board of Excise and Customs any where in India.

22 *Delhi and Andaman & Nicobar Islands Civil Service Group B—*

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the Central Government may prescribe.

(b) If in the opinion of the Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient the Government may discharge him forthwith

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the Service. If his work or conduct has in the opinion of the Government been unsatisfactorily, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as the Government may think fit

(d) Scales of Pay—

Grade I (Selection Grade)—Rs. 1200—50—1600.

Grade II (Time Scale)—Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200

A person recruited on the results of competitive examination shall on appointment to the Service, draw pay at the minimum of the time-scale, provided that if he held a permanent post other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment to the Service, his pay during the period of his probation in the Service shall be regulated under the provisions of Fundamental Rule 22-B(I). The pay and increments in the case of other persons appointed to the Service shall be regulated in accordance with the Fundamental Rules.

(e) Officers of the Service are entitled to get dearness allowance at the Central Government rates applicable to employees drawing pay revised Central scales of pay.

(f) In addition to dearness allowance officers of the Service are entitled to draw compensatory (city) allowance, house rent allowance and allowances to compensate for higher cost of living in hill station expensiveness incidental in remote localities etc if they are posted at places either for training or on duty where such allowances are admissible.

(g) Officers of the Service are governed by the Delhi and Andaman & Nicobar Islands Civil Service Rules, 1971 and such other regulations as may be made or instructions issued by the Central Government for the purpose of giving effect to those Rules In regard to matters not specifically covered by the aforesaid Rules or by regulations or orders issued thereunder or by special orders they are governed by the rules regulations and orders applicable to corresponding officers serving in connection with the affairs of the Union

23 *Goa Daman and Diu Civil Service Group B—*

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the administrator of the Union Territory of Goa, Daman and Diu may prescribe

(b) If in the opinion of the administrator the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, the administrator may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the Service If his work or conduct has in the opinion of the administrator been unsatisfactory, he may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as the administrator may think fit

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve at any place in the Union Territory of Goa, Daman and Diu

(e) Scales of pay—

Grade I (Selection Grade)—Rs 1100—50—1600

Grade II (Time Scale)—Rs 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200

A person recruited on the results of competitive examination shall on appointment of the Service, draw pay at the minimum of the time-scale

Provided that if he held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment to the Service his pay during the period of his probation in service shall be regulated under the provisions of sub-rule (1) of rule 22-B of the Fundamental Rules The pay and increments in the case of other persons appointed to the service shall be regulated in accordance with the Fundamental Rules.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Administrative Service in accordance with the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Services are governed by Goa, Daman and Diu Civil Service Rules, 1967 and such other regulations as may be made or instructions issued by the administrator for the purpose of giving effect to those rules

24. *Pondicherry Civil Service, Group B*—

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the administrator of the Union Territory of Pondicherry may prescribe

(b) If in the opinion of administrator the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient the administrator may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the Service. If his work or conduct as in the opinion of the administrator been unsatisfactory, he may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as administrator may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve at any place in the Union Territory of Pondicherry

(e) Scales of Pay—

(i) Grade I (Selection Grade)—Rs 1100—50—1600

(ii) Grade II (Time Scale)—Rs 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200

A person recruited on the results of competitive examination shall on appointment to the Service draw pay in the entry grade scale of pay only '

Provided that if he held a permanent post other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment to the Service, his pay during the period of his probation in Servise shall be regulated under the provisions of sub-rule (1) of rule 22-B of the Fundamental Rules. The pay and increments in the case of other persons appointed to the Service shall be regulated in accordance with the Fundamental Rules

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Administrative Service in accordance with the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations 1955

(f) Officer of the Service are governed by Pondicherry Civil Service Rules, 1967 and such other regulations as may be made or instructions issued by the administrator for the purpose of giving effect to those rules

APPENDIX III

## REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

[These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to the required physical standard



The regulations are also intended to provide guide lines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirements prescribed in the regulations, can not be declared fit by the medical examiners However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations it would be permissible for a Medical Board to recommend to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government.

2 It should, however, be clearly understood that the Government of India reserve to themselves absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board]

The classification of various Services under the two categories, namely "Technical" and "Non-technical" will be as under :—

A *TECHNICAL*

(1) Indian Railway Traffic Service.

(2) Indian Police Service and other Central Police Services, Group B.

B *Non-TECHNICAL*

IAS, IFS, IA & AS, Indian Customs Service, Indian Civil Accounts Service, Indian Railway Accounts Service, Indian Defence Accounts Service Income Tax Officer Group A, Indian Postal Service, Military Lands and Cantonment Service Group A, Group B posts in the Railway Protection Force and other Central Civil Services Groups A & B

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

(2)(a) In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race it is let to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board.

(b) However for certain services the minimum standard for height and chest girth without which candidates cannot be accepted, are as follows :—

| | Height | Chest girth fully expanded | Expansion |
|---|---|---|---|
| (1) Indian Railway Traffic Service and Group B posts in the Railway Protection Force. | 152cm<br>150cm | 84cm<br>79cm | 5 cm (for men)<br>5cm (for women) |
| (2) Indian Police Service, and Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police Service, Group B | 165cm<br>150 cm | 84cm<br>79cm | 5 cm (for men)<br>5cm (for women) |

The minimum height prescribed is relaxable in the case of candidates belonging to Scheduled Tribes and to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Nagaland Tribals etc., whose average height is distinctly lower.

The following relaxed minimum height standards in case of candidates belonging to the Scheduled Tribes and to the races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Nagaland are applicable to *Indian Police Service* and Group B Police Services except Railway Protection Force.

| | |
|---|---|
| Men | 160 cms. |
| Women | 145 cms. |

3. The candidate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet He will stand erect without rigidity and with the heels calves, buttocks and shoulders touching the standard, the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidates' chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres, 84—89, 86—93 5 etc. In recording the measurements fractions of less than half a centimetre should not be noted.

*N B.*—The height and chest of the candidates should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidate will also be weighed and his weight recorded in Kilograpms; fractions of half a kilogram should not be noted.

6 (a) The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules The result of each test will be recorded.

(b) There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall, however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

(c) The following standards are prescribed for distant and near vision with or without glasses for different types of Services

| Class of Service | Distant vision | | Near vision | |
|---|---|---|---|---|
| | Better eye (Corrected vision) | Worse eye | Better eye (Corrected vision) | Worse eye |
| I A.S. I P.S. and Central Services Group A&B | | | | |
| (*i*) Technical | 6/6 or 6/9 | 6/12 or 6/9 | J/I | J/II |
| (*ii*) Non-Technical | 6/9 | 6/12 | J/I | J/II |
| (*iii*) I O B.S | 6/6 or 6/9 | 6/18 or 6/9 | J/I | J/II |

(d) (i) In respect of the Technical Services mentioned above and any other Services concerned with the safety of public, the total amount of Myopia (including the cylinder) shall not exceed—4.00 D. Total amount of Hypermetropia (including the cylinder shall not exceed +4 00 D.

Provided that in case a candidate in respect of the Services classified as "Technical" (other than the Services under the Ministry of Railways) is found unfit on grounds of high myopia the matter shall be referred to a special board of three opthalmologists to declare whether this myopia is pathological or not In case it is not pathological, the candidate shall be declared fit, *provided he fulfils* the visual requirements otherswise.

(ii) In every case of myopia fundus examination should be carried out and the results recorded In the even of pathological condition being present which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he/she should be declared unfit

(e) Field of Vision : The field of vision shall be tested in respect of all services by the confrontation method When such test gives unsatisfactory or doubtful results, the field of vision should be determined on the primeter.

(f) *Night Blindness* : Broadly there are two types of night blindness, (1) as a result of vit. A deficiency and (2) as a result of Organic disease of Retina a common cause being Retinitis pigmentosa In (1) the fundus is normal, generally seen in younger age group and ill nourished persons and improves by large doses of Vit. A in (2) the fundus is often involved and mere fundus examination will reveal the condition in majority or cases. The patient in this category is an adult and may not suffer from malnutrition Persons seeking employment for higher posts in the Government will fall in this category For both (1) and (2) dark adaptation test will reveal the condition For (2) specially when fundus is not involved electro-Retinography is required to be done Both these tests (dark adaptation and retinography) are time-cconsuming and require specialized set up, and equipment; and thus are not possible as a routine test in a medical check up Because of these technical considerations, it is for the Ministry/Department to indicate if these tests for night blindness are required to be done This will depend upon the job requirement and nature of duties to be performed by the prospective Government employees

(g) *Colour Vision* : The testing of colour vision shall be essential in respect of the Technical Services mentioned above As regards the non-Technical Services/posts, the Ministry/Department concerned will have to inform the Medical Board that the candidate is for a service requiring colour vision examination or not.

Colour perception should be graded into a higher and lower grade depending upon the size of aperture in the lantern as described in the table below :—

| Grade | Higher Grade of Colour Perception | Lower Grade of Colour Perception |
|---|---|---|
| 1. Distance between the lamp and candidate | 16′ | 16′ |
| 2 Size of aperture | 1 3 mm | 13 mm |
| 3 Time of exposure | 5 seconds | 5 sconds |

For the Indian Railway Traffic Service, Group B posts in the Railway Protection Force and for other Services concerned with the safety of the public, higher grade of colour vision is essential but for others lower grade of colour vision should be considered sufficient.

Satisfactory colour vision constitutes, recognition with ease and without hesitation of signal red, signal green and white colours The use of Ishihara's plates, shown in good light and a suitable lantern like Edridge Green's shall be considered quite dependable for testing colour vision While either of the two tests may ordinarily be considered sufficient in respect of the Services concerned with road, rail and air traffic, it is essential to carry out the lantern test. In doubtful cases where a candidate fails to qualify when tested by only one of the two tests both the tests should be employed. However, both the Ishihara's plates and Edridge Green's lantern shall be used for testing colour vision of candidates for appointment to the Indian Railway Traffic Service.

(h) *Ocular conditions other than visual acuity*—

(i) Any organic disease or a progressive refractive error, which is likely to result in lowering the visual acuity, should be considered a disqualification

(ii) *Squint* : For technical services where the presence of binocular vision is essential, squint, ven if the visual acuity in each eye is of the prescribed standard should be considered a disqualification. For other services the presence

of squint should not be considered as a disqualification if the visual acuity is of the prescribed standards.

(iii) If a person has one eye or if he has one eye which has normal vision and the other eye is ambylyopic or has subnormal vision the usual effect is that the person lacks stereoscopic vision for perception of depth. Such vision is not necessary for many civil posts. The medical board may recommend as fit, such persons provided the normal eye has

(i) 6/6 distant vision and J/I near vision with or without glasses provided the error in any meridian is not more than 4 dioptres for distant vision.

(ii) has full field of vision.

(iii) normal colour vision wherever required;

Provided the board is satisfied that the candidate can perform all the functions for the particular job in question.

The above relaxed standards of visual acquity will NOT apply to candidates for posts/services classified as 'TECHNICAL'. The Ministry/Department concerned will have to inform the medical board that the candidate is for a "TECHNICAL" post or not.

(iv) *Contact Lenses*: During the medical examination of a candidate, the use of contact lenses is not to be allowed. It is necessary that when conducting eye test the illumination of the type letters for distant vision should have an illumination of 15 foot-candles.

*N B*—The medical standards applicable to Ground B posts in Railway Protection Force are those for the non-technical services. Since however, this service is concerned with the safety of the Public, the following additional conditions shall also apply to these posts :—

(i) Testing of colour vision shall be essential and higher grade of colour vision is necessary

(ii) Squint shall be considered as a disqualification even if the visual acuity in each eye is of the prescribed standard.

(iii) 'One eye' shall constitute a disqualification for appointment in Railway Protection Force.

7. *Blood Pressure*

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15—25 years of age the general age is about 100 plus the age.

(ii) With subjects over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

*N.B.*—As a general rule any systolic pressure over 140 mm and diastolic over 90 mm. should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc., or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electrocardiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done of a candidate will, however, rest with the medical board as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the medical board only.

*Method of taking Blood Pressure*

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient, and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from the clothes to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation

The brachial artiy is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sound will be heard to increase in intensity. The level at which the heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking, if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes, as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level they may disappear as pressure falls and reappear at a still lower level. This 'Silent Gap' may cause error in reading).

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the results recorded. Where a Medical Board finds sugar present in candidate's urine by the usual chemical tests the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate fit subject to the glycosuria being non-diabetic and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal The Medical Specialist will carry out whatever examinations clinical and laboratory, he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test, and will submit his opinion to the Medical Board upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit" The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

9 A woman candidate who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standing or over, should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for fitness certificate six weeks after the date of confinement, subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

10. The following additional points should be observed .—

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist : provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid a candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. This provision is not applicable in the case of Railway Services. The following are the guidelines for the medical examining authority in this regard .—

| | |
|---|---|
| (1) Marked or total deafness in on ear, other ear being normal. | Fit for non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibel in higher frequency. |
| (2) Perceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing aid. | Fit in respect of both technical and non-technical jobs in the deafness is upto 30 Decibel in speech frequencies of 1000—4000, |
| (3) Perforation of tympanic membrane of Central or marginal type. | (i) One ear normal other ear per pration of tympanic membrane present— Temporarily unfit. Under improved conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other perforation in both ears should be given a chance by declaring him temporarily unfit and then he may be considered under 4 (*ii*) below. |
| | (*ii*) Marginal or attic perforation in both ears—Unfit |
| | (*iii*) Central pefrforation both ears—Temporarily unfit |

| | |
|---|---|
| (4) Ears with mastoid cavity subnormal hearing on one side/on both sides. | (*i*) Either ear normal hearing other ear Mastoid cavity— Fit for both technical and non-technical jobs. |
| | (*ii*) Mastoid cavity or both sides. Unfit for technical jobs Fit for non-technical jobs if hearing improves go 30 Decibels in either ear eith or without hearing aid. |
| (5) Persistently discharging ear-operated/unoperated | Temporarily Unfit for both technical and non-technical jobs. |
| (6) Chronic inflammatory/ alergic condition of nose with or without bony deformities of nasal septum. | (*i*) A decision will be taken as per circumstances or individual cases |
| | (*ii*) If deviated nasal Septum is present Temporarily unfit |
| (7) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/ or Larynx. | (*i*) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx—Fit. |
| | (*ii*) Hoarseness of voice of severe degree if present then— Temporarily unfit |
| (8) Benign or locally malignant tumours of the E N T. | (*i*) Benign tumours—Temporarily unfit. |
| | (*ii*) Malignant Tumours— Unfit. |
| (9) Otosclerosis. | If the hearing is with 30 Descibels after operation or with the help or hearin gaid-Fit. |
| (10) Congenital defects or ear, nose or throat. | (i) If not interfering with functions.—Fit. |
| | (*ii*) Stuttering of severe degree—Unfit |
| (11) Nasal Poly. | Temporarily Unfit. |

(b) that this speech is without impediment,

(c) that his teeth are in good order and that he is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient, and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not ruptured,

(g) that he does not suffer from hydrocele, varicose veins or piles;

(h) that his limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints,

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no genital malformation or defect;

(k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution.

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

11 Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for defecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination.

In case of doubt regarding health of a candidate the Chairman of the Medical Board may consult a suitable Hospital Specialist to decide the issue of fitness or unfitness of the candidate for Government Service, e.g. if a candidate is suspected to be suffering from any mental defect or abberation, the Chairman of the Board may consult a Hospital Psychiatrist/Psycologist, etc.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

12. The candidate filing an appeal against the decision of the Medical Board have to deposit an appeal fee of Rs 50 00 in such manner as may be prescribed by the Government of India in this behalf. This fee would be refunded if the candidate is declared fit by the Appellate Medical Board. The candidates may, if they like enclose medical certificate in support of their claim of being fit Appeals should be submitted within 21 days of the date of the communication in which the decision of the Medical Board is communicated to the candidates; otherwise requests for second medical examination by an Appellate Medical Board, will not be entertained. The medical examination by the Appellate Medical Board would be arranged at New Delhi *only* and no travelling allowance or daily allowance will be admissible for the journeys performed in connection with the medical examination. Necessary action to arrange medical examination by Appellate Medical Boards would be taken by the Cabinet Secretariat Department of personnel and Administrative Reforms on receipt of appeal accompanied by the prescribed fee.

MEDICAL BOARD'S REPORT

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner .—

1 The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government, or the appointing authority as the case may be, that he has no disease constitutional affection, or bodily infirmity, unfitting him or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuation effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service and that rejection of a continuous need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the India Defence Accounts Service are liable for field service in or out of India. In the case of such a candidate the Medical Board should specially record their opinion as to his fitness or otherwise of field service.

The report of the Medical Board should be treated as confidential

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government Service the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In cases where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Boards' opinion

to the effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board

In the case of candidates who are to be declared "Temporarily "Unfit" the period specified for re-examination *should not ordinarily exceed six months at the maximum* On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) Candidate's statement and declaration.

The candidate must make the statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto His attention is specially directed to the warning contained in the Note below :—

1 State your name in full (in block letters)

2 State your age and birth place

2 (a) Do you belong to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese Nagaland Tribals etc whose average height is distinctly lower ? Answer "Yes" or "No" and if the answer is, "Yes" state the name of the race

3. (a) Have you ever had smallpox intermittent or any other fever enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthama heart disease, lung disease, fainting attacks, rheumatism, appendicitis ?

(b) any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment ?

4 When were you last vaccinated .

5. Have you suffered from any form of nervousness due to over work or any other causes ?

6 Furnish the following particulars concerning your family

| Father's age, if living and state of health | Father's age at death and cause of death | No. of brothers living, their ages and state of health | No. of brothers dead, their ages at, and cause of death |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Mother's age, if living and state of health | Mother's age at death and cause of death | No of sisters living, their ages and state of health | No of sisters dead, their ages at and cause of death |
|---|---|---|---|
| | | | |

7 Have you been examined by a medical Board before ? . . . . . . . . . .

8 If answer to the above is "Yes" please state what Service/Services you were examined for ? . . . . . .

9 Who was the examining authority ? . . . . . . . . . . . . .

10. When and where was the Medical Board held ? . .

11 Result of the Medical Board's examination, if communicated to you or if known ? . . . . . . . . .

I declare all the above answers to be, to the best of my belief true and correct.

Candidate's Signature . . .

Signed in my presence.

Signature of the Chairman of the Board

NOTE.—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statements. By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed of forfeiting all claims to Superannuation Allowance or Gratuity

(b) Report of Medical Board on (name of candidate) physical examination.

1 General development : Good ......Fair.. ....

Poor.............

Nutrition : Thin...... Average Obese .
Height (Without shoes)... Weight.... ... ..
Best Weight.. ....When ? any recent changes in weight ... . Temperature ........ ...
Girth of Chest.

(1) After full inspiration

(2) After full expiration

2. Skin : any obvious disease ... ....... ...

3. Eyes :...... ........

(1) Any disease .. ..... . .. ..

(2) Night blindness ..... ...... ...

(3) Defect in colour vision ..... . .. .

(4) Field of vision ...... .... . . ......

(5) Visual acuity ..... ... ....

(6) Fundus examination ..... ....... ... .

| Acuity of vision | Naked with eye glasses | Strength of glass sph. Cyl. Axis |
|---|---|---|
| Distant vision | R E<br>L E. | |
| Near vision | R E.<br>L.E. | |
| Hypermetropia (Manifest) | R.E.<br>L.E. | |

4. Ears . Inspection ... .Hearing Right Ear .. ... .
Left Ear ..... .. ........

5 Glands .. . .. .... Thyroid ... ... ....

6. Condition of teeth .. ...... . ... ... ...

7. Respiratory System : Does physical examinations reveal anything abnormal in the respiratory organs . . .
If yes, explain fully ——

8. Circulatory System :

(a) Heart : Any organic lesion ? .. ...... Rate Standing ......... ... . ..

After hopping 25 times ...... ..... . ....

2 minutes after hopping .. .... .

(b) Blood pressure : Systolic ... Diastolic..

9 Abdomen . Girth ..... ..Tenderness . .
Hernia .......... . ......... ..

(*a*) Palpable : liver ..... Spleen .....
Kidneys Tumours .....

(*b*) Haemorrhoids ..... Fistula .

10. Nervous System : Indication of nervous or mental disabilities .....

11 Loco-Motor System . Any abnormality .....

12 Genito Urinary System . Any evidence of Hydrocele Varicocele etc.

Urine Analysis

(*a*) Physical appearance

(*b*) Sp. Gr. .....

(*c*) Albumen .....

(*d*) Sugar .....

(*e*) Casts .....

(*f*) Cells .....

13. Report of X-Ray Examination of Chest.

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate ?

NOTE :—In the case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit, *vide* Regulation 9

15. (*i*) State the Service for which the candidate has been examined :

(*a*) I A.S. & I F S

(*b*) I.P.S and Delhi & Andaman & Nicobar Islands Police Service, .....

(*c*) Central Services, Group A&B

(*ii*) has he been found qualified in all respects for the efficient and continuous discharge of his duties in :

(*a*) I A.S. & I.F.S. .

(*b*) I P.S and Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police Service .....

(*see* especially height, chest girth, eye sight, colour blindness and locomotive system)

(*c*) Indian Railway Traffic Service (*see* especially height, chest, eye sight, colour blindness).

(*d*) Other Central Services Group A/B.

.....

(*iii*) is the candidate fit for FIELD SERVICE

NOTE.—The Board should record their findings under one of the following three categories :—

(i) Fit

(ii) Unfit on account of .....

(iii) Temporarily unfit on account of .....

Place .....

Date.....

*Chairman* .....

*Member* .....

*Member*. .....

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, 25th March 1977

No. 1/68/76-GPA.III.—In accordance with Rule I of the Rules governing the award of Police (Special Duty) Medal notified in the Gazette of India of 3rd March, 1962 under the President's Secretariat Notification No. 30-Pres /62, dated 23rd February, 1962, the Central Government hereby specifies that the Members of the Police forces, Central Police/ Security Organisations would be eligible for the award of the Police (Police Duty) Medal and Bar to the Medal for service rendered in the State of Sikkim, in addition to the areas already specified in this Ministry's notification No. 9/11/69-PIV dated 27th August, 1969, 9/94/72-GPA II, dated April, 1974 and 9/78/74-GPA II(III), dated 3rd Dec , 1976

C. S CHADHA, Dy. Secy.

## MINISTRY OF INDUSTRY
## DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 25th March 1977

### RESOLUTION

No. 13(4)/76-El.Ind.—Shri M. Balasubramanian of M/s. Voltas Limited 2nd Pokharan Road, Thana-400606 was appointed as one of the members of the Panel on Airconditioning & Refrigeration Industry constituted vide Ministry of Industry Resolution No. 13/4/76-El Ind. dated 23-12-76. Government have now decided that Col N. C. Gupta of M/s Voltas Limited would be a member of the Panel and Shri M. Balasubramanian would be an alternate member.

### ORDER

ORDERED that copy of the resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

G. N. MEHTA, Jt. Secy.

## MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
## (TRANSPORT WING)

New Delhi, the 23rd March 1977

### RESOLUTION

No. 55-ASO 1(6)/72.—A Shipping Co-ordination Committee consisting of representatives of the various Ministries/ Departments of the Government of India, Public Sector Undertakings and the Indian Shipping Companies, was set up in the then Ministry of Transport and Communications (Department of Transport) under Resolution No. 33-MS(207)/ 57 dated the 16th January, 1958 to advise and to generally co-ordinate the shipping arrangements for Government-owned cargoes by making most effective use of available Indian tonnage In terms of Resolutions No. 55-MC(197)/60, dated the 6th January, 1961, and No 38-1MD(22)/63 dated 4th July 1963 an Executive Committee and a Chartering Committee were added to the Shipping Co-ordination Committee for allocating cargoes to all available Indian ships and fixing foreign ships for carriage of cargoes that cannot be allocated to Indian ships.

2. In the light of the experience gained during the past few years and in the interest of more efficient performance of the work envisaged in the aforesaid Resolutions it has been decided that the functions relating to allocation of Government-owned and/or controlled cargoes to available Indian ships and chartering of foreign ships for carriage of cargoes when Indian ships are not available, shall be carried out by the Shipping Coordination and Chartering Division in the Ministry of Shipping and Transport. The Chief Controller of Chartering will be in overall charge of this Division Consequently, it has been decided that the Executive Committee and the Chartering Committee set up under Resolutions dated 6.1 1961 and 4.7 1963 mentioned above shall stand abolished and in their place a Chartering Committee shall perform the day-to-day functions for finalising the rates for charters of ships and contracts which fall within the purview of the Shipping Co-ordination and Chartering Division. The composition of this reconstituted Chartering Committee will be as follows :—

(i) Chief Controller of Chartering.

(ii) Deputy Chief Controller of Chartering.

(iii) Chartering Officers/Shipping Coordination Officer concerned.

(iv) Financial Adviser to the Ministry of Shipping & Transport or his representative.

3 It has also been decided that the Shipping Coordination Committee mentioned in the Resolution dated 16 1-1958 shall stand abolished and in its place a "Transchart Review Committee" shall be set up with the following functions —

(i) to review periodically the activities of the Shipping Coordination and Chartering Division in the Ministry of Shipping and Transport, and

(ii) to advise generally on the steps to be taken by the Ministries, Public Sector Undertakings and Projects to ensure proper coordination in making shipping arrangements for Government-owned and/or controlled of cargoes by liner and chartered vessels and to utilise Indian tonnage to the maximum extent possible

4. The Committee will be located in the Ministry of Shipping and Transport and shall have the following composition :—

A. *Chairman* :
Secretary, Ministry of Shipping and Transport

B *Members* :

(1) Secretary, Ministry of Finance (Deptt of Economic Affairs), or his representative

(2) Financial Adviser to the Ministry of Shipping and Transport or his representative.

(3) Secretary, Ministry of Agriculture and Irrigation, (Deptt of Food) or his representative

(4) Secretary, Ministry of Agriculture and Irrigation, (Deptt of Agriculture) or his representative

(5) Secretary, Ministry of Supply and Rehabilitation (Deptt of Supply) or his representative.

(6) Secretary, Ministry of Commerce or his representative.

(7) Secretary, Ministry of Steel and Mines (Deptt of Steel) or his representative.

(8) Secretary, Ministry of Energy (Deptt of Coal) or his representative

(9) Secretary, Ministry of Petroleum or his representative.

(10) Secretary, Ministry of Chemicals and Fertilisers or his representative.

(11) Director General of Shipping, Bombay or his representative.

(12) Chairman, Food Corporation of India or his representative.

(13) Chairman, State Trading Corporation of India or his representative.

(14) Chairman, Minerals & Metals Trading Corporation of India or his representative.

(15) Chairman, Indian Oil Corporation Ltd, New Delhi or his representative.

(16) Chairman, Steel Authority of India Ltd, New Delhi or his representative

(17) Chairman, Hindustan Petroleum Corporation Ltd, New Delhi or his representative.

(18) The Chairman, Shipping Corporation of India Ltd, Bombay or his representative

(19) The President, Indian National Shipowners' Association, Bombay or his representative

(20) The Chief Controller of Chartering—Member Secretary.

C. The Committee shall have the power to co-opt representatives of other Ministries/Departments/Public Sector Undertakings as and when necessary

D The Committee will meet at least once in six months.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the members of the "Transchart Review Committee", the Private and Military Secretaries to the President, Prime Minister's Secretary, Cabinet Secretariat, the Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

M RAMAKRISHNAYYA, Secy

## MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 25th March 1977

RESOLUTION

No U.23017/1/75 W.A(M) —The Government of India have decided to make the following amendment in its Resolution No U-23017/1/75-W A(M) dated the 2nd August 1976 published in the Gazette of India Part I Section I dated the 7th August, 1976, namely :—

In the said Resolution—

I in para 1,

(i) under the heading "Members Representing Government" for the words "Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Goa, Daman and Diu", the words "Iron Ore Mines Welfare Commissioner for Maharashtra and Goa, Daman and Diu" shall be substituted;

(ii) entry 5 shall be deleted and entry 6 shall be renumbered as entry 5;

(iii) after entry 5 so renumbered, the following entry shall be added, namely :—

"6 Member Secretary—Under Secretary in the Ministry of Labour.

II in para 2, the words "the Under Secretary in the Ministry of Labour shall function as Secretary to the Board" shall be deleted.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :—

1. The Govts of Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Bihar, Orissa and Goa, Daman and Diu

2 The Ministry of Steel (Deptt of Steel), New Delhi

3 All members of the Board

4 Employers' and Workers' Organisations concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

DHARNI DHAR,
Director General of Labour Welfare.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977